बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं की संचेतना का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(उ.प्र. के बाँदा नगर की ६०० दलित महिलाओं के अध्ययन पर आधारित)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ.प्र.) के
समाजशास्त्र में पी-एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

2005

शोध निदेशिका :

डॉ. सवीहा रहमानी
प्रवक्ता-समाजशास्त्र
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बाँदा (उ.प्र.)

गवेषिका :

सीता जड़िया
एम.ए., एम.फिल.
(समाजशास्त्र)

शोध केन्द्र - पं. जे. एन. पी. जी. कालेज, बाँदा

डा. सवीहा रहमानी
प्रवक्ता–समाजशास्त्र
राजकीय महिला स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, बाँदा (उ. प्र.)

दूरभाष–05192–225593
मोबाइल–9415557673
निवास–स्टार प्लाजा
डी. ए. वी. कालेज, रोड,
गूलरनाका, बाँदा

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सीता जड़िया पुत्र श्री रामसेवक जड़िया द्वारा समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत ''बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं में संचेतना का अध्ययन'' "बाँदा नगर की 600 दलित महिलाओं के संदर्भ में" शीर्षक विषय पर पी–एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत यह शोध प्रबन्ध विश्वविद्यालय के अध्यादेश ग्यारह की समस्त शर्तों को पूर्ण करते हुये मेरे मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। यह उनके स्वयं का मौलिक प्रयास है। अध्यादेश–11–8 में उल्लिखित प्राविधान अनुसार इन्होंने उपस्थिति भी पूर्ण की है।

विषय सामग्री लेखन भाषा आदि की दृष्टि से यह प्रबन्ध पी–एच.डी. उपाधि के स्तर का एवं मूल्यांकन हेतु भेजने योग्य है।

दिनांक : 25-12-05

(डा. श्रीमती सवीहा रहमानी)
शोध निर्देशिका

घोषणा पत्र

मैं सीता जड़िया घोषणा करती हूँ कि समाजशास्त्र के अर्न्तगत बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं में संचेतना का समाजशास्त्रीय अध्ययन डॉ. ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) उपाधि हेतु प्रस्तुत, यह शोध प्रबन्ध मेरी स्वयं की मौलिक रचना है। इसके पूर्व यह शोध कार्य किसी अन्य के द्वारा कही भी प्रस्तुत नही किया गया है।

अपना यह शोधकार्य मैने अपनी सुयोग्य निर्देशक डॉ. सवीहा रहमानी, प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदा के पथ प्रदर्शन में किया।

सीता जड़िया

आभार

'असतो मा सद्गमय' और 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' की मंगल कामना की प्रबल उत्कंठा मन में संजाये बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं में संचेतना की समस्या के पूर्ण सत्य की तरफ अग्रसर हुआ तो पाया कि सामाजिक समता के आभाव, अन्याय, शोषण, अत्याचार एवं अनार्जित लाभ। प्रतिष्ठा की पिपासा के बिना अस्पृश्यता समाप्त करने के प्रयास असफल ही साबित हुये है। अतः अपने शोध प्रबन्ध की निर्देशिका डा. सवीहा रहमानी के विषय प्रवर्तन पर ही मुझे उन दलित महिलाओं का सहज स्मरण हुआ जो समाज में अत्यन्त पिछड़ी हुयी जिनको हेय दृष्टि से देखा जाता है। तथा अनेकानेक सामाजिक संहर्षो एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर अनेक उपेक्षाओं तथा कठिनाइयों से गुजरती हुयी मेरे मानस पटल पर अंकित थी। विषय प्रतिपादन होते ही मस्तिष्क पर संजोई अनेक गहन अनुभूतियाँ संजीव एवं साकार होने लगी यह मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे प्रतिपल मार्गदर्शन देने वाली मेरी गुरू डा. सवीहा जी जो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं की आन्तरिक स्थिति से गहराई से जुड़ी हुयी है। उनके दिग्दर्शन में समग्र महिला समाज को समझने में मुझे अत्यधिक लाभ मिला मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ तथा जिनके उपयोगी सुझावों, उचित निर्देशन, सतत प्रेरणा एवं ममतापूर्ण व्यवहार से यह गुरुतर कार्य संभव हो पाया है सत्य को उजागर करना आज के समाज में एक अत्यन्त खतरनाक बन गया है क्योंकि जिन कमियों एवं बुराइयों को लोग अनौपचारिक रूप से बुरा मानते है, औपचारिक तौर पर उजागर करने पर तिलमिला उठते है। मुझे इस बेवसी से उबरने की अदम्य प्रेरणा भी अपनी गुरू डा. सवीहा जी से ही मिली अतः मैं उनकी हमेशा आभारी रहूँगी।

साथ ही साथ इस लघु प्रयासपूर्ण करने में मेरे श्रद्धेय गुरू जी डा. जंसवत प्रसाद नाग, रीडर अध्यक्ष समाज शास्त्र विभाग, पं. जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय बाँदा को आता है जिन्होंने मुझे अनवरत प्रेरणा एवं साहस तथा उत्साहवर्धन किया तथा इस शोध प्रबन्ध के प्रेरणा स्वरूप मैं अपनी माता जी श्रीमती बिन्द्रवासिनी देवी एवं पिता जी श्री रामसेवक जड़िया के प्रति

हृदय से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे इस शोध प्रबन्ध को करने के लिये उकसाया तथा उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस शोध को पूर्ण करने में सफल हुयी हूँ अतः मैं उनकी हमेशा आभारी रहूँगी तथा इसके साथ मेरे ससुर जी श्री बालमुकुन्द पोद्दार (एडवोकेट) एवं सासू जी श्रीमती कृष्णा देवी की मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अनवरत प्रेरणा और साहस देकर मेरा मार्गदर्शन किया तथा इस शोध प्रबन्ध के दौरान सबसे ज्यादा मेरा मार्गदर्शन मेरे पति श्री पवन कुमार सोनी ने किया उनके सहयोग से मेरा कार्य संभव हो पाया तथा उन्होंने इस कार्य के दौरान मुझे पारिवारिक दायित्वों से मुक्त रखा तथा मेरे भाई बहन एवं भाभियों ने भी मेरा सर्वेक्षण के दौरान सहयोग किया मेरी छोटी भाभी श्रीमती वर्षा जड़िया ने मुझे सर्वाधिक सहयोग देकर मेरा कार्य संभव किया जिनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ।

तथा मैं इस कम्प्यूटर टाइपिंग के लिए आर. एस. कम्प्यूटर्स उरई (जालौन) को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मेरा अल्पकाल में इस प्रबन्ध को सुन्दर एवं सुव्यवस्थित रूप प्रदान कर शोध को पूर्ण किया।

अंत में मैं अपने जेठ जिठानी तथा देवर एवं भाई बहिनों एवं भतीजे तथा मित्रों स्नेहीजनों को धन्यवाद प्रदान करती हूँ जिन्होंने मेरा सर्वेक्षण के दौरान सहयोग प्रदान किया।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध यदि लाभप्रद सिद्ध होता है तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी।

समाज शास्त्र विभाग
पं. जवाहर लाल नेहरू
महाविद्यालय बाँदा (उ. प्र.)

गवेषिका
सीता जड़िया
एम्. ए., एम. फिल.

अनुक्रमणिका

- दलित महिलाओं की समस्यायें
- सामाजिक दूरी
- आर्थिक समस्यायें
- अत्याचार उत्पीड़न की समस्या
- राजनीतिक समस्यायें
- शैक्षिक समस्यायें
- स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें
- संवैधानिक प्रावधान अधिनियम
- अनुच्छेद – 15
- अनुच्छेद – 17
- अनुच्छेद – 18
- अनुच्छेद – 23
- अनुच्छेद – 335
- अनुच्छेद – 338
- अनुच्छेद – 340
- अनुच्छेद – 341
- अनुच्छेद – 342
- अस्पृश्यता अपराध अधिनियम
- अत्याचार निरोधक अधिनियम
- बंधुआ प्रणाली अधिनियम
- नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम
- उ. प्र. ऋण मुक्त अधिनियम
- विकास से सम्बन्धित योजनायें

अध्याय - 1

अध्याय – 1

प्रस्तावना

"शिवः शक्त्या मुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभविंतु।

न चे देवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दि तुमपि।।"[1]

अर्थात् शिव जब शक्ति से युक्त होता है तब वह सृष्टि–निर्माण–समर्थ होता है, अन्यथा उसमें स्पन्दन तक सम्भव नही है।

"विधाः समस्तास्तव देवि भेदाः।

स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु।।"

अर्थात् सभी विधायें देवी के ही भेद है; संसार में जो भी स्त्रियाँ है, वे सब देवी के ही रूप है।

अतः इन उक्तियों के द्वारा महिलाओं को पुरुष के ऊपर रखा गया है अर्थात् नारी की सहभागिता के बिना हम किसी उच्च शिखर पर नही पहुँच सकते। समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका न केवल बच्चों के विकास के लिये उत्तरदायी है बल्कि वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सुरक्षात्मक और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ महिलायें उत्कृष्ट भूमिका निभा रही है एक ओर जहाँ उच्च वर्गों की शिक्षित महिलायें स्कूलों, कालेजों, दफ्तरों, कारखानो आदि में पुरुषों के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर देश के विकास में संलग्न है वही दूसरी ओर दलित महिलायें प्रारम्भ से ही मेहनत–मजदूरी अन्य विविध क्षेत्रों में रात दिन काम करके अपने परिवार का आर्थिक विकास करती है। इसके बावजूद समाज में महिलायें पुरुष से हेय दृष्टि से देखी जाती है। खासकर दलित महिलायें और भी अधिक उपेक्षित है। देश की कुल आबादी की लगभग 16.5 प्रतिशत महिलायें दलित है, जो घोर अशिक्षा, अंधविश्वास, उत्पीड़न, रूढ़ियों से ग्रस्त है। अतः देश के विकास में इन महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है यदि भारत में इन महिलाओं की आधी से ज्यादा आबादी का विकास नही हुआ तो देश व समाज का विकास नही हो सकता।

---

1. हनुमान प्रसाद पोद्दार – कल्याण, 2005–देवी पुराणांक, गीता प्रेस गोरखपुर पृष्ठ – 52–53

किन्तु देश की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ एवं परम्पराओं के कारण दलित महिलाओं के योगदान को न तो महत्व दिया गया है और न ही अवसर प्रदान किया गया है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों ने महिलाओं को अपना अनुगामी बनाये रखा तथा उन्हें अनेक प्रकार के रूढ़िगत सामाजिक, आर्थिक बंधनों में जकड़े रखने में अपना महत्व प्रतिपादित किया। इस कारण सम्पूर्ण देश तथा विशेष रूप से दलित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक परिस्थितियाँ अत्यन्त शोचनीय रही है।

विश्व इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिला पुरुष की तुलना में अपने अधिकारों के संदर्भ में सदैव उपेक्षित रही है, इसी कारण प्रत्येक समाज में इन महिलाओं के साथ शोषण, अन्याय तथा अत्याचार हो रहा है। इस शोषण के पीछे उनमें व्याप्त अशिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता की कमी, पुरुष प्रधान मानसिकता, रूढ़िवादिता तथा आर्थिक आधार पर पुरुषों पर निर्भर रहना आदि कारण उत्तरदायी रहे है। इतिहास के इस दौर में दलित महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक युग में इन महिलाओं की स्थिति भिन्नता युक्त रही है। विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक विद्वानों ने अपने देश एवं समाज की परिस्थितियों के अनुरूप महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में अनेक विचार प्रस्तुत किया तथा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों में भी सक्रियता दिखाई परन्तु एक ओर जहाँ महिलाओं की स्वाधीनता के सम्बन्ध में विचार दिये वही दूसरी ओर पराधीनता की भी बात की।

भारतीय समाज में दलित स्त्रियाँ आदिकाल से ही शोषण का शिकार रही है स्त्रियों को समाज में बराबरी का दर्जा कभी नही मिला, अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण वे अनेकों समस्याओं से ग्रसित हो गयी।

अतः प्रारम्भ से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है इतिहास में कभी भी ऐसा समय नही आया जिसमें वर्ग, घृणा उपस्थिति नही रही है। वर्ण व्यवस्था ने ही जाति व्यवस्था को जन्म दिया है।

1. पूर्व मनुस्मृति युग –

''लोकानां तु विव्रद्रयर्थ मुख वाहू रूपादतः।

ब्राम्हणं, क्षत्रियं, वैश्यं, शूद्रं च निखर्तयत्।।[2]

---

2. बी. आर अम्बेडकर – 'शूद्र कौन' 2000 कंचन प्रकाशन शाहदरा नई दिल्ली पृष्ठ – 23–49

हिन्दू समाज व्यवस्था चतुष्वर्ण पर आधारित है। मनुस्मृति का मत "सृष्टा ने अपने मुख, भुजा, जंघा और पैरों से ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रचना की है।"

अतः मनुस्मृति में शूद्रों का ही एक ही कर्म बताया है कि तीनों वर्णों की निदां रहित सेवा करना। जब–जब दलितों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें दण्डित किया जाता था और न ही वेद पढ़ने की, न ही सुनने की छूट थी। यदि कोई पढ़ता या सुनता तो जुबान काट दी जाती थी। जहाँ इन्होंने आगे बढ़कर पौरूष विद्या और सम्पदा प्राप्त करने की कोशिश की तो उसे दण्डित किया गया महाभारत काल में एकलव्य का अँगूठा कटवा दिया।[3] राम ने शम्बूक की हत्या कर दी।[4] दलितों ने जब–जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनको कुचल दिया गया। वैदिक काल से महाभारत काल तक यही दशा रही। 'दलित' वर्ण व्यवस्था की उपज है। इन चारों वर्णों से जाति व्यवस्था उपजी। फिर जाति से दलित बने।

2. मनुस्मृति युग –

मनु ने मनुस्मृति की रचना पुण्य मित्र शुंग द्वारा मौर्य शासक वृहद्रथ के विरूद्ध की गई राज्य क्रान्ति के दार्शनिक समर्थन में लगभग ई. पू. की थी।[5] मनु के समय अनुलोम विवाह के कारण चार प्रमुख वर्णों के अलावा अनेक निम्न जातियों का जन्म हुआ। मनु ने इस प्रकार की अवैध संतानों को 'वर्ण सकर' नाम से सम्बोधित किया।[6] मनु ने इन निम्न जातियों एवं शूद्रों पर अनेक प्रकार की अयोग्यतायें लगाई तथा इनको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता तथा समानता के अधिकार से वंचित किया।

जैसा कि अम्बेडकर ने लिखा है, –"मनु के समय में अस्पृश्यता नही थी। उस समय केवल 'अपवित्रता' थी। चाण्डाल के प्रति मनुका भाव एकमात्र घृणा का ही, वह चाण्डाल भी केवल एकमात्र अपवित्र ही था। पंचम वर्ण के संदर्भ में डा. अम्बेडकर आगे लिखते है, "नारद स्मतिदासों को पंचम वर्ण मानकर उनका उल्लेख करती है। यदि नारद स्मृति में पाँचवें वर्ण का नाम 'दास' हो सकता है, तो कोई कारण नही कि मनुस्मृति में पाँचवें वर्ण का अर्थ दास न हो।"[7]

---

3. शास्त्री, शिवराम, श्रीमद् बाल्मीकि रामायण, वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन, 1977--उत्तरकाण्ड, पृ. 1029--30
4. सतवलेकर एस.डी. (अनु.) महाभारत (आदि पर्व), बलसाड, स्वाध्यायमण्डल, पराथी, 1979 पृ.669–673
5. क्षीर सागर, आर. के. – 1986 अनरचवेलटी इन इण्डिया पेज. 34 अम्बेडकर अहूत कौन कैसे ? भदन्त आनन्द कौसल्सायन (अनु) लखनऊ, कल्चरल पब्लिशर्स 1990 पृष्ठ 1685
6. ज्वाला प्रसाद – मनुस्मृति, हरिद्वार, रणधीर बुक सेल्स प्रकाशन 1992
7. अम्बेडकर वी. आर., शूद्रों की खोज, एस मूर्ति (अनु) लखनऊ, कल्चरल पब्लिशर्स 1991

अतः इस युग में जाति व्यवस्था, ब्राम्हणों की सर्वोच्चता और निम्न जातियों एवं शूद्रों पर अयोग्यतायें थीं, लेकिन अस्पृश्यता नही थी।[8]

3. उत्तर मनुस्मृति युग –

यह युग अस्पृश्यता की उत्पत्ति का साक्षी है। अम्बेडकर के मतानुसार इस युग में अस्पृश्यता के दो प्रमुख काल थे – (A) बौद्ध धर्म की अवमानना (B) छितरे हुये आदमियों द्वारा मृत पशुओं का माँस भक्षण जारी रखना। सामाजिक व्यवस्था का चित्रण करते हुये चीनी यात्री फाह्यान ने लिखा ''चाण्डाल गाँव के बाहर एक ओर रहते है। जब वे शहर या बाजार में प्रवेश करते है उन्हें एक विशेष प्रकार की आवाज़ करनी पड़ती थी ताकि उच्च जाति के लोग उनके स्पर्श से बचे।''[9]

4. मध्य युग –

इस युग में ''शूद्रों'' के नीचे आने वाले ''अन्त्यज'' कहलाते है।[10] इस समय सम्पूर्ण भारत में अस्पृश्यता व्यवहार में आ चुकी थी। मुस्लिम युग में जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के प्रति मुस्लिम सम्राटों के विपरीत रवैयों के कारण जाति–व्यवस्था अत्याधिक कठोर हो गयी एवं अस्पृश्यता समाज में गहराई से व्याप्त होती चली गई।[11]

5. आधुनिक युग –

यद्यपि अस्पृश्यता की उत्पत्ति एक संस्था के रूप में मध्य युग के प्रारम्भ में ही हो चुकी थी तथा अस्पृश्यों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। लेकिन आधुनिक युग में लगभग अठारवीं शताब्दी के प्रारम्भ में तीव्र गति से विकास हुआ सच्चिदानंद ने ''द हरिजन एलीट नामक अध्ययन में लिखा शूद्र लोग ब्राम्हणों से 99 फीट दूर रहते थे।''[12]

अतः इस समय आठ प्रश्नों पर अस्पृश्यों पर अमानवीय प्रतिबंध लगाये गये थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अस्पृश्यता के आधार पर डा. भीमराव अम्बेडकर को संस्कृत विषय के

---

8. क्षीरसागर आर. के. 1986 अनरचवेलटी इन इण्डिया, इम्पलीमेन्टेशन ऑफ द लॉ एण्ड प्रबलिशन न्यू देहली दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स 1986 पृष्ठ – 21
9. लेगे, जेम्स, द ट्रेवलर्स ऑफ फाह्यान, देहली, ओरियेण्ट पब्लिकेशन्स 1971 पृ. 43
10. सचान – एडवर्ड, सी, अलरूवनीज इण्डिया, देहली, एस चंद एण्ड कं., 1964 पृ. 101, 137
11. सागर, एस. एल., हिन्दू संस्कृति में वर्ण व्यवस्था और जातिवाद, लखनऊ, बहुजन कल्याण प्रकाशन, पृ. 49
12. सच्चिदानंद ''द हरिजन एलीट'' ए स्टडी ऑफ देअर स्टेट्स नेटवर्क, याविलिटी एण्ड रोल इन सोशियल ट्रांसफारमेशन, फरीदबाद, थामसन प्रेस इण्डिया लि. 1977 पृ. 4

अध्ययन की अनुमति नही थी।''[13] अतः प्राचीन काल से वर्तमान काल तक दलितों का शोषण होता रहा।

अतः तुलसीदास ने कहा है ''ढोल गवांर शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी''

अर्थात् इन्होंने स्त्रियों, शूद्रों और पशुओं को एक ही श्रेणी में रखकर वर्ण व्यवस्था के सही स्वरूप को दर्शाया है। ये उद्‌गार अद्यम के पात्र है इस आधार पर तुलसी का बचाव करने वालों से हक सहमत नही हो सकते। तुलसी में राम वर्णाश्रम धर्म के रक्षक है। और वर्णश्रम धर्म में स्त्रियों शूद्रों की यहाँ नियति है। इनकी प्रारम्भ से ही स्थिति दयनीय रही है। स्त्रियों के साथ पशुवत व्यवहार होता रहा है जब इनमें पुरुषों के साथ अत्याचार हुये तो स्त्रियों की कल्पना नही कर सकते इन स्त्रियों को न तो पढ़ने लिखने दिया जाता था। बल्कि इनको सामाजिक निर्योग्यताओं को झेलना पड़ता था। अतः इनकी स्थिति दयनीय है तथा ये जाति व्यवस्था का शिकार बनी रही।

इस प्रकार धीरे–धीरे समाज में अनेक समूह एवं श्रेणियाँ बनी, जिसकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर्याप्त भिन्न–भिन्न है। कुछ समूह जातिगत दृष्टि से श्रेष्ठ स्वीकार किये गये तथा वे समाज में पर्याप्त प्रतिष्ठा सम्पन्न है। इस प्रकार कुछ आर्थिक दृष्टि से उच्च तथा कुछ अधिक साधन सम्पन्न एवं समृद्ध है। इनमें से भारतीय समाज में कुछ ऐसे भी समूह है जो सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये तथा अधिकांश तथा गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे है। इस समूह को भारतीय समाज में 'दलित' दुर्बल तथा अस्पृश्य एवं निम्न की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण के अन्तर्गत निम्न सामाजिक स्थिति वाले तथा आर्थिक दृष्टि से अल्प साधन सम्पन्न वर्गों को समाज में 'दलित वर्ग' की संज्ञा दी जाती थी। सामाजिक दृष्टि से दलित वर्ग को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। तथा अन्य वर्ग उनमें एक निश्चित ''सामाजिक दूरी'' बनाये रखते है। कभी–कभी दुर्भाग्यवश उन्हें सामाजिक तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज में ऊँच–नीच, छुआछूत जैसी बुराईयों का मुख्य शिकार 'दलित' है। समाज में ये दलित जहाँ सामाजिक दृष्टि से निम्न जीवन यापन कर रहे है। वही ये शिक्षा के प्रसार से भी प्रायः वंचित ही रहे है।[14]

---

13. कीर धनंजय – 1954 डा. अम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशन, लंदन, एलेन एंड अनविन 1949 पृ. 93
14. डा. धर्मवीर महाजन – ''भारत में समाज'' – 2003 विवेक प्रकाशन जवाहर नगर कमलेश महाजन शाहदरा दिल्ली – पृ. 95–99

समाज में 'दलित वर्ग' को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को हम 'दलित वर्ग' के रूप में स्वीकार करते है। 'दलित' शब्द से अभिप्राय जैसा की शब्द से स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति या वर्ग जिसका समाज में अत्यन्त निम्न स्थान है, जो उत्पीड़न का शिकार है तथा जिसका जीवन आभाव, दुखः तथा अपमान भरा जीवन व्यतीत होता है। अतः दलित वर्ग का अभिप्राय उन लोगों से है जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त निम्न है अर्थात् अत्यन्त निम्न वर्ग ही दलित वर्ग कहलाता है।[15]

भारत के विकास क्रम में दलित शब्द का प्रयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों में ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में किया जाता है। जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे है। इनका निर्धारण "योजना आयोग" ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में गरीबी के आय प्रमाण पत्रों के आधार पर करता है। योजना आयोग की दृष्टि से गरीब वे व्यक्ति कहे जाते है, जिनका उपभोग परिव्यय अपर्याप्त है, जिनकी श्रम शक्ति कम है तथा जिन्हें योजना आयोग में न्यूनतम निर्धारित कैलोरी की मात्रा भी प्राप्त नही होती है।

अतः दलितों की विभिन्न समस्यायें खास कर इन महिलाओं की समस्यायें भारत के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। ये महिलायें प्राचीन समय से ही सामाजिक, आर्थिक, भेदभाव का शिकार थी। यथा छुआछूत, मंदिरों में प्रवेश निषेध एवं सार्वजनिक कुओं से पानी भरने पर भेदभाव, शादी विवाह में दूल्हे के घोड़ी पर चढ़ने पर रोक आदि इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये इसका आर्थिक उत्थान हेतु भारत सरकार या अन्य स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये है। ऐसा माना गया कि पिछड़ेपन का कारण आर्थिक है। इनके लिये यह महत्व समझा गया कि उन्हें समाज कि उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा और न्याय मिले। इसके लिये जो आधार तय किये गये थे उसमें निरक्षता का उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, पूँजी के केन्द्रीय कर पर रोक, राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हर किस्म के शोषण की समाप्ति आरक्षण द्वारा सेवाओं में स्थान सामाजिक भेदभाव की समाप्ति आदि था।[16]

---

15. डा. धर्मवीर एवं कमलेश महाजन – 2003 इ विद – पृ. 95–101
16. त्रिपाठी आर. के. 1995 जातिवाद और सामा. न्याय लिये सहर्ष कल्याण मुख्यालय द्वारा आयोजित एवं गोविन्द बल्लभ पंत सामा. विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित, संगोष्ठी में अध्यक्षीय भाषण के अंश जुलाई 29, पृ. 3

अतः भारत में सदियों से इन महिलाओं का शोषण हुआ है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों में प्लेटो ने संरक्षक के अन्तर्गत महिला पुरुष समानता स्वीकार की थी परन्तु उसी जगह अरस्तु ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हीनता पर बल देते हुये उन्हें दासों में समकक्ष रखा था। प्राचीन भारतीय गौरव–ग्रंथ 'मनुस्मृति' के अन्तर्गत एक ओर यह कहा गया है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता (जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता विराजमान होते है) तो दूसरी ओर यह घोषित किया गया – "न नारी स्वतंत्रयर्भततित" नारी स्वंतत्र रहने योग्य नही है।"

प्राचीन काल से महिलाओं के साथ अत्याचार शोषण हुआ है। वैदिक काल को नारी कि परिस्थिति का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। क्योंकि इस काल खण्ड में उसकी अत्यन्त उन्नत स्थिति थी।

जैसा की देसाई के अनुसार कपाडिया ने लिखा है "पितृ सत्तात्मक पारिवक व्यवस्था होने के कारण पुत्र जन्म को अधिक महत्व दिया जाता था किन्तु फिर भी पुत्री को पुत्र में समान ही सभी सुविधायें दी जाती थी। शिक्षा के सम्बन्ध में पुत्र पुत्री में कोई भेदभाव नही लाया जाता था। अतः इस काल खण्ड में स्त्रियों का समाज में सम्मानपूर्ण स्थान सुरक्षित रहा। परन्तु पितृ सत्तात्मक परम्परा होने के कारण दलित महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नही थी।"[17]

अतः उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की प्रस्थिति का कुछ ह्रास हुआ महाभारत में उल्लेख मिलता है कि उस युग में नारियों की प्रस्थिति पुरुषों के समान थी परन्तु मनु परम्परा इसी काल में प्रचलित हुयी इसके अनुसार नारियों का वेदपाठ, मन्त्र करने पर प्रतिबंध लगाया गया विधवा एवं पुर्नविवाह का पूर्ण निषेध हुआ और बाल विवाह का आरम्भ हुआ। तथा स्त्रियों की शिक्षा का भी कोई प्रावधान नही था। गौतमीय धर्म सूत्र के अनुसार रजो दर्शन के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिये अतः स्त्रियों की स्थिति काफी निम्न हो गयी लड़की पैदा होना एक अभिशाप माना जाने लगा।

अतः इस युग में एक आम स्त्रियों की जब यह दशा थी तो दलित महिलाओं की कितनी दयनीय दशा रही होगी। अब 'सीता' और द्रोपदी जैसी महिलाओं के साथ अत्याचार हुये है तो दलित महिलाओं का कितना शोषण हुआ होगा जिसकी कल्पना नही कर सकते तथा जब इस काल में महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगाया गया था अतः वेद पढ़ने, और सुनने पर रोक लगा दी गई थी तो स्त्रियाँ कैसे अपना विकास कर पाती। अतः इस काल में महिलाओं में दासत्व की भावना पनप गयी।

---

17. कपडिया – 1947 "दि हिन्दू किंगशिप"

मध्य काल में स्त्रियों की दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी। स्त्रियों की शिक्षा का प्रायालाप हो गया कन्या की उम्र 8, 9 वर्ष की होते ही विवाह किया जाने लगा। विधवा पुर्नविवाह पर प्रतिबन्ध एवं पर्दा प्रथा का आरम्भ हो गया इस काल में नारी एक उपयोग की वस्तु बनकर रही। अतः उस काल में स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता, कुलीन विवाह प्रथा, अर्न्तविवाह, बाल विवाह, अशिक्षा और संयुक्त परिवार प्रणाली को ऐसे कारण माने गये जिसमें नारियों की प्रस्थिति में अत्याधिक गिरावट आयी।

अतः इस युग में महिलाओं के साथ अत्याधिक अत्याचार एवं शोषण हुआ है। जिससे उनमें पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ पैदा हुयी। अतः यह युग दलित महिलाओं के लिये 'अंधकार युग' सिद्ध हुआ।

आधुनिक काल में स्वतंत्रता सम्पूर्ण अंग्रेजी शासन काल में नारियों की प्रस्थिति के सुधार के कई प्रयास किये गये। 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1856 ई. में हिन्दू विधवा पुर्नविवाह अधिनियम, 1937 में हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम विधान इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास रहे। परन्तु इस काल में दलित नारियों अनेक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, शैक्षिक निर्योग्यताओं का शिकार रही। इस काल में इन स्त्रियों की निम्न प्रास्थिति बनाये रखने में अशिक्षा, आर्थिक, पराधीनता, बाल विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली, वैवाहिक प्रथायें (कुलीन विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवा पुर्नविवाह निषेध, दहेज आदि) धीरे–धीरे इस काल में स्त्रियों की स्थिति में धीरे–धीरे सुधार होना आरम्भ हुआ। यही वह काल है जिसमें स्त्री शिक्षा एवं रोजगार को मान्यता मिली।[(18)]

स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्रियों की प्रास्थिति में और भी सुधार हुआ है। सरकारी, गैर सरकारी, संगठनों (महिला संगठनों सहित) तथा समाज सुधारकों के प्रयासों के परिणामस्वरूप आज भारतीय नारी की प्रस्थिति मध्यकाल नारी से कही ऊँची है। वह हर क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नही है।

अतः विकासशील देशों में स्त्रियों को पुरुषों के साथ पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक जिम्मेवारियों का पालन करना पड़ता है। अतः उनकी शिक्षा की अवहेलना नही की जा सकती। स्त्री शिक्षा की अवहेलना भावी पीढ़ी के साथ अन्याय है, स्त्री समाज का आधार है। उन्हें शिक्षित करना पूरे समाज को शिक्षित करना है।

---

18. मिश्रा सरस्वती – 1996 ''भारतीय महिलाओं की प्रास्थिति'' पृ. 5–23 शारदा पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
19. मालती सारस्वत – शिक्षा के सिद्धान्त 1988 आलोक प्रकाशन इलाहाबाद, पृ. 1–12

नेपोलियन ने कहा –

"मुझे सुशिक्षित मातायें दें मैं एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूँगा।"

भूतपूर्व कृषि मंत्री जगजीवन राम ने कहा था –

"एक कन्या को पढ़ा देने से आगे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होगी।"[19] अतः "नारित्र विद्या समं चक्षुर्नरित्त मातृसमोगुरुः

अर्थात् विद्या के समान कोई चक्षु नही है। तथा इसके समान कोई गुरू नही है। अतः बालिका की शिक्षा एवं विकास पर सबसे अधिक असर उसकी माता का पड़ता है। वास्तव में महिलाओं की शिक्षा भी किसी तरह पुरूषों की शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नही है। भावी समाज के निर्माण और स्वास्थ्य पारिवारिक जीवन की दृष्टि से बालिकाओं की शिक्षा का महत्व बालकों की शिक्षा से अधिक है। अतः स्त्री की शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना आज राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है।

अतः शिक्षा समाज में गतिशीलता लाती है केवल शैक्षिक प्रणाली ही वह संस्था है। जो स्त्री पुरुषों के बीच असमानता की गहरी जड़ों को उखाड़ सकती है। इसलिये विश्व भर में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिये शिक्षा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। स्त्री शिक्षा एक ऐसा उपकरण है। नई समाज व्यवस्था का निर्माण करने के लिये स्त्रियों को सक्षम बनाता है। भारतीय स्त्रियों को आर्थोपार्जन नही करना है। ऐसा समझा जाता था परन्तु समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा की आवाज उठाई तथा सरकार से पहले ईसाई मिशनरियों व कुछ विद्वान व्यक्तियों ने इस दिशा में प्रयास किये।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में लगभग 20,000 स्त्री शिक्षा संस्थायें कार्यरत थी। वही योजना के पश्चात् बालिका शिक्षा संस्थायें लगभग 26,500 हो गयी। आजादी के बाद देश में प्रथम प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने बाल कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता के तहत बच्चों की शिक्षा न प्राथमिकता देने की बात कही है। 1958 ई. में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका शिक्षा समिति नियुक्त की गई। जो बालिका शिक्षा के विकास के लिये विविध योजनायें बनाती है तथा सरकार को परामर्श भी देती है।

अतः स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। इसके पूर्व न तो माता पिता लड़कियों को शिक्षा दिलाने के पक्ष में थे और न ही शिक्षा की दृष्टि से समुचित सुविधायें उपलब्ध थी। 1882

में शिक्षित महिलाओं की संख्या 21054 थी। जो सन् 1971 में 5 करोड़ 394 लाख तथा 1981 में 7 करोड़ 91.5 लाख से अधिक हो गई। 1991 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों की शिक्षा का प्रतिशत 39.29 तथा पुरूषों का 63.86 था। 2001 में यह प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 53.6 तथा 75.2 हो गया। देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। जहाँ स्त्रियों की शिक्षा का दर 90.9 है। स्त्रियों की शिक्षा का दर सबसे कम बिहार के 33% है। राजस्थान में स्त्री शिक्षा का दर 43.9 तथा उत्तर प्रदेश में 42.2 एवं मध्य प्रदेश में 50.3 है। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने 1964–65 में दसवीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी है।[20]

संविधान के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया था "संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर राज्य 14 वर्षों की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा।[21] परन्तु आज संविधान के क्रियाशील होने के 54 वर्षों के बाद भी इस आयु वर्ग में सात आठ करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित है। उनमें सर्वाधिक संख्या बालिकाओं की है। परन्तु दुर्भाग्यवश भारतीय समाज ने महिला एवं बालिका शिक्षा के महत्व को अभी तक ठीक प्रकार से स्वीकारा नही है। अपने पास पड़ोस में अक्सर यह बातें सुनने को मिलती है। कि बालिकाओं को पढ़ाना–लिखाना ठीक नही है। अथवा बालिकाओं को कौन नौकरी करानी है। जो उन्हें पढ़ाया जाये इस प्रकार के विचार एक ओर तो समाज में दकियानूसी प्रवृत्ति और अज्ञानता का परिचय देते है। तो दूसरी ओर यह प्रकट करते है कि समाज शिक्षा के उद्देश्य से भलीभांति परिचित नही है। पिछले कुछ अरसे से भारतीय महिलाओं में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है और उससे उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है। निम्न वर्ग में यह परिवर्तन की गति धीमी है। अतः समाज में दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास के प्रति जागरूकता नही है। ये आज भी अशिक्षा के अंधकार में भटक रही है। पुरुष सत्तात्मक समाज सुदृढ़ स्थिति में है। परन्तु समाज में दलित महिलायें अशिक्षित एवं अनेकों समस्याओं से ग्रसित है। इनमें शिक्षा का प्रसार कम है। शिक्षा के इस न्यून प्रसार के कारण दलित महिलाओं में अज्ञानता, अंधविश्वास, उत्पीड़न, शोषण आदि की अनेकों समस्यायें है।

उनको आरम्भ से शिक्षा सुविधाओं से वंचित रखा गया है। तथा ये आर्थिक तंगी की दशा से जूझ रही है। इनको समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। इन्हें बराबरी का दर्जा नही

---

20. डा. सरयू प्रसाद चौबे – तुलनात्मक शिक्षा 1995 विनोद पुस्तक मंदिर आसाम पृ. 658–666
21. स्नेहराय – कुरूक्षेत्र 2002 विकास मंत्रालय नई दिल्ली

प्राप्त है। इनमें आज भी रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अशिक्षा व्याप्त है। समाज में इनका उत्पीड़न एवं शोषण होता रहा है। इनको निकृष्ट समझा जाता है इन महिलाओं को आज भी निम्न स्तर के व्यवसाय करने पड़ते हैं जैसे – सुअर पालन, डलिया बनाना, जूते बनाना इत्यादि। कारण यह है कि इनका न तो किसी भी प्रकार का विकास हो पाया न ही उन्नति हो पायी क्योंकि इनमें आज भी शिक्षा की दर अन्य लोगों की तुलना में कम है। इन महिलाओं की बदतर स्थिति के लिये मूलरूप से बचपन से ही बालिकाओं को संस्कार रूप में मिलने वाली सोच जिम्मेदार है। बाद में हमारी पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक परम्परायें, मूल्य, रीतिरिवाज इस दृष्टिकोंण की पुष्टि करते है। अतः इस सोच में बदलाव लाना सबसे बड़ी चुनौती है।

पॉल के अनुसार "पूँजीवादी विकासशील व प्रजातांत्रिक भारत की जिम्मेदार नागरिक भारतीय स्त्रियों को उनके कठिन रचनात्मक व उपयोगी कार्यों के बावजूद बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है।"[22] भारतीय स्त्रियों का एक वर्ग ऐसी स्त्रियों का समूह नही है सभी पुरूषों के समान सभी स्त्रियों को भी एक समान ही सामाजिक बौद्धिक स्थिति नही है। इसी प्रकार से पहले स्त्रियों को जिन निर्योग्यताओं को भोगना पड़ता था। वे केवल दलित महिलायें ही भोगती थी। ये सभी निर्योग्यतायें सभी स्त्रियों पर लागू नही होती थी। यह सत्य है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति निम्न रही है। किन्तु दलित स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय बनी है। तथा इन स्त्रियों के सामाजिक, आर्थिक शोषण से उनकी तकलीफें ही उनके विषय में चिंता का कारण बनती है।

राष्ट्रीय समिति 1975 में कहा कि "बढ़ते हुये कानूनी परिवर्तनों व व्यवस्थाओं के बाद भी स्त्री स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नही आया है। वह अभी भी कम पढ़ी लिखी, बेरोजगार, सत्ता संरचना में कम दिखने वाली, बीमार प्रथाओं का पैतृक परम्परा के नियमों से ग्रसित है। वे अपनी स्थिति से बहुत असंतुष्ट भी दिखाई नही देती और न ही उनमें अपनी ओर से स्थिति सुधारने के प्रयास करने की इच्छा व क्षमता का आभास दिखाई देता है।"[23]

अतः इस वर्ग की स्त्रियों की भूमिका एवं स्थिति में काफी परिवर्तन आ रहा है। शिक्षा के प्रति उत्पन्न हुयी अपने हितों के प्रति जागरूकता दलित स्त्रियों को मानसिक रूप से अशांत बनाये हुये है तथा व्यवहारिक रूप से अधिक कुछ न मिल पाने से उपजी घोर निराशा व स्वयं

22. वी. के. पाल – "प्राब्लम्स एण्ड कनर्सस ऑफ इण्डियन बूमेन" 'ABC' पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
23. राष्ट्रीय समिति – 1975 'भारत में महिलाओं की स्थिति', एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लि. बम्बई

कुछ न करवाने की विवशता आदि मानसिक तनाव व चिंता में विशेष कारण बनते जा रहे है। जिसका प्रभाव उनके सामाजिक, पारिवारिक व व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है।

श्री निवास ने कहा है "यह महिलायें स्वयं असमतावादी मूल्यों का शिकार रही है। सामाजिक व्यवस्था व परम्पराओं का पूर्व विरोध करने का साहस भी वह नही उठा पा रही है।"[24]

अतः पुत्र पुत्री के पालन पोषण में समानता व्यवहार में लाने के बाद भी उनके क्रियाकलापों में असमानता आसानी से देखी जा सकती है। लड़कियों को घर में व लड़कों की बाहर के कार्यों में कुशल किया जाता है। लड़कियों को आजादीपूर्वक, विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद, घूमने नही दिया जाता है। जबकि लड़के पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते है। आधुनिक परिवारों की लड़कियाँ स्वयं इस भेदभाव का विरोध करती है। कुछ सीमा तक छुटकारा भी पा लेती है। यह परम्परायें इनकी शिक्षा एवं विवाह तथा व्यवसाय में रूकावट पैदा करती है। इनके परिवारों की लड़कियाँ घर में छोटे भाई–बहन का पालन–पोषण करना, घर का काम, बाहर से पानी लाना, लकड़ी लाना, पैसे कमाने के लिये दूसरों के घर में काम करना आदि कार्यों को करती है। इसलिये उनकी पढ़ाई में रुकावट पैदा हो जाती है। तथा स्कूल में नामांकन कराने के बाद पढ़ाई में बीच में ही स्कूल छोड़ देने की दर भी लड़कियों के मध्य अधिक है।

इस प्रकार से इनका शैक्षिक विकास बाधित हो जाता है। जिससे इन महिलाओं की स्थिति त्रिशंकु के समान हो जाती है। जहाँ एक ओर तो संवैधानिक व्यवस्थाओं व कानूनों द्वारा प्रदान की गई प्रस्थिति एवं भूमिकायें है। तो दूसरी ओर सामाजिक परम्पराओं द्वारा लादी गई प्रस्थिति एवं भूमिकायें है। वह समानता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही। परन्तु परम्परायें उनके पैरों को कमजोर बनाये हुये है। जिससे वे उचित गति से चल नही पा रही है। यदि इस स्थिति को बदलने का गम्भीर प्रयास नही किया गया तो यह काफी लम्बे समय तक चल सकती है। क्योंकि बहुत गहरी जड़े जमाये हुये परम्परागत मूल्य, आदर्श, नियम दलित महिलाओं को समान स्थिति देने के विषय में उसके विरूद्ध बहुत मजबूती से रोक लगाये हुये है। इसी कारण अभी भी समाज में इनका शोषण हो रहा है।

भारत सरकार ने दलित महिलाओं के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये अनेक कदम उठाये है। तथा विविध प्रकार की सुविधायें भी प्रदान की है। तथा इनके उत्थान एवं विकास के लिये अनेकों योजनायें भी बनायी है। जैसे महिला बाल विकास की योजना, समेकित

---

24. श्री निवास – 1978 "चेजिंग स्टेटस ऑफ इण्डियन बूमेन" आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस दिल्ली

बाल विकास योजना, किशोरी शक्ति योजना, बाल समिति योजना, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि इसके अलावा वजीफे, मुफ्त वर्दी, कापी किताबें, छात्रावास की सुविधायें व शिक्षा संस्थाओं व प्रशिक्षण संस्थाओं में इनके लिये आरक्षित स्थानों में प्रावधान के परिणामस्वरूप इनमें शिक्षा की वृद्धि तो हुयी परन्तु इस दिशा में काफी कार्य करना शेष है।

वास्तव में दलित महलाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षा प्राप्ति के लिये तैयार किया जाना आवश्यक है। साथ ही इन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाना चाहिये। ताकि अपने रोजगार स्वयं स्थापित कर सके। इनमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये। सरकार द्वारा सुविधा प्रदान करने के बावजूद भी इनमें प्रगति संतोषजनक नही पायी है। अतः आज भी ये महिलायें वांचित महसूस करती है। तथा अधिकांश महिलायें निरक्षर है। इसी कारण ये जागरूक नही हो पाती न ही इन योजनाओं का लाभ ले पाती है।

अतः आज दलित महिलाओं में शिक्षा के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। ताकि इन महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता, आत्मविश्वास एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं अन्याय से लड़ने की शक्ति पैदा हो। वे अपने प्रति हो रहे सामाजिक, आर्थिक भेदभाव को पहचान कर उसका प्रतिकार करने योग्य बन सकती है। हालाँकि इनके लिये कानूनी व्यवस्था है परन्तु अशिक्षा और जागरूकता के आभाव में बहुत महिलायें कानून द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ नही उठा पाती।

अध्ययन का उद्देश्य –

भारत सरकार समय–समय पर पर दलितों की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर सुधारने के लिये सभायें, संगोष्ठियों का आयोजन करती रही है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, रेडक्रास आदि ने इनके उद्वार के लिये भरसक प्रयत्न किये है। परन्तु इनका शोषण आज भी कुछ सीमा तक मौजूद है। जिनके अनेक उदाहरण आज भी देखने को मिलते है। इस वर्ग की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक उत्थान ठीक तरह से नही हो पाया है। जिसका मुख्य कारण है, निम्न आर्थिक स्तर, अशिक्षा, उत्पीड़न, अंधविश्वास विभिन्न कुरीतियाँ, शोषण आदि। अतः बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं में संचेतना जानने के उद्देश्य से ही प्रस्तावित अध्ययन किया जा रहा है। अतः इस अध्ययन से सम्बन्धित कुछ उद्देश्य निर्धारित किये है। जो निम्न है –

1. दलित वर्ग में व्याप्त महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के कार्यकारी सम्बन्धों को ज्ञात करना।
2. बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं का दृष्टिकोण।
3. बालिका विवाह के प्रति दलित महिलाओं का दृष्टिकोण ज्ञात करना।
4. दलित महिलाओं में बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनाने की आकांक्षाओं को ज्ञात करना।
5. दलित महिलाओं का उनके विकास से सम्बन्धित संवैधानिक अधिकारों एवं विकास की योजनाओं के प्रति संचेतना का अध्ययन करना।
6. दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक गत्यावरोध का अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्व –

भारत के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य तब तक पूर्ण नही हो सकता। जब तक यहाँ प्रत्येक जाति, वर्ग, निर्धन व दलितों तथा महिलाओं का विकास नही किया जाता। वैधानिक दृष्टि से इन महिलाओं की स्थिति को ऊँचा उठाने के लिये यद्यपि अनेक योजनायें कानून बनाये गये फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से उनके साथ आज भी भेदभावपूर्ण व असमान व्यवहार किया जाता है। आज भी उनकी प्रताड़ित स्थिति को गंभीरता से नही लिया जा रहा है और न ही उन्हें समानता का दर्जा मिल पा रहा है। समाज के द्वारा उनका मूल्यांकन बिल्कुल भिन्न परिप्रेक्ष्य में होता है। एक बड़ी संख्या में दलित महिलायें स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल है। क्योंकि वह परम्परागत समाज के दायरे से बाहर नही निकल पायी। निःसंदेह आज भी वह समाज में पुरुष के शोषण का शिकार है।

वर्तमान समय में जहाँ इन महिलाओं के लिये अनेक कानून एवं विधान बन–बिगड़ रहे है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित अध्ययन मात्र बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं के दृष्टिकोण जानने के साथ–साथ यह बतलाने का प्रयत्न भी किया है। ताकि उनके विकास हेतु ठोस कदम तथा ऊँचा उठाने के लिये सार्थक प्रयास किये जाने चाहिये। जिससे उनमें शिक्षा का विकास सम्भव हो सके तथा उनमें व्याप्त अशिक्षा के घोर अंधकार को मिटाया जा सके एवं उनके विकास की योजनाओं के प्रति जागरूकता लायी जा सके।

अब तक हुये अध्ययनों में दलित महिलाओं राजनीतिक चेतना एवं शैक्षिक योजनाओं पर अध्ययन हुआ है तथा यह अध्ययन नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्धित है। अतः आज भी पिछड़े नगरों में ऐसे अध्ययनों की आवश्यकता है।

प्रस्तुत अध्ययन देश के पिछड़े हुये क्षेत्र से सम्बन्धित है। इस प्रकार का सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन योजना आयोग एवं दलित महिलाओं में जागरूकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिये अत्याधिक उपयोगी होगी तथा योजनाओं के निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में भी प्रस्तुत अध्ययन सहायक होगा। क्योंकि उसमें सूक्ष्म स्तर पर इन महिलाओं में संचेतना तथा उसके उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तथा उसको प्रभावित करने वाले कारणों का भी अध्ययन किया जायेगा तथा यह अध्ययन नीतियों के निर्धारण में सुझाव प्रस्तुत करेगा।

पूर्व अध्ययन –

दलित महिलाओं में सामाजिक अन्याय एवं सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में पर्दा, अशिक्षा, बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह, प्रतिबंध, दहेज एवं हत्या बलात्कार, शारीरिक क्षति, महिलाओं में कुपोषण, सती प्रथा, अंधविश्वास, वैश्यावृत्ति आदि से सम्बन्धित इन महिलाओं की स्थिति व अस्तित्व एवं अधिकारों की संचेतना के सम्बन्ध में समय–समय अनेक समाज वैज्ञानिकों द्वारा शोधात्मक अध्ययन प्रस्तुत होते रहते है। इस ओर इन महिलाओं के निम्न स्तर के कारणों को जानने हेतु व प्रत्येक क्षेत्र में उनके अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने विविध कार्यक्रम व विविध कमीशनों की नियुक्ति भी की। केन्द्रीय सरकार ने दो ऐसे महत्वपूर्ण कमीशन 1971 व 1992 में नियुक्त किये थे तथा साल 31 जनवरी 1992 को महिलाओं के लिये राष्ट्रीय कमीशन का गठन किया गया। जिसका उद्देश्य था इन महिलाओं से सम्बन्धित मामलों को देखना स्त्रियों के स्तर की जाँच करना। विविध विधानों का अध्ययन करना तथा उनके कमजोर बिन्दुओं व खामियों की ओर संकेत करना, दलित महिलाओं के प्रति किये गये भेदभाव व हिंसा के कारणों का पता लगाना तथा सम्भावित उपायों का विश्लेषण करना।

अतः इस विषय में स्वयं सेवी संगठनों, महिला संगठनों, समाज वैज्ञानिकों एवं भारत सरकार द्वारा विभिन्न अध्ययन एवं सर्वेक्षण किये गये है। दलितों के मसीहा के नाम से जाने वाले डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने 'दलित वर्ग' नामक अपनी पुस्तक में दलितों की समस्याओं एवं उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये है।

कानपुर विश्वविद्यालय की डा. मंजू सिंह ने डा. भीमराव अम्बेडकर एवं भारतीय नारी पर अध्ययन किया है। एच. आर. त्रिवेदी (1976) द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं के शोषण सम्बन्धित अध्ययन, जे. सी. दास एवं एम. के राम द्वारा आदिवासी भोटियाँ महिलाओं के आर्थिक रूपान्तरण का अध्ययन, एक विस्तृत रिपोर्ट महिलाओं के सम्बन्ध में यूनेस्को ने 1985 एवं 86 के मध्य भारतीय महिलाओं के सम्मुख उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का सफल अध्ययन एन. ए. देसाई एवं विभूति पटेल ने (1987) में प्रस्तुत किया। डा. सुधा नाग द्वारा (1989) ने ग्रामीण हरिजन महिलाओं में राजनीतिक चेतना का अध्ययन किया गया। डा. श्याम लाल निर्मोही ने दलितों का अध्ययन किया। डा. सतीश यादव (1986) अनुसूचित जातियों में शैक्षिक योजनाओं पर अध्ययन किया है। इसी प्रकार एस एम दुबे ने (1964) असाम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के विद्यालयों में अध्ययन किया है। पंजाब यूनीवर्सिटी (1971) में सुनील मलिक द्वारा Social Consequences of Social mobility among seheduled costs पर अध्ययन किया है तथा इन्होंने 1979 में Social Intergration of Scheduled Costs पर अध्ययन किया।

भारत में अन्य सामाजिक समुदायों की तुलना में दलित जातियों पर बहुत कम समाजशास्त्रीय अध्ययन हुये है। सर्वप्रथम एक दलित जाति 'चमार' पर एक विस्तृत अध्ययन 1920 'ब्रिग'[25] द्वारा किया गया। इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश के चमारों के जीवन विश्वासों एवं व्यवहारों का गहराई से अध्ययन किया गया है। इसी प्रकार एक अन्य अध्ययन स्टेफन फुच[26] द्वारा 1949 में "चिल्ड्रन ऑफ हरिजन" शीर्षक से किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले की बलाई जाति के जीवन के समस्त पक्षों का गहनतम एवं विस्तृत जानकारी दी गई है।

दलित जातियों से सम्बन्धित एक अध्ययन लिंच[27] आगरा ने उ. प्र. की जाटव जाति, जो मुख्यतः चमड़े का व्यवसाय करती है, के ऊपर किया। यह निष्कर्ष निकाला कि यह जाति सामाजिक दृष्टि से निम्न होने के बावजूद अपनी स्थिति में सुधार करने में सफल रही है। दलित जाति के दो समुदायों बाल्यमिकी एवं रामगरिया को लेकर सब्बरवाल ने पंजाब में एक अध्ययन

---

25. ब्रिग, जी. डब्लू, दचमार, लंदन आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस 1920
26. फुच, स्टेफन, चिल्ड्रन ऑफ हरि : ए स्टडी ऑफ निमाड वलाई ज इन मध्य प्रदेश अहमदाबाद न्यू आर्डर बु. क्र. 1949
27. लिच -- "दि पॉलिटिक्स ऑफ अन्टचवेलिटी -- आगरा, इन मिल्टन सिंगर तथा वन डि. एस. कोहनी शिकागो एल. डान. पब्लिकेशन्स कं. 1968

1972 में किया जो 58 सूचनादाताओं पर आधारित है। तथा यह निष्कर्ष निकला कि व्यक्तियों के राजनीतिकरण ने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की है तथा इस समय दलित जाति के उक्त समुदाय अपने सामा. स्तर को ऊँचा उठाने हेतु प्रयासरत है।

महार[28] द्वारा सम्पादित "द अन्टचेवल्स इन कटम्परेरी इण्डिया" एक अन्य महत्वपूर्ण संकलन है। जो दलित जातियों के सम्बन्ध में साहित्य उपलब्ध कराता है। 1977 में बिहार के दलित जाति अभिजनों पर सच्चिदानंद[29] द्वारा "द हरिजन इलिट" नाम से एक अध्ययन किया गया। आंध्र प्रदेश में दलित जाति के विधायक अभिजनों पर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन अब्बासायूलू[30] द्वारा किया गया है।

इसी प्रकार मलिक ने[31] "सोशियल इन्ट्रीग्रेशन ऑफ शिड्यूल्ड कास्टस (1979) में किया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में दलित जाति अभिजनों पर "ए स्टडी ऑफ हरिजन इलिट" (1987) नामक अध्ययन राय तथा सिंह द्वारा किया गया है।[32] सिंह तथा सुन्दरम्[33] ने उ. प्र. के वाराणसी जिले के दलित जाति अभिजनों, दलित जाति के सामान्य सदस्यों एवं उच्च जाति के सदस्यों का एक तुलनात्मक अध्ययन "इमरजिंग हरिजन इलिट : ए स्टडी ऑफ देयर आइडेटिटी" (1987) शीर्षक से किया है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन बाँदा नगर की 600 दलित महिलाओं पर आधारित है। अतः समाज वैज्ञानिकों द्वारा दलितों पर देश के विभिन्न भागों में अध्ययन किये गये। लेकिन बुन्देलखण्ड में दलित महिलाओं पर अभी तक कोई ठोस एवं वैज्ञानिक अध्ययन नही हुआ है। इस कारण बाँदा नगर के दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं का ठोस एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उद्‌देश्य से दलित महिलाओं का चयन किया।

परिकल्पनायें –

प्रस्तुत अध्ययन दलित बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं में संचेतना के संदर्भ में है। इस अध्ययन से सम्बन्धित कुछ परिकल्पनायें निम्नवत् है–

---

28. सवरवाल "वियोंड द विलेज, शिमला, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी 1972
29. महार – जे. एन. "द अन्टचवेल्स इन कन्टमपरेरी इण्डिया, ऐरिजोना यूनीवर्सिटी ऑफ ओरीजिनल प्रेस 1972
30. सच्चिदानंद, "द हरिजन एलिट" ए स्टडी ऑफ देयर स्टेट्स नेटवर्क फरीदाबाद, थामसन प्रेस 1977 पृ. 4
31. मलिक सुनीला 'सोशल इन्ट्रीग्रेशन ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट्स" न्यू देहली अभिनव पब्लिकेशन्स 1979
32. राय तथा सिंह "ए स्टडी ऑफ हरिजन इलिटस – विटवीन टू वर्डस देहली डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस 1987
33. सिंह तथा सुंदरम एस, "इमरजिंग हरिजन इलिट : ए स्टडी ऑफ देयर आइडेन्टटी, न्यू देहली, उप्पल पब्लिशिंग हाउस 1987

1. दलित वर्ग में पुरुषों की अपेक्षा महिलायें अधिक निरक्षर एवं अशिक्षित है।
2. दलित महिलाओं में आज भी बाल विवाह बालिकाओं की शिक्षा के मार्ग में बाधक है।
3. दलित वर्ग में व्याप्त अशिक्षा एवं अन्य कुरीतियों में मात्र बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं में अवरोध उत्पन्न होता है।
4. दलितों का निम्न सामाजिक, आर्थिक स्तर होने के कारण बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक है।
5. दलित वर्ग में पुरुष सत्तात्मक आधार होने के कारण महिलाओं की शिक्षा उपेक्षित है।
6. दलित महिलाओं में बालिकाओं को पराया धन समझने की संकुचित मानसिकता के कारण बालिका शिक्षा एवं विकास पर ध्यान नही दिया जाता है।
7. दलित महिलायें असुरक्षा की भावना के कारण बालिका शिक्षा एवं विकास पर ध्यान नही दे पाती।
8. दलित वर्ग में भी पुत्र को कुल दीपक परम्परागत धारणा के कारण भी बालिका शिक्षा एवं विकास की दर उपेक्षित है।

शोध अभिकल्प –

योजनानुसार कार्य करना सम्पूर्ण प्रक्रिया पर नियंत्रण प्रदान करना है यही योजना अभिकल्प है। अभिकल्प में पहले से ही उस निर्णयों को ले लिया जाता है। जिनके लिये बाद में उपयुक्त वातावरण गुजारा जाता है। और जिनका तथ्यात्मक परीक्षण किया जाता है।

रीति विधान अभिकल्प से कही अधिक व्यापक प्रत्यय है। शोध की उपकल्पनाओं का पूर्व मूल्यांकन अभिकल्प की कथावस्तु है। शोध कैसे अभिकल्प है तथा शोध का क्यों रीति विधान है। गृह निर्माण से पूर्व नीला नक्शा बनाना अभिकल्प है किन्तु नीले नक्शे का आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन करना तथा निर्माण योजना को भी परीक्षा करना रीति विधान है। अच्छे अभिकल्प तथा रीति विधान के अभाव में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकलना असंभव है। विज्ञान के निरंतर एवं तीव्र विकास ने विशेषकर सांख्यकीय विधियों ने अभिकल्प तथा रीति विधानों को विकसित करने में बड़ी सहायता की है।[(34)]

---

34. चैपिन एस. एफ., 1947 इक्सपेरीमेंट डिजाइन इन सोशिलाजिकल रिसर्च, न्यूयार्क हारपर एवं पब्लिशर्स पृ. 39

(अ) आदर्श पक्ष –

शोध की समस्या निश्चित होने पर शोधकर्ता इस स्थिति में आ जाता है कि समस्या अध्ययन का उचित मार्ग खोज निकाले। खोज के इस लम्बे किन्तु स्पष्ट मार्ग में, समस्या निर्धारण के पश्चात् आदर्श परिकल्पना निश्चित करना होता है। आदर्श अभिकल्प शोध के भव्यतम रूप के विषय में शोधकार्य का सुनहरा स्वप्न होता है। इसमें शोधकर्ता को यह अवसर मिलता है कि यदि वह एकदम मुक्त तथा समर्थ रहा होता तो शोध का कौन सा भव्यतम रूप उसके आगे होता। किस प्रकार का शोध करके उसे परम आनन्द आता है ? शोध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण गुणात्मक मानदण्ड है इससे कार्यात्मक पक्ष की सीमायें तथा न्यूनतायें ज्ञात हो सकती है और शोध से प्राप्त परिणामों को इन सब में समन्वित किया जा सकता है।"[(35)]

आदर्श अभिकल्प में शोध की परम प्रभावकारी परिस्थितियाँ, प्रविधियाँ, व्यक्ति तथा व्यवहार लिये जा सकते है। इस अभिकल्प में चार बातों पर बल दिया जाता है।[(36)]

1. अवलोकनीय व्यक्ति
2. अवलोकनीय परिस्थितियाँ
3. अवलोकनीय प्रतिक्रियायें

इन चारों में से प्रथम तीन (व्यक्ति, परिस्थितियाँ, उत्तेजना) मुक्त चर है। तथा चौथा (प्रतिक्रियायें) अश्रित चर है।

आदर्श अभिकल्प शोध की एक प्रतीकात्मक संरचना है। सारा कार्य इसमें प्रत्ययों के माध्यम से चलता है। शोध में प्रसंग में हमें जिन व्यक्तियों, घटनाओं तथा लक्षण का प्रत्यय चाहिये, इसे निश्चित करने के उपरान्त आवश्यक है। कि इन प्रत्ययों की परिभाषा की जाये। इस प्रकार दो वस्तुयें आवश्यक होती है।[(37)]

1. प्रत्यय चयन के लिये कसौटी
2. सिद्धान्त जो वैज्ञानिक परिभाषा देने में निर्देशन प्रदान कर सके

प्रत्यय चयन उन्ही वस्तुओं के लिये उपयोगी रहता है। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शोध की मूल समस्या के समाधान पर प्रभावक रहते दिखाई देते है। प्रत्ययों के चयन में गत शोध

---

35. बाँदा जिले का आदर्श भूगोल पृ. 25–26
36. गुडे तथा हाट 1952 "मैथडॉलौजी इनश्सेसल रिसर्च" पृ. 69–132
37. ग्रीनउड अनेस्ट 1945 "इक्सपेरीमेंटल सोशियोलाजी ए स्टडी इन मैथड, न्यूयार्क कोलम्बया यूनी. प्रेस, 103

का अनुभव, साहित्य व गहन आदि पर्याप्त सहयोग प्रदान करते है। समालोचना जो की शोध के लिये महत्वपूर्ण है। यदि वही समालोचनायें शोध के प्रारम्भ में विशेषकर, अभिकल्प निर्माण के समय उपलब्ध हो जाया करे तो बड़ा काम बन सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब तक ज्ञान की सीमाओं को ढीला किया जाये और दो प्रकार का सहयोग मिलता रहे।[(38)]

1. अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग
2. परस्पर क्षेत्रीय सहयोग

प्रत्यय चयन के उपरान्त प्रत्यय का उचित अर्थ व परिभाषा प्राप्त करना आवश्यक है। सामाजिक विषयों में अधिकांश प्रयुक्त प्रत्यय स्पष्ट परिभाषित नही है, अतः परिभाषा प्रसंग पर विशेष ध्यान देना चाहिये।[(39)]

1. सभी प्राप्त प्रत्ययों का विश्लेषण किया जाये और व्याख्या कीजिये।
2. अर्थ की तह में जाने का प्रयत्न किया जाये।
3. काम चलाऊ परिभाषा को निरन्तर सोद्देश्य बनाते रहना चाहिये।
4. परिभाषाओं की बहुमुखी आलोचनायें आवश्यक है।
5. परिभाषा संरचनात्मक तथा कार्यात्मक दोनों ही प्रकार की होनी चाहिये।

वैज्ञानिक परिभाषा ही काम की वस्तु है। उसके लिये चार बातों का होना आवश्यक है। हम 'ना' 'रा' 'य' 'ण' शब्द से जानते है।

ना – वस्तु जिससे लक्षण सम्बन्धित है।

रा – वातावरण जिसमें 'ना' का अवलोकन किया जाये।

य – वे उत्तेजक जिनके सम्मुख 'ना' का वातावरण 'ण' में उपस्थिति होना चाहिये।

ण – उत्तेजनों 'य' के प्रति 'ना' की वातावरण 'रा' में प्रतिक्रिया।

लक्षणों की परिभाषा में वस्तुओं, घटनाओं की परिभाषायें भिन्न होती है। परिभाषा क्रम की समाप्ति पर तीसरा चरण है। यह तय करना की आदर्श अभिकल्प की सीमा में किन चरों को स्थिरता किन्हें बदलने देना है। शोध के लक्षणों या चरों के पारस्परिक सम्बन्धों को महत्व दिया जाता है। यह सम्बन्ध तीन प्रकार के हो सकते है।[(40)]

---

38. फिशर आर. 1951 ''दि डिजाइन ऑफ इक्सपेरीमेंटल हाफनर'' पृ. 30
39. लिण्ड क्विीस्ट जी. 1953 ''डिजाइन एण्ड एनालिसिस ऑफ इक्सपेरीमेंन्ट इन साइकलोजी एण्ड एजूकेशन हमासन पृ. 16–18
40. लिण्ड क्विीस्ट 1953, पृ. 21

1. कार्य–कारण

2. उत्पादन–उत्पाध

3. सह–गुणकत्व

1. कार्यकारण –

सम्बन्ध में 'ख' की उत्पत्ति में 'का' पर्याप्त होता है। दोनों में निश्चित सम्बन्ध है, किन्तु सभी सम्बन्ध वातावरण पर आश्रित है।[41]

2. उत्पादन उत्पाध –

उत्पादन उत्पाघ सम्बन्ध जैसे घण्टा पीटा जाये तो ध्वनि होगी पीटना ध्वनि के लिये आवश्यक है।

1. ऐसा वातावरण (रा) हो कि जब उसमें 'क' को रखा जाये तो 'ख' उसका अनुसरण करे।
2. वातावरण (रा) हो कि यदि उसमें 'का' का आभाव हो 'ख' भी लुप्त बना रहे।[42]

3. सह गुणकत्व –

सह गुणकत्व में चरों का पारस्परिक सम्बन्धित होना तो दिखाई देता है, किन्तु यह सम्बन्ध न तो कार्यकारण का होता है और न ही उत्पादक उत्पाध का।[43]

आदर्श अभिकल्प में प्रस्तुत चर के मूल्यों को निश्चित करना एक बड़ी समस्या है। यदि चर मूल्य को स्थिर रखना है तो उसका एक ही मूल्य होना चाहिये यदि चर में मूल्यों को बदलना है तो निर्देश स्पष्ट होना चाहिये। जहाँ तक चरों की गुणात्मकता, मात्रात्मकता का सवाल है यह बात नही भूलना चाहिये की समस्या जितनी अधिक विशिष्ट होगी, उसमें उतनी ही अधिक मात्रात्मकता होगी।

गुणात्मकता वस्तु के गुणों, लक्षणों के वर्गीकरण से लाभान्वित है। यथा संगठित, असंगठित छोड़, सहयोग।

(ब) अवलोक पक्ष –

शोध कार्य प्रारम्भ करने में शीघ्र यह अनुभव करना पड़ता है कि आदर्श अभिकल्प का व्यूह ज्यों का त्यों नही चल सकता है, उसमें यत्र तत्र कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती

41. सोलामन आर. 1949 ''एन एक्सटेंशन ऑफ कन्होल ग्रुप डिजाइन साइक्लो जिकल बुलेटिन'' पृ. 91
42. सोलामन 1949, पृ. 93 43. सोलामन 1943, 95

रहती है। शोध के इन नये स्तर को अवलोकन पक्ष कहते है।[44]

अवलोकन करते समय कुछ व्यक्ति अपेक्षित सहयोग नही प्रदान करते। कुछ मिलते नही, कुछ मना कर देते है। तब उनसे सहयोग कैसे प्राप्त किया जाये। सहयोग की समस्या व्यक्तियों, वातावरण तथा उत्तेजना के प्रसंग को उठा सकती है। व्यक्तियों का असहयोग तीन रूप लेता है।

1. अप्राप्य होना 2. सहयोग 3. त्रुटिपूर्ण उत्तर

इन समस्याओं की कुछ बातें ध्यान में रखकर दूर भी किया जा सकता है जैसे – पहले समय निश्चित कर लेना, प्रशिक्षित व्यक्तियों को तथ्य संकलन हेतु भेजना, बार–बार मिलने का यत्न करना एवं सहयोग की अपील प्रकाशित करना अच्छा रहता है।

त्रुटिपूर्ण उत्तरों के लिये आवश्यक है कि उन्हें खोज निकाला जाये मिलान करना आववश्यक है। वातावरण तथा उत्तेजनों के बारे में दोषों का निराकरण के लिये आवश्यक है कि सूचना यदि बड़ी सावधानी से बनायी जाये उसमें वैधता तथा विश्वास नीयता हो।[45]

(स) कार्यात्मक पक्ष –

इस पक्ष का उद्देश्य होता है कि जो बातें विशेष रूप से प्रतिदर्श सांख्यकी तथा अवलोकन पक्षों में रखी गयी है। इन्हें आगे बढ़ाया जाये शोध के कार्यो निर्देशों तथा उपकरणों में समाविष्ट विशेष बातों को कार्यरूप में परिणित किया जावे। वास्तविक शोध कार्य से पूर्व तीन प्रकार की योजनायें महत्वपूर्ण होती है।

1. मार्गदशा अध्ययन 2. पूर्व परीक्षण 3. योजना परीक्षण

शोध अभिकल्प के प्रकार –

सभी प्रकार के शोधों का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है, किन्तु उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न प्रकार से हो सकती है। इसी कारण शोध अभिकल्प भी विभिन्न प्रकार के हो सकते है शोध अभिकल्प चार प्रकार के होते है।

---

44. कार्ल, एन. लेलवेलिन, 1953, लीगल ट्रेडिशन एण्ड स्पेशल साइंस मेथड इन बुकिंग इन्स्टीट्यूशन कमेटी ऑन ट्रेनिंग एसाइन रिसर्च मेथड इनादि सोशल साइंस, पृ. 113–114
45. मर्टन आर. के. – 1949, सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर, टू वर्ड कोडिफिकेशन ऑफ थ्योरी एण्ड रिर्सच, कोलम्बिया यूनीवर्सिटी प्रेस, पृ. 55

1. अन्वेषणात्मक अथवा निदानात्मक शोध अभिकल्प –

जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किन्हीं सामाजिक घटनाओं में अर्न्तनिहित कारकों को खोज निकलना होता है तो सम्बन्धित रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प कहते है। इस शोध अभिकल्प में शोध कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। कि घटना की प्रकृति व वास्तविकताओं को खोज निकाला जा सके। अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प कारणों के खोज निकालने की एक योजना है। यह उन आधारों को प्रस्तुत करता है जो कि एक सफल शोध कार्य के लिये महत्वपूर्ण होते है।

वर्णात्मक शोध अभिकल्प –

किसी विषय या समस्या के सन्दर्भ में वास्तविक तत्वों के आधार पर वर्णात्मक विवरण प्रस्तुत करना, वर्णात्मक शोध अभिकल्प कहलाता है। इसकी आवश्यक शर्त यह है कि विषय के सम्बन्ध में यथार्थ तथा पूर्ण सूचनायें प्राप्त हो क्योंकि इनके बिना अध्ययन विषय या समस्या के सम्बन्ध में जो वर्णात्मक विवरण प्रस्तुत किया जायेगा वह वैज्ञानिक न होकर दार्शनिक होगा।

निदात्मक शोध अभिकल्प –

जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किसी समस्या के कारणों के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उन समस्या के समाधानों को प्रस्तुत करना हो तो इस प्रकार के शोध अभिकल्प को निदात्मक शोध अधिकल्प कहते है।

इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता समस्या का हल प्रस्तुत करता है न कि स्वयं समस्या को हल करने का प्रयत्न करता है। शोधकर्ता वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से समस्या के कारणों को ज्ञात करने के बाद यह जानने का प्रयत्न करता है कि समस्या का समाधान किस तरीके से हो सकता है।

परीक्षणात्मक शोध अभिकल्प –

समाजशास्त्र भी भौतिक विज्ञान की भाँति अपने शोध कार्यों में परीक्षण प्रणाली का प्रयोग कर अधिकाधिक का यथार्थता लाने का प्रयत्न कर रहा है। समाजशास्त्र के सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन नियंत्रित दशाओं में रखकर निरीक्षण परीक्षण के द्वारा करने की रूपरेखा को परीक्षणात्मक शोध अभिकल्प कहते है। चैपिन ने लिखा है कि "समाजशास्त्रीय शोध में परीक्षणात्मक प्रचना की आवश्यकता नियंत्रण की दशाओं के अन्तर्गत निरीक्षण द्वारा मानवीय

सम्बन्धों में व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है।[46]

परीक्षणात्मक शोध तीन प्रकार का होता है –

1. पश्चात् 2. पूर्व पश्चात् 3. कार्यान्तर तथा परीक्षण

1. पश्चात परीक्षण –

इसके अन्तर्गत समान विशेषताओं व प्रकृति वाले दो समूहों को चुन लिया जाता है जिसमें से एक नियंत्रित समूह एवं दूसरा परीक्षात्मक समूह कहलाता है। नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का परिवर्तन नही लाया जाता जबकि परीक्षात्मक समूह में किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है।

2. पूर्व पश्चात् परीक्षण –

इसमें अध्ययन के लिये केवल एक ही समूह का चुनाव किया जाता है। और उसी का अध्ययन एक अवस्था विशेष के पहले और बाद में किया जाता है। इन दोनों अध्ययनों के अन्तर को देखा जाता है। और उसे ही परिवर्तित परिस्थिति का परिणाम मान लिया जाता है।

3. कार्यान्तर तथ्य परीक्षण –

इस प्रकार का परीक्षण किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिये किया जाता है। ऐतिहासिक घटनाक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन द्वारा परीक्षण वर्तमान घटनाओं या अवस्थाओं के कारणों की खोज करना कार्यान्तर तथ्य परीक्षण कहलाता है।

प्रस्तुत शोध का अभिकल्प –

उपर्युक्त विवरण के संदर्भ में प्रस्तुत शोध का अभिकल्प अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक तथा निदानात्मक है। इसका मुख्य उद्देश्य दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति संचेतना का अन्वेषणात्मक अध्ययन करना है। साथ ही कुछ परिकल्पनाओं जिनका निर्माण भारतीय समाज की प्रचलित दशाओं तथा उपलब्ध शोध सामग्री पर आधारित है, का परीक्षण करना भी है। इसके अतिरिक्त अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर समस्या के समाधान के लिये सुझाव प्रस्तुत करना भी वर्तमान का उद्देश्य है।

---

46. चैपिन "इक्सपेरीमेंटल डिजाइन इन सोशलॉजिकल रिसर्च" पृ. 28
47. श्रोत – सामान्य जनसंख्या तालिका भाग–2 श्रृंखला भारत की जनगणना 1981 – भारत के महापेयीयक और जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली 1985

समग्र तथा प्रतिदर्शन –

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड सम्भाग में स्थित बाँदा नगर में किया गया है। जो कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। अध्ययन के उद्देश्यों के दृष्टिकोण से उक्त अध्ययन का चयन किया गया है। इस अध्ययन में बाँदा नगर की दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति संचेतना से सम्बन्धित दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया। अतः समग्र में अध्ययन की जाने वाली सम्पूर्ण इकाइयों की संख्या क्रमवार 62,684,1285 है। उक्त संदर्भ में अध्ययन पूर्व सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि इस नगर में हिन्दू मुस्लिम तथा अन्य समुदायों के साथ–साथ बड़ी संख्या में दलित समुदाय भी अस्तित्व में है। नगर में दलितों की संख्या लगभग 30,000 है जिसमें लगभग 12–13 हजार महिलायें हैं। अपने अध्ययन के लिये इन 12–13 हजार महिलाओं में से 600 दलित महिलाओं को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन एवं सुविधापूर्ण निदर्शन के द्वारा चयन किया गया है। जो समग्र की सम्पूर्ण इकाइयों का उचित प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार 600 इकाइयों का चयन किया गया यही हमारा प्रतिदर्श है, जो समग्र की सम्पूर्ण इकाइयों का लगभग 30 प्रतिशत अंश है। बाँदा नगर 25 वार्डों में है जिसमें से कुछ वार्डों में दलितों की संख्या अधिक है कुछ में कम है। अतः इस प्रकार 25 वार्डों में से 24–24 इकाइयों का चयन किया गया।

क्षेत्र कार्य तथ्य संकलन प्रक्रिया –

अध्ययन को गहन बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक विधि का सहारा लिया गया क्योंकि इस विधि के द्वारा सामग्री का सैद्धान्तिक तथा तुलनात्मक आधार पर विश्लेषण करके सामान्यीकरण निकाले जाते है।(48)

यह विधि प्राचीन समाज में तथा उसके मध्यकाल व वर्तमान काल में चिर स्थायित्व पर केन्द्रित रहती है। ऐतिहासिक विधि के द्वारा ही महिलाओं की प्राचीन स्थिति तथा समाज के प्रति उसके पूर्वाग्रह का आंकलन करने में सुविधा प्राप्त हुयी है।

शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि का सहारा लिया गया। वास्तव में साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि के अन्तर्गत शोध छात्रा के द्वारा नगरीय को आमने–सामने बैठाकर साक्षात्कार अनुसूची द्वारा पूँछकर अध्ययन विषय से सम्बन्धित सूचनायें संकलित करने का प्रयत्न

48. रावत हरिकृष्ण -- समाजशास्त्र विश्वकोष, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 16

किया गया। साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त आँकड़ों का सांख्यकीय निर्वाचन कर अन्तः सम्बन्धात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची की रचना इस प्रकार से की गई है जिससे की हमारे उपरोक्त उपकल्पनाओं की भली–भाँति जाँच सम्भव हो सके। उत्तरदात्रियों से साक्षात्कार के समय अपेक्षित तथ्यों के संकलन के साथ–साथ नगर की सामाजिक जीवन भौगोलिक संरचना, आर्थिक संरचना, राजनीतिक एवं सांस्कृति विविधताओं आदि से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गई है।

सामान्यतः शोध छात्रा ने इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग सहायक सूचनाओं की प्राप्ति व संग्रहित सामग्री के परीक्षात्मक अध्ययन के लिये प्रयोग की है। गवेषिका का व्यक्तिगत रूप से इन महिलाओं से मिलना अध्ययन सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य रहा है। जिससे की शोध छात्रा साक्षात्कार के दौरान वर्गीकरण व व्यवस्थित क्रम में आवश्यक तथ्यों को एकत्र कर सके। अधिकतर ये महिलायें अशिक्षित थी इसलिये गवेषिका ने साक्षात्कार अनुसूची में संक्षिप्त, सरल व उत्तर देने में समर्थ प्रश्नों को ही सम्मिलित किया है। इन महिलाओं में विचारों अथवा भावनाओं की पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिये 'क्यों' 'क्या' 'कब' वाले प्रश्नों को सम्मानित किया है। अनुसूची से सन्देहपूर्ण, अस्पष्ट, विशिष्ट एवं बहुअर्थक प्रश्नों का प्रयोग नही किया गया बल्कि संयोजित प्रश्न दोहरे प्रश्न श्रेणीबद्ध प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न को सम्मिलित किया गया साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से नगर की दलित महिलाओं की मनोवृत्तियों को जानने का प्रयत्न किया गया है।

तथ्यों के संकलन के लिये गहन अवलोकन से उत्तरदात्रियों की सहभागिता को दृष्टव्य करते हुये निरीक्षण प्रविधि का भी प्रयोग किया गया जिससे उत्तरदात्रियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन तथा उनके समान परिवेश की पर्यावरण सम्बन्धी व्यवहारों की सही जानकारी के लिये अवलोकन का आश्रय लेना अत्यन्त आवश्यक था। केवल उत्तरदात्रियों के साक्षात्कार के आधार पर अनुसूची के माध्यम से दलित महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जीवन में वास्तविक एवं समग्र स्वरूप को समझना सम्भव नही था। इस दृष्टि से सहभागी अवलोकन विधि का सहारा लिया गया। तथ्य संकलन के दौरान शोध छात्रा को यह अनुभव इन महिलाओं को बस्तियों, मोहल्लों में केवल उत्तरदात्रियों से ही भेद करना पर्याप्त नही था बल्कि उनके सभी पहलुओं की जानकारी के लिये नगर के प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से नगरवासियों जिनमें उत्तरदाता भी सम्मिलित है से सम्पर्क किया तथा उनसे घनिष्ठता स्थापित

की। इसके पश्चात् ही वास्तविक साक्षात्कार प्रारम्भ किया गया। नगर के मोहल्लों में अवलोकन तथा बातचीत के माध्यम से जो सूचनायें प्राप्त हुई उन्हें एक फील्ड डायरी में लगाकर नोट किया गया। इस फील्ड डायरी में आवश्यक सूचनाओं तथा महिलाओं की प्रतिक्रियाओं को अंकित किया गया। शोध कार्य के लिये यह डायरी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई। नगर की इन महिलाओं के साथ संपर्क के अलावा दूसरे लोगों से सम्पर्क किया गया जो इन क्षेत्रों में सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यों में लगे हुये है। इसी प्रकार विकास क्षेत्रों में कार्यकर्त्ताओं से भी उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई अनेक बार जाने से वहाँ के लोगों से मैत्री एवं सदभावनापूर्ण सम्पर्क हो जाने से महिलाओं में सामाजिक जीवन और उसमें होने वाले परिवर्तन की जानकारी मिली। अध्ययन क्षेत्र में व्यापक परिव्यू स्थापित हो जाने की वजह से उत्तरदात्रियों से साक्षात्कार करने में भी शोध छात्रा को काफी सुविधा हुई। प्राथमिक तथ्यों को प्रमाणिक एवं पुष्ट बनाने के लिये क्षेत्र समिति, जनपद के आँकड़े नगरपालिका द्वारा प्रदत्त आँकड़े, एवं विद्वानों के अध्ययन पुस्तकें, विशिष्ट कमेटियों की रिपोर्ट, रिकार्ड, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में प्रकाशित सूचनाओं आदि को अपने अध्ययन में द्वितीयक स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया।

विगत विवरण में अध्ययन क्षेत्र तथा पद्धति पर प्रकाश डाला गया है। प्रथमतः समस्या का निरूपण करते हुये अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। तदुपरान्त परिकल्पनाओं को प्रस्तुत कर सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा की गई मौलिक प्रत्ययों की परिभाषा के पश्चात् शोध अभिकल्प का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसी तारतम्य में समग्र तथा उसकी इकाइयां, प्रतिदर्श तथ्य संकलन प्रविधि, क्षेत्र–कार्य आदि को स्पष्ट किया गया है।

अध्याय - 2

अध्याय – 2

दलित महिलाओं की सामुदायिक पृष्ठभूमि

विगत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र तथा अनुसंधान अभिकल्प का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं के सामुदायिक परिवेश पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्र किया गया है। भौगोलिक दशाओं तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का समुदाय भी सामाजिक संरचना तथा संस्कृति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का प्रभाव देखा गया है। माण्टरेक्यू, हिप्पोक्रेटीज, क्वेटलेट आदि ने भौगोलिक कारकों के मानव जीवन पर प्रभाव का उल्लेख किया है। ''माण्टेस्क्यू'' का मत है कि भौगोलिक पर्यावरण ही मानव में शारीरिक एवं मानसिक गुणों को विकसित करता है। तथा मानव व्यवहार भी भौगोलिक पर्यावरण भी देन है। ''हिप्पोक्रेटिज'' का मत है कि मानव प्रकृति जलवायु से प्रभावित होती है। यूरोप एवं एशिया में भिन्न–भिन्न व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषतायें होने के कारण वहाँ की भिन्न भौगोलिक विशेषतायें है। ''क्वेटलेट'' ने कहा है कि ''मानव'' का चरित्र एवं नैतिकता भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है।'' यद्यपि भौगोलिकवादियों के विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है फिर भी उनकी आंशिक सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। भौगोलिक तथा सामाजिक संस्थाओं को ध्यान में रखकर अध्ययन में सामुदायिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन भारत के उत्तर प्रदेश प्रान्त में बुन्देलखण्ड संभाग में स्थित चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत आने वाला जिला बाँदा जनपद में दलित महिलाओं के ध्ययन पर आधारित ही भारत विश्व का एक प्राचीनतम देश है। जो पहले आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था तथा बाद में प्रतापी राजा दुष्यंत के वीर पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। गणतंत्र भारत के निर्माण के बाद इसे इण्डिया कहा जाने लगा भारत का विस्तार अद्वोरल जलवायु प्रदेशसे है। यह हिन्द महासागर के मध्यावर्ती मार्ग पर स्थित है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इसकी भू. सीमा 15.200 किलोमीटर तथा तटीय सीमा 6.100 किलोमीटर है।[1]

जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में चीन के पश्चात् दूसरे स्थान पर है भारत की

---

1. गुप्ता नंद किशोर – 1995–96 बाँदा जिले का आदर्श भूगोल प्रकाशन विद्या केन्द्र बाँदा पृ. 7–8

जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 102.01 करोड़ है। जो निवासित है 593 जिलों में 5564 तहसील/तालुकों में 5161 कस्बों में तथा लगभग 6.4 लाख गाँवों में बसी है। जिसकी वार्षिक वृद्धिदर 1991–2001 की अवधि में 1.95 प्रतिशत हो गयी जो 1981–91 में 2.16 थी।[2]

भारत 28 राज्य में विभाजित है जिसमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश भारत में सीमांत प्रदेशों में से एक है, उत्तर में उत्तरांचल एवं नेपाल, पूर्व में बिहार एवं झारखण्ड, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान स्थित हैं।[3] जिसका क्षेत्रफल 2,38,566 वर्ग किमी. है जिसकी जनसंख्या 1,60.052,859 है, जिसमें 87,466,301 (52.67 प्रतिशत) पुरूष एवं 78,586,558 (47.33) प्रतिशत महिलायें शामिल है।

साक्षरता की दृष्टि से कुल साक्षरता 77,77.0275 (57.36%) है। 50,256,119 (70. 23%) पुरुष एवं 27,519,156 (42.98%) महिलायें है। उत्तर प्रदेश को मिनी भारत की संज्ञा दी जाती है। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का देश की जनसंख्या और उसके विभिन्न अवयवों से तुलना की जाये तो विदित होता है कि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य अवश्य है। लेकिन यहाँ जनसंख्या के विभिन्न संकेतांकों के संदर्भ में अधिकांश क्षेत्रों में असमानतायें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रदेश की जनसंख्या में पुरूषों और महिलाओं का प्रतिशत ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत शिशुओं की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत स्त्री–पुरूष अनुपात साक्षरता का प्रतिशत जनसंख्या घनत्व अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति के लोगों में प्रतिशत आदि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश की तुलना में काफी असमानतायें हैं। प्रदेश में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 869 है जो सम्पूर्ण देश के घनत्व (324) से दोगुने से भी अधिक है। स्त्री पुरूष अनुपात की दृष्टि से देखें तो यह राष्ट्रीय औसत 935 से 35 प्रति हजार की दर से कम है। साक्षरता का प्रतिशत या राष्ट्रीय औसत 65.58 से लगभग 89 प्रतिशत कम है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर और वार्षिक वृद्धि में क्रमशः 446 तथा 0.57 का अंतर परिलक्षित हुआ है। अर्थात उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से अधिक है। सामान्यतः जनसंख्या के अन्य संकेतांकों में भी लगभग यही स्थिति रही है। उत्तर प्रदेश में 70 जिले है जिनमें से एक जिला बाँदा भी है।[4] बाँदा उ. प्र. में स्थित बुन्देलखण्ड क्षेत्र

---

2. समसामयिक घटना चक्र – जनसंख्या एवं नगरीयकरण इलाहाबाद, पृ. 2–11
3. कौशल स्व. वी. वी. सिंह राष्ट्रीय स्कूल एटलस पृ. 80 (लैव हाउस) दिल्ली
4. समसामयिक घटना चक्र – इलाहाबाद, पृ. 23

का एक पिछड़ा हुआ जिला है। प्राचीन काल में यह वामदेव ऋषि का निवास स्थान था। इस कारण इसका नाम बाँदा पड़ा।

जनपद बाँदा धार्मिक एवं ऐतिहासिक गाथाओं के लिये प्रसिद्ध है यहाँ पर चित्रकूट की पर्वत यात्राओं की रमणीयता से मोदित होकर भगवान राम ने इसे बनवास का स्थल चुना था। रामायण के रचयिता आदि कवि बाल्यमीकि का जन्म स्थल जनपद राजापुर ग्राम में है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना जनपद के राजापुर कस्बा जो उनका जन्म स्थान भी है, में रहकर की है। भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकले विष को पान करने से हुई जलन को दूर करने के लिये कालिंजर में रहकर शीतलता पायी थी। यही पर भारत का रखा शिवलिंग स्थापित है। कालिंजर दुर्ग में ही मुस्लिम शासक सूरी का मकबरा स्थित है। स्वतंत्रता की लड़ाई में बाँदा के नबाव अली बहादुर ने अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ाई में झाँसी की रानी का खुलकर सहयोग किया था।[5]

क्षेत्रफल (जिला बाँदा) –

बाँदा जिले का क्षेत्रफल 4171.09 वर्ग किमी. है।[6] इसके उत्तर में फतेहपुर दक्षिण में छतरपुर, पन्ना, सतना (मध्य प्रदेश) पूर्व में इलाहाबाद का रीवा (मध्य प्रदेश) है। तथा पश्चिम में मटौंध तथा उत्तर में चंदवारा से दक्षिण में कालिंजर तक फैला है। बाँदा 24^0, 52 से 25^0, 25 उत्तरी दक्षांश तथा 8840 से 81^0, 34 पूर्वी देशान्तर पर स्थित है पूर्व से पश्चिम 147 किमी. लम्बा तथा उत्तर से दक्षिण 104 किमी. चौड़ा है। बाँदा यमुना नदी और विध्यांचल की पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इसका कुछ भाग छोड़कर शेष भाग ऊँचा नीचा एवं पहाड़ी है। जिसका ढाल पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर है।

यह कई नदियों से घिरा हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर यमुना नदी, केन नदी, वागै नदी, मंदाकनी, वाल्मीकि, गन्ता, चंद्रावलि तथा गडरा नदी है। बाँदा जिले का दक्षिण पूर्वी भाग अधिकतर पहाड़ों से घिरा है। मड़फा, रसिन, कालिंजर, खत्री, वम्वेश्वर, चित्रकूट, रामचंद्र, बाल्मीकि, सिंघला पहाड़ है।[7]

---

5. जिला संख्या अधिकारी विभाग – आठवी पंचवर्षीय योजना 1992, पृ. 3 जिला बाँदा
6. सांख्यकी पत्रिका 2001 जनपद बाँदा पृ. 1
7. संतोष कुमार श्रीवास्तव – जन चेतना 2004 – पंचायती राज विभाग बाँदा पृ,. 1 से 9

मानचित्र जनपद-बाँदा
उत्तर
संकेत तालिका
1. राज्य की सीमा
2. जिले की सीमा
3. तहसील की सीमा
8. सड़क
9. रेलवे लाइन
(राजेन्द्र कुमार)
कार्टोग्राफिक असिस्टेंट
कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी
बाँदा
(अमलेन्दु राय)
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
बाँदा

जनसंख्या –

सारिणी सं. 2.1
भारत एवं उत्तर–प्रदेश की जनसंख्या के विभिन्न संकेतको की स्थिति [7अ]

क्र.सं.	संकेतक	सम्पूर्ण भारत की स्थिति	उत्तर प्रदेश की स्थिति	अन्तर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1.	कुल जनसंख्या (करोड़ में)	102.70	16.65	16.5% भाग
2.	पुरुषों की संख्या (करोड़ में)	53.13(15.37%)	8.74(52.65%)	(+) 0.92
3.	ग्रामीण पुरुषों की संख्या (करोड़ में)	38.11(51.38)	6.91(52.55%)	(+) 1.17
4.	शहरी पुरुषों की संख्या (करोड़ में)	15.01(52.61%)	1.82(53.33%)	(+) 0.72
5.	महिलाओं की संख्या (करोड़ में)	49.57(48.27%)	7.86(47.35%)	(–) 0.92
6.	ग्रामीण महिलाओं की संख्या (करोड़ में)	36.05(+8.62%)	6.24(47.45%)	(–) 1.17
7.	शहरी महिलाओं की संख्या (करोड़ में)	13.52(47.39%)	1.61(46.67%)	(–) 0.72
8.	कुल ग्रामीण जनसंख्या (करोड़ में)	74.17(72.22%)	13.15(79.22%)	(+) 5.00
9.	कुल शहरी जनसंख्या (करोड़ में)	28.53(27.78%)	3.45(20.78%)	(–) 7.00
10.	स्त्री–पुरुष अनुपात (प्रति हजार पु.)	933	898	(–) 35
11.	कुल साक्षरता (प्रतिशत में)	65.38	57.36	(–) 0.02
12.	पुरुष साक्षरता (प्रतिशत में)	75.85	70.23	(–) 5.62
13.	महिला साक्षरता (प्रतिशत में)	54.16	42.98	(–) 11.18
14.	दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में)	21.34	25.80	(+) 4.46
15.	वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)	1.93	2.30	(+) 0.37
16.	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	324	689	(+) 365
17.	अनु. जाति के लोगों की जन. % में	16.5%	21.0%	(–) 4.5
18.	अनु. जनजाति के लोगों की जन. % में	8.1%	0.2	(–) 7.9
19.	हिन्दू धर्मावलम्बियों की सं. (करोड़ में)	67.62(82.4%)	11.37(81.7%)	(–) 0.7
20.	मुस्लिम धर्मावलम्बियों की सं. (करोड़ में)	9.52(11.7%)	2.41(17.3%)	(+) 5.6
21.	ईसाई धर्मावलम्बियों की सं. (करोड़ में)	1.89(2.3%)	0.02(0.2%)	(–) 2.1
22.	सिख धर्मावलम्बियों की सं. (करोड़ में)	1.63(0.2%)	0.07(0.5%)	(–) 1.5
23.	बौद्ध धर्मावलम्बियों की सं. (करोड़ में)	0.60(0.8%)	.2(.02%)	(–) 0.6
24.	जैन धर्मावलम्बियों की सं. (करोड़ में)	0.34(0.4%)	0.02(.1%)	(–) 0.3
25.	अन्य धर्मावलम्बियों की सं. (करोड़ में)	0.35(0.4)	0.20(0.1%)	0.3
26.	हिन्दी भाषायी लोगों का प्रतिशत	42.90	90.11	(+) 47.21
27.	उर्दू भाषायी लोगों का प्रतिशत	570	8.98	(–) 3.28

क्रम संख्या 17 से 27 वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार है।

7अ. कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित–ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख पत्रिका मई–2002 पेज–21,22,23

बाँदा जनपद की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 1500253 है जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 806543 और स्त्रियों की संख्या 693719 है। ग्रामीण जनसंख्या 1256239 है तथा नगरीय जनसंख्या 244023 है जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 326749 है एवं अनुसूचित जनजाति 48 है। जनपद में हिन्दी बोलने वालों की कुल जनसंख्या 18,21,386, उर्दू बोलने वाले 39684, पंजाबी 81, बंगाली 47 तथा 884 अन्य भाषा बोलते है। जनपद में 17,41,760 हिन्दू 118434 मुसलमान 716, ईसाई 254, सिक्ख 39 बौद्ध, 839 जैन एवं 54 अन्य धर्मावलम्बी है।[8]

सारिणी सं. 2.2 बाँदा जनपद की जनसंख्या[9]

क्रमांक	संकेतांक	1991	2001
1.	दशकीय प्रतिशत वृद्धि	23.69	18.49
2.	प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या	832	860
3.	जनसंख्या घनत्व	287	340
4.	कुल साक्षरता	32.15	54.84
5.	पुरूष	59.88	69.89
6.	महिला	27.25	37.10
7.	कुल ग्रामीण जनसंख्या	–	1256223
8.	नगरीय जनसंख्या	–	244023
9.	महिला	–	693719
10.	पुरूष	–	866543
11.	अनुसूचित जाति	–	326749
12.	अनुसूचित जनजाति	–	48

प्रशासनिक संरचना –

प्रशासनिक सुविधा हेतु जनपद में 4 तहसीले है।[10]

1. बाँदा 2. बवेरू 3. नरैनी 4. अतर्रा

8. जिला सांख्यिकीय पत्रिका – उपरोक्त आँकड़ों के संस्थागत परिवारों के भाषा सम्बन्धी सम्मिलित न होने के कारण इसका मिलान कुल जनसंख्या से नही होगा पृ. 24–25
9. समसामयिक घटना चक्र
10. बाँदा जिले का आदर्श भूगोल पृ. 23–24

समस्त तहसीलों के अन्तर्गत कुल 8 विकास खण्ड है।[11]

तहसीलों के अनुसार विकास खण्ड

ब्लाक		तहसील
1.	बडोखर	बाँदा
2.	जसपुरा	बाँदा
3.	तिन्दवारी	बाँदा
4.	महुआ	अर्तरा
5.	नरैनी	नरैनी
6.	विसण्डा	अर्तरा
7.	बवेरू	बवेरू
8.	कमासिन	बवेरू

बाँदा जनपद में सभी विकास खण्डों के अन्तर्गत 188 न्याय पंचायतें तथा 910 ग्राम सभायें है। 2 नगर पालिकायें है तथा 8 टाउन एरिया है।[12]

नगर पालिका	टाउन एरिया
बाँदा	राजापुर
अर्तरा	मानिकपुर
	बवेरू
	विसण्डा बुजुर्ग
	नरैनी
	मटौंध
	तिन्दवारी
	ओरन

साक्षरता तथा शिक्षा केन्द्र –

बाँदा जनपद में 1991–2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता एवं कार्यरत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का विवरण सारिणी 2.3 में प्रस्तुत किया गया है।[13]

---

11. बाँदा जिले का आदर्श भूगोल पृ. 25–26
12. जिला सांख्यकीय पत्रिका आँकड़ें 1991 के अनुसार 3–4
13. उपरोक्त ''

सारिणी 2.3

बाँदा जनपद में 1991–2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र

क्रमांक	संकेताक	1991	2001
1.	कुल साक्षरता	51808	93.247
2.	पुरुष	32477	55470
3.	महिला	18831	37807
4.	कुल महाविद्यालय	05	07
5.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	69	67
6.	सीनियर बेसिक स्कूल	296	398
7.	जूनियर बेसिक स्कूल	1275	1337
8.	आई. टी. आई.	1	–
9.	पॉलीटेक्निक	1	–
10.	आयुर्वेदिक कालेज	1	–

सारिणी से स्पष्ट है कि सन् 1991 की तुलना में 2001 की साक्षरता का स्तर पुरूषों और महिलाओं दोनों के लिये बढ़ा है। बाँदा जनपद में कुल 7 महाविद्यालय तथा 67 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीनियर बेसिक स्कूल 398 तथा जूनियर बेसिक स्कूल 1337 है। तालिका के अवलोकन से सिद्ध होता है कि 1991–2001 माध्यमिक शिक्षा को जनसामान्य तक पहुँचाने के उद्देश्य से लगातार शिक्षण संस्थाओं में भी वृद्धि हुयी है। जनपद में 700 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भी है।

जन स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधायें –

जनपद में स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं में यहाँ 16 एलोपैथिक, 20 आयुर्वेदिक, 26 होम्योपैथिक चिकित्सालय है तथा 4 यूनानी चिकित्सालय है। इसके अतिरिक्त कुल 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र 205 तथा परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र 19 है। एक क्षय रोग चिकित्सालय तथा एक कुष्ठ रोग निवारण केन्द्र भी है। 814 वालबाड़ी, आँगनबाड़ी केन्द्र भी है।[14]

पशुओं के लिये भी जनपद में चिकित्सालय की व्यवस्था है। यहाँ पर 20 पशु

14. जिला सांख्यिकीय पत्रिका 2001 पृ. 4–5

चिकित्सालय, 25 पशुधन सेवा केन्द्र है, साथ ही पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये 15 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी खोले गये है।[15]

बाँदा में शहरी विकास से सम्बन्धित सुविधायें भी उपलब्ध है। जनपद में कुल 17 पुलिस स्टेशन है, 7 नगरीय 10 ग्रामीण। जनपद में राष्ट्रीयकृत बैंक 33 तथा 50 ग्रामीण बैंक शाखायें। सहकारी बैंक शाखायें, उसहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक की शाखायें है।

जनपद में 143 बस स्टेशन तथा बस स्टाप, 19 रेलवे स्टेशन, विद्युतीकरण कुल ग्राम 539 विद्युतीकरण आबाद ग्राम 539, विद्युतीकरण कुल नगर 8, विद्युतीकरण, अनुसूचित जाति बस्तियों 4,797 तथा सिनेमा गृह 4 है।[16]

बाँदा नगर –

बाँदा नगर, बाँदा जनपद का एक महत्वपूर्ण नगर है। जनपद के परिवेश का उल्लेख करने के पश्चात् बाँदा नगर का भौगोलिक ऐतिहासिक व सामाजिक परिवेश प्रस्तुत है।

भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति –

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड संभाग में स्थित बाँदा जनपद का बाँदा नगर मुख्यालय है। बाँदा नगर केन नदी के पास बसा है तथा उसके दक्षिण भाग में वामदेवेश्वर पहाड़ स्थित है। प्राचीन काल में यही वामदेव ऋषि का निवास स्थान था और वामदेवेश्वर पहाड़ पर ही उन्होंने तपस्या की थी, इन्हीं के नाम पर जिले का नाम बाँदा पड़ा। प्राचीन काल में बाँदा के मूल निवासी कोलभील थे जिन्होंने खुटला मुहल्ला आबाद किया।[17] मौर्य साम्राज्य के आधीन रहा, 226 ई. के आसपास यह जनपद समुद्र गुप्त द्वारा जीत लिया गया। कालिंजर की खुदाई में दो गुप्तकाल अभिलेख प्राप्त हुये है। जिनसे यह ज्ञात होता है 325 ई. तक बाँदा गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत रहा।[18]

बुन्देलखण्ड पर चंदेलों का साम्राज्य होने पर नवीं शताब्दि तक बाँदा भी चंदेलों के शासनाधीन रहा।[19] बाँदा का इतिहास पृथ्वीराज चौहान के जमाने से स्पष्ट होता है जो सन् 1200 ई. से प्रारम्भ होता है। अठारवीं सदी के सर्वप्रथम राजा गुमान सिंह ने बाँदा को अपनी

---

15. जिला सांख्यिकीय पत्रिका 2001 पृ. 4–5
16. उपरोक्त 2001 पृ. 6
17. बाँदा गजेटियर – जिला सूचना विभाग बाँदा पृ. 208
18. विकास दिग्दर्शिका बाँदा – 1988 जिला सूचना विभाग पृ. 5–6
19. विकास दिग्दर्शिका बाँदा 1908 पृ. 6

राजधानी बनाया। बाँदा नगर की प्रारम्भिक आबादी निम्नी नाले के उस पार राजा के बाग और राजा के तालाब के आस–पास आबाद हुयी। नबाव शमशेर बहादुर सानी व नबाव जुफ्फिकार बहादुर ने विभिन्न मोहल्ले, जामा मस्जिद, नबाव टैंक, नबाव अली बहादुर का शाही महल बनवाया।

बाँदा का अर्दली बाजार मिस्टर रिचर्डसन ऐजेण्ट गर्वनर जनरल द्वारा आबाद हुआ। जरेली कोठी सरकारी मुकदमान मुकदमात तय करने के लिये सन् 1858 में बनवाई गई। लेफ्टिनेन्ट गर्वनर कालवर के बाँदा आने पर मोहल्ला कालवर गंज आबाद हुआ। हिम्मत बहादुर गोसाई ने गोसाई गंज आबाद किया। बाँदा के नबाव की फौज के रहने के लिये बनायी गयी छावनी से मोहल्ला छावनी आबाद हुआ बलखण्डी नामा बलखण्डी नामक मजदूर फकीर के नाम से आबाद हुआ। नबाव अली बहादुर सानी के नाम से अलीगंज व बंगाली क्लर्कों की आबादी से बंगालीपुरा मोहल्ला बसा। मगखी साहब के अहाते में पूरे शहर में अकेला गूलर का पेड़ होने की वजह से गूलर नाका मोहल्ला बसा।[20] वर्तमान में कुछ मोहल्ले विभिन्न विकास की योजनाओं की वजह से बन गये है। जिसमें सिविल लाइन, इन्द्रा नगर, मण्डी समिति शामिल है।

जलवायु –

बाँदा नगर की जलवायु शुष्क किन्तु स्वास्थ्यवर्धक है। मार्च माह में यहाँ गर्मी पड़ना प्रारम्भ हो जाती है। यहाँ का तापमान 50^0 से. ग्रे. तक पहुँच जाता है। औसत अधिकतम तापमान 47 से. ग्रे. तथा निम्नतम तापमान 6^0 से. ग्रे. रिकार्ड किया गया है। किन्तु यहाँ की राते अक्सरी बड़ी सुहावनी होती है। सर्दी के मौसम में यहाँ अत्याधिक ठंड पड़ती है।

तीर्थ स्थान, त्यौहार व मेले –

यह नगर ऐतिहासिक होने के साथ–साथ धार्मिक केन्द्र भी है। इसका प्रमाण रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रन्थों में मिलता है। यहाँ के अधिकतर निवासी हिन्दू है फिर भी मुस्लिम समुदाय के साथ–साथ अन्य सम्प्रदायों के लोग भी रहते है। यहाँ सभी सम्प्रदायों में आपसी प्रेम एवं भाईचारा है। सभी मिल–जुलकर एक दूसरे के तीज त्यौहारों एवं मेलों में सम्मिलित होते है। बाँदा नगर में हिन्दू मुस्लिम दो सम्प्रदायों की बहुलता है। यहाँ के प्रमुख हिन्दू त्यौहार दशहरा, दीपावली, नवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन एवं होली है। मुसलमानों में प्रमुख त्यौहार ईद, बकरीद, बाराबफाद, मुर्हरम, शवे–बारात एवं रमजान है। सिक्ख लोग अपना त्यौहार

20. बाँदा जिला सांख्कीय पत्रिका 2001 पृ. 69

बैसाखी धूमधाम से मनाते है।

बाँदा नगर में हिन्दुओं के धार्मिक स्थान प्रसिद्ध महेश्वरी देवी का मंदिर, महावीरन, संकट मोचन, वामदेवेश्वर महादेव मंदिर, कालीदेवी का मंदिर आदि है। मुस्लिम तीर्थ स्थानों में मिस्किन शाह बाबा की मजार, जरेली कोठी, पीली कोठी, गोल कोठी, खानकाह शरीफ, बड़े पीर साहब की मजार आदि है। इसके अतिरिक्त नबाव अली शेर बहादुर द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद है। जिसमें हर शुक्रवार को हजारों मुसलमान नमाज पढ़ते है। एक ईदगाह जहाँ पर हर वर्ष ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ते है व आपस में मिलते है।

यहाँ नगर में कई मेले लगते है, जैसे दशहरा का मेला, कजरी का मेला, शिवरात्रि एवं बसंत पंचमी पर बामदेवेश्वर महादेव मंदिर का मेला यहाँ महेश्वरी देवी में प्रतिवर्ष चैत्र व क्वार के महीने में नवरित्र की सात–आठ व दस तारीख को मेला लगता है। बंसत पंचमी को मिस्कम शाह बाबा का उर्स हिन्दू मुसलमान मिलकर धूमधाम से मनाते है। उसके यहाँ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक नबाव टैंक रमणीय स्थल है। जिसे बाँदा के नबाव अली बहादुर ने बनवाया था। जहाँ वन विभाग द्वारा वन चेतना बिहार है।

क्षेत्रफल –

बाँदा नगर का क्षेत्रफल 11.29 वर्ग किलोमीटर है। नगर की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 6 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर है।

जनसंख्या –

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नगर की कुल जनसंख्या 1,38,145 है। जिसमें पुरूष 75,461 (54.62 प्रतिशत) तथा 62,684 (45.38 प्रतिशत) महिलायें है।

साक्षरता तथा शिक्षा केन्द्र –

नगर में कुल साक्षर लोग 93.277 है जिसमें 55,470 पुरूष व 37.807 महिलायें है। यहाँ शिक्षा के लिये 35 हायर सेकेण्डरी स्कूल बालकों के लिये तथा 12 बालिकाओं के लिये 200 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 78 सीनियर बेसिक स्कूल है। तथा 6 महाविद्यालय है, 2 मान्यता प्राप्त सिटी मान्टेसरी स्कूल है।

स्वास्थ्य सुविधायें –

स्वास्थ्य सुविधाओं में यहाँ 14 ऐलोपेथिक चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र है। जिसमें

219 शैय्यायें उपलब्ध है।[21] 3 आयुर्वेदिक औषधालय एवं 1 होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा 3 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र है। नगर में दो पशु चिकित्सा केन्द्र है। 2 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं पशुपालन केन्द्र व उपकेन्द्र भी है।[22]

अन्य सुविधायें –

आधुनिकीकरण की दृष्टि से नगर में आधुनिक सुविधायें भी उपलब्ध है। नगर में 1135 टेलीफोन कनेक्शन, 3 डाकघर, 1 तारघर, एक पुलिस स्टेशन, 49 सस्ते गल्ले की दुकान, 3 बीज गोदाम, 10 कृषि सेवा केन्द्र है।[23]

नगर में विद्युत की उपलब्धता एवं नल द्वारा पेयजल सुविधा भी उपलब्ध है। नगर में शीत गोदाम, बीज गोदाम, सरकारी कृषि समिति, इण्डेन गैस ऐजेन्सी, उर्वरक भण्डार गृह व सस्ते गल्ले की सरकारी दुकाने भी है। चूँकि बाँदा नगर जनपद का मुख्यालय है इसलिये न्यायालय पुलिस स्टेशन जिला परिषद आदि प्रशासनिक सुविधायें भी उपलब्ध है।

सामाजिक संरचना –

बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों की तरह बाँदा नगर की सामाजिक संरचनापूर्ण तथा बुन्देलखण्डी सामाजिक संस्कृति परम्परा से प्रभावित है। बाँदा नगर में लगभग सभी धर्मावलम्बी व सम्प्रदायों के लोग रहते है किन्तु हिन्दू एवं मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों की अधिकता है।

अर्थव्यवस्था –

बाँदा नगर पिछड़ा किन्तु विकासशील नगर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था अधिकाशतः विभिन्न प्रकार के व्यवसाओं व लघु एवं गृह उद्योगों से प्रभावित है। जनपद मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सरकार एवं गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थायें है। पर्याप्त लोग सरकारी सेवाओं में कार्यरत है। यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग व्यवसाय चल रहे है। यहाँ मिल एवं कारखाने है। बाँदा नगर चावल एवं दाल मिल, बालू, लाठी आदि अनेक व्यवसायों के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ मोमबत्ती, अगरबत्ती, दरी के कारखानें, बंगला देशी वस्त्रों का व्यापार होता है। यह नगर वर्तमान समय में शजर पत्थर के व्यवसाय के लिये बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। यह पत्थर केन नदी से प्राप्त होता। जिसे तराश कर बनाया जाता है। इससे सम्बन्धित विवरण

---

21. रहमानी सवीहा – शोध प्रबन्ध मुस्लिम महि. में प्रजननता कि विभिन्नताओं सम्बन्धी दृष्टिकोण पृ. 4–7
22. बाँदा जिला सांख्कीय पत्रिका 2001, पृ. 80
23. उपरोक्त 2001 पृ. 16

सारिणी 2.4 में प्रस्तुत है।[24]

सारिणी संख्या 2.4

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं एवं पुरूषों का विवरण

क्रमांक	संकेतन	कुल	पुरूष	महिला
1.	दीर्घकालिक कर्मी	31077	28379	2698
2.	अल्पकालिक कर्मी	6181	4771	1410
3.	गैर कर्मी	101996	42560	59438
4.	काश्तकार	1599	1468	135
5.	खेतिहार मजदूर	615	457	158
6.	पारिवारिक उद्योग	1651	1242	409
7.	अन्य कार्य	33307	29697	3610

सारिणी संख्या 2.4 से स्पष्ट है कि पुरूषों के साथ महिलायें भी विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित है। जिसमें दीर्घकालिक कार्यों के रूप में 31077 में से 2,698 महिलायें है। अल्पकालिक कार्यों 6181 में 1410 महिलायें ही साथ है। गैर कार्यों के 1,01,996 में से 59,438 महिलायें है। जो पुरूषों की संख्या से ज्यादा है। तथा काश्तकार 1,399 में से 1035 महिलायें है। खेतिहर मजदूरों में 158 तथा पारिवारिक उद्योग में 409 एवं अन्य कार्यों में 3,610 महिलायें शामिल है। जिससे स्पष्ट है कि नगरीय समुदाय में 40 प्रतिशत महिलायें विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है।

सांस्कृतिक संरचना –

सम्पूर्ण भारतीय समाज में हिन्दू, मुस्लिम सम्प्रदाय यद्यपि विभिन्न दृष्टिकोणों से काफी भिन्नतायुक्त है। फिर भी सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के कारण दोनों सम्प्रदायों की संस्कृति ने एक दूसरे को प्रभावित किया है। दोनों समुदायों की सांस्कृतिक संरचना नैतिक मूल्यों के आधार पर मिलती जुलती है।

नगर के परिवारों में माता पिता को उच्च स्थान प्राप्त है। माता पिता को सर्वोच्च मानकर उनकी सेवा करना कर्तव्य समझा जाता है। हिन्दू धर्म में पुर्न–जन्म–पितृ ऋण मुक्त होने का आधार है। ऐसा लोगों का विश्वास है। पुत्र का महत्व इस लोकोक्ति से स्पष्ट है। ''कुल का दीपक पुत्र है, घर को दीपक प्राण'' पुत्र के इस महत्व को बाँदा नगर में ही नही वरन् पूरे भारत

24. नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकडे

व पूरे समाज में स्वीकार किया गया है। पुत्र ही भावी परिवार का कर्ता धर्ता है। परिवार में परम्परा, मर्यादा के अंदर ही रहना पड़ता है बड़े भाई को परिवार में पिता तुल्य स्थान प्राप्त है। पिता की मृत्यु के बाद वही घर की देखरेख करता है। बड़े पुत्र को पितृत्व प्रतिष्ठा के कारण ही "बड़ी बहू के बड़े भाग्य" कहा जाता है। "बिना धरनी भूतों का डेरा" लोकोक्ति से स्पष्ट है कि नारी का महत्व परिवार में है। नारी, माँ, पत्नी, बहन सभी सम्बन्धों के दृष्टिकोण से परिवार में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये तथ्य विभिन्न रीति–रिवाजों से स्पष्ट होते है।

प्रस्तुत अध्ययन बाँदा नगर की 600 दलित महिलाओं के अध्ययन पर आधारित है। अतः नगर में दलित महिलाओं की सांस्कृतिक संरचनाओं को विशेष रूप से स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। बाँदा नगर की कुल जनसंख्या में 5% दलित निवास करते है। इनमें से कुछ दलित महिलायें दीर्घकालिक कार्मी है। कुछ अल्पकालिक कर्मी एवं कुछ गैर कर्मी है। पृथा इनमें से कुछ परम्परागत व्यवसाय अपनाये है। जैसे – सूप बनाना, ढ़ोलक बनाना, डलिया, झाड़ू, जूते आदि बनाना तथा कुछ महिलायें गृहणी है। धर्म में ज्यादा विश्वास करती है। बाँदा नगर पिछड़ा होने के कारण अभी भी विकसित नही है। इसलिये दलित महिलायें पिछड़ी एवं रूढ़िग्रस्त अंधविश्वासी, सामाजिक मान्यताओं से घिरी पर्दे के अंदर कैद है तथा उनका शोषण उत्पीड़न एवं उन पर अत्याचार होता रहता है। यद्यपि सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से समाज में दलित महिलाओं की स्थिति सोचनीय है परन्तु परिवार में माँ पत्नी के रूप में आज भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अधिकांशतः इन महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर तक ही सीमित है।

अतः वर्तमान में आधुनिकीकरण की वजह से इन महिलाओं में जागरूकता आ रही है। इनमें जागरूकता बढ़ने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति एवं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने लगी है। अब सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाना चाहिये क्योंकि वह कुल का दीपक है। बुढ़ापे का सहारा है, की धारणा में परिवर्तन आ रहा है। जिसकी वजह से इनमें बालिकाओं की शिक्षा स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक दिलायी जा रही है।

दलित महिलाओं की स्थिति –

महिलाओं की स्थिति समय एवं देशकाल के अनुसार बदलती रहती है। दलित महिलायें आज भी पिछड़ी हुयी है। तथा प्राचीन परम्परागत संस्कृति से जुड़ी होने के कारण रूढ़िग्रस्त है। इसी कारण से अत्यन्त पिछड़ी हुयी, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी मान्यताओं से घिरी पर्दे के अंदर कैद तथा ये आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ी है। ये महिलायें कुछ सफाई कर्मी है। तथा कुछ

अपना परम्परागत कार्यों का करती है। राजनीति में भी वही महिलायें आती है। जिस क्षेत्र में महिला सीट आरक्षित है। इसके अतिरिक्त अन्य महिला राजनीति में नही आती जो राजनीति में आती है उनका कार्य उनके पति/भाई/पिता ही करते है। हस्ताक्षर के अतिरिक्त कोई अन्य नही करती है। नगर में उच्च वर्ग के लोग अपनी बालिकाओं की शिक्षा शहर में भेजकर पूरी करवाते है। परन्तु जिनके साधन सीमित है। वह घरों में ही अपनी बालिकाओं को 8वीं या 5वीं कक्षा तक शिक्षा दिलवाते है। खास तौर पर छात्रवृत्ति के लिये भी यह शिक्षा दिलवायी जाती है। दलितों में पर्दा प्रथा भी है परन्तु ये पुरुषों के साथ अन्य कार्यों में हाथ बढाती है।

प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र में सामुदायिक पृष्ठभूमि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसके अन्तर्गत बाँदा जनपद की भौगोलिक स्थिति कुल जनसंख्या, प्रशासनिक विभाजन, साक्षरता एवं शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य सेवाओं एवं उपलब्ध अन्य सेवाओं को प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक संरचना के अन्तर्गत संक्षिप्त रूप से जाति का नगर तथा अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक संरचना के साथ ही दलित महिलाओं की प्रस्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है।

अध्याय - 3

अध्याय – 3

दलित महिलाओं की सामाजिक आर्थिक प्रष्ठभूमि

पिछले अध्याय में प्रतिदर्श की दलित महिलाओं की सामुदायिक पृष्ठभूमि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि महिलायें किस प्रकार के सामाजिक, संस्कृति, पर्यावरण में जीवन यापन कर रही है। प्रस्तुत अध्याय में दलित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया जायेगा। ताकि सूक्ष्म स्तर पर उस सामाजिक–आर्थिक परिवेश का पता चल सके जिसमें महिलायें जीवन यापन कर रही है। यह एक सामान्यीकृत तथ्य है कि व्यक्ति के सामाजिक–आर्थिक परिवेश का उसके व्यवहार से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण में जैसा सीखता है, वैसी ही उसकी जीवन रीति बन जाती है। जीवन स्वयं जीने की कला है जो कि मानव के सीखने के परिणामस्वरूप ही विकसित होती है। यहाँ पर अध्ययन से सम्बन्धित सभी उत्तरदात्रियों की उन सभी विशिष्टताओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जो कि उसके सामाजिक–आर्थिक परिवेश से प्रभावित होती है।

आयु –

निर्धारण में भी आयु की समाज में प्रदत्त एवं अर्जित स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि आयु एक जैविक तथ्य है। तथापि समाज में आयु के अनेक अभिप्रेत अर्थ है। सामाजिक जीवन आयु एक ऐसा जैविक तथ्य है जो पद एवं कार्य की सामाजिक परिभाषा की सीमा का निर्धारण करता है। किसी व्यक्ति को किस आयु में कौन सा पद प्रदान किया जायेगा तथा उसकी भिन्न–भिन्न सामाजिक समूहों में क्या भूमिका होगी, इसका निर्धारण आयु के आधार पर होता है। विभिन्न समाजों में पाये जाने वाले आयु वर्गीकरण से आयु के महत्व का पता चलता है।(1)

शैशवावस्था से युवावस्था तक विकास का क्रम जीवन चक्र में विभिन्नतायें उत्पन्न करता है।(2) यह प्रकृति का ऐसा सत्य है जिससे बचा नही जा सकता विभिन्न संस्कृतियों से उनकी आयु की विभिन्न अवस्थाओं से भिन्न–भिन्न प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।(3)

---

1. एस. एन. आइजेन स्टाट, फाम जनरेशन टू जनरेशन – एज ग्रुप एण्ड सोशल स्ट्रक्चर न्यूर्याक, दि फ्री प्रेस 1556
2. पारसेस, रालकर – 1942 ऐज एण्ड सैक्स इन दि सोशल, स्ट्रक्चर ऑफ दि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका सोशियालॉजिक रिव्यू – 7 अक्टूबर 1604
3. बेनेडिक्सस्थ – 1938, कान्टीन्यूरीज एण्ड डिस्कान्टीन्यूरीज इन कल्चर कन्डीशनिंग, माइकिही वाल्यूम

साथ ही समाज में एक ही आयु समूह के लोगों का व्यवहार वैसा ही होता है जैसा कि समाज उनसे उस आयु में अपेक्षा करता है।

यह एक समाजशास्त्रीय तथ्य है कि उम्र के साथ अनुभव बढ़ाता है और अनुभव से ज्ञान बढ़ता है जो सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है। ऐसा मानना है दलित महिलाओं के लिये जो भारत सरकार ने जो योजनायें प्रदान की है। उनकी जानकारी उनको कम है। या ये कहा जा सकता है कि उम्र अगर बढ़ती है तो उस व्यक्ति का ज्ञान और अनुभव की उतनी ही तीव्रगति से बढ़ता है। महिलाओं के संदर्भ में आयु की महत्ता और भी बढ़ जाती है। क्योंकि उनमें विवाह की आयु तथा प्रथम प्रसव के समय की आयु उनके भावी जीवन की सम्भावनाओं का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह एक समाजशास्त्रीय तथ्य है कि कम आयु में विवाहित स्त्रियों की तुलना में अधिक आयु में विवाहित स्त्रियों के अपेक्षाकृत अधिक संचेतना होती है। कम आयु में विवाह परिवार के आकार के साथ–साथ देश विदेश की जनसंख्या वृद्धि के लिये भी उत्तरदायी होती है। जो कि अन्ततः अनेक सामाजिक समस्याओं के जन्म का कारण बनती है। जिसमें स्वयं स्त्रियों का विकास भी अवरूद्ध हो जाता है। इस कारण की वजह से समाज को भी काफी नुकशान होता है। उत्तरदात्रियों की आयु विषयक तथ्य सारणी 3.1 में प्रस्तुत है।

सारणी सं. 3.1 उत्तरदात्रियों की आयु

क्रमांक	उत्तरदात्रियों की आयु	योग	प्रतिशत
1.	15–30	243	45%
2.	30–45	288	48%
3.	45 से अधिक	69	11.5%
4.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 3.1 के समस्त उत्तरदात्रियों की आयु का आंकलन किया गया है। इनकी आयु को तीन वर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम आयु वर्ष में 15–30 वर्ष की 243 उत्तरदात्रियाँ है जिनका प्रतिशत 45% है। तथा दूसरे आयु वर्ग में 30–45 वर्ष की 288 उत्तरदात्रियाँ है जिनका प्रतिशत 48% है। इसी प्रकार तीसरे आयु वर्ग में 45 से अधिक आयु की 69 उत्तरदात्रियाँ है जिनका प्रतिशत 11.5 है।

सारिणी संख्या 3.2

उत्तरदात्रियों के पतियों की आयु

क्रमांक	उत्तरदात्रियों के पतियों की आयु	योग	प्रतिशत
1.	15–30	102	17%
2.	30 से 45	294	49%
3.	45 से अधिक	204	34%
4.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 3.2 में समस्त उत्तरदात्रियों में पतियों की आयु का आंकलन किया गया है। जिसमें से 15–30 आयु वर्ग के उत्तरदात्रियों के पति 102 है। जिनका प्रतिशत 17% है। इसी प्रकार 30–45 आयु वर्ग के उत्तरदात्रियों के पति 294 है। जिनका प्रतिशत 49% है। अतः पद से अधिक आयु के उत्तरदात्रियों के पति 204 है। जिनका प्रतिशत 34% है।

जातीय स्तर –

भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। प्राचीन काल से ही भारत में जाति प्रथा का अस्तित्व है। जो कि सामाजिक संस्तरण का आधार है समाज में सभी जातियों की स्थिति समान नही होती। वरन् ऊँच–नीच का एक संस्तरण पाया जाता है। यह तो जन्म पर आधारित होती है इसलिये इसमें सामान्यतः परिवर्तन संभव नही होता है। पश्चिम में स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है। किन्तु भारत में जाति और वर्ग दोनों है।

अतः आदिकाल से ही मानव में असमानता व्याप्त रही है। इतिहास में कभी भी ऐसा समय नही रहा जिसमें वर्ग असमान्यता उपस्थिति नही रही है। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था ने ही जाति व्यवस्था को जन्म दिया। अतः भारतीय समाज आरम्भ से ही ऊँच–नीच छुआछूत जैसी बुराइयों का शिकार रहा है। जाति व्यवस्था की ऋगवेद के पुरूष से उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अनुसार विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति ब्रम्हा के मुख से हुयी है। जैसे – ब्रम्हा के मुख से ब्राम्हण, (बाजुओं) से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुयी है। इस प्रकार वर्णों से जातियों एवं उपजातियों का निर्माण हुआ है।

जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान–पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध

लागू करता है। इस प्रकार जाति हिन्दू सामाजिक संरचना का मुख्य आधार है, क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करती है।[4] जाति एक राजनीतिक इकाई भी है। क्योंकि प्रत्येक व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिपादित करती है और अपने सदस्यों पर उन्हें लागू भी करती है। जाति पंचायत और उसके कार्य और संगठन राजनीतिक पक्ष का प्रतीक है। जाति द्वारा विधिक एवं न्यायिक कार्य भी सम्पन्न होते रहे है। जिसके कारण इसे राजनीतिक इकाई का रूप मिलता रहा है।[5]

वर्तमान में जाति प्रथा को एक निरर्थक एवं हानिप्रद संस्था कहना एक प्रकार का फैशन बन गया है। जाति प्रथा के विरोधी भावों में वृद्धि हो रही है किन्तु प्राचीनकाल में जाति ने व्यक्ति, राष्ट्र, समाज के लिये अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये है। भारत में जाति की व्यापकता एवं महत्व को स्पष्ट करते हुये मजूमदार ने लिखा है ''भारत में जाति व्यवस्था अनुपम है।''

भारत विभिन्न सम्प्रदायों की परम्परागत स्थली है। यहाँ की जाति में हवा घुली है। मुसलमान एवं ईसाई भी इससे अछूते नही रहे है।[6] महिलाओं के संदर्भ में जाति की महत्ता और भी बढ़ जाती है।

परम्परागत रूप से जाति के द्वारा महिलाओं के लिये जो कार्य हो रहे है उनमें शिक्षा प्राप्त करने में रोक धार्मिक चर्चाओं में भाग लेने पर प्रतिबंध, राजनीति में भाग न लेना देना इत्यादि। जाति तारूण्य की अवस्था प्राप्त होने से पूर्व ही लड़कियों के विवाह करने पर बल देते है। यह बाल विधवाओं के पुर्नविवाह पर प्रतिबंध लगाती है।[7]

अतः इस प्रकार दलित एवं पिछड़ी जातियाँ हर धार्मिक समुदाय में मौजूद है। चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई समुदाय है। दलित एवं पिछड़ों को आरक्षण देने से सभी धर्मों में कमजोर तबकों को आरक्षण मिल जाता है। उसी तरह महिलाओं के 33% आरक्षण में भी दलितों और पिछड़ों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण पर विशेष आरक्षण देना जरूरी है, इसके तहत सभी धर्मों की दलित और पिछड़ी महिलाओं को विशेष आरक्षण मिल जायेगा। सिर्फ सामान्य वर्ग की महिलाओं का 33% आरक्षण देने से सिर्फ ऊँची जातियों की महिलायें जो पहले से ही राजनीति

---

4. डा. आर. एन. सक्सेना – भारतीय समाज तथा संस्थान नं. 45
5. डा. सक्सेना – पेज नं. 31
6. मजूमदार एवं मदान – रेसेज एण्ड कल्चर इन इण्डिया देखे पुस्तक ''भारतीय सामाजिक संस्थायें'' आर. एन. मुखर्जी पूर्वोत्तर
7. आहुजा राम, ''भारतीय सामाजिक व्यवस्था'' पृ. 25

में उनको लाभ मिल जायेगा। कमजोर जातियों की महिलायें फिर वही की वही रह जायेगी।[8] उत्तरदात्रियों का जातीय स्तर सम्बन्धी वितरण सारणी सं. 3.3 में प्रस्तुत किया गया है।

सारिणी संख्या 3.3

उत्तरदात्रियों का जातीय स्तर

क्रमांक	उत्तरदात्रियों की जाति	योग	प्रतिशत
1.	सामान्य	–	–
2.	अनुसूचित	411	68.5%
3.	पिछड़ी	189	31.5%
4.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 3.3 में जाति के तीन श्रेणियाँ बनायी है। सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति। अतः प्रस्तुत अध्ययन में 600 उत्तरदात्रियों की जाति का आंकलन किया है। जिनमें से अनुसूचित जाति का उत्तरदात्रियाँ 411 है। (जिनका प्रतिशत 68.5%) तथा पिछड़ी जाति की उत्तरदात्रियाँ 189 है। (जिनका प्रतिशत 31.5) है।

पारिवारिक पृष्ठभूमि –

परिवार समाज की आधारभूत संस्थाओं में से एक है। जिसका व्यक्ति के समाजीकरण से सीधा सम्बन्ध है। परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है। जहाँ पर उसके विचार, विश्वास, धारणायें, भावनायें, सामाजिक मूल्य आदि जन्म लेते है। तथा साथ ही पनपते भी है। इन सभी का व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसकी भावी गतिविधियों से सीधा सम्बन्ध होता है। इसी से परिवार मानव समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई ही नही है। बल्कि जीवन के लिये सबसे अधिक आवश्यक भी है।[9]

भिन्न–भिन्न समाजों में परिवार भिन्न–भिन्न रूपों में पाया जाता है। कही पर पितृ सत्तात्मक, मातृ वंशीय तथा मातृ स्थानीय है। किसी समाज में परिवार एक विवाही है। तो किसी अन्य में बहुपति विवाही अथवा बहु पत्नी विवाही। हिन्दू समाज में संयुक्त परिवारों की प्रधानता है तो किन्हीं अन्य समाजों में एकांकी परिवार की बहुलता है।[10–11] मुस्लिम समाजों में भी

---

8. राजा कौशल ''सुलभ इण्डिया'' पृ. 4
9. ग्रीन ए. डब्लू. सोशियोलॉजी पृ. 389
10. कपाड़िया के. एम. 1972 मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया, कलकत्ता, आक्सफोर्ड यूनी. प्रेस पृ. 275
11. प्रभू पी. एन. 1985, हिन्दू सोशल आर्गेनाइजेशन, बाम्बे (पापुलर बुक डिपो) प्रेस पृ. 217

प्राचीनकाल से ही संयुक्त परिवारों की प्रधानता रही है।[12]

आज के इस बदलते युग में इन परिवारों का स्वरूप बदलता जा रहा है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, महिला आन्दोलन, जनसंख्या वृद्धि यातायात एवं संचार के साधन सामाजिक सुरक्षा, राज्य के कार्यों का बढ़ना, नवीन औषधियों एवं संतति निग्रह के साधन धर्म के प्रभाव में कमी स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता आदि के कारण इन परिवारों में परिवर्तन हो रहे है। जिसके कारण एकांकी परिवार में वृद्धि हो रही है।

अतः परिवार सामाजिक संरचना की मूल इकाई है यह व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति, समाजीकरण, व्यक्तित्व के विकास तथा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नगरीकरण औद्योगीकरण एवं आधुनिकीकरण के प्रभावों से आज पारिवारिक संरचना एवं कार्यों में परिवर्तन आ रहे है। लेकिन अपने परिवर्तनों के बावजूद संयुक्त परिवार की भावनायें अब भी मौजूद है, जैसा कि कपाड़िया ने लिखा है कि ''हिन्दू मनोवृत्तियाँ आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है। परिवार जब तक जीवित रहेगा, इसका भविष्य अंधकारपूर्ण नही है। आने वाली पीढ़ी में संयुक्त परिवार के लिये सुदृढ़ भावनायें विद्यमान है।[13]

सारिणी संख्या 3.4

परिवार का स्वरूप

क्रमांक	परिवार का स्वरूप	योग	प्रतिशत
1.	संयुक्त	372	62%
2.	एकांकी	228	38%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 3.4 में समस्त उत्तरदात्रियों के परिवार का आंकलन किया गया है। जिसमें से 372 उत्तरदात्रियों संयुक्त परिवारों की है। जिनका प्रतिशत 62% है। तथा 288 उत्तरदात्रियाँ एकांकी परिवारों से है। जिनका प्रतिशत 38 है।

शैक्षिक स्तर –

शिक्षा लोगों को संस्कारित करने का एक आधारभूत तत्व है और यह समाज के कमजोर वर्गों में सामाजिक परिवर्तन तथा उच्च जीवन स्तर का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा का बहुमुखी और मध्य प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तियों पर पड़ता है। इससे व्यक्ति में नवीन उन्मेषों के प्रति

---

12. महमूद यासीन, 1988 इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास आर्टलांटिका पब्लिकेशन पेज नं. 117–118
13. डा. पूरणमल – अस्पृश्यता एवं दलित चेतना – पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर 1999 पृ. 98–99

जागरूकता पैदा होती है, तो वही दूसरी ओर वैचारिक दृढ़ता, प्रखर चिंतन, महात्वाकांक्षा, परिवक्वता, बुद्धिमता इत्यादि गुणों का समावेश होता है।

दलित महिलाओं की सामाजिक अयोग्यता, सामाजिक एवं आर्थिक शोषण, सामाजिक पराधीनता आदि का प्रमुख कारण अशिक्षा है। इसी वजह से दलितों के मसीहा डा. भीमराव अम्बेडकर ने अपनी तीन सूत्रीय योजना में शिक्षा को प्रथम स्थान दिया था। इनके अशिक्षित रहने का मूल कारण सवर्ण हिन्दुओं द्वारा उन पर आरोपित सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यतायें थी। स्मृति तथा धर्मग्रन्थों के अनुसार शूद्रों द्वारा धार्मिक ग्रन्थों का पठन या श्रवण एक अपराध था। जिसके लिये कठोर दण्ड का प्रावधान था। पढ़ने पर जीभ कटवा दी जाती थी तथा सुनने पर कानों में खौलता तेल डलवाते थे। कुछ समय पूर्व तक हिन्दुओं के बच्चों के साथ इनके बच्चों को पढ़ने नही दिया जाता था। क्योंकि सवर्ण दलितों के कट्टर विरोधी थे।[14]

शिक्षा अनुभव की सम्पूर्णता है जो किशोर और व्यस्क दोनों ही अभिवृत्तियों को प्रभावित करती है। तथा उनके व्यवहारों को निर्धारित करती है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि ''किसी भी राजकीय या राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश के सम्बन्ध में मूलवंश जाति, धर्म, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नही किया जायेगा।''[15]

इसके साथ ही इनको लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण[16] का प्रावधान विशेष अधिकारी[17] एवं विशेष आयोग[18] की स्थापना। शिक्षा एवं आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देने[19] की व्यवस्था तथा लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में इनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित करने जैसे प्रावधानों के कारण दलित महिलायें उच्च स्थिति गृहण करने में सफल हो सकती है।

अतः संविधान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं कानूनी प्रावधानों से इनकी साक्षरता दर में कुछ हद तक बढ़ोत्तरी हुयी है। पिछले पचास वर्षों से इन महिलाओं को बराबरी में लाने में प्रयास किये जा रहे है। यह वर्ग देश का वह तबका है जिसकी संख्या कुल आबादी का 16.48 प्रतिशत

---

14. कीर धनजंय, महात्मा ज्योतिराव फुले – फादर ऑफ इण्डियन सोशियल रिवाल्यूशन, बाम्बे पापुलर प्रकाशन 1974 पृ. 55–56
15. भारत का संविधान, अनुच्छेद 29(2)
16. इविद् अनुच्छेद 16(4)
17. इविद् अनुच्छेद (338)
18. इविद् अनुच्छेद (340)
19. इविद् अनुच्छेद (46)

सारिणी सं0 – 3.5

उत्तरदात्रियों की शिक्षा

है। स्त्री पुरूष का अनुपात अनुसूचित जातियों में 1000 पुरूषों पर 927 है। साक्षरता का प्रतिशत सम्पूर्ण भारत का 52 प्रतिशत है। जबकि अनुसूचित जातियों की साक्षरता 30 प्रतिशत है। परन्तु उस जाति की महिलायें अभी भी सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ी हुयी है।

अतः बालिकाओं के विकास में शिक्षा का बहुत महत्व है। अतः माता–पिता की शिक्षा का प्रभाव बालिकाओं के विकास पर पड़ता है।

सारिणी संख्या 3.5

उत्तरदात्रियों की शिक्षा

क्रमांक	उत्तरदात्रियों की शैक्षिक स्थिति	योग	प्रतिशत
1.	निरक्षर	330	55%
2.	प्राथमिक	147	24.5%
3.	माध्यमिक	96	16%
4.	उच्च	27	4.5%
5.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 3.5 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि समस्त उत्तरदात्रि की संख्या 60 है जिसमें से 330 उत्तरदत्रियाँ निरक्षर है जिनका (प्रतिशत 55%) है तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त उत्तरदत्रियाँ 147 है जिनका (प्रतिशत 24.5%) है तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 96 उत्तरदात्रियाँ है जिनका (प्रतिशत 16%) है। एवं उच्च शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियाँ 27 है जिनका (प्रतिशत 4.5%) है।

सारिणी संख्या 3.6

उत्तरदात्रियों के पति की शिक्षा

क्रमांक	उत्तरदात्रियों के पति की शैक्षिक स्थिति	योग	प्रतिशत
1.	निरक्षर	201	33.5%
2.	प्राथमिक	195	32.5%
3.	माध्यमिक	144	24%
4.	उच्च	60	10%
5.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 3.6 में समस्त उत्तरदात्रियों के पति की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया गया। जिसमें से 201 उत्तरदात्रियों के पति निरक्षर है जिनका प्रतिशत 33.5 है। 195 उत्तरदात्रियों के पति प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है। जिनका प्रतिशत 32.5 है। तथा 44 उत्तरदात्रियों के पति माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है जिनका प्रतिशत 24% है। तथा 60 उत्तरदात्रियों के पति उच्च शिक्षा प्राप्त है जिनका प्रतिशत 10% है।

अतः पारिवारिक शिक्षा का संचेतना पर वास्तविक रूप में प्रभाव देखने के लिये यह भी आवश्यक है कि उत्तरदात्रियों की शिक्षा के साथ–साथ उनके पतियों की शिक्षा का स्तर भी जानना आवश्यक है। क्योंकि बालिका के विकास में माता–पिता दोनों के ज्ञान का प्रभाव संयुक्त रूप से पड़ता है। इस उद्देश्य के तहत दोनों की शिक्षा का विवरण प्रस्तुत किया है।

विवाह की आयु –

मानव की विभिन्न प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं में यौन संतुष्टी एक आधारभूत आवश्यकता है। विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था ही नही बल्कि यह व्यक्तियों में यौन जीवन को सुचारू रूप से चलाने एवं सामाजिक, धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करती है। हिन्दू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। जबकि मुस्लिम विवाह एक संविदा है। परन्तु विवाह सभी सम्प्रदायों, सभाओं एवं समूहों की वैद्य पारिवारिक जीवन व्यतीत करने सम्बन्धी अनिवार्यता है। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है।[20] सामान्यतः विवाह वधू को वर के घर ले जाना है।[21] यह स्त्री–पुरूष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा वैद्य संतान माना जायेगा।[22]

यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में लड़कों एवं लड़कियों का विवाह उनकी परपक्व आयु में होने की प्रथा थी। पी. एन. प्रभू ने हिन्दू शास्त्रों का उल्लेख करते हुये स्पष्ट किया है। कि प्राचीन भारत में कम आयु में विवाह करना प्रचलन में नही था। लड़कियों में राजस्वला होने के बाद विवाह होने की प्रथा का विरोध कुछ हिन्दू लेखकों जैसे – गौतम विष्णु द्वारा किया गया।[23] और राजस्वला के पूर्व विवाह करने पर बल दिया गया। जबकि वशिष्ठ एवं वात्स्यायन ने 400 वी. सी. के आसपास राजस्वला के बाद विवाह किये जाने पर बल दिया। इस वैचारिक

---

20. ई. एस. वोगार्डस, 1957 सोशियोलॉजी पृ. 70
21. उदाहत्व – तेन मर्यात्दव सम्पादक ग्रहण विवाह : मनुस्मृति 3120
22. लूसी मेयर – सामा. गृ. विज्ञान की भूमिका; हिन्दी अनुवाद, पृ. 10
23. पी. एन. प्रभु 1963 हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, बाम्बे पापुलर प्रकाशन पृ. 151–52

सहर्ष का अंत उस समय हो गया जबकि समाज में राजस्वला के पूर्व विवाह करना स्वीकार कर लिया।

200 ए. डी. के लगभग इस प्रकार के विवाह सामान्यतः होने लगे और धीरे–धीरे विवाह की आयु कम होती गयी। मध्यकाल में अंग्रेजी कानूनों के लागू होने के साथ ही अधिकांश विवाहों में विवाह की आयु पाँच वर्ष से भी कम हो गयी। इरवती के अनुसार वह व्यक्ति के लिये सम्मान की बात थी। जो वह अपनी कन्या के विवाह के लिये राजस्वला से पूर्व ही वर की तलाश कर ले। कुछ माता–पिता तो अपने बच्चों का विवाह उनके जन्म के पूर्व ही निश्चित कर लेते थे।(24)

कम आयु में विवाह का प्रचलन केवल हिन्दुओं में ही नही था मुसलमानों में भी था। मुसलमानों में विवाह की कोई आयु निश्चित नही थी। किन्तु मुस्लिम लोगों के विवाह जल्द ही कर दिये जाते थे।(25) छोटे आयु की लड़कियों का विवाह बड़ी आयु के पुरूषों के साथ कर दिया जाता था। कुछ विदेशी यात्रियों ने उक्त तथ्य को स्वीकार नही किया। सामान्यतः मुस्लिम लोग अपनी बेटियों का विवाह यौवनावस्था होने से पूर्व नही करते थे। तथापि हिन्दुओं का अनुकरण करते हुये उनमें भी ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी थी।(26)

उपरोक्त विवरण इस बात का स्पष्ट संकेत करता है कि विवाह की आयु में स्थिरता नही थी। रॉस के अनुसार – "भारत में लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की आयु में समय–समय व स्थान–स्थान और यहाँ तक कि धर्म जाति एवं भाषा के आधार पर भिन्नता पायी जाती है।(27)

भारत में कम आयु में विवाह एक सामान्य बात हो चुकी थी। कुछ समाज सुधारकों जैसे – राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने बाल विवाह के दोषों एवं दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराया और लोगों में इसके प्रति संचेतना पैदा करने का प्रयास किया। और सरकार पर प्रभाव एवं दबाव डालकर 1921 में विवाह की आयु के संदर्भ में अधिनियम पारित कराया जिसमें लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष व लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। तदुपरान्त हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 (संशोधन 1948) के द्वारा यह आयु क्रमशः 21 व 18 वर्ष निश्चित की गई। 20वीं शताब्दि में कुछ महिला समाज सुधार आन्दोलनों

---

24. कार्बो आई. 1965 "किंग शिप आर्गनाइजेशन इन इण्डिया, बम्बे एशिया पब्लिकेशन हाउस, पृ. 130
25. यासीन महमूद – 1988 पीटस मुड 11 पेज, 180 इस्लामी भारत का सामा. इतिहास, पृ. 64
26. यासीन महमूद – 1988, पृ. 164
27. रौस ए. डी. 1961 दि हिन्दू फैमिली इन इट्स अरवन सेटिंग यू. एस. ए. यूनीवर्सिटी ऑफ टोरेन्टो प्रेस 236

सारिणी सं0 – 3.7

उत्तरदात्रियों के विवाह की आयु

ने इस दिशा में और प्रगति की। किन्तु दलित समाज में आज भी 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही लड़कियाँ विवाह के बंधन में बँध जाती है। भारत में अशिक्षित दलित कन्याओं की 13–17 वर्ष की आयु तक विवाह कर देते है। उनका मानना है कि अधिक वयस्क कन्या समस्या बन जाती है।

भारत में अब पहले की तुलना में विवाह अधिक आयु के होते है। प्रायः अधिक धनी व्यक्ति के बच्चे अधिक आयु में ही विवाह करते है। शिक्षित लड़के, लड़कियाँ शिक्षा समाप्त होने तदानुसार रोजगार पाने तक विवाह नही करते। नगरों में तो शिक्षा व देर से विवाह का प्रचलन बहुत अधिक है, किन्तु दलितों में उच्च वर्गों की तुलना में बाल विवाह आज भी प्रचलित है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विवाह जल्दी कर दिया जाता है।

महिलाओं के संदर्भ में विवाह में समय कम आयु होना अत्याधिक महत्व का विषय है। क्योंकि कम आयु में विवाह से महिलाओं की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। जिसकी वजह से दलित महिलाओं में संचेतना का आभाव पाया जाता है। यदि विवाह के समय कम उम्र होती तो शिक्षा तथा सामाजिक अनुभव भी कम होगा। जिससे उसमें चेतना का आभाव देखने को मिलेगा। यदि उम्र अधिक होगी जिससे संचेतना अधिक होगी।

सारिणी संख्या 3.7

उत्तरदात्रियों के विवाह की आयु

क्रमांक	विवाह की आयु	योग	प्रतिशत
1.	15 से कम	171	28.5%
2.	15 से 18 तक	246	41%
3.	18 से 25 तक	183	30.5%
4.	25 से अधिक	–	–
5.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 3.7 में समस्त उत्तरदात्रियों की विवाह की आयु का आंकलन किया गया है। जिसमें से 171 उत्तरदात्रियों का विवाह 15 से कम आयु वर्ग में हुआ है जिनका प्रतिशत 28.5% है तथा 246 उत्तरदात्रियों का विवाह 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में हुआ। इनकी संख्या सर्वाधिक है जिनका प्रतिशत 41% होता है। इसी प्रकार 183 उत्तरदात्रियों का विवाह 18–25 वर्ष की आयु वर्ग में हुआ जिनका प्रतिशत 30.5 है। अतः उपरोक्त विवरण सस्पष्ट है कि ''बाल विवाह निरोधक अधिनियम'' 1929 में पारित होने के बाद भी अधिकांश तथा उत्तरदात्रियों का विवाह 15

वर्ष से कम आयु में कर दिया गया है।

व्यवसाय –

भारतीय समाज में परम्परागत रूप से जाति एवं व्यवसाय में घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। चारों वर्णों के अनुसार प्रथक–2 व्यवसायों का निर्धारण किया गया है। तथा आगे चलकर व्यवसायिक भिन्नता के कारण अनेक जातियों तथा उपजातियों का जन्म हुआ।[28] लेकिन बाद में जिन गंदे, अस्वच्छ एवं घृणित व्यवसायों को अस्पृश्यों के लिये अनिवार्य बना दिया, प्रारम्भ में ऐसी अनिवार्यता नही थी।[29]

इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते है। जिनमें अनेक जातियों के सदस्य एक ही व्यवसाय करते थे। फिर भी सैद्धान्तिक रूप से बहुत प्राचीन काल से न केवल वर्णानुसार व्यवसाय या व्यवसायों के स्वरूप निर्धारित किये, अपितु उनमें अनेक जाति के अनुसार भी निर्धारित किये गये। बहुसंख्यक जातियों में से प्रत्येक का अपना परम्परागत व्यवसाय था और इसलिये वही उस जाति के सदस्यों का वंशानुगत एवं जन्म–जात व्यवसाय निर्धारित हो गया। इस व्यवसाय को दूसरे व्यवसाय की खोज में त्याग देना यदि पाप पूर्ण नही तो कम से कम अनुचित अवश्य समझा जाता था।

अतः दलित महिलाओं में व्यवसायिक गतिशीलता के अध्ययन हेतु महिलायें एवं उनमें पति की आर्थिक व्यवसायिक पृष्ठभूमि की जानकारी महत्वपूर्ण है। व्यवसाय से ही व्यक्ति के आचार–विचार, रहन–सहन जीवन शैली एवं कार्यप्रणाली का भी निर्धारण होता है। व्यवसाय का वर्गीकरण करना अत्यन्त कठिन कार्य है, क्योंकि व्यवसायों की प्रकृति भिन्न होती है तथा कभी–कभी एक व्यक्ति एक साथ कई व्यवसाय करता है। उदाहरण के लिये एक कृषक कार्य के साथ–साथ व्यापार भी करे अथवा अपने परम्परागत व्यवसाय के साथ–साथ कोई शिष्ट व्यवसाय भी करे। इसके अलावा व्यवसाय की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अर्थात व्यक्ति समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुरूप व्यवसाय परिवर्तित करता रहता है।

अतः दलित वर्ग की ज्यादातर महिलायें एवं पुरूष अपने परम्परागत व्यवसायों को अपनाते है। जैसे – जूते बनाना, डालिया, सूप बनाना, सुअर पालन इत्यादि निम्न व्यवसाय

---

28. श्रीवास्तव एस. एन., हरिजन इन इण्डियन सोसाइटी, लखनऊ द अपर इण्डिया पब्लिशिंग हाउस 1980 पृ. 178–180
29. अम्बेडकर, बी. आर., अछूत कौन कैसे ? भदत्त आनन्द कौसल्यायन (अनु) लखनऊ, कल्चरल पब्लिशर्स 1990, पृ. 82

सारिणी सं0 – 3.8

उत्तरदात्रियों का व्यवसाय

अपनाते है। कुछ नौकरी भी करते है। तथा इनसे सम्बन्धित परम्परागत व्यवसाय से तात्पर्य अव्यवसायों से जिन्हें प्रायः घृणित, अस्वच्छ एवं हीन माना जाता है। इन व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को अस्पृश्य समझा जाता है। इन व्यवसायों में चर्मकार, सफाईकर्मी या मेहतर, बेधुआ मजदूर या श्रमिक, चौकीदार शामिल है।[30]

अतः माता–पिता के व्यवसायों का बालिकाओं पर अत्याधिक प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय व्यक्ति की पारिवारिक–आर्थिक स्थिति का निर्धारक है। अतः यह बालिकाओं की जागरूकता को प्रभावित करता है।

सारिणी संख्या 3.8

उत्तरदात्रियों का व्यवसाय

क्रमांक	उत्तरदात्रियों का व्यवसाय	योग	प्रतिशत
1.	नौकरी	96	16%
2.	श्रमिक	291	48.5%
3.	निजी व्यवसाय	24	4%
4.	कुछ नही (गृहणी)	189	35%
5.	कृषि	—	—
6.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 3.8 से स्पष्ट होता है कि 96 उत्तरदात्रियाँ नौकरी करती है। जिनका प्रतिशत 16% है। तथा 291 महिलायें श्रमिक है जिनका प्रतिशत 48.5% है तथा निजी व्यवसायरत 189 उत्तरदात्रियाँ है जिनका प्रतिशत 4% है तथा 189 उत्तरदात्रियाँ गृहणी है जिनका प्रतिशत 35% है।

अतः सर्वाधिक महिलायें श्रमिक है फिर 31.5% गृहणी है तथा 16% महिलायें नौकरी करती है। एवं 4% महिलायें व्यवसायरत है। क्योंकि पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति के कार्य पर पड़ता है और सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति के कार्य पर पड़ता है। जिसका प्रभाव इनके व्यवसाय पर पड़ता है।

30. डा. वूरण मल – अस्पृश्य एवं दलित चेतना, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर 1999, पृ. 134

सारिणी संख्या 3.9

उत्तरदात्रियों के पति का व्यवसाय

क्रमांक	पति का व्यवसाय	योग	प्रतिशत
1.	नौकरी	171	28.5%
2.	श्रमिक	270	45%
3.	व्यवसाय	159	26.5%
4.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 3.9 में समस्त उत्तरदात्रियों के पतियों के व्यवसायों का आंकलन किया गया है। जिसमें से 171 उत्तरदात्रियों के पति सरकारी कर्मचारी है। जिनका प्रतिशत 28. 5 है। जो विभिन्न श्रेणियों की सरकारी सेवा से जुड़े है। तथा 270 उत्तरदात्रियों के पति श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित है। जिनका प्रतिशत 45 है। इसी प्रकार 159 उत्तरदात्रियों के पति व्यवसायरत है। जिनमें से कुछ परम्परागत व्यवसायरत है। कुछ उच्च श्रेणी का व्यवसाय करते है। कुछ औसत दर्जो का व्यवसाय करते है। कुछ निम्न श्रेणी का व्यवसाय करते है।

सामाजिक–आर्थिक स्तर –

सामाजिक–आर्थिक स्तर संचेतना को प्रभावित करने वाला कारक है। ऐसा मानना है कि आर्थिक प्रगति के पश्चात् संचेतना के दौर में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण आर्थिक स्तर से किया जाता है। जिसका आर्थिक स्तर जैसा होगा वैसी ही उसकी सामाजिक स्थिति होती है। परिस्थितियाँ ही अनुकूल एवं प्रतिकूल मनोवृत्ति को जन्म देती है। जैसे – निरक्षरता, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, रहन–सहन का निम्न स्तर धार्मिक रूढ़िवादी विचार, परिवार के संगठन का ढाँचा, परिवार की आय आदि कुछ ऐसे कारक है जो संचेतना में कमी लाते है। उसके विपरीत शिक्षा, औद्योगीकरण रहन–सहन का उच्च स्तर आदि कुछ ऐसे कारक है। जो संचेतना के स्तर को बढ़ाते है।

सामान्यतः यह देखने में आया है कि निम्न आर्थिक स्थिति के लोगों की अपेक्षा उच्च आर्थिक स्थिति में लोगों में संचेतना अधिक होती है। उत्तरदात्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर सम्बन्धी विवरण सारिणी संख्या 3.10 में प्रस्तुत है।

सारिणी सं0 – 3.10

उत्तरदात्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर

सारिणी संख्या 3.10

उत्तरदात्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर

क्रमांक	उत्तरदात्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर	योग	प्रतिशत
1.	उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर	57	9.5%
2.	मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर	222	37%
3.	निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर	321	43.5%
4.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 3.10 में समस्त उत्तरदात्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का आंकलन किया गया है। जिसमें से 57 उत्तरदात्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति उच्च है। जिनका प्रतिशत 9.5 है। तथा 222 उत्तरदात्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति मध्यम है। जिनका प्रतिशत 37 है। अतः 321 उत्तरदात्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति निम्न है। जिनका प्रतिशत 53.5 है।

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदात्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न है।

मासिक आमदनी –

शिक्षा, पारिवारिक स्थिति एवं बुद्धि के साथ–साथ सम्पत्ति भी एक व्यक्ति विशेष को बालिका शिक्षा में सफलता का प्रमुख कारक है। आमदनी सम्मान का प्रतीक है तथा कार्य के लिये प्रेरणा स्रोत है। इससे जीवन शैली में निर्धारण के साथ ही साथ सामाजिक मूल्यों को दिशा मिलती है। महत्वाकांक्षायें भी प्रभावित होती है एवं जीवन स्तर में सुधार होता है।

आजादी के पूर्व तक दलित जातियों की आमदनी अत्यन्त थी। क्योंकि उनको स्वच्छ एवं सम्मान जनक व्यवसाय का अधिकार नही था।[31] उनका मुख्य कार्य उच्च वर्गों की सेवा करना तथा उनके द्वारा प्रदत्त जूठन एवं फटे–पुराने कपड़ों के सहारे जीवन यापन करता था।[32] कुछ हद तक ब्रिटिश शासन में तथा आजादी के बाद जातिबंधन एवं जातिगत व्यवसाय का नियंत्रण ढीला हुआ है। व्यवसायिक संरचना परिवर्तित होने तथा शहरीकरण, औद्योगीकरण एवं नौकरशाही नियंत्रित शासन से जातिगत व्यवसाय तथा ''जजमानी प्रथा'' का कोई महत्व नही रहा है। दलितों में शिक्षा की वृद्वि, संचार के नवीन साधनों का विकास तथा शहरी प्रभाव ने हिन्दू

31. श्रीवास्तव, एस. एन., हरिजन इन इण्डियन सोसायटी लखनऊ, द अपर इण्डिया पब्लिश हाउस प्रा. लि. 1980, पृ. 176
32. क्षीरसागर आर. के., अनटचवेलिटी इन इण्डिया, न्यू देहली, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, 1986 पृ. 31–34

सारिणी सं0 – 3.11

उत्तरदात्रियों की स्वयं की आय

समाज की परम्परागत संरचना को नष्ट कर दिया है।[33]

सारिणी संख्या 3.11

उत्तरदात्रियों की स्वयं की आय

क्रमांक	उत्तरदात्रियों की स्वयं की आय	योग	प्रतिशत
1.	गृहणी	207	34.5%
2.	2000 से कम	231	38.5%
3.	2000 से 4000	123	20.5%
4.	4000 से अधिक	39	6.5%
5.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 3.11 में समस्त उत्तरदात्रियों की आयु का विश्लेषण किया जाता है। जिसमें से 207 महिलायें किसी भी तरह धनोपार्जन नही करती। जिनका प्रतिशत 34.5 है तथा 231 उत्तरदात्रियों की आय 2000 से कम है। जिनका प्रतिशत 38.5 है एवं 123 उत्तरदात्रियों की आय 2000 से 4000 के बीच है। जिनका प्रतिशत 20.5 है। इसी प्रकार 39 उत्तरदात्रियों की आय 4000 से अधिक है। जिनका प्रतिशत 6.5 है।

सारिणी संख्या 3.12

उत्तरदात्रियों के पतियों की आय

क्रमांक	उत्तरदात्रियों के पति की आय	योग	प्रतिशत
1.	2000 से कम	267	46.8%
2.	2000 से 4000 तक	210	36.8%
3.	4000 से अधिक	123	20.3%
4.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 3.12 में समस्त उत्तरदात्रियों के पति की आय का विश्लेषण किया गया है। जिसमें से 267 उत्तरदात्रियों के पति की आय 2000 से कम है। जिनका प्रतिशत 36.8% है। तथा 210 उत्तरदात्रियों के पति की आय 2000 से 4000 तक है। जिनका प्रतिशत 36.8% है। एवं 123 उत्तरदात्रियों के पति की आय 4000 से अधिक है। जिनका प्रतिशत 20.3 है।

---

33. सिंह योगेन्द्र, कास्ट एण्ड क्लास – सम आस्पैक्ट ऑफ कन्टीविटी एण्ड चेंज सोशियोलॉजिकल बुलेटिन वॉ, नं. 1, 1968, पृ. 178–79

उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति –

प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में विवाह को महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। क्योंकि विवाह के बाद ही परिवार की उत्पत्ति होती है। विवाह का वास्तविक अर्थ तथा विवाह संस्कार के पीछे मूल भावनाओं को पूर्ण रूप से जानने वाले बहुत कम है। मानव जीवन के आरम्भ से लेकर आज तक कितने विवाह हुये होंगे। देवी देवताओं ने विवाह भी हुये है, होते है, होते रहेंगे। विवाह करके दम्पत्ति जी रही है, कुछ विवाहित स्त्री पुरूष पुनर्विवाह कर रहे हैं। अविवाहित स्त्री पुरूष विवाह करने के लिये तत्पर हैं। कुछ लोग गुड्डे गुड़ियों की शादियाँ करके आनन्द पा रहे है। यानि कि सारी दुनिया विवाह से चल रही है।

सारिणी संख्या 3.13

उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति

क्रमांक	उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति	योग	प्रतिशत
1.	विवाहित	549	91.5%
2.	विधवा	44	7.3%
3.	परित्यकता	7	1.16%
4.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 3.13 में समस्त उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति का आंकलन किया गया है। जिसमें से 549 उत्तरदात्रियाँ विवाहित है। जिनका प्रतिशत 91.5% है तथा 44 उत्तरदात्रियाँ विधवा है। जिनका प्रतिशत 7.3 है एवं 7 उत्तरदात्रियाँ परित्यगता है। जिनका प्रतिशत 1.16 है।

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदात्रियाँ विवाहित है। अतः इन महिलाओं के विवाह को अधिक महत्व देते है। क्योंकि इनका उद्देश्य लड़की को पराया धन समझते है। इसी कारण जल्दी ही शादी कर लेते है। ये शिक्षित करने के पक्ष में नही रहते है।

पारिवारिक सुविधायें –

मकान का स्वरूप : सामान्यतः सम्पत्ति का आधार मकान, आभूषण आदि को माना जाता रहा है। जिन व्यक्तियों के पास जितने मकान व आभूषण मौजूद होते है। उसी के आधार पर उनकी स्थिति का निर्धारण किया जाता है। जिनके पास अच्छे बड़े मकान व कीमती भौतिक सामान (गैस, फ्रिज, टी. वी., वी. सी. आर., वाशिंग मशीन) तथा आभूषण होते है। उनकी समाज

में उतनी ही उच्च स्थिति होती है तथा जो उक्त वस्तुओं से वंचित है। स्वयं कच्चे घरों, झोपड़ी में रह रहे है। समाज में उनकी निम्न स्थिति होती है।

सारिणी संख्या 3.14

उत्तरदात्रियों के मकान का स्वरूप

क्रमांक	मकान का स्वरूप	योग	प्रतिशत
1.	कच्चा	279	46.5%
2.	पक्का	129	21.5%
3.	मिश्रित	192	32%
4.	योग	600	100%

प्रस्तुत सारिणी में समस्त उत्तरदात्रियों के मकान के स्वरूप का विश्लेषण किया गया है। जिसमें से 279 उत्तरदात्रियों के मकान कच्चे है। जिनका प्रतिशत 46.5 है तथा 129 उत्तरदात्रियों के पक्के है। जिनका प्रतिशत 21.5 है। इसी प्रकार 192 उत्तरदात्रियों के मकान मिश्रित है। जिनका प्रतिशत 32% है।

भौतिक साधन –

प्राचीन भारत में अस्पृश्यों को न तो आर्थिक स्वतंत्रता थी, और न ही आर्थिक सुरक्षा। मनुस्मृति (10.129) में कहा गया है कि शूद्र, यदि वह ऐसी स्थिति में हो फिर भी धन संचय न करें, क्योंकि जो शूद्र धन संचय करता है। वह ब्राम्हण को दुख पहुँचता है। मिट्टी के बर्तन, लोहे के आभूषण, गाँव के बाहर कच्ची झोपड़ी, मुर्दो के उतरे कपड़े यही शूद्र की सम्पत्ति होगी। अस्पृश्यों की स्थिति और भी दयनीय थी। लेकिन आज के जटिल भौतिक एवं वैज्ञानिक युग में सुख सुविधा भोग विलास युक्त साधनों का विशिष्ट स्थान है। व्यक्ति के जीवन स्तर, उसके वैचारिक एवं व्यवसायिक प्रतिमान, उसकी महत्वाकाँक्षा आदि को निर्धारित करने में कुछ हद तक पारिवारिक सम्पन्नता या विपन्नता का योगदान होता है। सुख सुविधाओं के नवीनतम साधनों के अविष्कार से पूर्व भूमि, पशुधन एवं मकान के स्वामित्व के आधार पर समाज में व्यक्ति विशेष का स्तर निर्धारित होता था, लेकिन आज के युग में, विशेषकर शहरी संस्कृति में उपरोक्त साधनों का स्थान, फ्रीज, मोटर साइकिल, कार, टेलीविजन, वी. सी. आर. जैसे भोग विलास के साधनों ने ग्रहण कर लिया है।[34]

---

34. डा. पूरणमल – अस्पृश्य एवं दलित चेतना पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, 1999 पृ. 92–93

सारिणी सं0 – 3.15

उत्तरदात्रियों के आवश्यकता के भौतिक साधन

इन वस्तुओं की वजह से व्यक्ति के सामाजिक स्तर का निर्धारण भी करता है। जिनके घरों में ये साधन है उनकी सामाजिक स्थिति उच्च है। जिनके यहाँ ये साधन नही उनकी स्थिति निम्न है।

सारिणी संख्या 3.15

उत्तरदात्रियों के आवश्यकता के भौतिक साधन

क्रमांक	भौतिकता के साधन	योग	प्रतिशत
1.	कुछ नही	85	14.16%
2.	सभी कुछ	134	22%
3.	बिजली + गैस + नल + स्टोव + टी. वी. + पलंग + अलमारी + मेज + कुर्सी इत्यादि	244	40.7%
4.	बिजली + नल + स्टोव आदि	137	22.9%
5.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 3.14 में समस्त उत्तरदात्रियों की भौतिक स्थिति का आंकलन किया गया है। जिसमें से 85 उत्तरदात्रियों के यहाँ ये सभी साधन नही है। जिनका प्रतिशत 14.16% है।

इसी प्रकार 134 उत्तरदात्रियों के यहाँ भौतिकता के सभी साधन है। जिनका प्रतिशत 28% है। तथा 244 उत्तरदात्रियों के यहाँ बिजली, गैस, चूल्हा, स्टोप, टी. वी., अलमारी, मेज, कुर्सी इत्यादि सभी वस्तुयें है। जिनका प्रतिशत 40.7 है। अतः 137 उत्तरदात्रियों के यहाँ बिजली, नल, स्टोप है। जिनका प्रतिशत 22.9 है।

अतः प्रस्तुत अध्याय में महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया और सूक्ष्म स्तर पर उस सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जिसमें महिलायें निवास करती है। साथ ही व्यक्ति के व्यवहार का सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवेश से सम्बन्ध और सामाजिक परिवेश से प्रभावित होने वाली विशिष्टताओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

परिवार में बच्चों की संख्या –

परिवार का संगठन एवं व्यवस्था एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुसार ही परिवार में बच्चों की संख्या निर्भर होती है। प्रजननता का परिवार में बच्चों की संख्या से घनिष्ठ सम्बन्ध

होता है। नगरीय एवं ग्रामीण समुदायों में परिवारों में बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में मिलता है। बड़े शहरों में परिवार को सीमित रखने की प्रकृति पायी जाती है। क्योंकि शहरों में बच्चे आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नही समझे जाते। उच्च वर्ग में बच्चे धन कमाने का साधन नही समझे जाते। जबकि दलितों के वर्ग के लोगों की मानसिकता अधिक बच्चों के पक्ष में होती है। क्योंकि इस वर्ग में बच्चे आर्थिक उत्पादन समझते जाते है। क्योंकि निर्धन परिवारों में जन्में बच्चे कम आयु में ही अनेक छोटे–मोटे कार्य करके स्वयं धन अर्जित कर लेते है। वैसे अब विकासशील देशों में भी परिवारों को सीमित रखने की मान्यता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और लोगों में इसके प्रति जागरूकता आयी है।

अब बच्चों के पालन पोषण का समय बढ़ गया है। जिसके फलस्वरूप खर्च में भी वृद्धि हो रही है। बच्चों में शिक्षा, तकनीकि एवं व्यवसायिक शिक्षा का भी महत्व बढ़ गया है। और चिकित्सा की देखरेख के मापदण्डों में वृद्धि हुयी है। जिसका खर्च माता–पिता को ही उठाना पड़ता है।[35]

अतः विवाह के अनेक उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है – सन्तानोत्पत्ति, जिससे वेश परम्परा में वृद्धि एवं पारिवारिक उत्तराधिकार का निर्वाह हो सके। सीमित परिवार आज के युग की प्रमुख माँग है। इसका कारण प्रस्तुत अध्ययन में यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। कि दलित महिलाओं का परिवार में आकार के प्रति कैसा रुझान है ? तथा सन्तोत्पत्ति तथा बच्चों की संख्या में बारे में क्या सोच है। इसकी जानकारी सारिणी संख्या 3.16 में प्रस्तुत है।[36]

सारिणी संख्या 3.16

उत्तरदाताओं के परिवार में बच्चों की संख्या

क्रमांक	परिवार में बच्चों की संख्या	योग	प्रतिशत
1.	1 से 2	198	33%
2.	3 से 5	168	28%
3.	5 इनसे अधिक	234	39%
4.	योग	600	100%

35. अशोक कुमार 1978, ''जनसंख्या एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन'' प्रकाशक हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ पेज 707
36. डा. पूरण मल – अस्पृश्यता एवं दलित चेतना – 1999 पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, पृ. 100–102

सारिणी संख्या 3.16 के अवलोकन से स्पष्ट है। कि अधिकांश उत्तरदात्रियों के 5 से अधिक बच्चे है। जिनका प्रतिशत 39 है, जबकि 1 से 2 बच्चों वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत 33 है। तथा सबसे कम 3 से 5 बच्चों वाली महिलायें केवल 28 प्रतिशत ही है। अतः स्पष्ट है कि दलितों के अधिकतर परिवार अधिक बच्चों वाले है।

अध्याय - 4

अध्याय – 4

बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं में संचेतना

पूर्ववर्ती अध्याय में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है। जिससे सूक्ष्म स्तर पर उस सामाजिक, आर्थिक परिवेश का ज्ञान हो सका। जिसकी महिलायें अभिशक्त है। इस अध्याय में संचेतना को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण दलित महिलाओं के संदर्भ में किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति की जागरूकता को उसकी शिक्षा, आयु, जाति एवं सामाजिक, आर्थिक कारकों के आधार पर ज्ञात कर सकते है।

किसी भी व्यक्ति की जागरूकता उसकी उम्र, शिक्षा, आय, जाति आदि से प्रभावित होती है। अतः मानवीय व्यवहार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने वाले इन्हीं सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों का संचेतना में पड़ने वाले प्रभावों का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया गया है। वास्तव में महिलाओं की जागरूकता का निर्धारण उनके सामुदायिक परिवेश के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। यह सच है कि बालिका जन्म के कुछ समय बाद से ही परिवार के सदस्य उसे कायदे सिखाना प्रारम्भ कर देते हैं, अर्थात् एक लड़की को किस तरह बोलना चाहिये, कैसे चलना चाहिये, उठना बैठना चाहिये। अर्थात् उसकी सीमायें कहाँ तक है। इसका निर्धारण सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक संरचना के अन्तर्गत सामाजिक प्रथाओं, परम्पराओं, मूल्यों एवं नैतिक नियमों से सम्बन्धित होता है।

यूरोप तथा विश्व के अन्य विकसित देशों में औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप भौतिकवादी एवं व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के बढ़ने के साथ–साथ शिक्षा एवं व्यवसायों में प्रगति होने के कारण सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ने परम्पराओं की जागरूकता में वृद्धि हुई है। तथा महिलाओं में भी धीरे–धीरे शैक्षिक वृद्धि हुई है। इसके विपरीत भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ विश्व के समस्त देशों से अधिक महिलाओं के लिये कानून बने हुए है। वहाँ आज भी दलित महिलायें अपने विकास के प्रति सचेत नही है न ही इन योजनाओं के प्रति जागरूकता है। इसके कारण के रूप में हम अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं के व्यापक प्रभाव जैसे जाति, संयुक्त परिवार प्रणाली, अशिक्षा निम्न सामाजिक, आर्थिक स्तर एवं उच्च प्रजनन दर के प्रचलन को देखते है। अतः हम कह सकते है कि उच्च सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति जागरूकता को बढ़ाती है। तथा निम्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थित कम जागरूकता का कारण है। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं

तथ्यों को जानने का प्रयत्न सामाजिक संस्कृति कारकों का सूक्ष्म अध्ययन करके किया गया है।

परिणामों की विवेचना –

इस उपभाग में महिलाओं की संचेतना को किसी एक सामाजिक, आर्थिक चर के परिप्रेक्ष्य जैसे परिवार का प्रकार जाति, शिक्षा, आय, व्यवसाय में विश्लेषित किया गया है। अतः यहाँ पर उत्तरदात्रियों के अनुभव एवं निरीक्षण के आधार पर प्राप्त उत्तरों से उन सैद्धान्तिक पक्षों की पुष्टी का प्रयास किया जा रहा है। तथ्यों के विश्लेषण के लिये आश्रित परिवृत्यों का सहारा लिया गया है। इन परिवृत्यों अथवा चर की संख्या सदैव स्थित दिखाई पड़ेगी। परन्तु स्वतंत्र चर जैसे संचेतना के कारण व्यवहार आदि की संख्या में अंतर दिखाई पड़ेगा। इस दृष्टि से स्वतंत्र एवं आश्रित परिवृत्यों के माध्यम से प्रस्तुत अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

महिलाओं की आयु एवं संचेतना (विकास की योजनाओं के प्रति संचेतना)–

व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण सामान्य रूप से आयु, लिंग तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है। प्रत्येक समाज में छोटी आयु के सदस्यों पर बड़ों की अपेक्षा कम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है और उनकी सामाजिक स्थिति भी निम्न होती है। आयु बढ़ने के साथ ही साथ उनकी सामाजिक मनोवृत्तियाँ तथा कार्य क्षमताओं का विकास होता है। देखा गया है कि कम आयु की महिलाओं की तुलना में अधिक आयु की महिलाओं में गम्भीर उत्तरदायित्व की भावना पायी जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति के अनुभव तथा सामाजिक विषयों के क्षेत्र में ज्ञान का भी संचय होता है। उससे भी व्यक्तित्व के कुछ विशिष्ट लक्षण विकसित हो जाते है। तथा आयु बढ़ने के साथ–साथ उसे समाज में नया पद भी प्राप्त होता है। जिसके प्रभाव से ज्ञान की वृद्धि होती है।

विश्लेषण के उद्देश्य से महिलाओं की उम्र को तीन आयु वर्ग के समूह में विभक्त किया गया है। 15–30, 30–45, 45 से अधिक तथा विकास की योजनाओं के प्रति संचेतना के स्तर को जानने के लिये दो संकेतों हाँ (1) नही (0) निर्धारित किये है।

सारिणी संख्या 4.1 उत्तरदात्रियों की आयु (विकास की योजनाओं के प्रति संचेतना)

संचेतना का स्तर	15–30	30–45	45 से अधिक	योग	माध्य
हाँ	179 (29.83%)	80 (13.33%)	–	259	83
नही	64 (10.66%)	208 (34.66%)	69 (11.5%)	341	113.66
योग	243	288	69	600	196.66

सारिणी संख्या 4.1 के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि जागरूकता पर उनकी उम्र का अधिक प्रभाव नही पड़ता है। 15–30 आयु वर्ग की 29.83 प्रतिशत, 30–45 आयु वर्ग की 13.33 प्रतिशत महिलायें विकास की योजनाओं के प्रति जागरूक है। जबकि 15–30 आयु की (10.66 प्रतिशत तथा 30 से 45 आयु वर्ग की 34.66 प्रतिशत एवं 45 से अधिक आयु वर्ग की 11.5% महिलायें जागरूक नही है)।

सारिणी सं. 4.2 उत्तरदात्रियों की आयु (महिला विकास से सम्बन्धित योजना सेलाभ)

संचेतना का स्तर	15–30	30–45	45 से अधिक	योग	माध्य
हाँ	164 (27.33)	54 (9%)	29 (4.83%)	247	82.33
नही	79 (13.16)	234 (39%)	40 (6.66%)	353	117.66
योग	243	288	69	600	190.66

सारिणी संख्या 4.2 के अवलोकन से स्पष्ट है। महिलाओं की जागरूकता पर उनकी उम्र का प्रभाव नही पड़ता है। 15 से 30 आयु वर्ग की महिलाओं में 27.33 प्रतिशत, 30–45 आयु वर्ग की 9 प्रतिशत एवं 45 से अधिक 4.83 प्रतिशत महिलायें विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रही है। क्रमशः 13.16 प्रतिशत महिलायें, 39 प्रतिशत एवं 6.66 प्रतिशत महिलायें विकास से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ नही ले रही है।

अतः अधिक उम्र की अपेक्षा कम उम्र की महिलाओं में संचेतना अधिक है। जिसके कारण के रूप में हम कह सकते है कि 15–30 आयु वर्ग की महिलाओं में विकास की योजनाओं के प्रति ज्यादा संचेतना है। क्योंकि शिक्षा के विकास, पश्चिमीकरण का प्रभाव, औद्योगीकरण, नगरीकरण के कारण दलित महिलाओं की भी मानसिकता बदली है। इसलिये वे अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। अतः अधिक उम्र की महिलाओं में सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में रुचि अधिक बढ़ जाती है।

सारिणी सं. 4.3 उत्तरदात्रियों की आयु (कानून एवं अधिनियम के प्रति संचेतना)

संचेतना का स्तर/आयु	15–30	30–45	45 से अधिक	योग	माध्य
हाँ	212 (35.33%)	267 (4.5%)	21 (3.5%)	260 (43.3%)	86.66
नही	31 (5.16%)	261 (43.5%)	48 (8%)	340 (56.6%)	113.33
योग	243	288	69	600	199.99

सारिणी सं0 – 4.4

उत्तरदात्रियों की आयु एवं बालिकाओं के शिक्षित होने की संचेतना

अतः सारिणी संख्या 4.3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 15–30 आयु वर्ग में की 35.33 प्रतिशत महिलायें एवं 30–45 आयु वर्ग की 4.5 प्रतिशत तथा 45 से अधिक आयु वर्ग की 3.5 प्रतिशत महिलायें अपने कल्याण से सम्बन्धित अधिकारों एवं अधिनियम के प्रति उनमें संचेतना हो तथा क्रमशः 15–30 आयु की महिलाओं में 5.16, 30–45 आयु की महिलाओं में 43.5% तथा 45 वर्ष की महिलाओं में .8% अपने कल्याण से सम्बन्धित अधिकारों एवं अधिनियमों के प्रति संचेतना नही है।

अतः 600 महिलाओं में से 260 (43.3%) महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। और 340 (56.6%) महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नही है।

सारिणी सं. 4.4

उत्तरदात्रियों की आयु एवं बालिकाओं के शिक्षित होने की संचेतना

संचेतना का स्तर/आयु	15–30	30–45	45 से अधिक	योग	माध्य
हाँ	243 (40.5%)	171 (28.5%)	11 (1.83%)	425	141.66
नही	–	117 (19.5%)	58 (9.66%)	175	58.33
योग	243	288	69	600	199.99

सारिणी संख्या 4.4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 15–30 वर्ष की महिलाओं की कुल संख्या 243 है। जिनमें पूरी ही महिलायें बालिकाओं को शिक्षित करने के पक्ष में हैं। और 30–45 वर्ष की महिलाओं की कुल संख्या 288 है। जिनमें 171 (28.5%) महिलायें बालिकाओं को शिक्षित करने के पक्ष में है। तथा 45 से अधिक वर्ष की महिला में 11 (1.83%) महिलायें बालिकाओं को शिक्षित करने के पक्ष में है। इसी प्रकार 15–30 वर्ष की महिलायें में बालिका के शिक्षित करने के पक्ष नही है। अतः सभी महिलायें बालिकाओं को शिक्षित करना चाहती है। और 30–45 वर्ष की महिलाओं में 117 (19.5%) महिलायें बालिकाओं को शिक्षित करने के पक्ष में नही है। इसी प्रकार 45 से अधिक वर्ष की महिलाओं में 58 (9.66%) महिलायें बालिकाओं को शिक्षित करने के पक्ष में नही है।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल 600 महिलाओं में से 425 (70.8%) महिलायें बालिकाओं को शिक्षित करना चाहती है। तथा 175 (29.16%) महिलायें, बालिकाओं को शिक्षित नही करना चाहती है।

सारिणी सं० – 4.5

उत्तरदात्रियों की आयु एवं बालिकाओं के विद्यालय भेजने के प्रति संचेतना

सारिणी सं. 4.5

उत्तरदात्रियों की आयु एवं बालिकाओं के विद्यालय भेजने के प्रति संचेतना

संचेतना का स्तर/आयु	15–30	30–45	45 से अधिक	योग	माध्य
हाँ	243 (40.5%)	99 (16.51%)	9 (1.5%)	351 (58.5)	117
नही	–	189 (31.5%)	60 (10%)	249 (41.5)	83
योग	243	288	69	600	200

सारिणी संख्या 4.5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है। 15–30 वर्ष की महिलाओं में 40.5% महिलायें बालिकाओं को विद्यालय भेजती है। 30–45 वर्ष की महिलाओं में 16.5% महिलायें बालिकाओं को विद्यालय भेजती है। इसी प्रकार 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में 1.5% महिलायें बालिकाओं को विद्यालय भेजती है।

इसी प्रकार 15–30 वर्ष की कोई भी महिलाओं के उत्तर प्राप्त नही हुये। 30–45 वर्ष की महिलाओं में 31.5% महिलायें बालिकाओं को विद्यालय नही भेजती है। तथा 45 वर्ष से अधिक महिलायें बालिकाओं को विद्यालय नही भेजती है।

अतः निष्कर्ष निकलता है कि 600 महिलाओं में से 35.1 (58.5%) महिलायें बालिकाओं को विद्यालय भेजती है। तथा 249 (41.5%) महिलायें बालिकाओं को विद्यालय नही भेजती है।

सारिणी सं. 4.6

उत्तरदात्रियों की आयु एवं महिलाओं एवं बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिये सरकार द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को लाभ के प्रति संचेतना

संचेतना का स्तर/आयु	15–30	30–45	45 से अधिक	योग	माध्य
हाँ	243 (40.5%)	180 (30%)	–	423 (70.5%)	141
नही	–	108 (16%)	69 (11.5%)	177 (29.5%)	59
योग	243	288	69	600	200

सारिणी संख्या 4.6 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 15–30 वर्ष की महिलाओं में 40.5% महिलायें, 30–45 वर्ष की महिलाओं में 30% महिलायें, सरकार द्वारा निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लाभ को उठाना चाहती है। तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं से किसी भी प्रकार के उत्तर प्राप्त नही हुये।

इसी प्रकार 15–30 वर्ष की महिलाओं के उत्तर प्राप्त नही है और 30–45 वर्ष की महिलाओं में 16%, 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में 11.5% महिलायें सरकार द्वारा निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लाभ को नही उठाना चाहती है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि 600 महिलाओं में 423 (70.5%) महिलायें सरकार द्वारा निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लाभ को उठाना चाहती है। तथा 177 (29.5%) महिलायें सरकार द्वारा निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लाभ को नही उठाना चाहती है।

सारिणी सं. 4.7

उत्तरदात्रियों की आयु एवं महिलाओं व बालिकाओं के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार द्वारा योजनाओं के प्रति जानकारी

संचेतना का स्तर/आयु	15–30	30–45	45 से अधिक	योग	माध्य
हाँ	230 (38.33%)	45 (7.5%)	–	275 (45.83%)	91.6
नही	13 (2.16%)	243 (40.5%)	69 (11.5%)	325 (54.16%)	108.3
योग	243	288	69	600	199.9

सारिणी संख्या 4.7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 15–30 वर्ष की महिलाओं में 38.33% महिलायें, 30–45 वर्ष की महिलाओं में 7.5% महिलाओं को सरकार द्वारा शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये योजनाओं की जानकारी है। तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के उत्तर प्राप्त नही है।

इसी प्रकार 15–30 वर्ष की महिलाओं में 2.66%, 30–45 वर्ष की महिलाओं में 40.5% तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में 11.5% महिलाओं को सरकार द्वारा शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये योजनाओं की जानकारी नही है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल 600 महिलाओं में से 275 (45.83%) महिलाओं को योजनाओं की जानकारी है। तथा 325 (54.16%) महिलाओं को सरकार द्वारा शैक्षिक स्तर ऊँचा उठाने के लिये योजनाओं की जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.8

उत्तरदात्रियों की आयु एवं सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं से लाभ

संचेतना का स्तर/आयु	15–30	30–45	45 से अधिक	योग	माध्य
हाँ	243 (40.5%)	171 (28.5%)	–	414 (69%)	138
नही	–	117 (19.5%)	69 (11.5%)	186 (31%)	69
योग	243	288	69	600	200

सारिणी संख्या 4.8 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 15–30 वर्ष की महिलाओं में 40.5% महिलायें, 30–45 वर्ष की महिलाओं में 28.5% महिलायें सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं का लाभ उठा रही है तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के उत्तर प्राप्त नही हुये।

इसी प्रकार 15–30 वर्ष की महिलाओं के उत्तर प्राप्त नही है। जो योजनाओं का लाभ नही उठा रही है। 30–45 वर्ष की महिलाओं में 19.5%, 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में 11.5% महिलायें सरकारी योजनाओं का लाभ नही उठा रही है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल 600 महिलाओं में से 414 (69%) महिलायें योजनाओं का लाभ उठा रही है। तथा 186 (31%) महिलायें सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं का लाभ नही उठा रही है।

इस प्रकार विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिक उम्र की तुलना में कम उम्र की महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति संचेतना अधिक है, तथा 30 से 45 वर्ष की आयु के लोगों में भी ज्यादा संचेतना है, क्योंकि इनको अपने अधिकारों को जानने में ज्यादा रुचि होती है। आज शिक्षा के विकास, पश्चिमीकरण का प्रभाव, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की वजह से मानसिकता बदल रही है। अधिक उम्र की महिलाओं में सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में रुचि अधिक बढ़ जाती है। तथा उनमें परम्परायें एवं रूढ़िवादिता अधिक होने के कारण उनमें संचेतना कम पायी जाती है।

जातीय स्तर एवं संचेतना –

दलित महिलाओं में संचेतना से सम्बन्धित विभिन्नतायें महिलाओं में जातीय स्तर से भी प्रभावित होती है। इसका विश्लेषण भी यहाँ पर किया गया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था

सारिणी सं0 – 4.9

उत्तरदात्रियों की जाति एवं महिलाओं के विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित सरकार द्वारा नियोजित योजनाओं के प्रति संचेतना

संस्मरणात्मक जाति व्यवस्था के आधार पर स्तरीकृत है। इसमें ऊँच नीच के सम्बन्ध पाये जाते है। और सभी समूह एवं सम्प्रदाय इस व्यवस्था से प्रभावित है। अनेक समाज वैज्ञानिकों का विचार है कि उच्च्य जातीय स्तर के लोगों में निम्न जातीय स्तर के लोगों की अपेक्षा अधिक जागरूकता है। जातीय स्तर का संचेतना से विपरीत सम्बन्ध होता है।

महिलाओं की संचेतना उनमें जातीय स्तर से किस प्रकार प्रभावित होती इसका विवरण निम्न सारिणी में प्रस्तुत है। विश्लेषण के उद्देश्य से अध्ययन से सम्बन्धित नगरीय समुदाय के अन्तर्गत आने वाली सभी जातियों को भारतीय संस्तरणात्मक क्रम के अनुरूप तीन श्रेणियों में विभक्ति किया गया है – उच्च, पिछड़ी, अनुसूचित तथा दलित जातियों के अनुसार पिछड़ी, अनुसूचित, अनुसूचित जनजातियाँ है। किन्तु नगर में अनुसूचित जनजातियाँ न के बराबर है। अतः अध्ययन के अनुसार दो वर्गों में है।

(क) पिछड़ी

(ख) अनुसूचित

सारिणी सं. 4.9

उत्तरदात्रियों की जाति एवं महिलाओं के विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित सरकार द्वारा नियोजित योजनाओं के प्रति संचेतना

जाति	अनुसूचित	पिछड़ी	योग	माध्य
हाँ	243 (40.5%)	40 (6.66%)	283	141.5
नही	168 (28%)	149 (24.83%)	317	158.5
योग	411	189	600	300.0

सारिणी संख्या 4.1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति की 40.5 प्रतिशत महिलायें एवं पिछड़ी जाति की 6.66 प्रतिशत महिलाओं में विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित सरकार द्वारा नियोजित योजनाओं के प्रति जागरूकता है।

तथा 28 प्रतिशत महिलायें अनुसूचित जाति तथा 24.83 प्रतिशत पिछड़ी जाति की महिलाओं में विकास व कल्याण से सम्बन्धित सरकार द्वारा नियोजित योजनाओं के प्रति जागरूकता नही है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल 600 महिलाओं में से 283 (47.25%) महिलाओं में सरकार द्वारा नियोजित योजनाओं के प्रति जागरूकता है। तथा 317 (52.53%) महिलाओं में

विकास व कल्याण से सम्बन्धित सरकार द्वारा नियोजित योजनाओं के प्रति जागरूक नही है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं में जागरूकता अधिक एवं पिछड़ी जाति में कम है।

सारिणी सं. 4.10

उत्तरदात्रियों की जाति एवं महिला विकास से सम्बन्धित योजनाओं से लाभ

जाति	अनुसूचित	पिछड़ी	योग	माध्य
हाँ	297 (47.5%)	–	297	148.5
नही	114 (19%)	189 (31.5%)	303	151.5
योग	411	189	600	300.0

सारिणी संख्या 4.10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 47.5 प्रतिशत महिलायें अनुसूचित जाति की महिला एवं विकास से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ मिलता है। तथा पिछड़ी जाति की महिलाओं में कोई उत्तर नही मिला।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति की 19 प्रतिशत महिलायें है। जिनको महिला एवं विकास से सम्बन्धित योजनाओं से लाभ नही मिलता है। अतः स्पष्ट है कि 600 महिलाओं में 297 महिलायें जागरूक है तथा 303 में जागरूकता नही है।

सारिणी सं. 4.11

उत्तरदात्रियों की जाति एवं महिलाओं के विकास से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जनकारी

जाति	अनुसूचित	पिछड़ी	योग	माध्य
हाँ	273 (45.5%)	–	273	136.5
नही	138 (23%)	189 (31%)	327	163.5
योग	411	189	600	300.0

सारिणी संख्या 4.11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति की 45.5 प्रतिशत महिलाओं को विकास से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जानकारी है एवं पिछड़ी जाति के उत्तरदात्रियों के कोई उत्तर नही प्राप्त हुये।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति की 23 प्रतिशत महिलाओं को एवं पिछड़ी जाति की 31 प्रतिशत महिलाओं को विकास से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जानकारी नही है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि 600 महिलाओं में 273 महिलाओं को विकास एवं कलयाण से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जानकारी है एवं 327 महिलाओं को विकास एवं

कल्याण से सम्बन्धित कानून की जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.12

जाति एवं बालिकाओं को शिक्षित करने की जानकारी

जाति	अनुसूचित	पिछड़ी	योग	माध्य
हाँ	411 (68.5%)	3 (.05%)	414	207
नही	—	186 (31%)	186	93
योग	411	189	600	300

सारिणी संख्या 4.12 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति की 68.5 प्रतिशत महिलायें बालिकाओं को शिक्षित करना चाहती है। इसी प्रकार पिछड़ी जाति की .05% महिलायें बालिकाओं को शिक्षित करना चाहती है।

इसी प्रकार पिछड़ी जाति की 31 प्रतिशत महिलायें बालिकाओं को शिक्षित नही करना चाहती है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में कोई उत्तर नही मिला।

अतः स्पष्ट है कि 600 उत्तरदात्रियों में 414 महिलायें बालिकाओं को शिक्षित करना चाहती है एवं 186 महिलायें बालिकाओं को शिक्षित नही करना चाहती है। परन्तु इन महिलाओं में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता तो है। परन्तु इनका आर्थिक स्तर उच्च न होने के कारण ये बालिकाओं को अधिक शिक्षित नही कर पाती। परन्तु शिक्षा दिलाने में चाह रखती है।

सारिणी सं. 4.13

उत्तरदात्रियों की आयु एवं बालिकाओं में शिक्षा हेतु विद्यालय भेजना के प्रति संचेतना

जाति	अनुसूचित	पिछड़ी	योग	माध्य
हाँ	342 (57%)	109 (18.16%)	451	141.5
नही	169 (11.5%)	180 (13.33%)	149	158.5
योग	411	189	600	300

सारिणी संख्या 4.13 में सभी उत्तरदात्रियों की जाति एवं बालिकाओं को शिक्षा हेतु विद्यालय भेजने के प्रति संचेतना का अध्ययन किया गया। जिसमें से 57 प्रतिशत अनुसूचित जाति की तथा 18.16 प्रतिशत पिछड़ी जाति की महिलायें अपनी बालिकाओं को स्कूल भेजती है।

इसी प्रकार 11.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति की तथा 13.33 प्रतिशत पिछड़ी जाति की महिलायें अपनी बालिकाओं को शिक्षा हेतु विद्यालय नही भेजती है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट हे कि 600 महिलाओं में से 451 महिलायें अपनी बालिकाओं

सारिणी सं० – 4.15

जाति एवं शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी

के शिक्षा हेतु स्कूल भेजती है। तथा 149 महिलायें अपनी बालिका को शिक्षा हेतु विद्यालय नही भेजती है। क्योंकि ज्यादातर महिलायें, बालिकाओं से घर के कामों में हाथ बढ़ाती है। उनमें शिक्षा का न्यून प्रसार होने के कारण वे उनको स्कूल नही भेजती है।

सारिणी सं. 4.14

जाति एवं सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रति संचेतना

जाति	अनुसूचित	पिछड़ी	योग	माध्य
हाँ	396 (66%)	21 (3.5%)	417	208.5
नही	15 (2.5%)	168 (28%)	183	91.5
योग	411	189	600	300

सारिणी संख्या 4.14 में सभी उत्तरदात्रियों की जाति एवं सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रति संचेतना का आंकलन किया गया है। जिसमें से 66 प्रतिशत महिलायें अनुसूचित जाति की तथा 21 प्रतिशत महिलायें पिछड़ी जाति की सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेना चाहती है।

इसी प्रकार 2.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति की तथा 28 प्रतिशत पिछड़ी जाति की महिलायें सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेना चाहती है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि 600 महिलाओं में 417 महिलायें निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेना चाहती है। तथा 183 महिलायें लाभ नही लेना चाहती है।

सारिणी सं. 4.15

जाति एवं शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी

जाति	अनुसूचित	पिछड़ी	योग	माध्य
हाँ	288 (48%)	23 (3.83%)	311	155.3
नही	123 (20.5%)	166 (27.66%)	289	144.5
योग	411	189	600	300

सारिणी संख्या 4.15 में समस्त उत्तरदात्रियों की जाति एवं शैक्षिक स्तर को ऊँचा

उठाने के लिये सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी का आंकलन किया गया है। जिसमें से 48 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं को तथा 3.83 प्रतिशत पिछड़ी जाति की महिलाओं को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी है।

इसी प्रकार 20.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति की तथा 27.66 प्रतिशत पिछड़ी जाति की महिलाओं के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी नही है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 311 महिलाओं को जानकारी है तथा 289 महिलाओं को जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.16

जाति एवं योजनाओं से लाभ

जाति	अनुसूचित	पिछड़ी	योग	माध्य
हाँ	411 (68.5%)	3 (0.5%)	414	33.19
नही	–	186 (31%)	186	58.59
योग	411	189	600	91.78

सारिणी संख्या 4.16 में समस्त उत्तरदात्रियों की जाति एवं विभिन्न योजनाओं से लाभ का आंकलन किया गया है। जिसमें से 68 प्रतिशत अनुसूचित जाति की तथा 0.5 प्रतिशत पिछड़ी जाति की महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से लाभ मिलता है।

तथा इसी प्रकार 31 प्रतिशत पिछड़ी जाति की महिलाओं को इन योजनाओं से लाभ नही मिलता है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि 414 महिलाओं को योजनाओं से लाभ मिलता है। तथा 186 महिलाओं को लाभ नही मिलता है। तथा महिलाओं की संचेतना पर जातीय स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि अधिकांश उच्च जातीय स्तर का सम्बन्ध उच्च सामाजिक आर्थिक स्थित से होता है। इस कारण उनमें अधिक संचेतना होती है तथा जातीय स्तर के लोगों में निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर होने के कारण इनमें अशिक्षा, अंधविश्वास, अज्ञानता, परम्परायें रूढ़िवादिता तथा भाग्यवादिता की मान्यताओं के कारण इनमें संचेतना कम पायी जाती है।

महिलाओं का व्यवसाय एवं संचेतना –

संचेतना विभिन्नताओं को महिलाओं के व्यवसाय के आधार पर भी विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। व्यवसाय का सम्बन्धु मुख्य रूप से व्यक्ति की आर्थिक दशा से होता है। किसी भी परिवार का अस्तित्व उस परिवार की आय पर आश्रित होता है। वर्तमान समय में पुरुषों के समान महिलायें भी विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक कार्यों में संलग्न है। तथा पति के साथ–साथ मातायें भी पारिवारिक आय को बढ़ाने में सहयोग कर रही है। महानगरीय समुदायों की अपेक्षा पिछड़े हुये शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में आत्मनिर्भरता कम है। फिर भी इन समुदायों में दलित महिलायें स्वावलम्बन हेतु आगे बढ़ रही है।

यहाँ पर महिलाओं का व्यवसाय उनकी जागरूकता को किस प्रकार प्रभावित करता है। इस तथ्य का विश्लेषण करने की योजना है। अतः महिलाओं के व्यवसायिक स्तर को 5 श्रेणियों में विभक्त किया है – निजी व्यवसाय, कृषि, नौकरी, श्रमिक, गृहणी संकलित आँकड़ों का विवरण सारिणी 4.1 में प्रस्तुत है।

सारिणी सं. 4.17

उत्तरदात्रियों का व्यवसाय एवं विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं कीजानकारी

व्यवसाय	व्यापार	नौकरी	श्रमिक	गृहणी	योग	माध्य
हाँ	72 (12%)	96 (16%)	75 (12.5%)	–	243	60.75
नही	–	–	216 (38%)	141 (23.5%)	357	89.25
योग	72	96	291	141	600	150

सारिणी संख्या 4.17 में समस्त उत्तरदात्रियों के व्यवसायं एवं विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी का आंकलन किया गया है। जिसमें से 12 प्रतिशत व्यापार, 16 प्रतिशत महिलायें नौकरी एवं 12.5 प्रतिशत महिलायें श्रमिक है। जिनको विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी है।

इसी प्रकार 38 प्रतिशत महिलायें श्रमिक एवं 23.5 प्रतिशत महिलायें गृहणी है। जिनको विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी नही है। तथा व्यापार एवं नौकरी से सम्बन्धित उत्तरदात्रियों में कोई उत्तर प्राप्त नही हुये।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि 600 महिलाओं में से 243 महिलाओं को विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी है। तथा 357 महिलाओं की जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.18

व्यवसाय एवं उत्तरदात्रियों के महिला विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं से लाभ

व्यवसाय	व्यापार	नौकरी	श्रमिक	गृहणी	योग	माध्य
हाँ	53(8.83%)	74(12.3%)	129 (21.5%)	25 (4.66%)	281	70.25
नही	19(3.16%)	22(3.66%)	162 (27%)	116 (19.33%)	319	79.75
योग	72	96	291	141	600	150

सारिणी संख्या 4.18 में समस्त उत्तरदात्रियों के व्यवसाय एवं महिला एवं विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं से लाभ का आंकलन किया गया है। जिसमें से 8.83 प्रतिशत महिलायें व्यापार, 12.33 प्रतिशत महिलायें नौकरी 21.5 प्रतिशत महिलायें श्रमिक, तथा 4.66 प्रतिशत महिलायें गृहणी है। जिनको लगातार महिला विकास से सम्बन्धित योजनाओं से लाभ मिलेगा।

इसी प्रकार 3.16 प्रतिशत महिलायें व्यापार, 3.66 प्रतिशत महिलायें नौकरी, 27 प्रतिशत महिलायें श्रमिक, 19.33% प्रतिशत महिलायें गृहणी है। जिनको लगता है कि महिला विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं से लाभ नही मिलेगा।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि 600 उत्तरदात्रियों में से 281 यह मानती है कि उनको महिला विकास से सम्बन्धित योजनाओं से लाभ मिलेगा तथा 319 महिलायें यह मानती है कि विकास से सम्बन्धित योजनाओं से लाभ नही मिलेगा।

सारिणी सं. 4.19

उत्तरदात्रियों का व्यवसाय एवं महिला विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जानकारी

व्यवसाय	व्यापार	नौकरी	श्रमिक	गृहणी	योग	माध्य
हाँ	41(6.83%)	44(7.33%)	94 (16.5%)	39 (6.5%)	223	56.75
नही	31(5.16%)	52(8.66%)	92 (15.33%)	102 (17%)	377	94.25
योग	72	96	291	141	600	150

सारिणी संख्या 4.19 में समस्त उत्तरदात्रियों के व्यवसाय एवं महिला विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जानकारी का आंकलन किया गया है। जिसमें से 6.83 प्रतिशत महिलायें व्यापार तथा 7.33 प्रतिशत महिलायें नौकरी एवं 16.5 प्रतिशत महिलायें श्रमिक एवं 6.5 प्रतिशत महिलायें गृहणी है। जिनको महिलाओं के विकास एवं कल्याण से

सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जानकारी है।

इसी प्रकार 5.16 प्रतिशत महिलायें व्यापार तथा 8.66 प्रतिशत महिलायें नौकरी एवं 15.33 प्रतिशत महिलायें श्रमिक तथा 17 प्रतिशत महिलायें गृहणी है। जिनको महिलाओं के विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जानकारी नही है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि 600 उत्तरदात्रियों से 223 महिलाओं को कानून एवं अधिनियम की जानकारी है। तथा 377 महिलाओं को कानून एवं अधिनियम की जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.20

उत्तरदात्रियों के व्यवसाय एवं बालिकाओं को शिक्षित करने पर जानकारी

व्यवसाय	व्यापार	नौकरी	श्रमिक	गृहणी	योग	माध्य
हाँ	50(8.33%)	47(7.83%)	45 (7.5%)	28 (41.66%)	414	103.5
नही	22(3.66%)	49(8.16%)	246 (41%)	113 (22.16%)	183	45.75
योग	72	96	291	141	600	149.25

सारिणी संख्या 4.20 में उत्तरदात्रियों के व्यवसाय एवं बालिकाओं को शिक्षित करने पर जानकारी का आंकलन किया गया है। जिसमें से 8.33 प्रतिशत महिलायें व्यापार तथा 7.83 प्रतिशत महिलायें नौकरी एवं 7.5 प्रतिशत महिलायें श्रमिक तथा 4.66 प्रतिशत महिलायें ग्रहणी है। जो कि अपनी बालिकाओं को शिक्षित करना चाहती है।

इसी प्रकार 3.66 प्रतिशत महिलायें व्यापार तथा 8.16 प्रतिशत महिलायें नौकरी एवं 41 प्रतिशत महिलायें श्रमिक एवं 22.16 प्रतिशत महिलायें गृहणी है जो अपनी बालिकाओं को शिक्षित नही करना चाहती है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि 600 महिलाओं में 414 महिलायें अपनी बालिकाओं को शिक्षित करना चाहती है। तथा 183 महिलायें शिक्षित नही करना चाहती है।

सारिणी सं. 4.21

उत्तरदात्रियों का व्यवसाय एवं बालिका को शिक्षा हेतु स्कूल भेजने के प्रति दृष्टिकोण

व्यवसाय	व्यापार	नौकरी	श्रमिक	गृहणी	योग	माध्य
हाँ	72(12%)	81(13.5%)	174 (29%)	22 (3.66%)	349	87.25
नही	–	15(2.5%)	117 (19.5%)	119 (19.83%)	251	62.75
योग	72	96	291	141	600	150

सारिणी संख्या 4.21 में समस्त उत्तरदात्रियों का व्यवसाय एवं बालिका को शिक्षा हेतु स्कूल भेजने के सम्बन्ध में आंकलन किया गया है। जिसमें से 12 प्रतिशत महिलायें व्यापार, 13% प्रतिशत नौकरी, तथा 29 प्रतिशत श्रमिक एवं 3.66 प्रतिशत महिलायें गृहणी है। जो अपनी बालिकाओं की शिक्षा हेतु स्कूल भेजती है।

इसी प्रकार 2.5 प्रतिशत महिलायें नौकरी तथा 19.5 प्रतिशत महिलायें श्रमिक एवं 19. 83 प्रतिशत महिलायें गृहणी है। जो अपनी बालिकाओं को स्कूल नही भेजती है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 349 महिलायें बालिकाओं को स्कूल भेजती है। तथा 251 महिलायें अपनी बालिकाओं को स्कूल नही भेजती है। क्योंकि दलित महिलाओं में कुछ–कुछ आज भी व्याप्त रूढ़ियों के कारण उनमें शिक्षा का प्रसार प्रचार कम होने के कारण अपनी बालिकाओं को स्कूल भेजना नही चाहती। परन्तु ज्यादातर महिलाओं में अब शिक्षा के प्रति संचेतना होने के कारण वे अपनी बालिकाओं को स्कूल भेजती है।

सारिणी सं. 4.22

उत्तरदात्रियों का व्यवसाय एवं निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेना

व्यवसाय	व्यापार	नौकरी	श्रमिक	गृहणी	योग	माध्य
हाँ	43(7.16%)	68(11.3%)	285 (47.5%)	12 (2%)	408	102
नही	29(4.83%)	28(4.66%)	6 (1%)	129 (21.5%)	192	48
योग	72	96	291	141	600	150

सारिणी संख्या 4.22 में समस्त उत्तरदात्रियों के व्यवसाय एवं निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लाभ का आंकलन किया गया है।

जिसमें से 7.16 प्रतिशत महिलायें व्यापार, 11.33 प्रतिशत महिलायें नौकरी, 47.5 प्रतिशत महिलायें श्रमिक एवं 2 प्रतिशत महिलायें गृहणी है। जो अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का लाभ लेना चाहती है।

इसी प्रकार 4.83 प्रतिशत महिलायें व्यापार, 4.66 प्रतिशत व महिलायें नौकरी, 1 प्रतिशत महिलायें श्रमिक तथा 21.5 प्रतिशत महिलायें गृहणी है। जो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ नही लेना चाहती है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि 600 महिलाओं में से 408 महिलायें निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेना चाहती है। तथा 192 महिलायें निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ

सारिणी सं0 – 4.24

उत्तरदात्रियों का व्यवसाय एवं योजनाओं का लाभ

नही लेना चाहती है। क्योंकि इन महिलाओं में इन योजनाओं के प्रति जागरूकता नही है अशिक्षित होने के कारण।

सारिणी सं. 4.23

उत्तरदात्रियों का व्यवसाय एवं शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी

व्यवसाय	व्यापार	नौकरी	श्रमिक	गृहणी	योग	माध्य
हाँ	64(10.6%)	51(8.5%)	120 (20%)	25 (4.1%)	260	65
नही	8(1.33%)	45(7.5%)	171 (28.5%)	116 (19.33%)	340	85
योग	72	96	291	141	600	150

सारिणी संख्या 4.23 में समस्त उत्तरदात्रियों का व्यवसायिक एवं शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी का आंकलन किया गया है।

जिसमें से 10.66 प्रतिशत महिलायें व्यवसाय तथा 8.5 प्रतिशत महिलायें नौकरी एवं 20 प्रतिशत महिलायें श्रमिक है एवं 4.11 प्रतिशत महिलायें गृहणी है। जिनको महिला एवं बालिकाओं के विकास के लिये शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी है।

तथा 1.33 प्रतिशत महिलायें व्यापार तथा 7.5 प्रतिशत महिलायें नौकरी एवं 28.5 प्रतिशत महिलायें श्रमिक एवं 19.33 प्रतिशत महिलायें गृहणी है। जिनको महिलाओं एवं बालिकाओं के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.24

उत्तरदात्रियों का व्यवसाय एवं योजनाओं का लाभ

व्यवसाय	व्यापार	नौकरी	श्रमिक	गृहणी	योग	माध्य
हाँ	54(9%)	96(16%)	246 (41%)	–	396	99
नही	18(3%)	–	45 (7.5%)	141 (23.5%)	204	51
योग	72	96	291	141	600	150

सारिणी संख्या 4.24 में इस तथ्य की पुष्टि होती है। उनका व्यवसाय उनकी संचेतना को प्रभावित करता है। निजी व्यवसाय करने वाली महिलाओं में से 9 प्रतिशत योजनाओं का लाभ मिलता है। तथा 3 प्रतिशत महिलाओं को लाभ नही मिलता है। तथा नौकरी करने वाली सिर्फ

16 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिलता है। तथा 41 प्रतिशत महिलायें श्रमिक है। उनको लाभा मिलता है। तथा 7.5 श्रमिक महिलाओं को लाभ नही मिलता है। गृहणी सिर्फ 23 प्रतिशत है। जिनको योजनाओं का लाभ नही मिलता।

अतः महिलाओं में व्यवसाय का उनकी संचेतना पर पड़ने वाले प्रभाव का मुख्य कारण है कि व्यवसाय व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। अतः जो महिलायें स्वावलम्बी है वे आज के युग की प्रगतिशील विचारधारा को समझती है तथा अपने संवैधानिक अधिकारों के विषय में जानती है। जो महिला गृहणी है तथा श्रमिक एवं पति एवं परिवार पर आश्रित हैं वे अपने विवेक से निर्णय लेने से डरती है। साथ ही उनमें संचेतना की कमी पायी जाती है।

उत्तरदात्रियों के पति का व्यवसाय –

क्या महिलाओं के पति का व्यवसाय भी उनकी संचेतना को प्रभावित करता है ? यहाँ पर इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। सामान्यतः सभी परिवारों में आर्थिक आय का स्रोत पति का व्यवसाय ही होता है। पति ही परिवार का मुखिया कर्ता–धर्ता है। उसके निर्णय ही परिवार के लिये मुख्य होते है। महिलाओं की संचेतना उसके पति के व्यवसाय से कहाँ तक प्रभावित होती है। सम्बन्धित तथ्य विभिन्न सारणी में प्रस्तुत है।

सारिणी सं. 4.25

उत्तरदात्रियों के पति का व्यवसाय एवं योजनाओं की जानकारी

व्यवसाय/ योजनायें	नौकरी	श्रमिक	व्यवसाय	योग	माध्य
हाँ	99 (16.5%)	52 (8.66%)	63 (10.5%)	244	81.33
नही	72 (12%)	218 (36.33%)	96 (16%)	386	128.66
योग	171	270	159	600	209.99

सारिणी संख्या 4.25 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 16.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति नौकरी करते है। जिनको इन योजनाओं की जानकारी है तथा 12 प्रतिशत पतियों को इनकी जानकारी नही है। इसी प्रकार 8.66 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति श्रमिक है। जिनको योजनाओं की जानकारी है तथा 36.33 प्रतिशत को इनकी जानकारी नही है तथा 10.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति व्यवसायरत है। जिनको इन योजनाओं की जानकारी है तथा 16 प्रतिशत व्यवसायरत लोगों को जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.6

उत्तरदात्रियों के पति का व्यवसाय एवं विभिन्न योजनाओं से लाभ

व्यवसाय / योजनायें	नौकरी	श्रमिक	व्यवसाय	योग	माध्य
हाँ	89 (14.83%)	73 (12.16%)	47 (7.83%)	209	69.66
नही	82 (13.66%)	197 (32.83%)	112 (18.66%)	391	130.33
योग	171	270	159	600	199.99

सारिणी संख्या 4.26 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 14.83 प्रतिशत महिलाओं के पति नौकरी करते है। जिनको लगता है कि उन्हें इन योजनाओं से लाभ मिलेगा। 13.66 प्रतिशत पतियों को लगता है कि उन्हें इस योजनाओं से लाभ नही मिलेगा। तथा 12.16 प्रतिशत महिलाओं के पति श्रमिक है। जिनको लगता है कि उन्हें इस योजनाओं से लाभ मिलेगा तथा 32.83 प्रतिशत श्रमिक पतियों को लगता है कि लाभ नही मिलेगा।

इसी प्रकार 7.83 प्रतिशत महिलाओं के पति व्यवसायरत है। जिनको लगता है कि उन्हें योजनाओं से लाभ मिलेगा तथा 18.66 प्रतिशत पतियों को लगता है कि उन्हें लाभ नही मिलेगा।

सारिणी सं. 4.27

उत्तरदात्रियों के पति का व्यवसाय एवं कानून एवं अधिनियम की जानकारी

व्यवसाय / कानून एवं अधि. की जानकारी	नौकरी	श्रमिक	व्यापार	योग	माध्य
हाँ	69 (11.5%)	38 (6.33%)	23 (3.83%)	130	43.33
नही	102 (17%)	232 (38.6%)	136 (22.6%)	470	156.66
योग	171	270	159	600	199.99

सारिणी संख्या 4.27 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 11.5 प्रतिशत महिलाओं के पति नौकरी करते है। जिनको कानून एवं अधिनियम की जानकारी है तथा 17 प्रतिशत को इनकी जानकारी नही है। इसी प्रकार 6.33 प्रतिशत महिलाओं के पति श्रमिक है। जिनको विभिन्न कानून एवं अधिनियम की जानकारी है तथा 38.6 प्रतिशत पतियों को इसकी जानकारी नही है। तथा

3.83 प्रतिशत महिलाओं के पति व्यापार है। जिनको विभिन्न कानून एवं अधिनियम की जानकारी है तथा 22.6 प्रतिशत महिलाओं के पतियों को विभिन्न कानून एवं अधिनियम की जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.28

उत्तरदात्रियों का व्यवसाय एवं बालिकाओं को शिक्षित करने की जानकारी

व्यवसाय	नौकरी	श्रमिक	व्यापार	योग	माध्य
हाँ	142 (26.6%)	96 (16%)	63 (10.5%)	301	100.33
नही	29 (4.83%)	174 (29%)	96 (16%)	299	99.66
योग	171	270	159	600	199.99

सारिणी संख्या 4.28 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 26.6 प्रतिशत महिलाओं के पति नौकरी करते है। जो यह मानते है कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाना चाहिये तथा 4.83 प्रतिशत यह मानते है कि उनको शिक्षित नही किया जाना चाहिये। तथा 16 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति श्रमिक है। जो यह मानते है कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाना चाहिये तथा 29 प्रतिशत यह मानते है कि बालिकाओं को शिक्षित नही किया जाना चाहिये। इसी प्रकार 10.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति व्यापार करते है। जो यह मानते है कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाना चाहिये। तथा 16 प्रतिशत यह मानते है कि बालिकाओं को शिक्षित नही किया जाना चाहिये।

सारिणी सं. 4.29

उत्तरदात्रियों के पति का व्यवसाय एवं बालिकाओं को शिक्षा हेतु विद्यालय भेजना

व्यवसाय	नौकरी	श्रमिक	व्यापार	योग	माध्य
हाँ	139 (23.16%)	87 (14.5%)	77 (12.83%)	303	101
नही	32 (5.33%)	183 (30.5%)	82 (13.6%)	297	99
योग	171	270	159	600	200

सारिणी संख्या 4.29 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 23.16 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति नौकरी करते है। जिनकी बालिकायें शिक्षा हेतु स्कूल जाती है तथा 5.33% बालिकायें शिक्षा हेतु स्कूल नही जाती है। इसी प्रकार 14.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति श्रमिक है। जिनकी बालिकायें शिक्षा हेतु स्कूल जाती है तथा 30.5 प्रतिशत की बालिकायें स्कूल नही जाती है तथा 12.83 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति व्यापार करते है। जिनकी बालिकायें शिक्षा हेतु स्कूल जाती

है तथा 13.6 प्रतिशत की बालिकायें स्कूल नही जाती है।

सारिणी सं. 4.30

उत्तरदात्रियों के पति का व्यवसाय एवं शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की योजनाओं की जानकारी

व्यवसाय	नौकरी	श्रमिक	व्यापार	योग	माध्य
हाँ	103 (17.16%)	157 (26.16%)	99 (16.5%)	359	119.66
नही	68 (11.3%)	113 (18.33%)	60 (10%)	241	80.33
योग	171	270	159	600	199.99

सारिणी संख्या 4.30 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 17.16 प्रतिशत महिलाओं के पति नौकरी करते है। जिनको शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेना चाहते है तथा 11.39 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति लाभ लेना नही चाहते है। इसी प्रकार 26.16 प्रति महिलाओं के पति श्रमिक है। जो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ उठाना चाहते है तथा 18.33 प्रतिशत लाभ लेना नही चाहते है। इसी प्रकार 16.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति जो व्यापार करते है वे निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेना चाहते है तथा 16 प्रतिशत लाभ लेना नही चाहते है।

सारिणी सं. 4.31

उत्तरदात्रियों के पतियों का व्यवसाय एवं शैक्षिक योजनाओं की जानकारी

व्यवसाय	नौकरी	श्रमिक	व्यापार	योग	माध्य
हाँ	79 (13.16%)	36 (6%)	49 (8.16%)	164	54.66
नही	92 (15.33%)	234 (35%)	110 (18.3%)	436	145.33
योग	171	270	159	600	199.99

सारिणी संख्या 4.31 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 13.16 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति नौकरी करते है। जिनको शैक्षिक योजनाओं की जानकारी है तथा 15.33 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति नौकरी करते है। जिनको इनकी जानकारी नही है। तथा 6 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति श्रमिक है। जिनको शैक्षिक योजनाओं की जानकारी है तथा 35 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पतियों को शैक्षिक योजनाओं की जानकारी नही है तथा 8.16 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति व्यापार करते है। जिनको शैक्षिक योजनाओं की जानकारी है तथा 18.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पतियों को इन योजनाओं की जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.32

उत्तरदात्रियों का व्यवसाय एवं योजनाओं से लाभ

व्यवसाय	नौकरी	श्रमिक	व्यापार	योग	माध्य
हाँ	64 (10.66%)	113 (18.83%)	61 (10.16%)	338	70.33
नही	107 (17.83%)	157 (26.10%)	98 (9.66%)	362	120.66
योग	171	270	159	600	199.99

सारिणी संख्या 4.32 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 10.66 प्रतिशत महिलाओं के पति नौकरी करते है। जिनको इन विभिन्न योजनाओं से लाभ मिलता है तथा 17.83 प्रतिशत को इन योजनाओं से लाभ नही है। तथा इसी प्रकार 18.83 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति श्रमिक है। जिनको इन योजनाओं से लाभ है। तथा 26.10 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पतियों को लाभ नही मिलता है तथा 10.16 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति जो व्यापार करते है। उनको इन विभिन्न योजनाओं से लाभ मिलता है। तथा 9.66 प्रतिशत को लाभ नही मिलता है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि महिलाओं की संचेतना पर उनके पति के व्यवसाय का उतना प्रभाव नही होता जितना उनमें स्वयं में व्यवसाय का पड़ता है। अतः बालिका शिक्षा से आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। उच्च आर्थिक स्थिति होने पर उनमें संचेतना अधिक पायी जाती है। जिसके कारण उनमें संचेतना अधिक पायी जाती है। जिसके कारण उनके विकास की योजनाओं के प्रति अधिक पायी जाती है। तथा उनमें अपनी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता पायी जाती है।

महिलाओं का शैक्षिक स्तर एवं संचेतना –

शिक्षा महिलाओं की संचेतना का प्रभावशाली निर्धारक है। शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान का संचार कर अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाती है। शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर उसके व्यक्तित्व को परिमार्जित करती है। तथा इसके माध्यम से व्यक्ति सत्य असत्य उचित अनुचित के बीच अंतर कर तर्क के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। अतः जागरूकता एवं विवेक के अनुकूल कार्य करने का प्रयास करता है। शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार पर भी व्यापक प्रभाव डालती है।

दलित महिलाओं की संचेतना का शैक्षिक स्तर से सम्बन्ध स्पष्ट करने हेतु शिक्षा को चार भागों में विभक्त किया गया है – निरक्षर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च। महिलाओं की संचेतना को समझने के लिये भी दो संकेतांक का प्रयोग किया जाता है। हाँ (1) नही (0)

सारिणी सं. 4.33

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	87(14.5%)	52(8.66%)	35(5.83%)	16(2.66%)	190	47.5
नही	243(40.5)	95(15.8%)	61(10.16%)	11(18.33%)	410	102.5
योग	330	147	96	27	600	150

सारणी संख्या 4.33 में सम्पूर्ण उत्तरदात्रियाँ 600 है। जिसमें से 87 निरक्षर है जिनको इन योजनाओं की जानकारी तथा 40 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं को जानकारी नही है। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलायें 147 है। उनमें से 8.66 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी है तथा 15.83 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी नही है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 96 महिलाओं में से 5.83 प्रतिशत महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी है। तथा 10.16 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी नही है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त 27 महिलाओं में से 2.66 प्रतिशत महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी है तथा 18.33 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.34

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं महिला विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं से लाभ

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	33(5.5%)	25(4.16%)	55(9.16%)	27(4.5%)	140	35
नही	297(49.5)	122(20.3)	41(6.83%)	—	460	115
योग	330	145	96	27	600	150

सारिणी संख्या 4.34 में समस्त उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं महिला विकास से सम्बन्धित योजनाओं से लाभ का आंकलन किया गया है। जिसमें से 5.5 प्रतिशत निरक्षर है। जिनको इन योजनाओं से लाभ मिलेगा। तथा 49.5 प्रतिशत निरक्षर महिलायें यह मानती है कि इन योजनाओं से लाभ नही मिलेगा। इसी प्रकार 4.16 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलायें यह मानती है कि उनको इन योजनाओं से लाभ मिलेगा तथा 20.33 प्रतिशत महिलायें यह मानती है कि उनको लाभ नही मिलेगा। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 9.16 प्रतिशत महिलायें यह मानती है कि उनको लाभ मिलेगा एवं 6.83 प्रतिशत यह मानती है कि उनको लाभ नही मिलेगा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त सिर्फ 4.5 महिलायें है। जो यह मानती है कि उनकी इन योजनाओं से लाभ मिलेगा।

सारिणी सं. 4.35

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	60(10%)	42(7%)	22(3.66%)	17(2.83%)	141	35.25
नही	270(45%)	105(17.5)	74(12.33%)	10(1.66)	459	114.75
योग	330(55%)	147(24.5)	96(16%)	27(4.5%)	600	150

सारिणी संख्या 4.35 में समस्त उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जानकारी का आंकलन किया गया है।

जिसमें से 10 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ निरक्षर है। जिनको विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जानकारी है। तथा 45% निरक्षर महिलायें है। जिनको विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जानकारी नही है।

इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 7 प्रतिशत महिलायें है। जिनको विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जानकारी है तथा 17.5 प्रतिशत महिलाओं को विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जानकारी नही है।

तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 3.66 प्रतिशत महिलाओं को विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जानकारी है तथा 12.33 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी नही है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त 2.83 प्रतिशत महिलाओं को विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम की जानकारी है। तथा 4.5 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.36

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं बालिकाओं को शिक्षित करने की जानकारी

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	112(18.66)	84(14%)	8(1.33%)	18(3%)	222	55.25
नही	218(36.33)	63(10.5)	88(14.66%)	9(1.5%)	378	94.75
योग	330	147	96	27	600	150

सारिणी संख्या 4.36 में समस्त उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं बालिकाओं को शिक्षित करने की जानकारी का आंकलन किया गया है। जिसमें से 18.66 प्रतिशत निरक्षर महिलायें यह मानती है कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाना चाहिये तथा 36.33 प्रतिशत निरक्षर महिलायें यह मानती है कि बालिकाओं को शिक्षित नही किया जाना चाहिये तथा 14 प्रतिशत प्राथमिक

सारिणी सं0 – 4.37

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा से लाभ

शिक्षा प्राप्त महिलायें यह मानती है कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाना चाहिये तथा 10.5 प्रतिशत महिलायें यह मानती है कि बालिकाओं को शिक्षित नही किया जाना चाहिये। इसी प्रकार 1.33 प्रतिशत महिलायें माध्यमिक शिक्षा प्राप्त यह मानती है कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाना चाहिये तथा 14.60 प्रतिशत यह मानती है कि बालिकाओं को शिक्षित नही किया जाना चाहिये तथा उच्च शिक्षा प्राप्त 3 प्रतिशत महिलायें यह मानती है कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाना चाहिये तथा 1.5 प्रतिशत महिलायें यह मानती है कि महिलाओं को शिक्षित नही किया जाना चाहिये।

सारिणी सं. 4.37

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा से लाभ

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	79(13.6)	81(13.5%)	22(3.66%)	27(4.5%)	209	52.25
नही	251(41.8)	66(11%)	74(12.33%)	—	391	97.75
योग	330	147	96	27	600	150

सारिणी संख्या 4.37 में समस्त उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा से लाभ का आंकलन किया है। जिसमें से 13.66 प्रतिशत निरक्षर महिलायें बालिकाओं के विकास के लिये निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेना चाहती है तथा 41.83 प्रतिशत निरक्षर महिलायें लाभ नही लेना चाहती है। तथा 13.5% प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलायें बालिकाओं के विकास के लिये निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेना चाहती है। तथा 11 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलायें लाभ लेना नही चाहती। इसी प्रकार 3.66 प्रतिशत महिलायें माध्यमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं एवं बालिकाओं के विकास के लिये निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से लाभ लेना चाहती है तथा 12. 33 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा प्राप्त महिलायें लाभ लेना नही चाहती है। तथा इसी प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त सभी महिलायें 4.5 प्रतिशत है जो महिलाओं एवं बालिकाओं के विकास के लिये निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेना चाहती है।

सारिणी सं. 4.38

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं बालिकाओं को शिक्षा हेतु स्कूल भेजने की जानकारी

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	96(16%)	29(4.8%)	33(5.5%)	22(3.66%)	180	45
नही	246(41%)	106(17.6)	63(10.5%)	5 (0.8%)	420	105
योग	342	135	96	27	600	150

सारिणी संख्या 4.38 में समस्त उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं बालिकाओं को शिक्षा हेतु विद्यालय भेजने का आंकलन किया गया है। जिसमें से 16 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं की बालिकायें शिक्षा हेतु स्कूल जाती है। तथा 41 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं की बालिकायें शिक्षा हेतु स्कूल नही है।

इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 4.8 प्रतिशत महिलायें अपनी बालिकाओं को शिक्षा हेतु स्कूल भेजती है। तथा 17.66 प्रतिशत महिलायें अपनी बालिकाओं को शिक्षा हेतु स्कूल नही भेजती है। तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 5.5 प्रतिशत महिलायें अपनी बालिकाओं को शिक्षा हेतु स्कूल भेजती है तथा 10.5% प्रतिशत महिलायें बालिकाओं को शिक्षा हेतु स्कूल नही भेजती है।

इसी प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त 3.66 प्रतिशत महिलायें अपनी बालिकाओं को शिक्षा हेतु विद्यालय भेजती है। तथा .08 प्रतिशत महिलायें अपनी बालिकाओं को स्कूल नही भेजती।

सारिणी सं. 4.39

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये योजनाओं की जानकारी

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	42(7%)	55(9.16%)	20(3.33%)	18 (3%)	135	33.75
नही	288(48%)	92(15.3%)	76(12.66%)	9 (1.5%)	465	116.25
योग	330	147	96	27	600	150

सारिणी संख्या 4.39 में समस्त उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये योजनाओं की जानकारी का आंकलन किया गया है। जिसमें से 7 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं को शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये योजनाओं की जानकारी है तथा 48 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी नही है। तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 9.16 प्रतिशत महिलाओं के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये योजनाओं की जानकारी है तथा 15.33 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी नही है तथा 3.33 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये योजनाओं की जानकारी है तथा 12.66 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी नही है। तथा इसी प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त 3 प्रतिशत महिलाओं का शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये योजनाओं की जानकारी है। तथा 1.5 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.40

उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं योजनाओं से लाभ

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	63(10.5)	84(14%)	32(5.33%)	21 (3.5%)	200	50
नही	267(44.5)	63(10.5%)	64(10.66%)	6 (1%)	400	100
योग	330	147	96	27	600	150

सारिणी संख्या 4.40 में उत्तरदात्रियों की शिक्षा एवं योजनाओं से लाभ का आंकलन किया गया है। जिसमें 10.5 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं को योजनाओं से लाभ मिलता है। तथा 44.5 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं को योजनाओं से लाभ नही मिलता है।

तथा 14 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं को योजनाओं से लाभ मिलता तथा 10.5 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं को लाभ नही मिलता। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 5.33 प्रतिशत महिलाओं को योजनाओं से लाभ मिलता। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 10.66 प्रतिशत महिलाओं को योजनाओं से लाभ नही मिलता है। इसी प्रकार 3.5 प्रतिशत उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं को योजनाओं को लाभ मिलता है तथा 1 प्रतिशत महिलाओं को लाभ नही मिलता है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि निरक्षर एवं कम शिक्षित महिलाओं में संचेतना का स्तर कम है तथा उच्च शिक्षित महिलाओं में संचेतना का स्तर अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षा व्यक्ति को जागरूक बनाकर उसे प्रगतिशील बनाती है। शिक्षित महिलायें वर्तमान समय में अपने अधिकार को समझने तथा उनके प्रयोग में अशिक्षित महिलाओं की तुलना में काफी आगे है।

उत्तरदात्रियों के पति की शिक्षा एवं संचेतना –

क्या महिलाओं की जागरूकता उनके पति की शिक्षा से भी प्रभावित होती है ? यहाँ इस प्रश्न से सम्बन्धित तथ्यों पर भी प्रकाश डालने की योजना है। साथ ही यह देखने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं के पतियों का शैक्षिक उनकी संचेतना को कहाँ तक प्रभावित करता है। अतः यदि माता–पिता शिक्षित है तो बालिकायें भी शिक्षित होती है। अतः माता–पिता की शिक्षा का प्रभाव बालिकाओं की शिक्षा एवं विकास पर पड़ता है।

सारिणी सं. 4.41

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	74(12.3)	63(10.5%)	59(9.83%)	48 (8%)	244	61
नही	127(21.1)	132(22%)	85(14.16%)	12 (2%)	356	89
योग	201	195	144	60	600	150

सारिणी संख्या 4.41 के विश्लेषण से यह पुष्टि होती है कि महिलाओं के पति की शिक्षा भी उनकी संचेतना को प्रभावित करती है। 12.33 प्रतिशत महिलाओं के पति निरक्षर है। जिनको विभिन्न योजनाओं की जानकारी है तथा 21.16 प्रतिशत को इन योजनाओं की जानकारी नही है। इसी प्रकार 10.5 प्रतिशत महिलाओं के पति प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है। जिनको विभिन्न योजनाओं की जानकारी है। तथा 24 प्रतिशत को इन योजनाओं की जानकारी नही है। इसी प्रकार 9.83 प्रतिशत महिलाओं के पति माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है। जिनको विभिन्न योजनाओं की जानकारी है। तथा 14.16 को जानकारी नही है। इसी प्रकार 8 प्रतिशत महिलाओं के पति उच्च शिक्षा प्राप्त है। जिनको विकास की योजनाओं की जानकारी है। तथा 2 प्रतिशत महिलाओं के पतियों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.42

उत्तरदात्रियों के पति की शिक्षा एवं योजनाओं से लाभ

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	29(4.83%)	48(8%)	66(11%)	32 (5.33%)	175	43.75
नही	172(28.6)	147(24.5)	78(13%)	28 (4.6%)	425	106.25
योग	201	195	144	60	600	150

सारिणी संख्या 4.42 में विभिन्न उत्तरदात्रियों के पतियों की शिक्षा एवं विभिन्न योजनाओं से लाभ का आंकलन किया गया है। जिसमें से 4.83 प्रतिशत महिलाओं के पति निरक्षर है। जिनको लगता है कि विभिन्न योजनाओं से लाभ मिलेगा तथा 28.66 प्रतिशत पतियों को लगता है कि उनको इन योजनाओं से लाभ मिलेगा। तथा 8 प्रतिशत महिलाओं के पति प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है। जिनको लगता है कि उन्हें विभिन्न योजनाओं को लाभ मिलेगा तथा 24.5 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं के पति है। जिनको लगता है जिनको विभिन्न योजनाओं से लाभ नही मिलेगा। इसी प्रकार 11 प्रतिशत महिलाओं के पति माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है। जिनको लगता है कि उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभ मिलेगा तथा 13 प्रतिशत महिलाओं के पति को लगता है

कि उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभ नही मिलेगा तथा 5.33 प्रतिशत महिलाओं के पति उच्च शिक्षा प्राप्त है। जिनको लगता है कि उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभ मिलेगा तथा 4.6 प्रतिशत महिलाओं के पतियों को लगता है कि उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभ नही मिलेगा।

सारिणी सं. 4.43

उत्तरदात्रियों के पति की शिक्षा एवं विभिन्न कानून एवं अधिनियम की जानकारी

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	32(5.3%)	102(17%)	27(4.5%)	198 (4.5%)	198	49.5
नही	169(28.1)	93(15.5%)	33(5.5%)	402 (5.5%)	402	100.5
योग	201	195	60	60	600	150

सारिणी संख्या 4.43 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 5.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति निरक्षर है। जिनको विभिन्न कानून एवं अधिनियम की जानकारी है तथा 28.16 प्रतिशत पतियों को जानकारी नही है। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 17 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पतियों को विभिन्न कानून एवं अधिनियम की जानकारी है। 15.5 प्रतिशत पतियों को इनकी जनकारी नही है। इसी प्रकार 6.16 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है। जिनको विभिन्न कानून एवं अधिनियम की जानकारी है तथा 17.83 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पतियों को इनकी जानकारी नही है। तथा इसी प्रकार 4.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पतियों को विभिन्न कानून एवं अधिनियम की जानकारी है। तथा 5.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पतियों को जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.44

उत्तरदात्रियों के पति की शिक्षा एवं बालिकाओं में शिक्षित करने के प्रति संचेतना

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	95(15.83)	114(19.5)	129(21.5%)	51 (8.5%)	392	
नही	106(17.66)	78(13%)	15(2.5%)	9 (1.5%)	208	
योग	201	195	144	60	600	

सारिणी संख्या 4.44 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 15.83 प्रतिशत उत्तरदात्रियों में पति निरक्षर है। जो यह मानते है कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाना चाहिये। तथा 17.66 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति यह मानते है। कि बालिकाओं को शिक्षित नही किया जाना चाहिये। इसी प्रकार 19.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है। जो यह मानते है कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाना चाहिये तथा 13 प्रतिशत यह मानते है कि बालिकाओं

को शिक्षित नही किया जाना चाहिये। तथा 21.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है जो यह मानते है कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाना चाहिये तथा 2.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति यह मानते है कि बालिकाओं को शिक्षित नही किया जाना चाहिये। इसी प्रकार 8.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति उच्च शिक्षा प्राप्त है। जो यह मानते है कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाना चाहिये तथा 1.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति यह मानते है कि बालिकाओं को शिक्षित नही किया जाना चाहिये।

सारिणी सं. 4.45

उत्तरदात्रियों के पति की शिक्षा एवं बालिकाओं के शिक्षा हेतु विद्यालय भेजने की जानकारी

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	28(4.6%)	56(9.33%)	78(13%)	48 (8%)	210	52.5
नही	173(28.83)	139(23.16)	66(11%)	12 (2%)	390	97.5
योग	201	195	144	60	600	150

सारिणी संख्या 4.45 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 4.6 प्रतिशत महिलाओं के पति निरक्षर है। जिनकी बालिकायें शिक्षा हेतु स्कूल जाती है। तथा 28.8 प्रतिशत बालिकायें स्कूल नही जाती है। इसी प्रकार 9.33 प्रतिशत महिलाओं के पति प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है। जिनकी बालिकायें शिक्षा हेतु स्कूल जाती है तथा 23.16 प्रतिशत बालिकायें शिक्षा प्राप्त करने स्कूल नही जाती है। इस प्रकार 13 प्रतिशत महिलाओं के पति माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है। जिनकी बालिका ये शिक्षा हेतु स्कूल जाती है। तथा 11 प्रतिशत बालिकायें स्कूल नही जाती है। तथा 8 प्रतिशत महिलाओं के पति उच्च शिक्षा प्राप्त है। जिनकी बालिकायें शिक्षा हेतु स्कूल जाती है तथा 2 प्रतिशत बालिकायें स्कूल नही जाती है।

सारिणी सं. 4.46

उत्तरदात्रियों में पति की शिक्षा एवं निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	96(16%)	87(14.5%)	79(13.16%)	60 (10%)	322	80.5
नही	105(17.5)	108(18%)	65(10.83%)	–	278	69.5
योग	201	195	144	60	600	150

सारिणी संख्या 4.46 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 16 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति

निरक्षर है। जो अपनी बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ दिलाना चाहते है तथा 17.5 प्रतिशत पति बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ नही उठाना चाहते है।

इसी प्रकार 14.5 प्रतिशत महिलाओं के पति प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है। जो अपनी बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ दिलाना चाहते है तथा 18 प्रतिशत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ दिलाना नही चाहते है। तथा 13.16 प्रतिशत महिलाओं के पति माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है जो अपनी बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ दिलाना चाहते है एवं 10.83 प्रतिशत लाभ दिलाना नही चाहते है। तथा उच्च शिक्षा प्राप्त सभी उत्तरदात्रियों के पति इसका लाभ लेना चाहते है।

सारिणी सं. 4.47

उत्तरदात्रियों की पति शिक्षा एवं शैक्षिक स्तर की योजनाओं की जानकारी

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	57(9.5%)	78(13%)	89(14.83%)	53 (8.83%)	277	69.25
नही	144(24%)	117(19.5)	55(9.16%)	7 (1.16%)	323	80.75
योग	201	195	144	60	600	150

सारिणी संख्या 4.47 के अवलोकन से स्पष्ट है कि महिलाओं एवं बालिकाओं के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार द्वारा योजनाओं की जानकारी 9.5 प्रतिशत महिलाओं के पति निरक्षर है। जिनको है तथा 24 प्रतिशत को नही है। तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 13 प्रतिशत महिलाओं के पति को जानकारी नही है। तथा 19.5 प्रतिशत को यह जानकारी है। इसी प्रकार 14.83 प्रतिशत महिलाओं के पति माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है। जिनको यह जानकारी है तथा 9.16 प्रतिशत को जानकारी नही है तथा 18.83 प्रतिशत महिलाओं में पति उच्च शिक्षा प्राप्त है। जिनको इन योजनाओं की जानकारी है तथा 1.16 प्रतिशत को नही है।

सारिणी सं. 4.48

उत्तरदात्रियों के पति की शिक्षा एवं योजनाओं से लाभ

शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	माध्य
हाँ	37(6.16%)	62(10.33)	87(14.5%)	48 (8%)	234	58.5
नही	164(27.33)	117(22.16)	57(9.5%)	12 (2%)	366	91.5
योग	201	195	144	60	600	150

सारिणी संख्या 4.48 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 6.16 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के

पति निरक्षर है जिनको इन योजना से लाभ मिलता है तथा 27.33 प्रतिशत निरक्षरों को लाभ नही मिलता है। इसी प्रकार 10.33 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है। जिनको इन योजनाओं से लाभ मिलता है तथा 22.16 प्रतिशत को लाभ नही मिलता है। 14.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है। जिनको इन योजनाओं से लाभ मिलता है तथा 9.5 प्रतिशत को इन योजनाओं से लाभ नही मिलता। इस प्रकार 8 प्रतिशत उच्च शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों के पति जिनको इन योजनाओं से लाभ मिलता है तथा 2 प्रतिशत को लाभ नही मिलता है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि बालिकाओं के विकास पर उनके माता पिता की शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। माँ ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है। यदि माँ शिक्षित है तो बालिकायें ही शिक्षित होगी। अतः महिलाओं की संचेतना पर उनके पति की शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। पति शिक्षित है तो महिलाओं में भी बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं की जानकारी होगी। यदि शिक्षित नही तो वे योजनाओं का लाभ नही ले पायेंगे।

परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर एवं संचेतना –

विद्वानों का विचार है कि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्तर के लोगों में ज्यादा संचेतना होती है। जबकि निम्न आर्थिक स्तर के लोगों में कम संचेतना होती है। जैसे–जैसे विकसित क्षेत्र जहाँ प्रौद्योगिक उन्नति एवं तकनीकि शिक्षा, शिक्षा का व्यापक प्रसार है तथा समाज परम्परागत रीति–रिवाजों में मुक्त है। वहाँ संचेतना अधिक है जबकि विकासशील क्षेत्र जहाँ आज भी कृषि की प्रधानता है, शिक्षा का प्रसार कम निरक्षरता एवं परम्पराओं का महत्व है वहाँ संचेतना कम है।

अतः यहाँ पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि दलित महिलाओं की संचेतना परिवार में सामाजिक, आर्थिक स्तर से प्रभावित होती है। सामाजिक आर्थिक स्तर का संचेतना से सम्बन्ध दर्शाने हेतु तीन स्तरों में विभक्त किया गया है। उच्च, मध्यम, निम्न।

सारिणी सं. 4.49

सामाजिक आर्थिक स्तर	उच्च	मध्यम	निम्न	योग	माध्य
हाँ	52 (8.66%)	186(31%)	15(2.5%)	253	84.33
नही	5 (0.83%)	36(6%)	306(51%)	347	115.66
योग	57	222	321	600	199.99

सारिणी संख्या 4.49 में समस्त उत्तरदात्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर एवं विकास कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी का आंकलन किया गया है।

जिसमें से 8.66 प्रतिशत महिलाओं का उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर है। जिनको इन योजनाओं की जानकारी है। तथा 0.83% प्रतिशत महिलाओं का उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर है। जिनको इन योजनाओं की जानकारी नही है।

तथा इसी प्रकार 31 प्रतिशत महिलाओं का मध्य सामाजिक आर्थिक स्तर मध्यम है। जिनको विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी है। तथा 6 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर मध्यम है। जिनको इन योजनाओं की जानकारी नही है। तथा इसी प्रकार 2.5 प्रतिशत महिलाओं का निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर है। जिनको इन योजनाओं की जानकारी है तथा 51 प्रतिशत निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाली महिलाओं को जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.50

उत्तरदात्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर एवं महिला विकास से सम्बन्धित योजनाओं से लाभ

सामाजिक आर्थिक स्तर	उच्च	मध्यम	निम्न	योग	माध्य
हाँ	45 (7.5%)	203 (33.78%)	18 (3%)	266	88.66
नही	12 (2%)	19 (3.16%)	303 (50.5%)	334	111.33
योग	57	222	321	600	199.99

सारिणी संख्या 4.50 में उत्तरदात्रियों का सामाजिक, आर्थिक स्तर एवं महिला विकास से सम्बन्धित योजनाओं से लाभ का आंकलन किया गया है। जिसमें से 7.5 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर उच्च है। जिनको लगता है इन योजनाओं से लाभ मिलेगा तथा 2 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर उच्च है। जिनको लगता है कि इन योजनाओं से लाभ नही मिलेगा।

इसी प्रकार 33.8 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर मध्यम है। जिनको लगता है कि उन्हें इन योजनाओं से लाभ मिलेगा तथा 3.16 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक मध्यम है। जिनको लगता है कि विकास की इन योजनाओं से लाभ मिलेगा। तथा 3 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर निम्न है। जिनको लगता है कि इन योजनाओं

से लाभ मिलेगा तथा 50.5 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर निम्न है। जिनको लगता है कि उन्हें इन योजनाओं से लाभ नही मिलेगा।

सारिणी सं. 4.51

उत्तरदात्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर एवं महिला विकास से सम्बन्धित योजनाओं से लाभ

सामाजिक आर्थिक स्तर	उच्च	मध्यम	निम्न	योग	माध्य
हाँ	35 (5.83%)	213 (35.5%)	56 (9.33%)	304	101.33
नही	22 (3.66%)	9 (1.5%)	265 (44.16%)	296	98.66
योग	57	222	321	600	199.99

सारिणी संख्या 4.51 में समस्त उत्तरदात्रियों का सामाजिक, आर्थिक स्तर एवं विभिन्न कानून एवं अधिनियम की जानकारी का आंकलन किया गया है। जिसमें से 5.83 प्रतिशत महिलाओं का उच्च सामाजिक, आर्थिक स्तर है। जिनको इस कानून एवं अधिनियम की जानकारी है। तथा 3.66 प्रतिशत उच्च सामाजिक, आर्थिक स्तर वाली महिलाओं को इनकी जानकारी नही है।

इसी प्रकार 35.5% महिलाओं का मध्यम सामाजिक, आर्थिक है। जिनको विभिन्न कानून एवं अधिनियम की जानकारी है तथा 1.5 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर मध्यम है। उनकों इन योजनाओं की जानकारी नही है। तथा 9.33 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर निम्न है। जिनको विभिन्न कानून एवं अधिनियम की जानकारी है। तथा 44.16 प्रतिशत महिलाओं को इनकी जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.52

उत्तरदात्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर एवं बालिकाओं को शिक्षित करने के प्रति संचेतना

सामाजिक आर्थिक स्तर	उच्च	मध्यम	निम्न	योग	माध्य
हाँ	40 (6.66%)	133 (22.16%)	135 (22.5%)	308	102.66
नही	17 (2.83%)	89 (14.83%)	186 (31%)	292	97.33
योग	57	222	321	600	199.99

सारिणी संख्या 4.52 में समस्त उत्तरदात्रियों का सामाजिक, आर्थिक स्तर एवं बालिकाओं को शिक्षित करने के प्रति संचेतना का आंकलन किया गया है। जिसमें से 6.66 प्रतिशत

महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर उच्च है। जो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक है। तथा 2.83 प्रतिशत ये महिलायें बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक है तथा 22.16 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर मध्यम है। जो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक है तथा 14.83 प्रतिशत महिलायें जागरूक नही है। तथा 22.5 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर निम्न है। जो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक है तथा 31 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर निम्न है। जो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक नही है।

सारिणी सं. 4.53

उत्तरदात्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर एवं बालिका शिक्षा हेतु स्कूल भेजने की जानकारी

सामाजिक आर्थिक स्तर	उच्च	मध्यम	निम्न	योग	माध्य
हाँ	34 (5.66%)	176 (29.33%)	63 (10.5%)	273	91
नही	25 (3.83%)	46 (7.66%)	258 (43%)	327	109
योग	57	222	321	600	200

सारिणी संख्या 4.53 में समस्त उत्तरदात्रियों का सामाजिक, आर्थिक एवं बालिका शिक्षा हेतु स्कूल भेजने की जानकारी का आंकलन किया गया है। जिसमें से 5.66 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर उच्च है। जिनकी बालिका शिक्षा हेतु स्कूल जाती है तथा 3.83 प्रतिशत महिलाओं की बालिका ये शिक्षा हेतु स्कूल नही जाती है। इसी प्रकार 29.3 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर मध्यम है। जिनकी बालिकायें शिक्षा हेतु विद्यालय जाती है तथा 7.66 प्रतिशत महिलाओं की बालिकायें शिक्षा हेतु स्कूल नही जाती है। इसी प्रकार निम्न सामाजिक, आर्थिक स्तर वाली 10.5 प्रतिशत महिलायें है। जिनकी बालिकायें शिक्षा हेतु स्कूल जाती है तथा 43 प्रतिशत महिलाओं की बालिकाओं में शिक्षा हेतु स्कूल नही जाती है।

सारिणी सं. 4.54

उत्तरदात्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ

सामाजिक आर्थिक स्तर	उच्च	मध्यम	निम्न	योग	माध्य
हाँ	57 (9.5%)	189 (31.5%)	153 (25.5%)	399	133
नही	—	33 (5.5%)	168 (28%)	201	67
योग	57	222	321	600	200

सारिणी संख्या 4.54 में समस्त उत्तरदात्रियों का सामाजिक, आर्थिक स्तर एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ का आंकलन किया गया है। जिसमें 9.5 प्रतिशत सभी उत्तरदात्रियों का उच्च सामाजिक, आर्थिक स्तर है वे सभी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेना चाहती है। तथा 31.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का सामाजिक, आर्थिक स्तर मध्यम है जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेना चाहती है तथा 5.5 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर मध्यम है जो इसका लाभ लेना चाहती है। इस प्रकार 25.5 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर मध्यम है जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेना चाहती है तथा 28 प्रतिशत महिलायें इसका लाभ नही लेना चाहती है।

सारिणी सं. 4.55

उत्तरदात्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर एवं शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार द्वारा योजनाओं की जानकारी

सामाजिक आर्थिक स्तर	उच्च	मध्यम	निम्न	योग	माध्य
हाँ	46 (7.6%)	169 (28.16%)	9 (1.5%)	224	74.66
नही	11 (1.8%)	53 (8.83%)	312 (52%)	376	12.33
योग	57	222	321	600	199.99

सारिणी संख्या 4.55 में समस्त उत्तरदात्रियों का सामाजिक, आर्थिक स्तर एवं शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी का आंकलन किया गया है। जिसमें से 7.6 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर उच्च है। जिनको बालिकाओं का शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार द्वारा योजनाओं की जानकारी है। तथा 1.8 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी नही है।

इसी प्रकार 28.16 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर मध्यम है। जिनको महिलाओं एवं बालिकाओं का शैक्षिक स्तर ऊँचा उठाने के लिये विभिन्न योजनाओं की जानकारी है तथा 8.83 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी नही है। तथा 1.55 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर निम्न है। जिनको बालिकाओं का शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार द्वारा योजनाओं की जानकारी है। तथा 52 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी नही है।

सारिणी सं. 4.56

उत्तरदात्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर एवं योजनाओं से लाभ

सामाजिक आर्थिक स्तर	उच्च	मध्यम	निम्न	योग	माध्य
हाँ	41 (6.83%)	66 (11%)	135 (22.5%)	242	80.66
नही	16 (2.66%)	156 (31%)	186 (31%)	358	119.33
योग	57	222	321	600	199.99

सारिणी संख्या 4.56 में समस्त उत्तरदात्रियों का सामाजिक, आर्थिक स्तर एवं योजनाओं से लाभ का आंकलन किया गया है। जिसमें 6.83 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर उच्च है। जो इन योजनाओं का लाभ ले रही तथा 2.66 प्रतिशत महिलायें इसका लाभ नही ले रही है। इसी प्रकार 11 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर मध्यम है। जो इन योजनाओं से लाभ ले रही है तथा 26 प्रतिशत महिलायें इन योजनाओं का लाभ नही ले रही है। तथा 22.5 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक स्तर निम्न है। जो इन योजनाओं से लाभ ले रही है। तथा 31 प्रतिशत महिलायें इन योजनाओं का लाभ नही ले रही है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि जैसे–जैसे सामाजिक, आर्थिक स्तर बढ़ता जाता है। उसी प्रकार महिलाओं में संचेतना बढ़ती है तथा जैसे–जैसे सामाजिक, आर्थिक स्तर में गिरावट आती है। उनमें संचेतना की कमी आ जाती है।

इस अध्याय के अन्तर्गत बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं में संचेतना को प्रकाशित करने वाले आर्थिक पारिवारिक कारकों का सूक्ष्म स्तर से अध्ययन किया गया है। समस्त विश्लेषण से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट हुआ कि महिलाओं की संचेतना पर उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है।

प्राप्त परिणामों से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि संचेतना एवं पारिवारिक आर्थिक कारकों के बीच सकारात्मक सह–सम्बन्ध होता है। साथ ही उच्च सामाजिक, आर्थिक स्तर संचेतना में स्तर को बढ़ाने में सहायक है। जबकि निम्न सामाजिक, आर्थिक स्तर संचेतना को कम करने में सहायक होता है।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दलित महिलाओं में संचेतना का स्तर कम है। इसका मुख्य कारण है कि अध्ययन से सम्बन्धित अधिकांश महिलायें निम्न सामाजिक, आर्थिक स्तर में जीवन यापन कर रही है। इस शोध के अन्तर्गत महिलाओं की

संचेतना की सामाजिक, आर्थिक कारणों यथा परिवार का प्रकार, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, परिवार की मासिक आय आदि चरों के आधार पर विश्लेषित किया गया है। जिससे प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार है। महिलाओं में संचेतना संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकांकी परिवार में अधिक पायी गयी, इस प्रकार संचेतना के संदर्भ में परिवार के प्रकार का प्रभाव भी सार्थक प्रतीत होता है। साथ ही जातीय स्तर भी उनकी संचेतना को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण निर्धारण है। अतः दलित महिलाओं का स्तर अधिकतर निम्न ही होता है। इस कारण इनमें से चेतना का स्तर गिरा हुआ होता है।

शिक्षा, दलित महिलाओं की संचेतना को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावी कारक है। वर्तमान समय में महिलाओं में आधुनिकीकरण एवं सामाजिक प्रस्थित के दृष्टिकोण से शिक्षा की महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। शिक्षा एवं संचेतना के मध्य की नकारात्मक सम्बन्ध होता है। साथ ही संचेतना के संदर्भ में महिला की शिक्षा विशेष महत्वपूर्ण है। यदि महिला का शैक्षिक स्तर उच्च है तो महिलाओं में संचेतना अधिक होगी। इसके विपरीत अशिक्षित महिलाओं में कम संचेतना होती है। इस अध्ययन के निष्कर्ष में भी इसी तथ्य की ओर संकेत देते है। संचेतना के संदर्भ में महिलाओं एवं उनके पति की शिक्षा के प्रभाव का अवलोकन करने हेतु शिक्षा की चार श्रेणियाँ रखी गई है। निरक्षर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च है। जिसके विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि निरक्षर की तुलना में स्नातक एवं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त अधिक सचेत है। साथ ही उनके पति की अपेक्षा महिलाओं की शिक्षा संचेतना को अधिक प्रभावित करती है।

महिलाओं के संचेतना स्तर पर उनके व्यवहारिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि गृहणी एवं छोटे व्यवसाय से सम्बन्धित महिलाओं की अपेक्षा उच्च व्यवसायिक अथवा सरकारी पदों पर कार्यरत महिलाओं में संचेतना अधिक होती है। महिलाओं की संचेतना पर उनके पति के व्यवसाय का प्रभाव समर्थन नही होता है।

भारतीय समाज आरम्भ से ही वर्ण व्यवस्था का शिकार रहा है। तथा इसकी उपज जाति व्यवस्था रही है। दलित सदैव से ही जाति व्यवस्था का शिकार बने रहे है। इनके सामाजिक आर्थिक स्तर को जाति व्यवस्था ही प्रभावित करती रही है। समकालीन सामाजिक परिवर्तनों में इसका प्रभाव कम हो रहा है। परन्तु दलितों को यह आज भी प्रभावित करती है। अतः दलित महिलाओं की संचेतना पर जातीय स्तर के प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से जातीय स्तर दो भाग में बाँटा गया है। अनुसूचित, पिछड़ा। जिनके विश्लेषण के परिणाम यह

दर्शाते है कि निम्न जाति में संचेतना कम है तथा उच्च में अधिक पायी गयी।

संचेतना एवं आय के बीच सह सम्बन्ध का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि आय का स्तर कम होने पर संचेतना कम होती है एवं आय का स्तर अधिक होने पर संचेतना ज्यादा पायी गयी है। संचेतना पर पारिवारिक आर्थिक स्तर के प्रभाव का सूक्ष्म स्तर पर आंकलन किया गया है।

अध्याय - 5

अध्याय – 5

बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं का दृष्टिकोंण

खण्ड A

समस्यायें एवं योजनायें

पूर्ववर्तीय अध्याय में प्रतिदर्श की उत्तरदात्रियों की बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति संचेतना का विश्लेषण किया गया है। सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन के आधार पर यह पाया जाता है कि वास्तव में आर्थिक एवं पारिवारिक विशेषताओं का प्रभाव संरचना पर पड़ता है।

अतः भारतीय समाज में स्त्रियाँ आदिकाल से ही शोषण का शिकार रही है। स्त्रियों को न तो समाज में बराबरी का दर्जा मिला न ही शिक्षा इससे वे अनेकों समस्याओं से ग्रसित हो गयी परन्तु आज के बदलते परिवेश में नारी की प्रस्थिति में काफी परिवर्तन होते जा रहे है। पिछले कुछ अरसे से भारतीय महिलाओं में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है और उससे उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया परन्तु निम्न वर्ग में यह परिवर्तन की गति धीमी है। अतः समाज में दलित वर्ग की महिलाओं की दशा आज भी दयनीय है तथा ये अशिक्षा के अंधकार में भटक रही है। आज भी पुरुष सत्तात्मक समाज सुदृढ़ स्थिति में है परन्तु समाज में दलित अशिक्षित एवं अनेकों समस्याओं से ग्रसित है। तथा इनमें शिक्षा का प्रसार भी कम है शिक्षा के इस न्यून प्रसार के कारण दलित महिलाओं में अज्ञानता, अंधविश्वास, उत्पीड़न, शोषण आदि भी अनेकों समस्यायें है।

अतः इन समस्याओं से ग्रसित होने के कारण ये महिलायें सरकार द्वारा बनायी गयी विभिन्न योजनाओं का लाभ नही ले पाती तथा न ही इन योजनाओं की जानकारी इनको सही से हो पाती है इसका मुख्य कारण अशिक्षा, रूढ़ियाँ इत्यादि।

अतः प्रस्तुत अध्याय में दलित महिलाओं की समस्याओं एवं बालिका शिक्षा एवं विकास की विभिन्न योजनाओं को प्रस्तुत किया गया है। तथा बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं के दृष्टिकोण का विभिन्न सारिणीयों के माध्यम से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत खण्ड को दो भागों में विभक्त किया गया है (1) दलित महिलाओं की समस्यायें तथा विकास की योजनायें (2) बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दृष्टिकोण।

दलित महिलाओं की समस्यायें –

भारतीय समाज में 'दलित' महिला ने सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुयी है। तथा आर्थिक दृष्टि से वे आभावग्रस्त भी है। इस स्थिति में इनमें शिक्षा का प्रसार भी बहुत कम हुआ है शिक्षा के इस न्यून प्रसार के कारण दलित महिलाओं में अज्ञानता, अंधविश्वास एवं अनेक समस्यायें भी विकसित हो गयी है।

1. सामाजिक दूरी सम्बन्धी समस्या –

दलित महिलाओं की सबसे प्रमुख समस्या अस्पृश्यता रही है। अस्पृश्यता का इतिहास भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के इतिहास से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जाति व्यवस्था के साथ ही हमारे समाज में एक गम्भीर समस्या रही है। वैदिक काल में अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग तो नही किया जाता रहा है, परन्तु चाण्डाल डोम, अन्त्यज, निषाद आदि शब्दों का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिये किया जाता रहा है, जिनका स्तर लगभग अस्पृश्यों जैसा ही था। अस्पृश्यता के नाम पर हजारों वर्षों तक इन्हें मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया तथा इन पर अनेक सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक निर्योग्यतायें लगा दी गई। गाँधी जी ने कहा था कि ''अस्पृश्यता जिस रूप में आज हिन्दू धर्म में प्रचलित है यह भगवान तथा मनुष्यों दोनों के ही विरूद्ध है। अतः अस्पृश्यता एक विष की भाँति है, जो हिन्दू धर्म को खाये जा रही है। मेरे विचार से हिन्दू शास्त्रों में इसकी कही भी स्वीकृति नही है।''

अतः इस समस्या के कारण दलित महिलाओं में शिक्षा का अल्प प्रसार हुआ है तथा अन्य जातियाँ उनसे सामाजिक दूरी बनाये रखती थी। यह समस्या दलित महिलाओं के सम्बन्ध में अधिक प्रबल रही है। इनको अस्पृश्य माना जाता रहा है। एक लम्बे समय तक तथाकथित दलित महिलाओं को शिक्षा न ग्रहण करने का प्रतिबंध था। इनकी बालिकायें उन स्कूलों में नही पढ़ सकती थी जहाँ ऊँची जातियों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। प्राचीन समय में ब्राम्हण गुरू इनमें बच्चों को शिष्य बनाना अपनी मान हानि एवं धर्म के विरूद्ध समझता था इसका परिणाम यह हुआ कि अछूत लोग प्रायः शत प्रतिशत अशिक्षित होते थे। कही–कही पर इन महिलाओं को अपनी इच्छानुसार जेवर आदि पहनना की भी सामाजिक अनुमति नही थी। उदाहरण – जैनसार बाबर (चकराता के समीप) के क्षेत्र में कोलरा जाति के लोग सोना नही पहन सकते थे। ये महिलायें केवल चाँदी के बने जेवर पहन सकती थी। साथ ही साथ, अपनी इच्छानुसार अपने रहने का भी स्थान नही बना सकते थे। प्रायः इनको ग्राम से बाहर अपने मकान आदि बनाने पड़ते

थे। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः इनके लिये नगर ग्राम के सबसे नीचे क्षेत्र में अपने मकान बनाते थे क्योंकि ऊँचाई पर रहने से उनकी परछाई ऊँची जाति के लोगों पर पड़ती थी। इनके लिये अलग सड़के थी तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, छात्रावासों, होटलों आदि के प्रयोग पर विविध प्रकार के प्रतिबंध लगे हुये थे अपवित्र समझे जाने के कारण दलितों को सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग नही करने दिया जाता था। उच्च जातियों के कुओं के पास तक आना इनके लिये निषेध था।

2. अत्याचार एवं उत्पीड़न की समस्या –

दलित महिलाओं की प्रमुख दूसरी समस्या अत्याचार एवं उत्पीड़न की समस्या है। दलित होने के कारण उन्हें जिन सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था उसके कारण ये दलित महिलायें अनेक प्रकार के अत्याचारों एवं उत्पीड़न का शिकार हो गयी है लगभग सभी राज्यों में दलित महिलाओं पर उत्पीड़न एवं अत्याचार के समाचार निरंतर मिलते रहते है। इनमें इनकी भूमिका को अवैध रूप से छीन लेना, उनसे बेगार लेना तथा बंधुआ मजदूरों के रूप में काम लेना, महिलाओं से दुव्यवहार एवं शोषण, हत्यायें, लूटमार तथा जमीन खरीदने व बेचने में अनियमिततायें इत्यादि प्रमुख है। इन्हें जिंदा जला देने की घटनायें भी सुनने में आती है। बिहार में तेलची काण्ड इनका एक उदाहरण है। इन पर पुलिस द्वारा अत्याचार की अनेक घटनायें भी सामने आयी है।

यद्यपि सरकार ने भूमिहीन दलितों को भूमि का वितरण, न्यूनतम वेतन में वृद्धि, ग्रहों का आवंटन, बंधुआ मजदूर प्रथा की समाप्ति जैसे उपायों से इनमें उत्पीड़न और इन पर होने वाले अत्याचारों को काफी सीमा तक नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, फिर भी कुछ प्रभावशाली व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों के कारण इनके सामाजिक, आर्थिक सुधार में अनेक बाधायें उपस्थित करते रहते है। कई राज्यों में तो सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर इन लोगों को कब्जा नही मिल पाया है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व दिल्ली में ऐसी घटनाओं की सूचना अधिकारियों को दी गई है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा देहली में दलितों पर विविध प्रकार के अत्याचार एवं उत्पीड़न के समाचार मिलते रहे है। इनकी शिकायतों को जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कमिश्नर को प्राप्त होती है, सम्बन्धित सरकारों को प्रेषित कर दिया जाता है। दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं उत्पीड़न को रोकने का दायित्व यद्यपि राज्य

सरकारों का है, फिर भी केन्द्रीय सरकार कमजोर वर्गों पर अत्याचार रोकने के अनेक उपाय करती है। तथा स्थिति के अनुसार कदम उठाती है बड़े खेद की बात है कि इन पर होने वाले अत्याचारों की ठीक प्रकार से जाँच पड़ताल भी नही हो पाती। उदाहरण – अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कमिश्नर की 24वीं रिपोर्ट (1975–76 एवं 1976–77, भाग 1) के अनुसार 1975 ई. में 7,781 मामलों में 24.4% मामलों की जाँच पड़ताल के बाद कोई चार्जशीट नही लगाई।

दलित महिलाओं पर अत्याचार रोकने एवं उत्पीड़न कम करने के लिये राज्य सरकारों को विशेष उपाय करने की जरूरत है तथा पुलिस फोर्स को इसके लिये स्पष्ट निर्देश दिये जाने अनिवार्य है अगर कानून के रक्षक पुलिस वाले ही इस प्रकार के मामलों में संलग्न होने के दोषी पाये जाते है तो उन्हें कठोर ठण्ड देने की आवश्यकता है अत्याचार पीड़ित दलितों को उदार अनुदान देने एवं पुर्नवास की सुविधायें भी तुरन्त उपलब्ध की जानी चाहिये।

3. आर्थिक समस्यायें –

समाज की दलित महिलायें आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुयी है। इनसे सम्बन्धित निर्योग्यताओं के कारण इनका सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर भी काफी निम्न रहा है इन्हें अपनी इच्छानुसार व्यवसाय चुनने का भी अधिकार नही था। इनसे बेगार ली जाती थी तथा वेतन भी न्यूनतम दिया जाता था। श्रम–विभाजन में भी इन्हें निम्न स्थान प्राप्त था जिनके कारण इनको योग्यता होने पर अच्छे कुशल कर्मचारी बनने का अवसर प्राप्त नही हो पाता था। इन लोगों को उच्च व्यवसाय करने की अनुमति नही थी तथा आज भी ग्रामीण भारत में इस प्रकार के प्रतिबंध देखे जा सकते है। इस स्थिति में इन दलित परिवारों द्वारा केवल आर्थिक पक्ष को ही महत्व दिया जाता है। तथा उनकी सम्पूर्ण गतिविधियाँ जीविकोपार्जन पर ही केन्द्रित रहती है। आर्थिक परेशानियों के कारण ही दलित महिलायें अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति कोई विशेष ध्यान नही दे पाती। वे प्रायः शिक्षा को आवश्यक नही मानती है। कभी–कभी ये परिवार शिक्षा होने पर भी व्यय को वहन करने में भी असमर्थ होते है।

दलित महिलाओं का आर्थिक शोषण का एक और तरीका भी रहा है। खाद्यान्न की समस्या से पीड़ित इन दलित महिलाओं को प्रलोभन देकर चाय के बागानों में और खानों में काम करने के लिये बड़ी संख्या में अपने क्षेत्र से बाहर भी ले जाया जाता है। वहाँ मजदूरों के रूप में इनकी दशा दयनीय हो गयी है। न तो ये एक समय सारणी में बँधे औपचारिक रूप से काम करने के आदी थे और न मजदूरी के तौर–तरीकों से परिचित थे। आधुनिक अर्थों में उनमें कोई ह्रास

संघ भी नही थे। इसलिये इन नये कार्यस्थलों पर उसे जानवर की तरह कार्य लिया गया है और उनके स्वास्थ्य या विकास की पूर्णतया उपेक्षा की गई है कानून भी प्रायः आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्गों का ही साथ देता है। इन महिलाओं का आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सरकार ने अनेक कदम उठाये है तथा संवैधानिक रूप से अनेक सुविधायें उपलब्ध की है। नौकरियों में आरक्षण की सुविधायें, बैंकों में आसान शर्तों पर ऋण, आवासीय सुविधायें, कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन का निर्धारण, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की वसूली न करना बंधुआ मजदूरी की समाप्ति इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है परन्तु अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है तथा इसके लिये स्वयं दलित महिलाओं में जागरूकता अनिवार्य है ताकि वे सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सके तथा अपने आर्थिक स्तर में सुधार कर सके।

4. राजनीतिक समस्यायें –

इन महिलाओं की समस्याओं में राजनीतिक समस्या भी प्रमुख स्थान रखती है इन लोगों को केवल नौकरी में नियुक्ति एवं वेतन सम्बन्धी अधिकार ही नही थे अपितु राजनीतिक दृष्टि से राय देने का भी कोई अधिकार नही था। वोट देने तथा शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों से भी उन्हें वंचित रखा जाता था। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात् दलितों की राजनीतिक निर्योग्यतायें समाप्त हो गई है तथा उन्हें अन्य नागरिकों के समान अधिकार ही प्राप्त नही है अपितु राज्य विधान सभाओं एवं लोक सभा में आरक्षण सुविधायें भी प्रदान की गई है, फिर भी इन्हें चुनाव में डॉट–डॉपटने तथा दबाव के अनेक मामले सामने आते रहते है। हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, नागालैण्ड, पाण्डिचेरी में अनेक ऐसी शिकायतें मिलती रहती है। बिहार में तो मतदान केन्द्रों के पास खुली उग्रता के अनेक मामले भी हुये है।

यद्यपि प्रजातंत्रीकरण तथा राजनीतिकरण के परिणामस्वरूप दलित महिलाओं में नई चेतना के कारण अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है तथा पंचायत से लेकर लोकसभा तक सुरक्षित स्थान व नौकरी की सुविधाओं एवं सुरक्षित स्थानों के कारण इनके आत्मविश्वास के वृद्धि हुयी है, तथापि ऐसा देखा गया है कि सभी दलित, विशेष रूप से ग्रामीण अशिक्षित व्यक्ति, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नही है इनमें भी एक सम्भ्रान्तजन वर्ग का उदय हो गया है तथा सभी सुविधायें उसी वर्ग को मिल रही है। सामान्य लोगों को नही। इसका एक प्रमुख कारण अशिक्षा तथा अज्ञानता भी है।

राजनीतिकरण के कारण दलित महिलायें अपने निम्न स्तर को ऊँचा उठाने के लिये संगठित हो गयी है तथा सत्ता संरचना को प्रभावित करने अथवा इस पर प्रभुत्व जमाने के लिये अन्य निम्न जातियों से गठबंधन करने लगी है इनके परिणामस्वरूप दलित महिलायें निश्चित रूप से राजनीतिक के प्रति अधिक जागरूक है। तथा इसमें अधिक भाग लेती है और उन्हीं दलों या व्यक्तियों का समर्थन करती है जो उनके अधिकारों की रक्षा कर सकते है तथा उनके बीच उठते बैठते व खाते–पीते है। राजनीतिकरण के कारण कुछ जातियों में अपने निम्न स्तर से बड़ी असंतुष्टी सी होने लगी है तथा बहुत से लोगों ने बौद्ध तथा ईसाई धर्म को भी ग्रहण कर लिा है कुछ जातियों ने संस्कृतिकरण से अपना स्तर ऊँचा करने का प्रयास किया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने इन जातियों के लिये संगठित होकर शक्ति प्रदान करने के द्वारा खोल दिये है। आइसक के अनुसार अनुसूचित जातियों में शिक्षा, व्यवसायिक गतिशीलता, आरक्षण की नीति इत्यादि से काफी परिवर्तन हुये है। तथा इनसे उनकी सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पहले से कही अच्छी हुयी है।

अतः दलित महिलाओं में शिक्षा की वृद्धि द्वारा जन चेतना जगाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया करे। साथ ही साथ डॉट डपट व दबाव के मामलों का चुनाव के समय सख्ती से बनाया जाना चाहिये। ताकि दलित बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारों को चुनाव व आयोग की सहायता से इस दिशा में कड़े कदम उठने चाहिये।

5. शैक्षिक समस्यायें –

दलित महिलाओं को परम्परागत रूप से शिक्षा सुविधाओं से वंचित रखा जाता था तथा व्यवसायिक दृष्टि से इन्हें निम्न व्यवसाय ही करने पड़ते थे। इसका परिणाम यह हुआ की आज भी दलितों में शिक्षा की दर अन्य लोगों की तुलना में कही कम है। अंग्रेजी शासनकाल तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने इन महिलाओं के शैक्षिक स्तर को ऊँचा करने के लिये अनेक कदम उठाये है। तथा विविध प्रकार की सुविधायें भी प्रदान की है। वजीफे, मुफ्त वर्दी, पुस्तकें व कापियाँ अनेक छात्रावास सुविधायें एवं शिक्षा संस्थाओं व प्रशिक्षण संस्थाओं में इनके लिये आरक्षित स्थानों के प्रावधान के परिणामस्वरूप यद्यपि इनमें शिक्षा की वृद्धि हुयी है, तथापि इस दिशा में अभी काफी कार्य करना शेष है। वास्तव में, इन लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षा

प्राप्ति के लिये तैयार किया जाना आवश्यक है साथ ही उन्हें शिक्षा इस प्रकार की दी जानी चाहिये कि वे अपने रोजगार स्वयं स्थापित कर सके अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना कोई कार्य कर सके अनुसूचित जातियों में लड़कियों की शिक्षा की ओर ध्यान दिये जाने की भी विशेष आवश्यकता है।

यद्यपि सरकार ने इन महिलाओं को अनेक प्रकार की शिक्षा सुविधायें प्रदान की है, तथापि इनमें शैक्षिक प्रगति संतोषजनक नही कही जा सकती। वे आज भी बाधित महसूस करती है। और अधिकांशतयः निरक्षर है। इनकी स्थिति का अंदाजा तो मोहन द्वारा वर्ष 1952–53 में पूर्वी बिहार उत्तर प्रदेश में किये गये एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण से होता है। उन्होंने लिखा है कि, स्कूल में दो अनुसूचित जाति के शिक्षक थे उन्हें उच्च जातियों जैसे शिक्षकों के बराबर सम्मान नही दिया जाता था। यही नही, यदि कोई उच्च जाति का शिक्षक किसी ठाकुर के घर जाता है तो उसे बैठते के लिये खाट या कुर्सी दी जाती है और यदि अनुसूचित जाति का शिक्षक जाता है तो उन्हें कोई स्टूल या उल्टी टोकरी बैठने के लिये दी जाती है। फिर भी गनीमत है, क्योंकि अशिक्षित अनुसूचित जाति के सदस्य को तो जमीन पर ही बैठने को कहा जाता है।

आज भी इनका बहुत कम प्रतिशत साक्षर है क्योंकि पढ़ाई की ओर वे ज्यादा उन्मुख नही। सरकार की इतनी सुविधायें होते हुये भी ऐसा होना आश्चर्यजनक लगता है। परन्तु इनकी परम्परागत स्थिति और पेशों को देखते हुये यह कुछ असाधारण नही है। ये अत्यधिक निर्धन लोग है। यहाँ तनिक बड़ा होती हुयी हर बच्ची को रोटी कमाने के काम पर लगन दिया जाता है। वह परिवार की आमदनी का स्रोत बन जाती है। ऐसे में माता पिता का उसे स्कूल भेजना 'विलासिता' बन जाता है। जिसकी कीमत वहन नही कर सकते। विशिष्ट व्यवसायिक संस्थानों में यह बात और भी स्पष्ट दिखाई देती है। दलित महिलाओं में शिक्षा की समस्या की गम्भीरता इस तथ्य से पता चलती है कि सामाजिक दृष्टि से इनमें शिक्षा सम्बन्धी अनेक असमानतायें मौजूद है। जैसे (1) पुरूषों की अपेक्षा नारियों में शिक्षा प्रायः नगण्य है (2) विभिन्न प्रदेशों में दलितों की प्रगति में असमानतायें पायी जाती है (3) इसी प्रकार दलितों के बीच साक्षरता की मात्रा भी भिन्न है। इसलिये इनमें शिक्षा के प्रसार की कोई भी योजना बनाते समय इन असमानताओं को ध्यान में रखा जायेगा तभी ऐसे समूहों का निर्माण हो सकेगा जिन्हें लक्ष्य समूह कहा जा सके और उन सुविधाओं का भी सही अनुमान लगाया जा सकेगा। जिनकी उन्हें जरूरत है।

इस प्रकार हम देखते है कि दलित महिलाओं में शैक्षिक समस्यायें अनेक आयाम वाली

है उन सभी को मोटे तौर पर दो स्रोतों से जनित कहा जा सकता है। एक शिक्षा में उनके नामांकन के लिये पर्याप्त प्रेरकों और परिस्थितियाँ का न होना, और दूसरा, परम्परागत दृष्टि से उनकी सामाजिक स्थिति का बहुत निम्न एवं अपवित्र होना। जब तक इन दोनों स्रोतों को काटने के प्रयास नही किये जायेंगे तब तक इनमें शिक्षा समस्यायें बनी ही रहेगी।

अतः दलितों से सम्बन्धित परम्परागत पेशों का आधुनिकीकरण एवं यंत्रीकरण किया जाना चाहिये ताकि उनकी वास्तविक पृष्ठभूमि से जुड़े अपवित्रता के विचार दूर हो सके। और परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सके। उनके लिये शिक्षा में पर्याप्त सुविधाओं के साथ-साथ हॉस्टल की व्यवस्था एवं विशेष कोचिंग के लिये अलग से संस्थान भी होनी चाहिये। नौकरी में प्रवेश के लिये जातियों के बीच योग्यता के स्तर में अंतराल कम किया जाना चाहिये प्रमोशन के नियम सभी पर एक जैसे लागू हो और योग्यता व सेवा ही उसका आधार बने जहाँ तक उन्हें सामाजिक स्वीकृति दिये जाने का प्रश्न है, इसमें उच्च जातियों को ही पहल करनी होगी और इंसान को इंसान ही समझना होगा ताकि सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा दलितों के साथ अन्याय का यह कलंक सदा के लिये धुल सके।

6. स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें –

समाज के दलित वर्गों की महिलाओं की समस्याओं का सम्बन्ध स्वयं उनके एवं उनके बच्चों के दुर्बल स्वास्थ्य से है। "दलित महिलाओं की बालिकायें प्रायः अल्प पोषण या कुपोषण का शिकार हो जाती है। वे प्रायः गंदगी के कारण तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के आभाव में विभिन्न संक्रामक रोगों के शिकार हो जाती है। सांस्कृतिक सम्पर्कों ने कुछ नई बीमारियों का आदिवासी क्षेत्रों में फैलाया है जिनसे लड़ने के लिये उनकी परम्परागत जादू टोने और जड़ी बूटियों पर आधारित चिकित्सा प्रणाली पर्याप्त नही है। उदाहरण – यौन रोग, टी. वी. आदि को वे नही समझ पा रहे है। आधुनिक चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उन्हें या तो उपलब्ध है ही नही, और अगर है भी तो बड़ी दूर-दूर बिखरी हुयी और नही के बराबर है। इस परिस्थिति ने जनजातियों में ऐसा नैराश्य भर दिया है कि वे जीने का उत्साह भूलने लगे है।

स्वास्थ्य मानव की प्राथमिक आवश्यकता है इसलिये यह जरूरी है कि उनकी परम्परागत चिकित्सा प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाये और जो जादू टोने या जड़ी-बूटियाँ उपयोगी सिद्ध हो उन्हें चिकित्सा प्रणाली में सम्मिलित कर लिया जाये। साथ ही कुछ प्राथमिक उपचार जैसे तरीकों का दलित जनजातियों के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाये और उन्हें

चिकित्सा प्रणाली का एक अंग बनाया जाये। इस दिशा में ईसाई मिशनरियों के कार्य की प्रशंसा की जानी चाहिये।[1] सरकार के द्वारा दलित महिलाओं की समस्याओं को हल करने एवं अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण की दृष्टि से किये गये प्रमुख प्रयत्न निम्नलिखित है।

1. संवैधानिक प्रावधान –

संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान रखे गये है। जिनके द्वारा अस्पृश्यता निवारण तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।

2. शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें –

अन्य लोगों के समान स्तर पर लाने और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लोगों के लिये शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया गया। देश की सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। सन् 1944–45 से अस्पृश्य जातियों के छात्रों की छात्रवृत्तियाँ देने की योजना प्रारम्भ की गई। इनके लिये पृथक छात्रावासों की व्यवस्था भी की गई है। बुक बैंक के माध्यम से इनके छात्रों के लिये पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती है। सरकार ने दिल्ली, जबलपुर, कानपुर, मद्रास में चार ऐसे केन्द्र खोले है जो अनुसूचित जातियों के लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सहायता करते है।

3. विधान मण्डलों एवं पंचायतों में प्रतिनिधित्व –

संविधान में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिये उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधान सभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गये है। पहले ये स्थान संविधान के लागू होने के 20 वर्ष तक के लिये सुरक्षित रखे गये, परन्तु समय–समय पर यह अवधि बढ़ाई गई और अब यह अवधि सन् 2010 तक है।

4. कल्याण एवं सलाहकार संगठन –

केन्द्र एवं राज्यों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर प्रथम मंत्रालय भी स्थापित किये गये।

---

1. डा. धर्मवीर महाजन – "भारत में समाज 2003 – विवेक प्रकाशन नई दिल्ली पृ. 95–100

5. सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व –

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा उच्च जाति के लोगों के सम्पर्क में आने को प्रोत्साहित करने के लिये सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखे गये है। खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में इनके लिये क्रमशः 15 एवं 7½ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे गये।

6. आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास –

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों को आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु सरकार ने उन्हें विशेष सुविधा देने का प्रयास किया है। कृषि कार्यों में लगे हुये अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के व्यक्तियों में से भूमिहीन मजदूरों के रूप में कार्य करने वाले लोगों को भूमि बाँटी गई है।

7. अन्य कल्याण योजनायें –

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों के स्वास्थ्य सुधार तथा आवास पर भी सरकार के द्वारा काफी धनराशि खर्च की जाती है इन लोगों को मकान बनाने के लिये मुफ्त या नाममात्र के ब्याज पर ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। इन लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने और इनके स्वास्थ्य सुधार हेतु अस्पतालों, पीने के स्वच्छ पानी, बच्चो तथा प्रसूताओं के लिये कल्याण केन्द्रों और अस्पतालों तथा मोटर गाड़ियों की व्यवस्था की गई है।

8. पंचवर्षीय योजनायें –

नौ पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण पर करोड़ों–अरबों रुपया खर्च किया जाता है वर्तमान में अनुसूचित जातियों में विकास कल्याण हेतु विभिन्न राज्यों में "अनुसूचित जाति विकास निगम" बनाये गये है। जो अनुसूचित जातियों के परिवारों तथा वित्तीय संस्थाओं के बीच सम्बन्ध स्थापित कराने तथा उन्हें आर्थिक साधन उपलब्ध कराने में योग देते है।

अतः इस प्रकार सन् 1947 के बाद स्थितियाँ बदल गई धीरे–धीरे दलित वर्ग में जागरूकता बढ़ी तथा सभी प्रावधानों एवं सुविधाओं का लाभ देश की अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को मिला है तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक

स्थिति में सुधार हुआ है। परन्तु यह संतोषजनक नही है। अतः दलित महिलायें आज भी अनेकों समस्याओं से संग्रसित है।[2]

अतः दलित महिलायें भारतीय समाज के सम्मुख एक गम्भीर समस्या के रूप में है। आज ऐसे लोगों की संख्या काफी है जो दलितों को हिन्दू समाज का सबसे बड़ा कलंक मानते है। वर्तमान में ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो न अस्पृश्यता में विश्वास नही करते है। दलितों के प्रति कुछ लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन आया है। तो कुछ के व्यवहारों में।

इस बीसवीं शताब्दी में इस समस्या को दूर करने एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण की दृष्टि से अनेक ऐच्छिक संगठन कार्य कर रहे है जिनमें प्रमुख ये है – (1) अखिल भारतीय हरिजन संघ, दिल्ली (2) भारतीय दलित वर्ग लीग, दिल्ली (3) ईश्वर सरन आश्रम, इलाहाबाद (4) भारतीय रेडक्रास सोसायटी, दिल्ली (5) हिन्दु मेहतर सेवक संघ, दिल्ली (6) रामकृष्ण मिशन। इन संगठनों के अतिरिक्त सरकार ने कानूनी और सामाजिक तौर से अस्पृश्यों की स्थिति में सुधार लाने में काफी प्रयत्न किये है। अस्पृश्यता निवारण एवं अनुसूचित जातियाँ की स्थिति उन्नति करने हेतु यहाँ (1) सुधार आन्दोलन हुये, एवं (2) सरकारी प्रयत्न हुये।

1. सुधार आन्दोलन या गैर सरकारी प्रयत्न –

अस्पृश्यता की समस्या के निवारण के लिये समय–समय पर अनेक संतों तथा समाज सुधारकों के द्वारा प्रयत्न किये गये। इस दिशा में चैतन्य, कबीर, नानक, नामदेव, तुकाराम आदि के प्रयत्न विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आधुनिक काल में राजाराम मोहनराय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती, एनी वीसेण्ट, डॉ. अम्बेडकर तथा वीरसवरकर एवं महात्मा गाँधी आदि ने अस्पृश्यता की समस्या को बदल करने एवं अनुसूचित जातियों की प्रगति के लिये काफी प्रयास किये।

समाज में व्याप्त रूढ़ियों को तोड़ने की भारत को प्रतीक्षा थी। सैद्धान्तिक रूप से हिन्दू समाज में अस्पृश्यता धीरे–धीरे अनुचित समझी जाने लगी इसी समय 1924 में अण्डमान जेल से छूटने के पश्चात् स्वातांत्र्य वीर सावरकर ने भी अस्पृश्यता के विरूद्ध शंखनाद कर दिया। महात्मा गाँधी ने भी अस्पृश्यता निवारण का अभियान छेड़ दिया था। डा. हेगड़ेवार का मत था कि "सदियों से यातनाओं एवं उत्पीड़न से ग्रस्त अस्पृश्य समाज बंधुओं को केवल भाषणों एवं नारों से ही जाग्रत नही किया जा सकता इसके लिये संघर्ष एवं जन आन्दोलन खड़ा करना होगा।"

2. एम. एल. गुप्ता, डी. डी. शर्मा – 2004 'समाज शास्त्र' साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा पृ. 40–60

अतः डा. अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को "बहिष्कृत हितकारणी सभा" की स्थापना बम्बई में कर दी इस सभा का उद्देश्य दलितों में शिक्षा का प्रसार, उनके लिये वाचनालय, समाज केन्द्र, विद्या केन्द्र खोलना, अनेक छात्रावासों की स्थापना करना एवं उनकी अन्य कठिनाइयों पर ध्यान देना। सभा का एक मात्र उद्देश्य अछूतोद्वार था। इस सभा ने बम्बई में पर्याप्त कार्य किया।

महाड़ का जल सत्याग्रह –

सन् 1926 में बम्बई की सरकार ने एक विधेयक पारित किया, जिसमें अस्पृश्य बंधु–बाधवों को कोलावा जिले की महाड़ नगर पालिका ने चावदार ताल के पानी की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। अतः भीम सब अम्बेडकर ने एक निश्चित दिन अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ जाकर तालाब के जल को स्पर्श कर ग्रहण किया। इस बीच कुछ रूढ़िग्रस्त समाज विरोधियों ने डा. अम्बेडकर एवं उनके अनुयायियों के सम्बन्ध में भ्रामक समाचार फैलाया परिणामस्वरूप अम्बेडकर और उनके अनुयायियों के साथ समाज विरोधियों द्वारा दुर्व्यवहार हुआ और उन पर आक्रमण किया गया। भीमराव पर हुये इस आक्रमण ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। अनेक विचारशील, प्रबुद्ध एवं अग्रणी कहे जाने वाले हिन्दुओं ने इस प्रवृत्ति की कटु निंदा की तथा अस्पृश्यों को भी अन्य शेष समाज की भाँति तालाबों एवं कुओं से पानी लेने को उचित ठहराया। डा. अम्बेडकर कहते थे "कि जिस तालाब से कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े पानी पी सकते है, वहाँ ये मनुष्य पानी नही ले सकता, यह कैसी परम्परा है।"

मंदिरों में प्रवेश –

मंदिरों में प्रवेश पर क्यों प्रतिबन्ध लगाते हो –

मंदिरों के अस्पृश्यों एवं दलितों के प्रवेश के प्रश्न को लेकर स्थान–स्थान पर सत्याग्रह व संघर्ष होने लगे अमरावती के इन्द्र भुवन थियेटर में एक विशाल सभा में अध्यक्षीय भाषण के समय डा. अम्बेडकर ने कहा – "मंदिरों में भगवान की प्रतिमा के पूजन का सभी को समान अधिकार होना चाहिये। मंदिर की मूर्तियाँ किसी के छूने से न तो अपवित्र होती है ओर न उन पर इसका कोई विलोम प्रभाव पड़ता है दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद के आधार पर व्यक्तियों के अधिकार तय करने की नीति का हमारा देश भी आलोचना करता है। लेकिन यदि ईश्वर को मानने वाले हिन्दुओं को ही आप मंदिर में प्रवेश नही देंगे तो इसको क्या कहा जायेगा।"

अछूतों के लिये अलग से मंदिर नही चाहिये –

"दलितों के लिये अलग से मंदिर बनवाने की किसी भी व्यवस्था का कठोर विरोधी हूँ तथा सभी सार्वजनिक मंदिरों में अछूतों के प्रवेश को न्योचित और नैतिक मानता हूँ।"

हिन्दू धर्म केवल सवर्णो के लिये नही हो सकता –

"मंदिर सार्वजनिक पूजा के स्थल होते है। उनसे समूचे हिन्दू समाज की भावना जुड़ी है तब उनमें कुछ हिन्दू प्रवेश करे और कुछ के लिये प्रवेश वर्जित हो यह बात गले नही उतरती। मंदिर तो पूरे हिन्दू समाज के लिये होते है न कि वर्ग विशेष के लिये। हिन्दू धर्म केवल सवर्णो के लिये नही हो सकता वह तो अछूतों और सवर्णों दोनों के लिये है फिर यह भेदभाव कैसा ?"

कालाराम मंदिर का सत्याग्रह –

नासिक में भगवान राम का मंदिर है, उसमें काले पत्थर की प्रतिमा लगी है। उसके दर्शन की अनुमति दलितों को नही थी 2 मार्च, 1930 को डा. अम्बेडकर के नेतृत्व में हजारों लोग मंदिर के दर्शन के लिये एकत्रित हुये लेकिन अनुमति नही दी गई। सत्याग्रह प्रारम्भ हो गया जो लगभग 9 माह तक चला। अछूत नवयुवक रथ खींचने के लिये आगे आये वह भी नही करने दिया गया, संघर्ष जारी रहा। अन्तोगत्वा अक्टूबर 1935 में मंदिर प्रवेश का कानून बन गया और मंदिर के दरवाजे अछूतों के दर्शन के लिये खुल गये।[3]

अतः इस प्रकार डा. अम्बेडकर ने सामाजिक अधिकारों संघर्ष के लिये दलितों को जागरूक करते रहे। इसका दलितों पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

पहला दलित वर्ग सम्मेलन –

18–19 जुलाई, 1942 अखिल भारतीय दलित वर्ग की सभा 18 जुलाई को नागपुर के मोहन पार्क में बने एक विशिष्ट पंडाल में की गई जिसमें पंजाब, बंगाल, मद्रास के दलितों ने भी भाग लिया। इसमें लगभग 70 हजार दलितों ने भाग लिया। बाबा साहब ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि दलितों ने जो प्रगति की है तो अपने परिश्रम से की है। उन्होंने दलित महिलाओं के योगदान की प्रशंशा की है। उन्होंने कहा कि दलितों ने अन्य समाज की भाँति अपनी एक राजनैतिक पहचान बनाई है उन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुये कहा कि हमारी लड़ाई केवल धन और शक्ति के लिये न होकर एकता और मानवता के लिये है। इसी अवसर

---

3. डा. कृष्ण गोपाल, श्री प्रकाश – सेवा भारती – राष्ट्र पुरूष भीमराव अम्बेडकर – 173, वीरसावरकर नगर आगरा पृ. 11–25

पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ (आल इण्डिया शैड्यूल्ड कस्टम फेडरेशन) की स्थापना भी की गई।

इसी पंडाल में डा. अम्बेडकर ने दो अन्य सभाओं को भी सम्बोधित किया। इनमें से एक दलित वर्ग महिलाओं की सभा थी जिसकी अध्यक्षता अमरावती की श्रीमती सुलोचना बाई डोगरे ने की थी उन्होंने इस अवसर पर, महिलाओं को बताया था कि किसी समाज की प्रगति का आधार और प्रतीक उस समाज की महिलायें होती है इसलिये महिलाओं का शिक्षित होना, चरित्रवान होना, व्यसनों से दूर रहना, हीन भावना से मुक्त होना, अपने में तथा बच्चों में आत्म सम्मान और आत्म विश्वास की भावना उत्पन्न करना, अपव्यय न करता, संयमशील बनना, अपनी संतान की छोटी आयु में शादी न करना तथा शादी होने पर घर को शांतिपूर्वक चलाना तथा कम से कम बच्चे पैदा करना, परिवार आधुनिकतापूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना प्रत्येक दलित महिला का कर्तव्य होना चाहिये तभी दलित समाज वास्तवित प्रगति कर पायेगा।

इस प्रकार 6–7 सितम्बर, 1943 त्रिपक्षीय श्रमिक परिषद के दूसरे सत्र का आयोजन श्रम मंत्री डा. अम्बेडकर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में किया गया। इसमें डा. अम्बेडकर ने श्रमिकों के भोजन, वर्दी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक सुविधाओं के बारे में ही केवल विचार विनिमय नही किया अपितु श्रमिकों के वेतन और उनकी सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी विचार करके नई–नई नीतियों को प्रथम बार लागू किया गया। इस प्रकार नवम्बर, 1943 सरकारी नियुक्तियों में 8.33 प्रतिशत लंदन में तकनीकी शिक्षा का अध्ययन हेतु अस्पृश्यों के लिये स्थान तथा एक और स्थान केन्द्रीय विधायिका (सेन्ट्रल असेम्बली) के साथ–साथ राज्य परिषद (कांउसिल आफ स्टेटस) के लिये आरक्षण की प्रथम बार बाबा साहब द्वारा व्यवस्था की गई।

दूसरा दलित वर्ग सम्मेलन –

29 जनवरी, 1944 कानपुर में अनुसूचित जाति संघ के वार्षिक समारोह का आयोजन किया इस समारोह के अध्यक्ष श्री एन. शिवराज ने यहाँ घोषणा की कि दलित वर्गों को भारत की सत्ता परिवर्तन में कोई आपत्ति नही है बशर्ते उन्हें नागपुर में जुलाई 1942 में आयोजित किये गये दलित वर्ग सम्मेलन में लिये गये निर्णयों के आधार पर सुविधायें प्रदान की जाये। तथा बाबा साहब ने इस अवसर पर अस्पृश्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को दृष्टिगत रखकर कहा कि भारत की भावी सरकार में हिन्दुओं मुसलमानों और दलितों तीनों की अनुपातिक भागीदारी होनी

चाहिये। यदि ऐसा नही होता तो इसके विरोध में वह जोरदार अभियान छेड़ेंगे। उन्होंने युवकों का आह्वान करते हुये कहा कि वे अपनी शिक्षा पर अधिकाधिक ध्यान देते हुये सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाने के प्रयास करे।

इस प्रकार दलितों की समस्याओं को हल करने एवं उनकी प्रगति एवं विकास के लिये समय–समय पर आन्दोलन एवं सम्मेलन होते रहे जिसके परिणामस्वरूप उनमें कुछ चेतना एवं जागरूकता आयी। उनके उत्थान के लिये अनेकों प्रयास हो रहे।

सरकारी प्रयत्न –

वास्तविकता यह है कि सरकारी नीतियों एवं प्रयत्नों के फलस्वरूप ही अनुसूचित जातियों की अनेकों निर्योग्यतायें एवं पिछड़ापन दूर होते जा रहे है। महात्मा गाँधी ने कहा था कि "मैं ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ जिसमें गरीबी भी यह समझे की यह मेरा देश है और इसके बनाने में मेरी राय कम नही होगी, ऐसा भारत जिसमें सभी सम्प्रदाय पूरी तरह घुल मिलकर रहेंगे।"

इस आदर्श को ध्यान में रखकर स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियों की महिलाओं के लिये विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई।[4]

दलितों को उत्थान हेतु संवैधानिक व्यवस्था –

भारत के संविधान में भारत को एक ऐसा समाजवादी गणराज्य बनाने का संकल्प किया गया, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार तथा समान अवसर प्राप्त हो। इस उद्‌देश्य को पूर्ण करने के लिये यह आवश्यक रहा की समाज के जो वर्ग सदियों से पिछड़े हुये है। उन्हें संरक्षण देकर उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाया जाये, ताकि कालान्तर में वे समाज की मुख्य धारा का अंग बन सके। अम्बेडकर ने सामाजिक कुरीतियों, भेदभाव व छुआछूत का तांडव अपने वाल्यावस्था से ही देखा था। तथा संविधान निर्माण के दायित्व प्राप्त होने पर उन्होंने इसे समूल दूर करने की दिशा में प्रयास किया।

संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि राज्य, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनायेगा तथा असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। अतः राज्य द्वारा ऐसी जातियों तथा जनजातियों को अधिसूचित किया गया, जिन्हें संरक्षण देने की विशेष आवश्यकता थी। ऐसी जातियों का स्तर

---

4. राय हिमांशु – बाबा साहेब अम्बेडकर – समता प्रकाशन, विश्वास नगर, शाहदरा दिल्ली 1997 पृ. 1–30

ऊँचा उठाने के लिये लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में उन्हें प्रतिनिधित्व देने एवं शिक्षा के क्षेत्र तथा लोक सेवाओं में उन्हें आरक्षण देने की व्यवस्था की गई संविधान के अनुच्छेद 46 में निम्न प्रकार की व्यवस्था की गई जो इस प्रकार है।

"राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्ट तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।"

संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 349 में तथा दि कान्सटीट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्ट) आर्डर 1950 (यथा संशोधन) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को परिभाषिक किया गया है राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन कर आबादी के अनुसार उसे अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित किया गया है। प्रदेश की 425 विधानसभा सीटों में 93 सीटे अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित है। सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना ही नही अपितु ऐसे वर्गों का सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से स्तर उन्नत कर समाज में उन्हें सम्मानित स्थान दिलाना भी है।

सार्वजनिक सेवाओं में नागरिकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में भारत के संविधान में विशेष प्रावधान किये गये है इन्ही प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 16 (1)

"राज्य अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी।"

अनुच्छेद 16 (2)

"कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में अपात्र नही होगा या उसमें विभेद नही किया जायेगा।"

अनुच्छेद 16 (4)

"इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुये नागरिकों के किसी पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नही है। नियुक्तियाँ या पदों के आरक्षण के लिये उपलब्ध करने से निवारित नही करेगी।"

उपर्युक्त प्राविधानों के साथ ही राज्य सेवाओं का स्तर तथा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने की दृष्टि से भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 335

"संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियाँ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावा का प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जायेगा।"

संविधान की इस मूल भावना का समावेश करते हुये उ. प्र. शासन द्वारा आरक्षरण नीति के सम्बन्ध में 26 अगस्त 1950 के प्रथम शासनादेश जारी किया गया था। इसके पूर्व प्रदेश में इस आरक्षण नीति का स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया गया कि सार्वजनिक सेवाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके। सर्वप्रथम 1947 में प्रारम्भ की गई इस नीति के तहत सेवाओं में जहाँ चुनाव प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा निर्धारित श्रेष्ठता के आधार पर किया जाता था, होने वाली कुल रिक्तियों में 10 प्रतिशत के आरक्षण का प्राविधान किया गया ओर यह व्यवस्था भी रखी गई कि यदि किसी वर्ष विशेष में निर्धारित कोटे तक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी चयनित न हो पाये तो उस कमी को आगामी वर्ष में पूरा किया जाये। इस आरक्षण को पूर्ण करने के लिये यह निर्णय लिया गया की न्यूनतम अर्हता वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी चाहे वे श्रेष्ठता क्रम में बहुत नीचे क्यों न हो, को कोटे की सीमा तक इस शर्त के साथ चुन लिया जाये कि वे परिवीक्षा काल में उपर्युक्त स्तर प्राप्त कर लेंगे। बाद में इस व्यवस्था में यह परिवर्तन किया गया कि सामान्य मापदण्ड शिथिल करके आरक्षित कोटे की कमी को पूरा कर लिया जाये और यदि फिर भी पर्याप्त संख्या में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तब न्यून अर्हता प्राप्त व्यक्तियों का चयन कर लिया जाये और उन्हें सेवारत प्रशिक्षण दिया जाये। शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों को उपर्युक्त संख्या में नियुक्त करने के निर्देश चून 1950 में प्रसारित किये गये किन्तु भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने पर संवैधानिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये सेवाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की नीति समाप्त कर दी गई

किन्तु आरक्षण सम्बन्धी नीति को समय–समय पर और अधिक उदार बनाया गया।

आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के बावजूद इस अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की समस्या से निपटने के लिये रोजगार कार्यालयों में इन जातियों के अभ्यर्थियों को पंजीकरण बिना किसी पूर्व शर्त के तुरन्त करने का प्रावधान किया गया इस जाति के अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु सेवाओं में भर्ती के लिये निर्धारित वर्तमान में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष के अतिरिक्त आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये एक प्रमाण पत्र निर्धारित किया गया और जाति प्रमाण पत्र देने के लिये प्राधिकारियों का निर्धारण भी कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कालान्तर में अनुसूचित जातियों के लिये निर्धारित आरक्षण कोटे में वृद्धि कर इसे वर्ष 1953 से 18 प्रतिशत कर दिया गया वर्तमान में प्रदेश की वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति की आबादी 21 प्रतिशत हो जाने के कारण आरक्षण का कोटा वर्ष 1995 से 21 प्रतिशत कर दिया गया है। किसी वर्ष विशेष में निर्धारित कोटे की सीमा तक उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दिशा में इस कमी को आगामी वर्षों के लिये अग्रतीत करने की अवधि में विशेष चयन करने का प्रावधान भी किया गया है निर्धारित आरक्षित कोटा पूरा करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है। कि लिपिकीय व अवर सेवाओं में उस समय तक क्रमशः 25 प्रतिशत व 45 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा जब तक कि 21 प्रतिशत का निर्धारित कोटा पूरा नही हो जाता।

अनुसूचित जनजातियों के लिये भी सेवाओं में 2 प्रतिशत का आरक्षण अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट एवं अनभरे रिक्तियों को अग्रेतीत करने की व्यवस्था प्रदेश में की गई है। पिछड़े वर्गों के लिये भी प्रदेश के सार्वजनिक सेवाओं में 25 प्रतिशत का आरक्षण लागू किया गया है। तथा अधिकतम आयु सीमा में भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। आरक्षण की उपर्युक्त व्यवस्थायें शैक्षणिक संस्थाओं स्थानीय निकायों सार्वजनिक उपक्रमों आदि में भी लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति के अवसर भी शीघ्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से पदोन्नति में भी तद्नुसार आरक्षण का प्रतिशत लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन ने विभागीय प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों में आरक्षण सम्बन्धी आदेश को सम्मिलित किया है जिससे अधिकारियों/कर्मचारियों को आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कराया जा सके आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के

उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने इसके कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासों का उल्लेख उनकी वार्षिक प्रविष्टि में किये जाने का भी प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त आरक्षण व्यवस्था के कार्यान्वयन की समीक्षा शासन स्तर पर जो समय–समय पर की जाती है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के हितों के मामलों की देखरेख करने हेतु अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग की भी स्थापना की गई है। इन जातियों के लिये व्यवस्थित विभिन्न संरक्षणों से सम्बन्धित मामलों एवं प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जाँच करते है और शासन को प्रति वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करते है। शासन इन जातियों को विभिन्न सेवाओं में निर्धारित प्रतिनिधित्व देने की दशा में सतत् प्रयत्नशील है ताकि किसी स्तर पर इस दिशा में शिथिलता न आने पाये और कम से कम समय में निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। संविधान में आरक्षण के लाभ की स्थिति सर्वप्रथम 10 वर्षों के लिये ही की गई थी। किन्तु निर्धारित समयावधि में उद्देश्यों की पूर्ति न होने के कारण समय–समय पर इसकी समीक्षा उत्तरोत्तर बढ़ाई जाती जा रही है।

बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से देश दलितों, पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिल सका जिससे वे बौद्धिक रूप से पिछड़े होने के बावजूद सार्वजनिक सेवाओं में स्थान पा सके एवं उनका जीवन स्तर ऊँचा उठ सका है। उ. प्र. सरकार ने बाबा साहब के विचारों एवं भावनाओं जिसका मूल स्वरूप भारतीय संविधान में अंकित है, को बड़ी तत्परता व कुशलता से प्रदेश में लागू कराया है। सार्वजनिक सेवाओं में इस वर्ग के व्यक्ति उपलब्ध हो सके, की दृष्टि शैक्षिक संस्थाओं में भी इस वर्ग के लोगों को आरक्षण एवं आर्थिक सहायता का प्राविधान किया गया है। व सेवा पूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।[5]

दलित उत्पीड़न निवारण की विधिक व्यवस्था –

अम्बेडकर भारत के दलित वर्ग के कल्याण के लिये सदैव प्रयासरत रहते थे। उनका सोचना था कि यदि भारत को आजादी मिली तो उसमें न अछूतों का स्थान व प्रतिनिधित्व क्या होगा। वे चाहते थे की अछूत पूर्व की भाँति दूसरों की अनुकम्पा पर न छोड़ दिये जाये अपितु उन्हें भी दूसरे वर्ग के लोगों के साथ एवं उनकी तरह सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो

---

5. डा. जे. वी. सिन्हा – सामाजिक न्याय एवं दलितोत्थान की योजनायें, शान्ति प्रकाशन इलाहाबाद 2002 पृ. 27–32

सके। अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था व समाज में प्रचलित छुआछूत से इतने खिन्न थे कि वे अछूतों को हिन्दू समाज का अंग नही मानते थे। क्योंकि ऐसा समाज जो उन्हें सार्वजनिक कुओं व सरोवर का पानी न लेने दे। या मंदिरों में प्रवेश तथा पूजा अर्चना की अनुमति न प्रदान करे ये वे अछूतों को सम्मिलित रहने के विरोधी थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् बिट्रिश शासन ने भारत की स्वतंत्रता व भारतवासियों को कुछ सुविधायें देने पर विचार विमर्श प्रारम्भ किया बाबा साहब ने दलित वर्ग के कल्याण के लिये कई ज्ञापन प्रस्तुत किये जिनमें विधानसभाओं में दलित जाति के प्रतिनिधित्व के लिये स्थान आरक्षित करने एवं सार्वजनिक सेवाओं में दलितों के लिये आरक्षण की माँग मुख्य रही उनका कहना था कि दलित वर्ग की समस्या सामाजिक है और उनकी यह सामाजिक समस्यायें तब तक हल न होगी जब तक उसके हाथों में राजनैतिक शक्ति नही आ जाती उन्होंने दलितों के उचित अनुपात से राजनीति में हिस्सा दिये जाने हेतु बिट्रिश शासन पर दबाव डाला। लेकिन भारत के प्रथम कामचलाऊ मंत्रिमंडल में बाबा साहब को नही रखा गया। इससे अछूतों को निराशा हुयी। बाबा साहब ने घोषणा की कि लेवर सरकार ने अछूतों का अपमान किया है और उसके हितों के साथ धोखा दिया है। बाबा साहब फिर भी इससे विचलित नही हुये क्योंकि उन्हें अपने पर पूर्ण भरोसा था भारतीय संविधान के प्रारूप सभा के अध यक्ष की हैसियत से बाबा साहब को अवसर मिला की वे दलितों में भाग्य परिवर्तन की दिशा में कार्य कर सके और उन्होंने इस दायित्व को बहुत ही अच्छे तथा सुनियोजित ढंग से पूर्ण किया संविधान में इस दृष्टि से की गई व्यवस्थाओं को उन्होंने सर्वण हिन्दुओं को आश्वस्त कर पारित कराया और संविधान अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान में की गई व्यवस्थाओं के ब्यौरे इस प्रकार है।

अनुच्छेद 15 –

राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा कोई नागरिक केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में अपात्र नही होगा या उसमें विभेद नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 17 –

"अस्पृश्यता का अंत किया कि उसका किसी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है।" अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार

दण्डनीय होगा।

अनुच्छेद 18 –

सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, शान्तिपूर्ण और निरापध सम्मेलन का संगम या संघ बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अवाध विचरण का और भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का तथा कोई वृत्ति, उपजी विकाया कारोबार करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 23 –

मानव का दुर्व्यवहार और वेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती किया जाने वाला श्रम प्रतिपिद्व किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

अनुच्छेद 335 –

संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियाँ करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सदस्यों में दावों का प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जायेगा।

अनुच्छेद 338 –

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिये एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये उपबंधित रक्षोपायो से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन रक्षोपायो के कार्य मरण के सम्बन्ध में ऐसे अन्तरालों पर राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखेगा।

अनुच्छेद 340 –

राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं में और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे है, उनके अन्वेषण के लिये और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिये संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किये जाने चाहिये उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिये संघ या किसी राज्य में जो

उपाय किये जाने चाहिये उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिये संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान दिये जाने चाहिये और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान दिये जाने चाहिये उनके बारे में सिफारिश करने के लिये आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो उतने व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। जितने वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी निश्चित की जायेगी। इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा, जिससे उसके द्वारा पाये गये तथ्य उपवर्जित किये जायेगे जिसमें ऐसी सिफारिश की जायेगी जिन्हें आयोग उचित समझे, इसी अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का गठन किया गया है। एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनुसूचित जाति आयोग एवं पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है।

अनुच्छेद 341 –

राष्ट्रपति किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में और जहाँ वह राज्य है, वहाँ के राज्यपाल से परामर्श करने पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के मूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियाँ समझा जायेगा उक्त अधिसूचना में किसी पश्चावर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नही किया जायेगा अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में भी उपयुक्तानुसार ही व्यवस्थायें की गई है। अतः अम्बेडकर जानते थे कि संविधान में मात्र व्यवस्थायें कर देने से समस्या का निदान सम्भव नही होगा क्योंकि सदियों से समाज में रहे सवर्णों की मानसिकता में परिवर्तन करना आवश्यक रहा। ''मय विनु होत न प्रीति'' के सिद्धान्त के तहत अछूतों के प्रति अस्पृश्यता समाप्त करने के लिये वर्ष 1956 में संसद ने ''अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया जिसमें अछूतों की सामाजिक निर्योग्यताओं को समाप्त हो जाने की स्थिति में भेदभाव बरतने वाले व्यक्तियों के लिये दण्ड की व्यवस्था की गई इस अधिनियम में कमियों के रह जाने के कारण उसे बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995'' के रूप में अधिनियम किया गया। इस अधिनियम में नागरिक अधिकार का तात्पर्य ऐसे अधिकार से माना गया जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता समाप्त होने के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हुयी है इस अधिनियम में धार्मिक निर्योग्यता एवं सामाजिक निर्योग्यता को लागू एवं व्यवहार में अमल करने

वाले को सश्रम कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्राविधान किया गया इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करते हुये उन्हें अस्पतालों में भर्ती करने, उन्हें सामान बेचने या उनके लिये सेवा प्रदान करने से मना करने वाले व्यक्तियों के लिये भी सक्षम कारावास और दण्ड देने की व्यवस्था अधिनियम में की गई। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के प्रति उसे अछूत होने के कारण किये गये अपमान के लिये भी कारावास व जुर्माने की सजा की व्यवस्था की गई दुबारा अपराध करने वाले के लिये सजा में वृद्धि का भी प्राविधान किया गया। अधिनियम की धारा 15 में यह प्राविधान किया गया कि सभी अपराध संज्ञेय होंगे तथा संक्षिप्त रूप से परीक्षित किये जायेगे। अधिनियम की धारा 15ए में राज्य सरकारों के इस बात के लिये दायित्व निर्धारित किये गये कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ''अस्पृश्यता'' निवारण से प्राप्त अधिकारों का संरक्षण ऐसे व्यक्तियों को अवश्य प्राप्त हो सके। इस केन्द्रीय कानून को पूरे भारत में लागू किया गया जिसने निसन्देह अस्पृश्यता के कारण समाज में दलितों की स्थिति में सुधार हुआ कानून के भय से लोगों में उनके उत्पीड़न न करने की बाध्यता उत्पन्न हुयी।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 यद्यपि अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहा किन्तु दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में सत्तर व अस्सी के दशक में बढ़ोत्तरी हुयी इस स्थिति से भारत सरकार ने दलितों की स्थिति को कानूनी रूप से और संरक्षित करने की दृष्टि से एक सुदृढ़ विधि बनाने की आवश्यकता महसूस की वर्ष 1989 में भारतीय संसद ने सिविल अधि ाकार संरक्षण 1955 को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उत्पीड़न से बचाने के लिये ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अधि नियमित किया। इस अधिनियम में ऐसे अपराधों के विचारण के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना एवं व्यक्तियों के लिये राहत व पुनर्वास की व्यवस्थायें व प्राविध ाान किये गये है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में प्रावधान इस प्रकार है।

धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिये दण्ड –

यदि कोई किसी व्यक्ति को –

(क) किसी ऐसे लोक–पूजा–स्थान में प्रवेश करने से, जो उसी धर्म को मानने वाले या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिये खुला हो जिसका वह व्यक्ति हो।

अथवा

(ख) किसी लोक पूजा स्थान में पूजा या प्रार्थना या कोई धार्मिक सेवा अथवा पुनीत कुयें,

जलाशयों तथा जल सारिणी, नदी या झील में स्नान या उसके जल का उपयोग या झील के किसी घाट पर स्नान आदि उसी रीति से और उसी विस्तार तक करने से जिस रीति से और जिस विस्तार तक ऐसा करना उसी धर्म को मानने वाले या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिये अनुन्जेय हो, जिनका वह व्यक्ति हो, ''अस्पृश्यता'' के आधार पर निवारित करेगा वह एक माह से छः माह तक के कारावास तथा 100 रुपया से 500 तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

सामाजिक निर्योग्यतायें थोपने के लिये दण्ड व्यवस्था –

यदि कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध छुआछूत के आधार पर सामाजिक भेदभाव रखेगा वह एक माह से छः माह तक के कारावास तथा 100 रुपये से 500 रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

इस दण्ड व्यवस्था के अन्तर्गत किसी दुकान, भोजनालय, होटल, धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाना में जनसाधारण में उपयोग के लिये रखे गये बर्तनों या अन्य वस्तुओं का उपयोग करने से छुआछूत के आधार पर रोका जाना अपराध है।

अस्पतालों आदि में छुआछूत के आधार प्रवेश रोकने के लिये दण्ड –

जनसाधारण के लिये स्थापित किसी औषधालय शिक्षा संस्था या छात्रावास में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर प्रवेश करने से इनकार करता है तो वह एक माह से छः माह तक के कारावास तथा 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माने से दण्डित होगा।

माल बेचने या सेवा करने से इनकार के लिये दण्ड –

यदि कोई उसी समय और स्थान पर और वैसे ही निर्वन्धनों और शर्तों पर जिन पर कारवार के साधारण अनुक्रम के अन्य व्यक्तियों को ऐसा माल बेचा जाता है, या उनकी सेवा की जाती है, किसी व्यक्ति को कोई माल बेचने या उसकी सेवा करने से ''अस्पृश्यता'' के आधार पर इनकार करेगा, वह एक मास से छः मास की अवधि के कारावास और 100 रुपये से 500 रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

छुआछूत जन्य अन्य अपराधों के लिये दण्ड –

(क) संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन ''अस्पृश्यता'' के अंत होने से उनको हासिल होने वाले किसी अधिकार का प्रयोग करने निवारित करेगा।

(ख) किसी व्यक्ति को किसी ऐसा अधिकार के प्रयोग में उत्पीड़ित करेगा, क्षति पहुँचाये, क्षुब्ध करेगा, बाधा डालेगा या बाधित करने का प्रयत्न करेगा।

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या जन साधारण को बोले गये या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा किसी भी रूप में "अस्पृश्यता" आवरण करने के लिये उद्दीप्त या प्रोत्साहित करेगा तो वह एक माह से छः माह तक के कारावास तथा 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माने से दण्डित होगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एक विशेष अधिनियम के रूप में बनाया गया है जिसमें इस वर्ग के सदस्यों पर अत्याचार या अपराध का निवारण करने के लिये विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुर्नवास का तथा उससे सम्बन्धित या उसके अनुषागिक विषयों का उपबन्ध किया गया है इस अधिनियम की मुख्य व्यवस्थायें इस प्रकार है।

अमानवीय व्यवहार दण्डनीय अपराध है –

अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी सदस्य को अखाद्य या घृणा जनक पदार्थ पीने या खाने के लिये मजबूर करना उसके परिवार या पड़ोस में मलमूत्र कूड़ा पशु शव या अन्य कोई घृणात्मक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के आशय से कार्य करना अथवा उसके शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतार उसके चेहरे या शरीर पोतकर घुमाना या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करना जो मानव सम्मान के विरूद्ध हो।

अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्ति की जमीन हड़पना अपराध है –

यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन आवंटित किये जाने के लिये अधिसूचित किसी भूमि पर गैर कानूनी कब्जा करेगा या भूमि का आवंटित करा लेगा अथवा उसकी भूमि या परिसर से उसे गैर कानूनी बेदखल करेगा या किसी भूमि या जल पर उसके अधिकारों के उपयोग में हस्तक्षेप करेगा जो दण्डित किया जायेगा।

बन्धुवा मजदूर एक शोषण है –

अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को सरकार द्वारा प्रायोजित किसी श्रमदान कार्यक्रम के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति बेगार या बन्धुवा मजदूरी के मजबूर करता है, या फुसलाता है तो दण्डित किया जायेगा।

सामाजिक अपमान मानवता का अपमान है –

यदि कोई गैर अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य को किसी सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने की नीयत से पीड़ित करता है, तो वह दण्डित किया जायेगा।

सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश से रोकना –

यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य को किसी अपने परम्परागत अधिकारों के बल पर किसी सार्वजनिक स्थान पर या मार्ग से जाने से रोकता है तो वह दण्ड का भागी होगा।

उत्पीड़न दण्डनीय अपराध है –

कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिये पहले ही दोष सिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके बाद के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध किया जाता है, वह एक वर्ष से लेकर उस अपराध के लिये उपबंधित दण्ड की अवधि तक के कारावास से दण्डित होगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 34 अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 में धारा 149 और अध्याय 23 के उपबन्ध जहाँ तक हो सके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दण्ड संहिता के प्रयोजनों के लिये लागू होते है ऐसी व्यवस्था अधिनियम में भी की गई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न की रोकथाम –

इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश पुलिस के अन्तर्गत पुलिस उप महानिरीक्षक के अधीन विशेष जाँच प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस प्रकोष्ठ में एक अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, एक पुलिस अधीक्षक, एक अपर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक कार्यरत है। विशेष जाँच प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों की जाँचकर उत्पीड़ित सदस्यों को न्याय दिलाना है।

अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़ित की दृष्टि से संवेदनशील समझे जाने वाले

उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों में विशेष जाँच प्रकोष्ठ की स्थापना की गई इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों तथा राजकीय रेलवे पुलिस के अनुभाग में भी विशेष जाँच प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।[6]

अतः इस प्रकार दलित वर्ग के विकास के लिये अनेकों आन्दोलन हुये तथा सरकार द्वारा अनेकों प्रावधान बनाये गये परन्तु अशिक्षित और रूढ़ियाँ व्याप्त होने के कारण इनका ठीक प्रकार से लाभ नही उठा पा रही है। अतः भारत सरकार द्वारा इनके विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनायें बनायी है जो निम्न सारिणी द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।

क्र.	विकास की योजनायें	वर्ष
1.	आवासीय योजना	
	(क) इन्दिरा विकास योजना	1986–87
	(ख) निर्बल ग्रामीण आवासीय योजना	1995–96
2.	शैक्षिक योजना	
	(क) छात्रवृत्ति योजना	1963–64
	(ख) मेडिकल, इंजीनियरिंग में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की पुस्तकीय सहायता एवं उपकरण क्रमार्थ सहायता	1975–76
	(ग) सर्व शिक्षा अभियान	2000
	(घ) शिक्षा मित्र योजना	
	(ङ) शिक्षा गारण्टी योजना	
	(च) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना	20 फरवरी 2004
	(छ) प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	
3.	समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	15 अगस्त 1995
	(क) केन्द्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	
	(ख) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	
	(ग) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	

6. डा. जे. वी. सिन्हा – सामाजिक न्याय एवं दलितोत्थान की योजनायें, शान्ति प्रकाशन इलाहाबाद 2002, पृ. 27–35

4.	महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम	मार्च 1989–90
	(क) अनुपूरक पुष्टाहार	
	(ख) स्कूल पूर्व शिक्षा	
	(ग) महिला समृद्धि योजना	2 अक्टू. 93–94
	(घ) बालिका समृद्ध योजना	1997
	(ङ) इंदिरा महिला योजना	1995–96
	(च) किशोरी बालिका योजना	
	(छ) राष्ट्रीय महिला कोष	
	(ज) महिला जागृति योजना	
	(झ) श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण	
	(ञ) महिला मंगल दलों की सहायता	
	(ट) राजकीय बालिका निकेतन की स्थापना	
5.	महिला कल्याण सम्बन्धी योजनायें	
	(क) संरक्षण ग्रहों की स्थापना	
	(ख) महिला आश्रम की स्थापना	
6.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम	
7.	पिछड़ा वर्ग विभाग की संचालित योजनायें	12 अगस्त 1995
8.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनायें	1995
9.	उ. प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	17 नव. 1984
10.	उ. प्र. वक्फ विकास निगम	27 अप्रैल 1981
11.	आर्थिक सहायता योजना	1982–83
	(क) स्पेशल कम्पोनेट ब्लाक	1982–83
	(ख) अत्याचार से उत्पीड़न को सहायता	1977–78
	(ग) स्वतः रोजगार योजना	1980–81[7]

7. स्रोत – समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ, उ.प्र.

अनुसूचित जाति/जनजाति शैक्षिक सहायता कार्यक्रम –

अम्बेडकर शिक्षा पर बहुत बल देते थे। उनके जीवन के तीन आदर्शों शिक्षा, संगठन, सम्मान के लिये संहर्ष में शिक्षा प्रथम आदर्श था जिसे वे व्यक्ति की उन्नति व प्रगति का प्रवेश मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा को केवल व्यक्तिगत प्रयासों पर नही छोड़ना चाहिये एवं शिक्षा प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सरकार का है।

सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति अशिक्षित न रहने पाये। दलितों की शिक्षा उनकी विपन्न आर्थिक स्थिति के कारण सम्भव न होने की अवस्था में उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता देने पर उन्होंने बल दिया और संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों में इस हेतु व्यवस्था भी कराई।

भारत के संविधान में निहित मूलभूत सिद्धान्तों में बाबा साहब की प्रेरणा से ही कमजोर वर्ग, असहाय, शोषित एवं सुविधाविहीन विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/जनजातियों, विमुक्त जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के उत्थान व सर्वांगीण विकास के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित करने के दिशा निर्देश है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उ. प्र. की जनसंख्या 13.91 करोड़ है, जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2.92 करोड़ है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत है। संविधान को दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के उपरोक्त वर्ग के विकास के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनायें प्रारम्भ की गई है। सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना बनाते समय सबसे अधिक बल शिक्षा पर दिया गया है। इसके अधीन विभिन्न स्तरों पर समाज कल्याण विभाग द्वारा योजनायें चलाई जा रही है। उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

छात्रवृत्ति योजना –

1. प्राइमरी (1 से 5 तक) कक्षाओं में छात्रवृत्ति –

यह योजना विभाग की स्थापना के समय से ही चलाई जा रही है। योजनान्तर्गत प्रारम्भ में बहुत कम धनराशि स्वीकृत होती थी जो नगर पालिका या जिला पंचायत द्वारा संचालित विद्यालयों में कुछ ही छात्रा/छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती थी यह योजना जिला विद्यालय निरीक्षक के नियंत्रण में सम्पादित होती थी। कालान्तर में जब यह योजना गतिरोध का शिकार होने लगी तब वर्ष 1963–64 में इस कार्य का दायित्व नियंत्रण तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को सौंपा गया तब से इस मद में लगातार वृद्धि होती रही। अभी तक प्राइमरी कक्षाओं में प्रत्येक स्कूल में अनुसूचित जाति के 14,

पिछड़ी जाति के 3 तथा विमुक्त जाति के जो अनुसूचित जाति में शामिल नही है, के सभी पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था तथा छात्रवृत्ति की दर रु. 12 प्रति छात्र रही, किन्तु वर्तमान में अनुसूचित जाति में साक्षरता बढ़ाने हेतु कक्षा 1 से 5 तक के सभी पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था प्रदेश शासन ने कर दी है जिसमें प्रदेश के लगभग 14 लाख छात्र/छात्रायें लाभान्वित हो रहे है शासन द्वारा दिनांक 11.07.97 को आदेश जारी कर छात्रवृत्ति की दर रु. 12 से रु. 25 प्रतिमाह कर दी गई है।

2. कक्षा 6 से 8 की छात्रवृत्ति –

यह योजना विभाग के संचालित होने के समय से चल रही है वर्ष 1963–64 से यह छात्रवृत्ति तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के नियंत्रण में स्वीकृत एवं वितरित की जा रही थी। वर्ष 1991–92 से 6 से 8 तक की कक्षाओं में प्रत्येक विद्यालय के अनुसूचित जाति के 21 पिछड़ी जाति के 8 छात्र/छात्राओं को तथा विमुक्त जाति के सभी पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रृवत्ति देने की व्यवस्था रही। वर्तमान में अनुसूचित जाति में उपरोक्त कक्षाओं में छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दी जा रही है तथा छात्रवृत्ति की दर भी रु. 20 से बढ़ाकर रु. 40 प्रतिमाह कर दी गई है उसमें लगभग 6 लाख छात्र/छात्रायें लाभान्वित हो सकेंगे।

3. कक्षा 9 से 10 की छात्रवृत्ति –

इस योजना के प्रारम्भ में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना थी। बाद में पिछड़ी जाति व विमुक्त जाति के पात्र सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देय कर किया गया है। अनुसूचित जाति में कक्षा 9 व 10 के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की वर्तमान दर की मंहगाई को देखते हुये रु. 30 प्रतिमाह से बढ़ाकर दिनांक 11.07.97 के शासनादेश द्वारा रु. 60 प्रतिमाह कर दिया गया है बढ़ी दरों से तीन लाख छात्र/छात्रायें लाभान्वित हो सकेंगे।

पूर्व दशम कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा विमुक्त जाति के उन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ निर्धारित संख्या देय है। जिनकी मासिक आय सभी स्रोतों से रु. 2500 प्रतिमाह तक है छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु जाति एवं आय प्रमाण पत्र भी आवश्यक है साथ ही पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है।

दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति –

अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्तियों की स्वीकृति का कार्य वर्ष 1958–59 से प्रदेश सरकार के अधीन आया। इसके पूर्व इस योजना का संचालन सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय से होता था। वर्ष 1970–71 से इस योजना का कार्यान्वयन सीधे जनपदों को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया। इस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्तमान में उन्हीं छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति अनिवार्य रूप से की जाती है। जिसके माता पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से मासिक आय रु. 2500 से अधिक नही होती है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों की स्वीकृत भारत सरकार द्वारा अनुमन्य छात्रवृत्ति नियमावली में दी गई शर्तों एवं नियमों तथा प्रतिबन्धों के अधीन होती है।

मेडिकल/इंजीनियरिंग में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की पुस्तकीय सहायता एवं उपकरण क्रयार्थ सहायता –

छात्रवृत्ति के अतिरिक्त मेडिकल/इंजीनियरिंग के अध्ययनरत अनुसूचित जाति के उन छात्र/छात्राओं को पाठ्य पुस्तकीय सहायता एवं अन्य उपकरणों के क्रयार्थ एक मुश्त धनराशि स्वीकृत किये जाने की योजना भी संचालित होती है। यह योजना वर्ष 1975–76 से संचालित की जा रही है इसके अन्तर्गत मेडिकल इंजीनियरिंग के डिग्री कोर्स में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं एवं डिप्लोमा स्तर के छात्र/छात्राओं को अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को 10 व 12 में कोचिग –

यह योजना छठी पंचवर्षीय योजनाकाल से संचालित है, जिसमें अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को उक्त कक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग प्रत्येक वर्ष सितम्बर से फरवरी तक शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से गठित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में दी जाती है कक्षा 12 की कोचिंग हेतु प्रत्येक विषय के अध्यापकों को मासिक मानदेय दिया जाता है।

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के प्राइमरी पाठशालाओं, छात्रावासों एवं पुस्तकालयों का संचालन, सुधार एवं विस्तार –

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रदेश में अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था न होने कारण प्रदेशव्यापी इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 5 किमी. क्षेत्र के

स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति के बच्चो के लिये प्राइमरी पाठशालाओं की स्थापना, उच्च कक्षाओं के छात्रों की आवासीय सुविधा हेतु छात्रावास का निर्माण एवं उनके अध्ययन की सुविधा के लिये पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना कराई गई प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के संगठन के पश्चात अनुसूचित जाति के छात्रों को उक्त सुविधायें उपलब्ध करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा अनावर्तक तथा आवर्तक अनुदान दिये जाने व्यवस्था भी प्रदेश सरकार द्वारा की गई। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अब इन संस्थाओं को कतिपय नियम व शर्तो के आधीन अध्यापकों व कर्मचारियों के वेतन का केवल आर्वतक अनुदान ही दिया जाता है इन छात्रों के अध्ययन की सुविधा के लिये पुस्तकालय एवं वाचनालय की आवर्तक अनुदान पर संचालित है।

अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के लिये तकनीकि व्यवस्था–

प्रदेश शासन द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन का मूल उद्देश्य यह रहा है कि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं समाज के निर्बल वर्ग के छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में विभिन्न तकनीकि व्यवसायों जैसे विधुत, फिटर, आरमेचर, बढ़ईगिरी, टरनर, मोटर मैकेनिक, टेलीकम्यूनिकेशन मैकेनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाये। विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ–गोरखपुर एवं नैनीताल में तथा एक पालिटेक्निक लखनऊ में संचालित है। इसमें अतिरिक्त श्रम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले उक्त जातियों के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास –

अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा जारी रखने हेतु अपने निवास स्थान से दूर जाना पड़ता है जिसमें आवास की समस्या होती है इस उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में प्रारम्भ में नजूल भूमि या राज्य की निशुल्क भूमि पर छात्रावास निर्माण योजना वर्ष 1976–77 से संचालित की गई है। इसके उपरोक्त अधिक छात्रों को शीघ्र सुविधा उपलब्ध करने के दृष्टिकोण से व्यक्तियों या शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त निशुल्क भूमि पर भी राजकीय छात्रावास सुविधा के विस्तार हेतु स्वैच्छिक संस्थाओ को भी अपनी भूमि पर जो शिक्षा केन्द्रों के पास हो पर छात्रावास निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है सम्बन्धित संस्था को इसमें 10 प्रतिशत अपना अंश भी लगाना पड़ता है। अनुसूचित जाति की छात्राओं को शिक्षा जारी रखने हेतु अपने निवास स्थानों से दूर के स्थानो

पर शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है जिसमे आवास की समस्या होती है इसके निदान के लिये भूमि उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक जनपद में एक राजकीय छात्रावास के निर्माण की योजना वर्ष 1976–77 से आरम्भ की गई छात्राओ के छात्रावासो में अनुसूचित जाति की छात्राये अपने अभिवावको की दयनीय आर्थिक परिस्थिति के कारण रहने एवं जाने में असमर्थ होती है। अतः उन्हे छात्रावास में रहने हेतु गैस का व्यय तथा प्रोत्साहन अन्तः भी दिया जाता है।

अनुसूचित जाति हेतु आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन –

अनुसूचित जाति, विभुक्त जाति के व्यक्ति सदियो से उपेक्षित शोषित एवं पीड़ित रहे है। क्योकि वे अशिक्षित थे तथा समाज ने भी उन्हें अशिक्षित रखा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कल्याणकारी राज्य की भूमिका के अनुरूप इन व्यक्तियो के उत्थान हेतु इन्हें भी शासन ने शिक्षित करने के दायित्व निर्वहन में आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना 1956–61 के अंतिम चरण से आरम्भ की है। इन विद्यालयों के अनुसूचित जाति, विभुक्त जाति के व्यक्तियों के बालक/बालिकाओं को उनके परिवार में आभाव के वातावरण से एक भिन्न स्वस्थ्य वातावरण में रखकर शिक्षा, आवास, भोजन, बिस्तर, वस्त्र, पुस्तकों की सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपनी शिक्षा जारी रख सके। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अतिरिक्त राजकीय अनुदान पर स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा भी आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 स्तर तक के शिक्षा की व्यवस्था की गई है। विद्यालयों में छात्रों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विद्यालय के प्रबन्ध हेतु अधीक्षक शिक्षक स्टाफ तथा सभी अधीनस्थ सहायको की तैनाती की जाती है। प्रदेश शासन की इस योजना में भारत सरकार भी सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं की साक्षरता दर को बढ़ाकर समान्य जातियों के समान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खण्ड में एक आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापना की योजना शासन के विचाराधीन है जिससे दलित शोषित वर्ग के आभावग्रस्त बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सकेगी।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बच्चों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा शुल्क से मुक्त किया गया है। इस दृष्टि से सम्बन्धित, विद्यालयों जहाँ यह छात्र अध्ययन करते है को आर्थिक क्षति से बचाने के उद्देश्य से शुल्क छात्रपूर्ति भी की जाती है इस ओर भी शासन द्वारा बजट में प्राविधान किया जाता है तथा जिला समाज कल्याण कार्यालय के माध्यम से ऐसे विद्यालयो में शुल्क क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि उपलब्ध कराया जाता है उ. प्र. शासन द्वारा गरीब शोषित शारीरिक रूप से सक्षम बालको और मानसिक रूप से अविकसित बालको के शिक्षा एवं

प्रशिक्षण हेतु भी विद्यालयो की स्थापना की गई है।

अनुसूचित जाति छात्रों हेतु इंजीनियरिंग एवं डाक्टरी कोर्स हेतु प्रवेश पूर्ण कोचिंग योजना –

अनुसूचित जाति के विद्यार्थी समुचित कोचिंग के आभाव में इंजीनियरिंग की डिग्री/डिप्लोमा तथा डाक्टरी कोर्स की डिग्री की कक्षाओ में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन होने में प्रायः असफल रहते थे। जिसका प्रभाव इस तथ्य से ही मिल जाता है कि इन पाठ्यक्रमो में इस वर्ग हेतु रिक्तयों को भरना संभव नही होता रहा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस स्थिति से निबटने के लिये अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों के परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण कोचिंग की योजना वर्ष 1975–76 से संचालित की गई। वर्तमान समय में प्रदेश के लगभग 20 जनपदों में निजी संस्थाओं के माध्यम से कोचिंग दिलाकर यह योजना संचालित की जा रही है। इन संस्थाओं में अभ्यार्थियों को ढाई माह की कोचिंग दिलाई जाती है। इस दौरान छात्रों को छात्रवृत्ति व संस्था को कोचिंग शुल्क दोनो का प्रथक–प्रथक भुगतान होता है निजी संस्थाओं के अतिरिक्त रूड़की हरिद्वार के समाजकल्याण विभाग द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग की कोचिंग संस्था भी है जिससे छात्रों को 10 माह की कोचिंग दी जाती है उ. प्र. शासन द्वारा पूर्ण अवधि के कोचिंग की योजना संचालित करने पर विचार किया जा रहा है जिससे छात्रो के आवास व भरण पोषण की व्यवस्था संस्था में ही की जाये। ऐसी संस्थाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को सी.पी.एम.टी. एवं इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा हेतु अन्य छात्रों के समान पूर्ण प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यार्थियो का राज्य सेवाओं की प्रतियोगात्मक परीक्षाओ हेतु परीक्षा पूर्ण कोचिंग –

राज्य सेवा परीक्षाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यार्थी समुचित कोचिंग के आभाव में सफल नही हो पाते है इस कारण 1969–70 के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्वाधान में प्रथम प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया गया। वर्तमान में उपर्युक्त के अतिरिक्त 10 कोचिंग सेन्टर समाज कल्याण विभाग के सीधे निर्माण में संचालित है जिसमें महिलाओं हेतु न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्ण कोचिंग केन्द्र सम्मिलत थी।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु राजकीय अनुसूचित जाति औद्योगिक आस्थान –

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्र में अपने उद्योग स्थापित करने हेतु जगह नही मिल पाती है और यदि जगह प्राप्त भी होती है तो विभिन्न आर्थिक स्थिति के कारण वे उसका मूल्य या किराया नही दे पाते है। इस दृष्टि से इस वर्ग के लोगों को लाभ पहुचाने हेतु उ. प्र. शासन के समाज कल्याण विभाग ने शहरी क्षेत्रो में उनको अपने उद्योगों की स्थापना करने हेतु समुचित स्थान तथा सुविधा देते हुये उद्योग विभाग के माध्यम से औद्योगिक आस्थानो का निर्माण आरम्भ किया, इन आस्थानों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को न्यूनतम किराये पर निर्मित शेड व एक हजार वर्ग गज का विकसित प्लाट निर्धारित शर्तों व उपलब्धों के आधीन किराये पर दिया जाता है। वर्तमान जाति के उधमियों द्वारा किराये पर लिये गये शेड व प्लाट पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने हेतु उन्हे अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लि. की स्वतः रोजगार योजना अर्न्तगत बैंक ऋण दिलाया जाता है। इस योजना में उन्हें शासकीय अनुदान एवं कम ब्याज पर मार्जिनी मनी ऋण प्राप्त हो जाता है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनजातियों के कल्याणर्थ संचालित शैक्षिक सहायता योजना –

उत्तर प्रदेश में थारू, बुल्का, मोटिया, जौनसारी एवं राजी जातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ष 1967 में घोषित किया गया। इन जनजातियो का कल्याण अनुसूचित जाति के साथ ही निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा देखा जाता था। किन्तु इन जनजातियों के प्रभावी विकास के पर्यवेक्षण व निर्देशन हेतु प्रथक से जनजाति निदेशालय का वर्ष 1985 में गठन किया गया इनकी शैक्षिक सहायता योजना अर्न्तगत निम्न कार्यक्रम संचालित है।

1. राजकीय आश्रम पद्धति –

इन विद्यालयों का रख रखाव एवं संचालन भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को दृष्टिगत रखते हुये किया जाता है। जहाँ पर जनजातियो को उनके वातावरण से प्रथक रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है जनजातियों को निशुल्क शिक्षा के साथ ही साथ भोजन वस्त्र, आवास, स्टेशनरी, पुस्तक आदि समस्त सुविधा में निशुल्क शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जनजाति के ऐसे परिवार जो गरीबी में अपने बच्चों को शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है। इन

विद्यालयों की स्थापना 1967 में पूर्व से की गई थी तथा पश्चात् के जनजातियों में आवश्यकता को देखते हुये उनकी संख्या में वृद्धि की गई। वर्तमान में लगभग उ.प्र. छात्रों की प्रवेश क्षमता प्रदेश में इन विद्यालयों की है।

2. जनजातियों के बच्चों हेतु छात्रावास –

अनुसूचित जनजाति के बालको व बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु तहसील एवं जिला मुख्यालय पर जहाँ इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध होती है। जनजाति छात्रावास विभाग द्वारा संचालित किये गये है। उ. प्र. शासन को इन छात्रावासो के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

3. छात्र वृत्तियाँ –

आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के कारण जनजातियाँ अपने बच्चों का शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में नही भेज पाते अतः इन वर्गों को समतुल्य लाने हेतु विशेष व्यवस्था से विधान अर्न्तगत की गई जिसमें इनके शैक्षिक उत्थान हेतु निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी सुनिशचित कराई गई। वर्ष 1967 में प्रदेश में इनके अनुसूचित जनजाति घोषित होने के उपरान्त इन्हें भी अनुसूचित जातियों के समान ही छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गई। पूर्व दशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति के वितरण के प्रथक–प्रथक मानक शर्त व दरे शासन द्वारा निर्धारित की गई।

पूर्व दशम छात्रवृत्ति –

पूर्व दशम कक्षा 1 से 10 तक के जनजाति बच्चो को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है जिसमें कक्षा 1 से 8 तक जिला योजनान्तर्गत तथा कक्षा 9 से 10 तक राज्य योजनान्तर्गत ध नराशि प्राविधानित की जाती है वर्ष 1997 से कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को रू. 25 प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को रू. 40 प्रतिमाह तथा कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों को रू. 60 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है छात्रवृत्ति का वितरण उन्ही छात्र/छात्राओं को किया जाता है जिनके माता पिता अभिवावक की आय रू. 2500 प्रतिमाह से कम हो।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति –

दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अर्न्तगत समस्त जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने

की व्यवस्था की जाती है इसका भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है जो समस्त पात्र जनजाति छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है भारत सरकार के निर्देशानुसार दशमोत्तर कक्षाओ में अध्ययनरत छात्रों को श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसके लिये छात्रवृत्ति की दरे निध ारित की गई।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो की स्थापना –

जनजातियों को सतत रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध करने हेतु उत्तरांचल क्षेत्र में चकराता, देहरादून, खटीमा तथा गुलरमोज नैनीताल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है। इन संस्थानों में आश्रम पद्धति विद्यालयों की भांति जनजाति छात्रों की आवासीय सुविध ा, भोजन, वस्त्र आदि प्रदान करते हुये तकनीकि शिक्षा प्रदान की जायेगी।

जनजाति छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने में स्वैच्छिक संस्थाओ का योगदान –

जनजातियों में जागृति जगाने उनमें शैक्षिक पिछड़ेपन को मिटाने तथा उन्हें मानव संसाधन सम्बन्धी योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण की सुविधा स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है जनजातियों में शैक्षिक उत्थान में स्वैच्छिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सुदूर क्षेत्रों में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा जनजातियों के लिये बालवाड़ी एवं प्राइमरी विद्यालयों का संचालन भी किया जाता है तथा बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित बालवाड़ी को शासन द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

अतः उत्तर प्रदेश शासन ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से जो योजनाये बनाई है और कार्य कम संचालित किये गये है, का लाभ इस वर्ग के लोगो को मिल रहा है तथा समाज में इस वर्ग के लोग समान्य वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आ गये है। डा. अम्बेडकर ने इस विचार से कि शिक्षा प्राप्त करने का दायित्व सरकार का है, को मूर्त रूप देने की दिशा में उ.प्र. शासन ने प्रयास किया है तथा प्रदेश के दलित शोषित व पिछड़ो को सामान्य स्तर तक ऊँचा उठाने के लिये जो शैक्षिक योजनाये व कार्यक्रम चलाये जा रहे है, निसंदेह उस का लाभ उन लोगों को प्राप्त हो रहा है।[8]

8. जनचेतना – जिला पंचायती राज विभाग बाँदा – 2004, पृष्ठ–10

शिक्षा विभाग की योजनायें –

भारत में शिक्षा का महत्व आरंम्भ से ही रहा है और इसे सर्वोच्च धन स्वीकार किया गया है ऐसा इसलिये क्यो विद्या को न तो कोई चोर चुका सकता है, न ही राजा हर सकता है, साथ ही बांटने पर यह बढ़ती है। भले ही भारत में विदेशी आक्रान्ताओं के आने पर इसकी विकास गति कम हुयी हो परन्तु पहले ही भारत के घर–घर में प्राथमिक शिक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की जाती थी परन्तु लम्बे काल तक गुलामी के वश में रहने के कारण शिक्षा का व्यक्ति दर व्यक्ति विस्तार नही हो पाया और सन् 1947 तक इस पक्ष पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

स्वतंत्रता के पश्चात यह विचार किया गया कि प्राथमिक शिक्षा देश के समस्त शैक्षिक संरचना की नीव है और यदि नीव कमजोर होगी तो उस पर खड़ा शिक्षा रूपी भवन दीर्घायु प्राप्त नही कर सकता यही कारण रहा कि संविधान ने इस सम्बन्ध में राज्यों को सख्त निर्देश दिये है। केन्द्र सरकार ने अपनी जागरूकता के चलते 1976 के संविधान संशोधन के तहत इसे सीमावर्ती सूची के अर्न्तगत कर लिया लेकिन ठोस वित्तीय और प्रशासनिक जरूरतो के कारण केन्द्र और राज्य सरकारो के बीच जिम्मेदारियों का बटवारा आवश्यक हो गया है यह नीति प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक निवेश करने पर जोर देती है यह प्रस्ताव भी किया गया है कि सभी सम्बंधित व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करने के लिये ''भारत शिक्षा कोश'' के नाम से एक निधि बनाई जाये ताकि बजटीय समर्थन जुटाया जा सके।

अतः शिक्षा से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा कुछ कार्य कम चलाये गये है साथ ही प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने के लिये संसद ने संविधान (86 वॉ संशोधन) अधिनियम 2002 पारित किया गया। इस अधिनियम को लागू करने के लिये एक व्योरेवार व्यवस्था वाला एक अनुवर्ती कानून लाने का भी प्रस्ताव है। जो कार्यक्रम चलाये जा रहे है, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

1. सर्वशिक्षा अभियान –

देश के 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को हर दशा में कक्षा 1 से 8 तक की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000–01 के बजट में ''सर्व शिक्षा अभियान'' के क्रियान्वयन की घोषणा की गई थी माह नवम्बर 2000 से इसे लागू भी कर दिया गया, इस अभियान को बल प्रदान करने के लिये प्राथमिक शिक्षा को बच्चों के मौलिक अधिकार में सम्मलित किये जाने हेतु बहुप्रतीक्षित 193 वें संविधान संशोधन

को भी वर्ष 2002–03 में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गयी। इस सर्व शिक्षा अभियान की 10 वर्षीय महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहनाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 98,000 करोड़ रूपये की भारी भरकम धनराशि की व्यवस्था की गई है और यथा आवश्यक राज्य सरकारो को समुचित धनराशि उपलब्ध भी कराई गई है। केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर बड़े जोरशोर से इस अभियान को लागू भी किया गया इस महत्वपूर्ण अभियान के अर्न्तगत सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता के साथ–साथ उसके उपयोगी, उपयुक्त और गुणवत्ता मुक्त होने पर भी जोर दिये जाने का लक्ष्य है इस प्रकार अगले 10 वर्षो के अन्दर निर्धारित आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था किये जाने हेतु इस अभियान के अर्न्तगत सभी राज्य सरकारो की समुचित भागीदारी से देश के 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क, संतोषजनक, गुणवत्तावरक, समयबद्ध तथा सेमकित प्रयास करने पर विशेषबल देने हेतु देश भर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित किया गया है।

इस महत्वाकांक्षी अभियान को प्रारम्भ करने के पीछे जो दर्शन रहा है उसका हम सभी लोग आसानी से अंदाजा लगा सकते है। इसे हमारा दुर्भाग्य ही माना जाना चाहिये कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त हुये भी हमारे देश में अशिक्षा की विभीषिका हमारे माथे पर एक कलंक की भाँति अंकित है। यद्यपि पिछले 57 वर्षो में इसे मिटाने के लिये अनेक प्रयास भी किये गये, अनेक शिक्षा आयोगो और समितियों का गठन किया, अनेक योजनाये एवं कार्यक्रम संचालित किये गये, नये–नये प्रयोगो और साक्षरता के प्रसार के नाम पर अरबों–अरबों की धनराशियाँ भी खर्च की गई, लेकिन स्थिति में आशातीत परिवर्तन नही हो सका है। तमाम कोशिशों के बाद देश में साक्षरता की दर पिछले 57 वर्षों में 16–17 प्रतिशत भले ही बढ़कर 66 प्रतिशत पहुँच गई है। लेकिन निरक्षरों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है, केन्द्रीय संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2002 में जारी की गई रिर्पोट के अनुसार 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने योग्य 19 करोड़ बच्चों में से हमारे 3.5 करोड़ बच्चे स्कूलो से बाहर है, 8 जुलाई, 2003 को जारी यू.एन.डी.पी. की मानव विकास रिर्पोट, 2003 के मुताविक हमारे यहाँ ऐसे बच्चों की संख्या 4 करोड़ है इस सम्बन्ध में हमारी एक अजीब विडम्बना रही है कि देश में साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि होने के बावजूद वर्ष 1991 तक निरक्षरो की संख्या में निरंतर वृद्धि परिलक्षित

हुयी वर्ष 2000–01 की जनगणना के मुताबिक देश में स्वतंत्रता के बाद पहली बार निरक्षरों की कुल संख्या में कमी आयी है। ऑकड़ों के अनुसार अभी भी देश में निरक्षरों की संख्या 34 करोड़ है, साक्षरता में धीमी प्रगति और निरक्षरो की संख्या में कमी न आ पाने के पीछे जो प्रमुख कारण रहा वह स्पष्ट तो यह है कि जिस गति से और जिसे प्रतिवेद्वता से हमे इस दिशा में प्रयास करने चाहिये थे, वह नही किये जा सके और हमारी साक्षरता योजनाओं की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता उपयुक्त स्तर की नही बन पायी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हमने इस दिशा में जो विशेष प्रयास किये, उनमें शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिये भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई कि राज्य 10 वर्षो के भीतर 6 से 14 वर्ष के लिये निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसका तात्पर्य यह था कि देश के 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों बर्ष 1960 तक विद्यालयों में नामांकित हो जायेगे यह समय सीमा कालोन्तर में 1960 से बढ़कर 1972, तत्पश्चात, 1976 तथा पुनः 1990 कर दी गई। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षानीति में 8 वर्षीय अनिवार्य शिक्षा की समयावधि का विभाजन करके 1990 तक पॉचवी कक्षा तक की शिक्षा तथा 1995 तक आठवी कक्षा तक की शिक्षा को सर्व शुलभ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 1992 में इसे निश्चित किया गया और अब "सर्वशिक्षा अभियान" नामक एक नये कार्यक्रम के अन्तर्गत इसे और भी आगे बढ़ाते हुये वर्ष 2010 तक इस लक्ष्य के प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इससे साफ जाहिर है कि प्रारम्भ से ही प्राथमिक शिक्षा को जितनी प्राथमिकता दिया जाना अपेक्षित था, वह संभव नही हो पाया। अथवा उसके प्रति प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्रतिवद्धता का आभाव रहा और कमोवेश इसी प्रकार की सम्भावनाये अब सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में देश के विभिन्न राज्यों में और विशेषकर उत्तरीय भारत के राज्यों में दिखाई देने लगी है।

अतः स्पष्ट है कि उन बातों पर अमल किये जाने पर ही निश्चित रूप से सर्वशिक्षा अभियान की सफलता के लिये मार्ग प्रशान्त हो सकेगा, इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि इन सभी सुझावों पर एक साथ और एक समय में अमल किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव भले ही न हो, परन्तु एक सुनियोजित सुविचारित और सुनिश्चित योजना के अन्तर्गत अमल में लाये जाने वाले बिन्दुओं और कदमो हेतु एक व्यवहारिक कार्य योजना तैयार कर उसे पूरी निष्ठा तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ लागू करने पर विचार किया जा सकता है।

प्राथमिक शिक्षा के लिये पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम –

प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये पौष्टिक अहार प्रदान करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को प्रारम्भ किया गया इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलो में बच्चों का दाखिला एवं उनकी उपस्थिति सुधारना और उन्हें रोज स्कूल आने के लिये प्रोत्साहित करना है 2002–03 के दौरान राज्यों–केन्द्रशासित प्रदेशो द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों के आधार पर 31 मार्च 2003 तक 10.36 करोड़ बच्चों के लिये 28.37 लाख मीट्रिक टन अनाज (76.22 प्रतिशत) उठा लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को भी हाल ही में उन सभी राज्यो/केन्द्र शासित प्रदेशों को बच्चों को पके–पकाये भोजन का वितरण समयबद्व तरीके से आरम्भ करने के निर्देश दिये जिन्होनें यह योजना अपने यहा आरम्भ नही की है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –

केन्द्र द्वारा प्रयोजित इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के नये प्राण फूॅकना और सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना है। यह कार्यक्रम ''अतिरिक्ता'' के सिद्धान्त पर आधारित है। और कार्यक्रम क्रियान्वयन की इकाई जिलामानी जाती है। इस कार्यक्रम में स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्त, शिशु केन्द्र खोलना, राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ करने, अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र बनवाने, विकलांग बच्चों के लिये सहायता एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिये विशेष प्रयास शामिल है ये कार्यक्रम 1994 में सात राज्यों के 42 जिलो में प्रारम्भ किया गया था। जो अब बढ़कर 18 राज्यों के 272 जिलों में फैल चुका है।[9]

शिक्षा मित्र योजना –

प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के विस्तार हेतु ''शिक्षा मित्र योजना'' प्रारम्भ की गई इसका उद्देश्य प्रदेश में अपेक्षित साक्षरता दर प्राप्त करने के लिये अध्यापकों की कमी दूर करने की दिशा में यह प्रयास है।

शिक्षा गारण्टी योजना –

यह प्रदेश सरकार द्वारा गरीब बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा एक अभिनव योजना ''शिक्षा गारण्टी योजना'' के नाम से प्रारम्भ की गई है यह योजना ऐसे

9. स्नेह राम – कुरूक्षेत्र सितम्बर 2004 – ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली पृष्ठ. सं. 9 से 21

प्रत्येक गाँव अथवा मजरे में चलाई जायेगी। जहाँ एक किलोमीटर तक कोई विद्यालय नही है तथा जहाँ 6 से 11 वर्ष आयु के कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध हो। इस योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क दी जायेगी। इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 2 तक शिक्षा प्राप्त बच्चों को नियमित विद्यालयों की कक्षा 3 में प्रवेश अनुमन्य होगा।

अतः स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने शिक्षा को आधारभूत आवश्यकता मानकर इस दिशा में कदम उठाये है। परन्तु इनके साथ एक नकारात्मक तथ्य यह भी जुड़ा है कि इनकी गति धीमी रही है इन्हें तृणभूत्व स्तर तक पहुँचाने के लिये एक सुदृढ़ राजनीतिक, प्रशासनिक इच्छी की कमी है। यही कारण है कि आज भी भारत कई छोटे दक्षिणी अमरीकी, अफ्रीका एवं एशियाई देशों से शैक्षिक प्रतिशत में पीछे है और 1947–2004 तक के लम्बे अंतराल में मात्र 65.30 प्रतिशत साक्षरता हासिल कर पाया है यह सौभाग्य की बात है कि वर्तमान शासन का दौर इस क्षेत्र में क्रान्तिकारी सोच रखता है और हमारे राष्ट्रपति का भी यह मानना है कि देश में इतने बड़े मानव संसाधन की क्षमता का कारगर तरीके से उपयोग करने के लिये विशेष तौर पर बुनियादी शिक्षा एवं अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जायेगा एवं इसके वित्त पोषण के लिये सभी केन्द्रीय करो पर उप कर लगाया जायेगा। ऐसे में ही भारत सामाजिक रूप से मजबूत हो सकेगा एवं विश्व पटल पर सुदृढ़ होकर सामने आ सकेगा।[10]

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना –

जागरूक और साक्षर समाज लोकतंत्र का स्तंभ है। स्वतंत्रता के बाद से निरक्षरता का उन्मूलन राष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। राष्ट्र–निर्माण में साक्षर आबादी को एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। आजादी के बाद से वयस्क–निरक्षरता के उन्मूलन के लिये जो कार्यक्रम बनाये गये, उनके परिणामस्वरूप 2001 की जनगणना से प्राप्त तथ्यों के आधार पर पहली बार साक्षरों की संख्या निरक्षरों से अधिक है। लिंग असमानता और क्षेत्रीय विषमता अब भी है। इन मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिये केन्द्र सरकार अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में साक्षरता कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध है। सभी के लिये शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिये सभी करों पर शिक्षा उपकर लगाया गया। सरकार सकल घरेलू उत्पाद का छह फीसदी बजट शिक्षा की मद में खर्च करने जा रही है।

---

10. जन चेतना – जिला पंचायती राज विभाग, बाँदा 2004 पृ. 75–78

प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान के बाद अब सरकार ने लड़कियों के लिये एक नई योजना – करस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय को स्वीकृत किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य कदम भी उठाये गये हैं। इसमें अनुसूचित जाति–जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों पर विशेष जोर दिया गया है। अब प्राथमिक स्तर पर छात्रावास सुविधाओं के साथ ही 750 आवासीय विद्यालय स्थापित किये जायेंगे। ये आवासीय स्कूल शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों में स्थापित किये जायेंगे। योजना में अनुसूचित जाति–जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों या स्कूलों में नाम दर्ज होने पर उन्हें 75 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। बाकी का 25 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जी रहे परिवारों की लड़कियों के लिये आरक्षित होगा। शैक्षिक तौर पर पिछड़े इलाकों विशेषकर मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखते हुये ऐसे 86 विद्यालय शुरू किये जायेंगे। दसवी पंचवर्षीय योजना के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारें 75.25 के अनुपात से वित्तीय खर्च वहन करेंगी। यह योजना 20 राज्यों में लागू कर दी गई है। आंध्र प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाते हुये 94 विद्यालय स्थापित किये झारखंड ने 74 और मध्य प्रदेश ने 70 स्कूल खोले हैं। ये स्वतः पिछड़े बालकों में स्थापित किये जायेंगे जहाँ सामाजिक सशक्तिशरण तथा आदिवासी मामलों के मंत्रालय की किसी योजना के तहत लड़कियों के लिये प्राथमिक शिक्षा के लिये स्कूल नही है।

स्वरूप –

इस योजना में प्राथमिक स्तर पर उन बड़ी लड़कियों को केन्द्रित किया जायेगा जो या तो स्कूल नही जाती या फिर स्कूल उत्तीर्ण नही कर पाई हो। कुछ दुर्गम क्षेत्रों में कम बालिकाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। उन बालिकाओं पर पहले ध्यान कियाजायेगा जो नियमित तौर पर स्कूल पाती। जहाँ तक सम्भव हो सकेगा इन स्कूलों को चलाने के लिये सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों की मदद ली जायेगी।

सहायक समूह –

प्रारम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सलाहकार समन्वय समिति का लिया गया है जो कार्यक्रम को सहायता तथा दिशा प्रदान करेगा समूह में सम्बन्धित राज्य सरकारों के विभागीय प्रतिनिधियों का शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा शिक्षा शास्त्री शामिल होंगे। लड़कियों की संख्या तथा उपलब्ध कराये गये आवासीय स्कूलों के स्तर पर

11. स्नेह राय – कुरूक्षेत्र – ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली सितम्बर 2005 पृ. 15–17

स्कूल का माडल राज्य स्तरीय समिति जिला समिति की दिशाओं को आधार मानकर करेगी। उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश में पंजीकृत शिक्षा संस्थाओं की संख्या सबसे अधिक है।

साक्षरता अभियान में सामाजिक सहभागिता से महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई जा सकेगी।[11]

अनुसूचित जाति आवासीय सहायता योजना –

भारतीय संविधान निहित मूलभूत सिद्धान्तों में कमजोर वर्ग, असहाय शोषित एवं सुविधा विहीन विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के उत्थान तथा सर्वांगीण विकास जातियों तथा अन्य कार्यक्रम संचालित करने के दिशा निर्देश है इसी दिशा निर्देशों के तहत कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित करने के दिशा निर्देश है। इसी दिशा निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समाज के इन आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हेतु निवास के लिये आवासों के निर्माण हेतु योजना बनाई गई है। इन योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्ग के लोगों को आवास निर्माण हेतु शासन द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। मनुष्य की तीन आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, और मकान में, इस वर्ग की मकान की आवश्यकता पूर्ति हो सके। शासन की योजनायें इस प्रकार है।

इंदिरा विकास योजना –

उ. प्र. में इन्दिरा आवास योजना वर्ष 1985–86 से क्रियान्वित की जा रही है। प्रारम्भ में यह ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना की उपयोजना के रूप में कार्यान्वित की गई। किन्तु 1989 में जवाहर रोजगार योजना के आरम्भ हो जाने के बाद इसी योजना के उपयोजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा था किन्तु दिनांक 01.04.94 से भारत सरकार ने इन्दिरा आवास योजना सतत योजना के रूप में क्रियान्वित करने के निर्णय के फलस्वरूप इसे प्रदेश में स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, मुक्त बधुवा मजदूरों तथा गरीबी की रेखा को निःशुल्क मकान मुहैया कराना है। इस योजना के अन्तर्गत लम्बित समूह अनुसूचित जातियों, जनजातियों के व्यक्ति, मुक्त कराये गये बंधुवा मजदूर एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गैर अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार के होंगे, परन्तु गैर अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभार्थियों की संख्या कुल लाभार्थियों की संख्या में 40 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिये।

इंदिरा आवास के लाभार्थियों का पात्रता क्रम –

इंदिरा आवास के लम्बित समूह के मध्य लाभार्थियों के चयन हेतु पात्रता का क्रम इस प्रकार है।

(क) मुक्त कराये गये बंधुवा मजदूर।

(ख) अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार।

(ग) गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवार जिनके मुखिया विधवायें और अविवाहित महिलायें है।

(घ) बाढ़, भूकम्प और किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार।

(ङ) जिन ग्रामवासियों की झोपड़ियाँ जल गई और वे अन्यथा इंदिरा आवास के लाभार्थी होने की पात्रता रखते है।

(च) गरीबी की रेखा के नीचे बसर कर रहे अन्य अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार।

(छ) गैर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिये निर्धारित अधिकतम 40 प्रतिशत आवासों में से भूतपूर्व सैनिकों व अर्द्ध सैनिकों की विधवाओं व उनके परिवार में सदस्यों को बिना आय–सीमा की बाधा के प्राथमिकता दिया जाता है।

(ज) गरीबी की रेखा के नीचे बसर कर रहे गैर अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार सामान्यतः आवास का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर किया जाये। वैकल्पिक रूप से इस पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर आवंटित किया जा सकता है।

इंदिरा आवास लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया –

इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया अत्यन्त पारदर्शी होनी चाहिये क्योंकि गाँव सभा में प्रस्ताव के आधार पर कुछ लाभार्थी आवास तो ले सकते है किन्तु उसका उपयोग रहने के लिये नही करते और कभी–कभी तो उसमें जानवर बाँधने लगते है। कुछ लोग ऐसे भी होते है जो पाँच छैः कमरे के आवास में एक दूसरे को इंदिरा आवास बताते है कुछ ऐसे लोग भी होते है जिनकी सामान्य स्थिति अच्छी नही होती, किन्तु उन्हें आवास आवंटित नही हो पाते है इसी कारण पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत शासन के निर्देश है कि लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत द्वारा गरीबों की आर्थिक स्थिति में आरोही क्रम में बनाई जायेगी। यह सूची ग्राम पंचायत के अन्तर्गत रहने वाले सभी पात्र व्यक्तियों की बनाई जायेगी और पात्रता सूची का

अनुमोदन ग्राम सभा की खुली बैठक में प्राप्त किया जायेगा। ग्राम पंचायत के लिये इंदिरा आवास के निर्धारित लक्ष्य की संख्या में इस अनुमोदित सूची के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा यह ध्यान रखा जायेगा कि इस अनुमोदित सूची की एक प्रति विकास खण्ड मुख्यालय पर तथा एक प्रति जिला मुख्यालय पर रखी जायेगी ताकि तदनुरूप अग्रिम व्यवस्थायें की जा सके। ग्राम स्तर पर अनुमोदित लाभार्थी सूची अंतिम होगी तथा उसको उच्च स्तर पर किसी अनुमोदन की जरूरत नही होगी किन्तु यदि पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई सूची शासनादेश के अनुसार नही बनाई गई है या त्रुटिपूर्ण है तो इंदिरा आवास के प्रभारी सहायक विकास अधिकारी द्वारा समुचित जाँच के उपरान्त अपात्र व्यक्तियों का नाम सूची से निकाल दिया जायेगा। यदि सूची के वरिष्ठता क्रम में कोई त्रुटि है तो जाँच के उपरान्त यह वरिष्ठता उप खण्ड विकास अधिकारी द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है।

इस योजना के शासनादेश के परिपालन के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम की तैयार सूची से उन लोगों का नाम जो पूर्व में किसी आवास योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर चुके है, काट दिया जाये। इस योजनान्तर्गत भूमि 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का ही आवास दिया जाता है जिसके कारण स्पष्टतः निम्न प्रकार के लोग पत्रता में नही आयेगा।

1. जिसके पास 20 वर्ग मीटर का कोई पक्का आवास हो।
2. जिनके पास पक्की ईंट से बनी दीवारों के दो कमरों वाला मकान हो जो भले ही खपरैल से छापे है।
3. तीन कमरों का कच्चा मकान हो।

इन्दिरा विकास हेतु स्थल चयन व डिजाइन –

इस योजना के अन्तर्गत मकान सामान्यतः गाँव की मुख्य वसावटी में व्यक्तिगत भूखण्डों पर बनाये जाने चाहिये। मकान छोटी–छोटी वसावटों को कवर करने की नीति अन्तर्गत इन वसावटों के अंदर समूहों में बनाने चाहिये ताकि इनको आन्तरिक सड़कों, नालियों, खड़जों, पेयजल, आपूर्ति या अन्य सामान्यजन सुविधायें दी जा सके। इन आवासों के रक्षा, सुरक्षा, कार्यस्थल की नजदीकी और सामाजिक व्यवहार अन्तर्गत आदान–प्रदान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गाँव के समीप होना चाहिये। भूमिहीन अनुसूचित जनजातियों व ग्रामीण गरीबों को आवास हेतु भूखण्ड भी प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित किये गये है जिस पर वे आवास निर्मित कर उसका रहने हेतु उपयोग कर रहे है।

मकान का नक्शा आकार व डिजायन –

इंदिरा आवास का डिजायन स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिये। इसी कारण इसका कोई डिजायन निर्धारित नही किया गया है सिवाय इसके कि इस योजना के अन्तर्गत मकानों की कुर्सी का क्षेत्रफल 20 वर्ग मी. होना चाहिये। इन आवासों का डिजायन लाभार्थियों की इच्छानुसार जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तथा उचित जगह रसोई, रोशनदान, स्वच्छता सुविधाओं, धूम्ररहित चूल्हा आदि की आवश्यकता तथा सामुदायिक अनुबोधन प्राथमिकताओं और सांस्कृतिक स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिये। मकानों का डिजायन बनाते समय लागत सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। मकान का निर्माण कार्य प्रारम्भ से ही स्वयं लाभार्थिक द्वारा दिया जायेगा वे निर्माण के लिये स्वयं ही सारी व्यवस्था करेंगे। और चाहे तो कुशल कारीगर को काम पर लगा सकते है। या परिवार के सदस्यों का चाहे तो सहयोग ले सकते है। शासन की नीति है कि लाभार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाये आवास, जो उनका अपना है, का निर्माण किस प्रकार किया जाये वह स्वयं निश्चित करे। इस योजना के मकानों का निर्माण किसी भी दशा में ठेकेदार को नही दिया जायेगा तथा उल्लघंन करने वालों से धनराशि वसूल भी की जायेगी।

इन आवासों के निर्माण में तकनीकि विनिर्देशों को निर्धारित करते समय स्थानीय सामग्री तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा विकसित किफायती प्रौद्योगिकी के अधिकतम इस्तेमाल के प्रयास किये जाने चाहिये। ईंट, सीमेंट तथा स्टील के बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने वाली प्रौद्योगिकी को बढ़ावा नही दिया जाना चाहिये। यथासंभव सीमेंट के स्थान पर स्थानीय एजेन्सियों द्वारा निर्मित चूना एवं सुर्खी का प्रयोग किया जाना चाहिये। ईंटों के महंगा होने के कारण उसके स्थान पर गिट्टी–मिट्टी के सीमेंट की कच्ची ईंटों का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा होगा। यदि लाभार्थी स्वयं अपने द्वारा निर्मित ईंटों का प्रयोग करता है तो निःसन्देह किफायती तथा बेहतर होगा तथा मजदूरी रोजगार की दृष्टि से भी यह अच्छा कदम होगा प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार स्वयंसेवी निर्मिती केन्द्रों की सेवायें ली जानी चाहिये प्रयास यह होना चाहिये कि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ऐसे प्रौद्योगिकी केन्द्र खोलकर सहायता प्रदान की जाये।

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत मकानों की लागत –

वर्तमान में यद्यपि मकान निर्माण की लागत दरों में बेतहासा वृद्धि हुयी है किन्तु भारत सरकार द्वारा प्रति आवास दर में अभी कोई वृद्धि नही की गई है तथा निम्न दर से ही लाभार्थियों

को अधिकतम अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

1. मकानों के निर्माण मूल लागत के सम्बन्ध में रु. 15000 स्वच्छ शौचालय और धूम्ररहित चूल्हों के निर्माण के सम्बन्ध में।
2. रु. 2500 बुनियादी और सामान्य सुविधायें मुहैया कराने की लागत यथा
3. स्वच्छ शौचालय निर्माण आदि में रु. 2500

उक्त धनराशि लाभार्थियों को सीधे दो किश्तों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था है पच्चास प्रतिशत प्रथम किश्त के साथ तथा कार्य की संतोषजनक प्रगति को देखकर पच्चास प्रतिशत द्वितीय किश्त में धनराशि लाभार्थी को दी जाती है बुनियादी प्रतिशत सामान्य सुविधायें मुहैया कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति पर ही धन लाभार्थी को दिया जा सकेगा। खण्ड विकास अधिकारी इसकी उपयोगिता व आवश्यकता को ध्यान में रखकर धनराशि अवमुक्त करेंगे तथा ऐसा न होने की स्थिति में रखकर इस मद में उपलब्ध धन अतिरिक्त आवास के निर्माण है उपयुक्त की जा सकती है।

कम ईंधन वाले चूल्हे –

इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत यह भी आवश्यक है कि लाभार्थी अपने निर्मित परिसर में कम ईंधन वाले चूल्हे की भी व्यवस्था करे गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग ऐसे चूल्हे लगाये जाने हेतु बढ़ावा दे रहा है यदि इस हेतु अन्य विभागों से अनुदान मिल सकता हो तो इसका उपयोग किया जाना चाहिये क्योंकि इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत लाभार्थी को स्वच्छ शौचालय व निर्धूम चूल्हों के लिये केवल स्वीकृत धनराशि से रु. 2500 ही दी जा रही है। वह दोनों कार्यों के लिये पर्याप्त नही पायी जा रही है।

स्वच्छ शौचालय –

स्वच्छ शौचालय का निर्माण इंदिरा आवास योजना के मकानों का अभिन्न अंग है, फिर भी यह देखा जा रहा है कि मामलों में लाभार्थी द्वारा इन मकानों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण नही किया गया है या उनका उपयोग निर्माण के उपरान्त भी नही किया जा रहा है शासन की नीति स्वच्छ शौचालयों के निर्माण व उचित उपयोग को बढ़ावा देने की है तथा यह सुनिश्चित करने पर बराबर बल देती है इन स्वच्छ शौचालयों का निर्माण इंदिरा आवास योजना के मकानों के भाग के रूप में निरपवाद रूप से किया जाना चाहिये। इनके उचित इस्तेमाल के बारे में लाभार्थियों को प्रेरित करना और उनकी आदतों में बदलाव लाना इंदिरा आवास योजना का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिये।

पेयजल आपूर्ति –

इंदिरा आवास कम से कम दस के कलस्टर में बना हो तो बुनियादी सुविधा मद से हैण्डपम्प लगाये जाने का प्रावधान है आपूर्ति की व्यवस्था ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार एजेन्सियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये जहाँ आवश्यकता हो, ग्रामीण जल पूर्ति अथवा ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों में से एक हैण्डपम्प इंदिरा आवासों के कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व लगाया जाना चाहिये।

स्वच्छता एवं पर्यावरण सुधार –

इंदिरा आवासों के निर्माण के फलस्वरूप ऐसे स्रोतों से जल निकासी की व्यवस्था भी की जानी चाहिये ताकि रसोई, स्नानागार आदि से होने वाले मल जल की अधिकता से बचा सके जिससे गंदगी फैलती है और जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है सम्पूर्ण वसावट या व्यक्तिगत मकानों के आसपास की भूमि का समतलीकरण, खंड़जा, नाले तथा वृक्षारोपण भी साथ–साथ किया जाना चाहिये। आवासीय बस्तियों के निकट वृक्षों को लगाया जाना चाहिये ताकि समयानुसार बस्तियों के आसपास पर्याप्त मात्रा में वृक्ष उपलब्ध हो और लाभार्थियों को ईंधन/चारा या अन्य कार्य हेतु लकड़ियाँ प्राप्त हो सके। शासन के यह भी निर्देश है कि जवाहर रोजगार योजना के सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से भी इन कार्यों को जोड़ा जा सकता है। या बुनियादी सुविधायें धनराशि का उपयोग भी इन कार्यों के लिये किया जा सकता है। अच्छे रिकार्ड वाले स्थानीय एजेन्सियाँ जहाँ कही भी उपलब्ध हो इन्दिरा आवास योजना के साथ उन्हें जोड़ा जाना चाहिये। मकानों के निर्माण, पर्यवेक्षक, मार्गदर्शन व निगरानी का कार्य स्वयं सेवी संगठनों को सौंपा जाना चाहिये इन एजेन्सियों को स्वच्छ शौचालयों के प्रयोग तथा धूमरहित चूल्हे को लोकप्रिय बनाने एवं पर्यावरण सुधार पर बल देने के लिये ग्रामीण वासियों को प्रेरित करना चाहिये।

उ. प्र. शासन द्वारा रोटी, कपड़ा व मकान मनुष्य की इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों के मकान की आवश्यकता पूर्ति के लिये लाये जा रहे इस योजना का लाभ निःसंदेह प्रवेश के लाखों लोगों को प्राप्त हुआ है अब तक लगभग 3 लाख इंदिरा आवास और 2 लाख निर्बल वर्ग आवास इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रयोग में बनाये जा चुके है।[12]

12. डा. जे. वी. सिन्हा – सामाजिक न्याय एवं दलितोत्थान की योजनायें 2004, शान्ति प्रकाशन इलाहाबाद पृ. 94

दलित, पीड़ित व शोषित व्यक्तियों के लिये अन्य कल्याणकारी शासकीय योजनायें –

समाज में दलित, पीड़ित, शोषित व सुविधा विहीन वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित करना भारतीय संविधान के निहित मूलभूत सिद्धान्त है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याणकारी योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी के साथ अन्य वर्गों यथा विकलांग पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक महिला एवं बच्चों को भी आर्थिक शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य के कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता था। किन्तु इन वर्गों के व्यक्तियों के लिये संचालित योजनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखकर आपेक्षित लाभ प्रदान किये जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रदेश शासन ने पृथक–पृथक विभागों का गठन किया है।

इस प्रकार महिला एवं बाल कल्याण, विकलांग कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभागों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भी संचालन किया जा रहा है। जिससे निराश्रित व असहाय लोगों की सहायता की जा सके।

समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम –

यह योजना 15 अगस्त, 1995 से प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया एवं निर्देशों के अधीन इसे जनपद के जिलाधिकारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग को इसके लिये नोडल विभाग घोषित किया गया है। इस सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन योजनायें है।

(क) केन्द्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना –

भारत सरकार द्वारा उक्त योजना में 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के अनाथ एवं साधन विहीन वृद्ध व्यक्तियों के 75 रु. प्रतिमाह की सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गई है। परन्तु राज्य सरकार ने प्रदेश के पूर्व से लागू वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के साथ इस योजना का से विलयन करके पूर्व संचालित पेंशन की दर, पात्रता एवं मानक के अनुसार शहरी

क्षेत्रों में 100 रु. तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 125 रु. प्रतिमाह की दर से 60 या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों/किसानों को जिनकी मासिक आय 225 रु. प्रतिमाह से कम है अथवा ग्रामीण क्षेत्र में ढ़ाई एकड़ से कम भूमि है को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है इस प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व से संचालित किसान/वृद्धावस्था पेंशन योजना को सम्मलित रूप से चलाये जाने के फलस्वरूप 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्धों को प्रतिमाह प्रदान की जा रही सहायता से ग्रामीण क्षेत्र में (75 रुपये केन्द्रांश + 50 राज्यांश) 125 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में (75 रुपये + 25 रुपये राज्यांश) 100 रुपये का वित्तीय पैटर्न है। 60 से 65 वर्ष के मध्य आने वाले लाभार्थियों पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। इसमें केन्द्रांश शामिल नही होता है।

(ख) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना –

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के मुख्य जीवकोपार्जक की प्राकृतिक मृत्य होने पर 5 हजार रुपये तथा किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर दस हजार रुपये देने का प्राविधान है इस योजना के अन्तर्गत 18 से 64 वर्ष की आयु सीमा मुख्य जीवकोपार्जन के लिये निर्धारित की गई है यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है तथा भारत सरकार द्वारा सीधे जनपदों को धनराशि भेजी जाती है अब तक प्रदेश में लगभग 50,000 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(ग) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना –

इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 19 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली महिलाओं को प्रथम दो जीवित बच्चों के जन्म पर 300 रुपये एक मुश्त दिये जाने की व्यवस्था उक्त धनराशि लाभार्थी का प्रसव के 8 से 12 सप्ताह पूर्ण प्रदान की जाती है यह योजना भी भारत सरकार द्वारा संचालित है अब तक प्रदेश में लगभग 68000 महिलाओं को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम –

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण हेतु विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों में समन्वय एवं अनुश्रवण करने तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मार्च, 1989 में शासन स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग का सृजन किया गया। वर्ष 1990 में

विभागीय कार्यों की समीक्षा एवं समन्वय के लिये महिला कल्याण निदेशालय की स्थापना की गई। महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की व्यवस्था करने के लिये मार्च 1988 में उ. प्र. महिला कल्याण निगम की स्थापना की गई भारत सरकार के सहयोग से समेकित बाल विकास परियोजना, जिसके लिये बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय बनाया गया है भी शासन स्तर पर नियंत्रण व समन्वय के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत रखा गया है। विभाग द्वारा संचालित योजनायें इस प्रकार है।

अनुपूरक पुष्टाहार –

3 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार प्रदान किया जाता है जनपदों में स्थित समेकित बाल विकास परियोजनाओं में पुष्टाहार की आपूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने उनके माध्यम से तैयार अर्ह लाभार्थियों को पोषाहार की आपूर्ति की जाती है।

प्रतिरक्षण –

स्वास्थ्य विभाग में पूर्णतया समन्वय एवं स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था करते हुये विभाग द्वारा सहायता परियोजना क्षेत्र में आने वाले एक साल तक के बच्चों को टीके लगवाये जाते है। गर्भवती महिलाओं को भी टीके लगवाये जाते है एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँच की व्यवस्था कराई जाती है। आँगनवाड़ी कार्यक्रमों द्वारा गृह सम्पर्क के दौरान तथा केन्द्र पर आने वाली महिलाओं एवं बच्चों के लालन पालन, स्वास्थ्य, सफाई व सामान्य बीमारियों के सम्बन्ध में शिक्षित किया जाता है। समय–समय पर रोगों के निवारण तथा प्राथमिक उपचार के लिये आँगनवाड़ी कार्यक्रमों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय स्तर पर कार्यरत ए. एन. एम. से समन्वय कर आवश्यक दवाइयाँ दिलाने की व्यवस्था की जाती है।

स्कूल पूर्व शिक्षा –

समेकित बाल विकास परियोजना का 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो बच्चों के बहुमुखी विकास के लिये आवश्यक है। बच्चों के प्राथमिक विद्यालय में जाने के पूर्व आँगनवाड़ी शिक्षा प्रक्रिया का पहला चरण बच्चों का पूर्ण शारीरिक, नैतिक व सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। इन केन्द्रों पर बच्चों कि जिज्ञासा को संतुष्ट कर रचनात्मक शिक्षा दी जाती है। इसमें कलात्मक क्रियाओं भाषा विकास से

सम्बन्धित क्रियाओं संगीत की क्रियाओं व सामाजिक विकास क्रियाओं पर जोर दिया जाता है।

महिला समृद्धि योजना –

यह योजना 2 अक्टूबर 1993 से प्रारम्भ हुयी है इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता आत्मविश्वास एवं बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की व्यस्क महिला अपने डाकघर में रु. 4 अथवा गुणांक किन्तु अधिकतम रु. 300/– से खाता खोल सकती है जिस पर एक वर्ष की अवधि के पश्चात् 25% प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।

बालिका समृद्धि योजना –

यह योजना नवम्बर 1997 में उ. प्र. शासन प्रारम्भ की गई है इसके अन्तर्गत गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार में पुत्री के जन्म पर रु. 300 का एक मुश्त अनुदान दिया जाता है।

इंदिरा महिला योजना –

यह योजना वर्ष 1995–96 में प्रदेश के उ. प्र. विकास खण्डों में लागू की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में जागृति पैदा करने के साथ ही साथ समुचित शिक्षा एवं संचार माध्यमों से उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाना, सामाजिक आर्थिक कार्यकलापों में सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना तथा ग्राम स्तर पर महिलाओं की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को अभिज्ञानित कर विभिन्न विभागों के माध्यम से वर्तमान में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर विशेषकर आँगनबाड़ी स्तर पर इंदिरा महिला केन्द्रों की स्थापना की जाती है केन्द्र पर कई ग्रुप होते है और प्रत्येक ग्रुप में 20–25 वयस्क महिलायें सदस्य होती है जो अपना नेता स्वयं चुनती है विकास खण्ड स्तर पर इंदिरा महिला ब्लाक समिति भी गठित की जाती है तथा इन समितियों का पंजीकरण कराया गया है।

किशोरी बालिका योजना –

प्रदेश में किशोरी बालिकाओं के विकास हेतु किशोरी तथा बालिका मण्डल का संचालन भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना अन्तर्गत की जाती है इसमें किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु पुष्टाहार के साथ–साथ आवश्यक शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पोषण

सम्बन्धी जानकारी प्रदान की जाती है। वर्तमान में प्रदेश के 22 जनपदों के 99 विकास खण्डों में यह योजना संचालित है।

राष्ट्रीय महिला कोष –

उ. प्र. में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु कोष की स्थापना की गई है। जिसमें महिलाओं को ऋण की सुविधा संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

महिला जागृति योजना –

इस योजना अन्तर्गत महिलाओं को समानता के अधिकार प्राप्त करने के कार्यक्रम आयोजित कराये जाते है जनपदों में महिला जाग्रति शिविरों में "नाटक" वाद विवाद प्रतियोगिताओं में आयोजन हेतु शासन द्वारा धनराशि आवंटित की जाती है कार्यक्रमों का आयोजन कर उस पर आवंटित धनराशि व्यय की जाती है।

श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण –

इस योजना के अन्तर्गत महिला आवासों के निर्माण हेतु लागत का पचास प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा शेष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इन छात्रावासों का निर्माण उ. प्र. महिला कल्याण निगम लि. द्वारा कराया जा रहा है।

महिला मंगल दलों की सहायता –

उ. प्र. के जनपदों में कई महिला मंगल दल है किन्तु वृत्तीय स्रोतों एवं पहल की कमी के कारण यह सभी लगभग निष्क्रिय हो गये है। इन महिला मंगल दलों को सक्रिय करने हेतु प्रत्येक महिला मंगल दल की अवस्थापन्न मद में रु. 20,000 तथा जो महिला मंगल अपने क्षेत्र के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत करे, उन्हें इस हेतु अधिकतम रु. 24000/– तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

राजकीय बालिका निकेतन की स्थापना –

उ. प्र. शासन द्वारा 6 से 18 वर्ष की अनाथ एवं निराश्रित बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिये बालिका निकेतन संचालित किये जाते है। इन बालिका निकेतनों में ऐसे बालिकाओं के आवास एवं भरण–पोषण की व्यवस्था की जाती है। यहाँ बालिकाओं की शिक्षा एवं प्रशिक्षण की भी व्यवस्था प्रदान की जाती है।

शिशु सदनों की स्थापना –

उ. प्र. शासन द्वारा अनाथ एवं परिव्यक्त शिशुओं की समस्या के निदान हेतु उनकी आवासीय व्यवस्था व लालन पालन के उद्देश्य से शिशु सदनों की स्थापना की गई है। वर्तमान समय में लोक लज्जा एवं सामाजिक कलंक के भय से मातायें अवैध सम्बन्धों से जन्में अपने शिशुओं को सड़कों व नालियों या अस्पतालों के पास छोड़ जाती है ऐसे शिशुओं को पुलिस, सामाजिक कार्यकर्त्ता स्वैच्छिक संस्थायें या चिकित्सालयों द्वारा शिशु सदनों में भेज दिया जाता है। इन शिशु सदनों में शिशुओं के रखरखाव पर रु. 312 प्रति शिशु की दर से शासन द्वारा व्यय वहन किया जाता है सदनों में जन्म लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को ही रखा जाता है तथा इनके चिकित्सास, स्वास्थ्य व शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।

शिशुशाला एवं वालबाड़ी केन्द्रों की स्थापना –

ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय बस्ती में श्रमजीवी महिलाओं को प्रतिदिन अपने कार्य पर जाना पड़ता है, जिसके कारण उनके बच्चे उचित देखभाल व शिक्षा से वंचित रह जाते है तथा कुपोषण के भी शिकार हो जाते है। इस प्रकार के बच्चों के लिये शिशुशाला एवं वालवाड़ी केन्द्रों के संचालन की योजना प्रदेश में है। इस समय प्रदेश के 30 जनपदों में 60 ऐसे केन्द्र संचालित है जिसमें 25 बच्चों के प्रति केन्द्र रखने की क्षमता है।

महिला कल्याण सम्बन्धी योजनायें –

समाज की असहाय/निराश्रित महिलाओं को नैतिक संरक्षण प्रदासन करने के उद्देश्य से उत्तर रक्षागृह व उत्तर गृह प्रवेश द्वारा संचालित की जा रही है। इन ग्रहों की क्षमता 100 सवासिनियों की है। जिन्हें सामान्य शिक्षा के साथ कढ़ाई–बुनाई तथा सिलाई आदि विभिन्न दस्तकारी व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। ताकि वे स्वावलम्बी बनकर समाज में पुनर्वासित हो सके सेवासिनियों के लिये इन ग्रहों में निःशुल्क आवास, भोजन की व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है यहाँ सेवासिनियों के विवाह कराने व रोजगार प्राप्त कराने में भी प्रयास किये जाते है।

संरक्षण ग्रहों की स्थापना –

अनैतिक देह व्यापार निरोधक अधिनियम 1950 के अधीन प्रदेश में कुछ जनपदों में संरक्षण ग्रह की स्थापना की गई है। इन ग्रहों में वेश्यालयों चकलों आदि से मुक्त कराई गई महिलाओं तथा बालिकाओं को आश्रय दिया जाता है। सेवासिनियों को सामान्य शिक्षा के

अतिरिक्त ऐसे उपयोगी व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाता है। जिससे वह स्वतंत्र रूप से स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सके। संरक्षण ग्रह के अतिरिक्त उद्वार ग्रहों की भी स्थापना प्रदेश में इस उद्देश्य से की गई है ताकि उद्वार अधिकारी द्वारा समय–समय पर पुलिस सहयोग से वेश्यालयों, चकलों तथा ऐसे स्थानों पर जहाँ वेश्यावृत्ति कराई जाती है छापा मारकर वेश्यावृत्ति जैसे घृणित पेशों में लिप्त महिलाओं को मुक्त कराकर रखा जा सके। इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को तात्कालिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से कुछ जनपदों में जिला शरणालय एवं प्रवेशालय की स्थापना भी की गई है इन शरणालयों में इस प्रकार की महिलाओं को न्यायालय के आदेश से निरूद्ध किया जाता है और भोजन वस्त्र की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। जिस हेतु शासन से रु. 240/– प्रति सवासिनी की दर से व्यय किये जाने की व्यवस्था है।

महिला आश्रम की व्यवस्था –

समाज में तिरस्कृत एवं अपमानित महिलाओं का जीवन अपने आप में अभिशाप बन जाता है, जिन्हें संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से कानपुर में विभाग द्वारा एक महिला आश्रम की स्थापना की गई है। इस आश्रम की क्षमता 100 सेवासिनियो की है यहाँ ऐसी महिलाओं व बालिकाओं को आश्रम दिया जाता है, जिन्हें परिवार एवं समाज द्वारा संरक्षण प्राप्त नही होता है आश्रम में सेवासिनियों को निःशुल्क भोजन एवं आवास की व्यवस्था प्रदान की जाती है जिसके लिये प्रत्येक सेवासिनी पर रु. 240 प्रतिमाह की दर से व्यय वहन किया जाता है इस आश्रम में प्रविष्ट महिलाओं को विभिन्न दात्तकारियों में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया जाता है।

उ. प्र. महिला कल्याण निगम –

महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण, व्यवसाय लगाने हेतु ऋण उपलब्धता तथा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के उद्देश्य से महिला कल्याण निगम की योजनायें सहायता करती है। प्रशिक्षण की योजनान्तर्गत प्रदेश की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पारम्परिक व गैर कौशल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब तक 700 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मार्जिन मनी ऋण योजनान्तर्गत अपना व्यवसाय लगाने के इच्छुक महिलाओं को बत्तीस हजार से दो लाख रुपये की उनकी परियोजना पर अधिकतम तीस हजार रुपये मार्जिनी मनी ऋण सादे सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिये जाते है। अब तक इस योजना से 32 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। विपणन सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत विपणन सहायता की सुविधा होती सहित

प्रदेश के बाहर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है तथा ऐसी 16 प्रर्दशनियाँ अब तक आयोजित हो चुकी है। एकल श्रमजीवी महिला आवास की योजना अन्तर्गत श्रमजीवी महिलाओं को स्वच्छ सुरक्षित व सस्ते कक्ष उपलब्ध कराये जाते है जो वर्तमान में वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, फैजाबाद, हल्द्वानी तथा आगरा से संचालित किये जा रहे है। ग्रामीण महिलाओं के विकास व सशक्तीकरण योजना अन्तर्गत महिलायें एवं सहायतित समूहों का गठन कर उनसे अल्प बचत की आदत बढ़ाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाया जाता है यह योजना विश्व बैंक से सहायतित है तथा पाँच वर्षों में लगभग 42000 महिलाओं को विकसित व सशक्त बनाये जाने का लक्ष्य है।

निराश्रित विधवाओं को आर्थिक सहायता –

इस योजना अन्तर्गत उ. प्र. में निवास करने वाली निराश्रित विधवाओं को जिनकी वार्षिक आय रुपया 225 प्रतिमाह से कम है को 100/– रुपये प्रतिमाह अनुदान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड –

इस संस्था अन्तर्गत परिवार परामर्श केन्द्र कार्यक्रम तथा प्रौढ़ महिलाओं के लिये शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम, प्रौढ़ महिलाओं के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, निर्धन एवं ग्रामीण महिलाओं के लिये जागरूकता प्रसार परियोजना, वृन्दावन–मथुरा, से रह रही बंगाली विध वा महिलाओं के पुर्नवास का प्रयास तथा वैश्याओं के बच्चों की शिक्षा एवं कल्याण हेतु प्रयास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को सहायता –

दहेज के कारण महिलाओं को रु. 100/– आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की योजना वर्ष 1990–91 से संचालित है इस योजना के अन्तर्गत कानूनी सहायता देने का प्राविधान है। दहेज के कारण पीड़ित महिलाओं हेतु कानूनी कार्यवाही में जो धन व्यय होता है के सम्बन्ध में ही उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता रु. 1000/– के अनुदान के रूप में इन वादों की पैरवी हेतु दी जाती है।

विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार –

उ. प्र. सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति के रु. 11000/– की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दिये जाने जा प्राविधान किया

गया है। यह योजना वर्ष 1991—92 से संचालित है तथा अब तक लगभग 50 दम्पत्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा वर्ष 96—97 में 77 दम्पत्तियों को पुरस्कृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की संचालित योजनायें —

उत्तर प्रदेश शासन पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रति पूर्व से ही जागरूक रहा है तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से इस वर्ग के लोगों का शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उत्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही थी। 12 अगस्त 1995 को इन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से उ. प्र. शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन/सृजन स्वतंत्र रूप से कर दिया गया इस विभाग का कार्य मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास की योजनाओं का संचालन, राज्य सरकार द्वारा स्थापित पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम का संचालन, पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकलापों का संचालन, भारत सरकार द्वारा इस वर्ग के लोगों के लिये संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन, पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में नवीन योजनायें एवं आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन तथा क्रियान्वयन एवं इस दिशा में शासन से अन्य विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों में समन्वय स्थापित करना है।

विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक सहायता कार्यक्रम —

शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ी जाति के छात्र एवं छात्राओं को, जो पूर्व दशम कक्षाओं में अध्ययनरत है तथा जिनके माता पिता या अभिभावकों की मासिक आय रु. 25000/— तक है को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था प्रदेश शासन द्वारा की गई है।

दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत जिन छात्रों के माता पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 6000/— तथा छात्राओं के मामले में रु. 9000/— तक है, उनको यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। चिकित्सा, अभियन्त्रण तथा प्रौद्योगिक कक्षाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़ी जाति के छात्र/छात्रों को पुस्तक एवं अन्य उपकरण क्रय करने हेतु अनावर्ती सहायता की योजना भी राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।

उ. प्र. पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना भी वर्ष 1990—91 में प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अधिसूचित पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के

सामाजिक, शैक्षिक, प्राविधिक तथा आर्थिक उत्थान हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से एवं अन्य पिछड़ी जातियों को स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु की गई है इन योजना अन्तर्गत कम ब्याज दरों पर वित्तीय ऋण एवं सहायता उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में मार्जिन मनी ऋण योजना में लाभार्थी को परियोजना लागत का कुल 10% तक अपनी ओर से लगाना पड़ता है तथा शेष धनराशि निगम की ओर से तथा बैंक की ओर से रियायती ब्याज दरों पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। टर्म लोन योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत की 75% धनराशि ही लगानी होती है। तथा शेष धनराशि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग निगम, बैंक तथा राज्य पिछड़ा वर्ग निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ी जातियों के लिये पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में मेधावी छात्रों को प्रशिक्षण दिये जाने तथा पिछड़ी जाति की महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के दृष्टिकोण से शिक्षण/प्रशिक्षण की योजना का संचालन भी किया जा रहा है जिससे इस वर्ग के समग्र विकास एवं उत्थान की दिशा में प्रयास हो सकेगा। इतना ही नही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तर्ज पर प्रदेश में भी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है जो इस दिशा में इस वर्ग को न्याय दिलाने हेतु प्रयत्नशील है। प्रदेश में पिछड़ी जाति के लोगों को प्राप्त सुविधाओं संरक्षण एवं उनकी समस्याओं तथा कठिनाइयों का अध्ययन कर समय–समय पर सरकार को सुझाव देना इस आयोग का कार्य है इस वर्ग से प्राप्त शिकायतों की जाँच भी आयोग द्वारा की जा सकती है तथा सम्बन्धित विभाग से अभिलेख व अधिकारियों को तलब करने का अधिकार भी आयोग से प्राप्त होता है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनायें –

प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हेतु चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का संचालन अब तक विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा था उक्त कार्यक्रमों तथा अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन, समन्वय तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगस्त 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग की स्थापना की गई जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय एवं मंडल तथा जिला कार्यालयों का गठन किया गया है।

विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक कार्यक्रम –

अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने की दृष्टि से निम्नांकित कार्य जो शिक्षा विभाग से व्यवहृत होते थे, को तात्कालिक प्रभाव से अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग को स्थानान्तरित किया गया है शिक्षा की प्रगति हेतु रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा, उ. प्र. इलाहाबाद के कार्यालय का व्यय, अरबी, फारसी परीक्षाओं का व्यय, शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि का व्यय इन मदरसों में आधुनिकीकरण के व्यय की व्यवस्था विभाग में आय व्यय में की जाती है अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण की योजना वर्ष 1995–96 से लागू की गई जो अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी के अनुपात में जनपदों को वितरित की गई छात्रवृत्ति की दर प्राइमरी कक्षाओं हेतु रु. 144, जूनियर हाईस्कूल कक्षाओं हेतु रु. 240 तथा हाईस्कूल कक्षाओं हेतु रु. 360 प्रति वर्ष है। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा साथ सरकार द्वारा जनकल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं में अल्पसंख्यकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनकी विशिष्ट समस्याओं के निराकरण हेतु प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चलायी जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों में संचालन के लिये निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण उ. प्र. लखनऊ के स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल की भी स्थापना की गई है।

उ. प्र. वित्त एवं विकास निगम –

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ भारत सरकार के 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उ. प्र. अल्पसंख्यक एवं विकास निगम का गठन प्रदेश सरकार द्वारा 17 नवम्बर, 1984 को एक कम्पनी के रूप में किया गया था इस निगम के गठन का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकास हेतु योजनायें संचालित करना है।

इस निगम द्वारा मार्जिन मनी ऋण योजना, टर्न लोन योजना, ब्याज रहित ऋण योजना एवं प्रशिक्षण योजनायें संचालित है। मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 15% बैंक द्वारा माँगी गई मार्जिन मनी का 75% या रु. 45000/– जो भी कम हो, ऋण उपलब्ध कराया जाता है टर्म लोन योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 85% या 85000/– रुपये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के अंशदान तथा 7.5% अथवा रुपये 15000/– राज्य निगम के अंशदान के रूप में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शेष ध

ानराशि लाभार्थी द्वारा अंशदान के रूप में पूरी करनी होती है। यह लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को 6% वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है। ब्याज रहित ऋण योजना के अन्तर्गत 60,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले अभिभावकों के मेधावी बच्चों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा नर्सिंग, मैनेजमेन्ट तथा कम्प्यूटर आदि की शिक्षा प्राप्त करने के लिये रु. 1000/– प्रतिमाह की सीमा तक आवश्यकतानुसार ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसकी वसूली कोर्स पूरा हो जाने के एक वर्ष पश्चात् की जाती है। प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत निगम द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार सदस्यों को स्वतः नियोजित कराने के उद्देश्य से विभिन्न जनपदों में प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न ट्रेड़ो में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

उ. प्र. वक्फ विकास निगम –

उ. प्र. शासन द्वारा 27 अप्रैल 1989 में प्रदेश की लगभग 1,25,000 औकाफ की सुरक्षा एवं इसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उ. प्र. वक्फ निगम लि. की स्थापना की गई है निगम द्वारा वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिये इनकी जमीन 10 वर्षों के लिये पट्टे पर लेकर उस पर व्यवसायिक, औद्योगिक व आवासीय कालोनियों का निर्माण कराया जाता है। इस कार्य में होने वाले आय के तीन प्रतिशत से औकफ का रखरखाव तथा 40 प्रतिशत से निगम की निवेशित धनराशि वापस की जाती है निगम द्वारा निवेशित धनराशि पर 6 प्रतिशत सर्विस चार्ज लिया जाता है।

अल्पसंख्यक आयोग –

प्रदेश में अल्पसंख्यकों को प्राप्त सुविधाओं संरक्षण एवं उनकी समस्याओं तथा कठिनाइयों का अध्ययन कर समय–समय पर सरकार को सलाह देने हेतु 1969 में उ. प्र. अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया था जिसका गठन 31.08.94 को किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष व 6 सदस्य है अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के लोगों को सम्मिलित किया गया है। इस आयोग का कार्य संविधान और राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षोपाय के कार्यकरण का अनुश्रवण तथा रक्षोपाय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिश करना है।[13]

---

13. स्रोत – समाज कल्याण विभाग बाँदा

अनुसूचित जाति/जनजाति आर्थिक सहायता योजना –

अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग का बहुसंख्यक समुदाय आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यंत निर्बल एवं पीड़ित है। उक्त स्थिति में उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी राज्य के तत्वावधान में इस वर्ग के सीमा में आने वाले व्यक्तियों को पुत्रियों की शादी व उनके परिजनों के बीमारी के इलाज के लिये सहायता देने की योजना वर्ष 1982–83 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन आय के आधार पर किया जाता है पहले यह आय सीमा शहरी क्षेत्रों में 4300/– रु. वार्षिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3500/– रु. वार्षिक रही जो बाद में बढ़कर क्रमशः 5000/– रु. वार्षिक तथा 4800/– वार्षिक हो गई तथा अब बढ़कर क्रमशः 5000/– रु. वार्षिक तथा 4800/– रु. वार्षिक कर दी गई है। अभी तक इस योजना में प्रति पात्र व्यक्ति रु. 1000/– अनुदान देने का प्रावधांन रहा तथा अनुदान की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। वर्तमान समय में मंहगाई को देखते हुये आर्थिक सहायता की दर में निम्न प्रकार बढ़ोत्तरी की गई है।

(क) अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की बीमारे के इलाज हेतु सहायता राशि बढ़ाकर रु. 2000/– प्रति पात्र व्यक्ति कर दी गई है।

(ख) अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी के लिये दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर रु. 10000/– प्रति व्यक्ति कर दी गई है।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान –

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याणार्थ नियोजन विभाग द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत निर्धारित कुल परिव्यय का 21.57 प्रतिशत भाग पंजीकृत किया गया है। उक्त मात्राकरण उत्तर प्रदेश शासन के समस्त विभागों से प्राप्त धनावंटन में किया जाता है तथा सभी विभागों में इस वर्ग के कल्याण के लिये बनाये गये योजनाओं पर व्यय होता है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर सामाजिक कुरीतियों के कारण सदियों से अन्य जाति के व्यक्तियों द्वारा अत्याचार होता रहा तथा उनका शोषण होता रहा। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 एवं अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के द्वारा उनको दिये गये संवैधानिक संरक्षण हेतु विशेष रूप से प्रभावशाली कदम उठाया गया लेकिन न्यायिक व्यवस्था के जटिल होने के कारण इन्हें न्याय पाने में अधिक समय लग जाता है जबकि अत्याचार से हुई हानि के कारण इन्हें तत्काल पुर्नस्थापित करने की आवश्यकता होती है। अतः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा

वर्ष 1977–78 से उत्पीड़ित व्यक्तियों को बिना न्यायिक परिणाम के प्रतीक्षा किये ही आर्थिक पुनर्वासन सहायता प्रदान की जाने की योजना संचालित की जा रही है। ऐसे उत्पीड़ित व्यक्तियों की सहायता देने के उद्देश्य से उत्पीड़न की घटना पर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं अथवा किसी निर्धारित अधिकारी से घटना की जाँच कराई जाती है तथा जिले स्तर पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इस जाँच रिपोर्ट के आधार पर बिना न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम प्राप्त हुये सहायता हेतु धनराशि स्वीकृत की जाती है। यह सहायता अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को घटना के 15 दिन के अन्दर दिलाने की व्यवस्था शासन की वित्तीय स्वीकृत की प्रत्याशी में जिलाधिकारी को टी. आर...... 27 अन्तर्गत धनराशि आहरित कर भुगतान करने के लिये अधिकृत कर की गई है जिससे उत्पीड़ित व्यक्ति को तात्कालिक सहायता प्रदान करने में बाधा न हो।

वर्तमान में मँहगाई के कारण बढ़ी दर पर दंगा और सामूहिक अत्याचार की घटनाओं में दी जाने वाली शासकीय सहायता की धनराशि निम्न प्रकार है।

1. परिवार के किसी सदस्य की हत्या की घटना पर
   (क) न कमाने वाले सदस्य पर रु. 1.00 लाख
   (ख) कमाने वाले सदस्य पर रु. 2.00 लाख
2. गम्भीर चोट के कारण शारीरिक अक्षमता पर रु. 30.00
3. बलात्कार रु. 50.000
4. आगजनी या गम्भीर सम्पत्ति क्षति रु. 25.000
5. भारतीय दण्ड विधान के अन्य हस्तक्षेपीय अपराध रु. 25.000 औसतन

यह योजना वर्ष 1980–81 से संचालित है इस योजना के अन्तर्गत चयनित अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की उनकी अभिरूचि, अनुभव, दक्षता एवं क्षेत्रीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये कृषि एवं अकृषि क्षेत्रों की बैंके बुल परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। स्वीकृत परियोजनाओं में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान तथा कृषि एवं अकृषि क्षेत्रों की परियोजनाओं में लागत का 25 प्रतिशत धनराशि 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर मार्जिन मनी ऋण के रूप में निगम की अंशपूजी से तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। परियोजनाओं की लागत की सीमा भी निर्धारित है। जिसके अन्तर्गत लागत की परियोजनाओं पर ही उक्त सुविधा अनुमन्य है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अनुसूचित जाति/जनजाति सहायतार्थ कार्यक्रम –

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा निर्बल व पिछड़े वर्ग के कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये विभिन्न कार्यक्रम उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं। इस वर्ग के कृषकों को स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत फल, शाकबाजी, आलू की खेती प्रयुक्त होने वाले निवेशों पर पचास प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सहयोग से पोषक वाटिका योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक परिवार को 50 रुपये मूल्य के 10 फल के पौधे निःशुल्क प्रदान किये जाने का कार्यक्रम है। इसी प्रकार फूलों की खेती करने हेतु इस वर्ग के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य जनपदों के कृषकों को 380 रुपये प्रति 0.1 हे. क्षेत्र का अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनाओं व सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत इस वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर भी चयनित किया जाता है।

सिंचाई विभाग के अनुसूचित जाति/जनजाति सहायतार्थ कार्यक्रम –

निःशुल्क बोरिंग योजना जनवरी 1985 में चालू की गई थी जिसमें प्रारम्भ में लघु/सीमान्त कृषकों की बोरिंग हेतु अधिकतम लागत सीमा 3000 थी। वर्तमान में लघु/सीमान्त व अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु बोरिंग की अधिकतम लागत सीमा रु. 3000 तथा 4000 एवं रु. 5000 निर्धारित है जिसका वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50–50 के आधार पर होता रहा है वर्ष 1992–93 से यह योजना भारत सरकार से स्थानान्तरित होकर राज्य सरकार द्वारा पोषित की जा रही है। पम्प सेट हेतु अनुदान का भुगतान 50 प्रतिशत एकीकृत ग्राम्य विकास योजना एवं 50 प्रतिशत राज्य योजना से किया जाता है। पम्प सेट की इकाई लागत अब नाबार्ड द्वारा 5–0 हार्स पावर हेतु निर्धारित मूल्य रु. 11,300 कर दी गई है जिमसें लघु कृषकों को 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 2500/– सीमान्त को 331/2 प्रतिशत रु. 3750/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति को अधिकतम 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 5650/– अनुदान अनुमन्य है। दस लाख कूप योजना अन्तर्गत एक एकड़ से कम जोत वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु निःशुल्क बोरिंग का कार्य प्रथम वर्ष 1992–93 में प्रारम्भ किया गया है। इस योजना में एक एकड़ से कम जोत वाले कृषकों को प्राथमिकता देने का प्राविधान है। एक एकड़

से कम जोत वाले कृषकों को बोरिंग पर पम्पसेट लगाने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है लेकिन 3–4 बोरिंग के मध्य एक पम्प सेट होना सुनिश्चित किया जायेगा इस योजना में बोरिंग लागत सीमा रु. 5000/– निर्धारित है जिसके अन्तर्गत धन बचने पर बोरिंग पर रिफलेबरु वाल्ब डिलीवरी पाइप आदि लगाने की अतिरिक्त सुविधा भी है जिससे कृषक पम्पसेट लगाकर सिंचाई के लिये तुरन्त पानी ले सके। दस लाख कूप योजना में 20 प्रतिशत धनराशि के स्थान पर 30 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हो रही है जिस कारण अतिरिक्त धनराशि से अब अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के अतिरिक्त सामान्य जाति के लघु/सीमान्त कृषकों को भी सहायता दी जा रही है।

अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु नैनीताल जनपद के तराई क्षेत्र में आर्टिजियन कूपों का निर्माण किया गया है। उपरोक्त दोनों योजनाओं के कार्य शतप्रतिशत शासकीय व्यय से किये जाते है। पर्वतीय क्षेत्र में हौज एवं गूल निर्माण पर रु. 1500/– प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाता है।

दुग्धशाला विकास विभाग के अनुसूचित जाति सहायतार्थ कार्यक्रम –

दुग्धशाला विकास विभाग अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेंट प्लान वर्ष 1982–83 से प्रारम्भ हुई। इस परियोजना का उद्देश्य दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों के आय में वृद्धि कर उनकी आर्थिक दशा में सुधार लाकर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। प्रदेश में 1994–95 में लगभग 84 हजार अनुसूचित जाति/जनजाति के दुग्ध उत्पादक के अनुसूचित बाहुल्य वाली 11 समितियों के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को विभिन्न निवेशों के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु 11 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा 9.3 हजार अनुसूचित जाति/जनजातियों के सदस्यों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से 180 लाख रुपये की धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं हेतु रोजगार सृजन योजना अन्तर्गत 1995–96 के माह मार्च 96 तक विभिन्न निवेशों सामान्य दुग्ध उपार्जन कार्यक्रम, सदस्य मिनी डेयरी परियोजना कार्यक्रम तथा सेन्ट्रल सेक्टर योजना के माध्यम से 41875 रोजगार अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को उपलब्ध कराये जा चुके है, जो कुल अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं के रोजगार सृजन लक्ष्य 110660 हजार के समक्ष 37.32 प्रतिशत है।

नगर विकास विभाग के अनुसूचित जाति सहायतार्थ का कार्यक्रम –

शुष्क शौचालयों के परिवर्तन के फलस्वरूप स्वच्छकारों को मेला उठाने के कार्य से विमुक्त किया गया है। यह कार्य नगर निगमों के माध्यम से कराया जाता है। अब तक 80644 शुष्क शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है तथा 17461, शौचालय निर्माणाधीन है। इस प्रकार 2332 स्वच्छकारों को विमुक्त किया जा चुका है तथा 353 स्वच्छकार 17461 शौचालयों के निर्माण पूर्ण हो जाने से उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही विमुक्त हो जायेंगे।

अस्पृश्यता निवारण तथा मानव अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने तथा नगरों में स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये घरेलू शुष्क शौचालयों को सस्ते जल प्रवाहित शौचालयों से प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किये जाने के साथ–साथ मानव द्वारा मानव का मल–मूत्र उठाये जाने की घृणित कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वच्छकार विमुक्ति योजना का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1991 में प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को साफ करने में लगे स्वच्छकारों को, जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप अन्य लाभकारी व्यवसाय में पुनर्वासित किया जाता है।

जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन निर्माण कार्य हेतु आर्थिक रूप से दुर्लभ वर्ग के व्यक्तियों हेतु निम्नांकित वित्त पोषण व्यवस्था की गई है।

1. भारत सरकार की तरफ से केन्द्रीय अनुदान
2. ऋण की व्यवस्था 45 प्रतिशत शौचालय लागत
3. लाभार्थियों का अंशदान 10 प्रतिशत शौचालय लागत

उत्तर प्रदेश में 95 अनुमोदित नगरीय क्षेत्रों के 59 क्षेत्रों में यह योजना लागू है।

नेहरू रोजगार योजना –

इस योजनान्तर्गत गरीब नगरीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाकर नगरीय गरीबों की शोचनीय आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रम है। योजना के अन्तर्गत रु. 11850.00 तक वार्षिक आय वाले व्यक्ति लाभन्वित किये जा सकते हैं। नगरीय लघु उद्यम योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं को अधिकतम रु. 15,000/– का ऋण तथा रु. 5000/– का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। अनुदान में केन्द्र राज्य अनुपात का 60 : 40 का है।

पंचायत राज विभाग के अनुसूचित जाति सहायतार्थ कार्यक्रम –

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण में सुधार तथा विशेषतया महिलाओं द्वारा अनुभूत कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये और उनकी गरिमा एवं गोपनीयता को बनाये रखने के उद्देश्य से केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को प्रदेश में वर्ष 1990–91 से वृहद स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये छत तथा दरवाजे सहित 2500 रुपये के लागत से व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जाता है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को रु. 2375 शासकीय अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। लाभार्थी को केवल रु. 125/– ही अपने पास से वहन करना होता है। प्रत्येक चयनित ग्राम में कम से कम 20 लाभार्थियों के यहाँ शौचालय का निर्माण कराया जाता है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के यहाँ शौचालय का निर्माण कराया जाता है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में, जहाँ उस जाति के परिवारों के लिये शौचालय निर्मित किये जाने है, वहाँ अनुसूचित जाति/जनजाति लाभार्थी समूह की न्यूनतम संख्या 10 हो सकती है। लाभार्थियों की उपलब्धता एवं उपर्युक्त मार्ग निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामों का चयन क्षेत्र पंचायतों द्वारा किया जाता है। शौचालयों में शौचालय सेट पंचायत उद्योग के माध्यम से निर्मित करवाकर लगवाये जावेंगे किन्तु यदि लाभार्थी स्वयं किसी प्रकार के सेट लगवाना चाहता है तो उसे स्वतंत्रता दी जा सकती है किन्तु मैन व ट्रैप विभाग द्वारा सूचित यू. एन. डी. पी. तथा भारत सरकार द्वारा महिला शौचालय काम्पलेक्स के निर्माण की भी योजना पंचायत राज विभाग द्वारा संचालित है। एक महिला शौचालय काम्पलेक्स में शौचालय, मूत्रालय तथा स्नानागार की व्यवस्था के साथ–साथ हैण्डपम्प व कपड़ा धोने के चबूतरे की भी व्यवस्था की जायेगी। इसकी लागत का 35 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा 35 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा तथा शेष 30 प्रतिशत सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा उपयोग करने वाले लाभार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा। इस हेतु जनपद की सर्वाधिक अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या वाले ग्रामों का चयन किया जायेगा जहाँ निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान हो और ग्राम सभायें अपने अंश की धनराशि का व्यय भार वहन करने और काम्पलेक्स के रखरखाव में सक्षम हो।

खडंजा व नाली निर्माण योजना –

ग्रामीण पर्यावरण में सुधार तथा ग्राम के अन्दर आवागमन की सुविधा सृजित करने के उद्देश्य से अम्बेडकर ग्रामों में खड़जा व नाली निर्माण की योजना पंचायती राज विभाग द्वारा

ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत किसी एक ग्राम सभा को 500 मीटर खंडजा व नाली निर्माण हेतु अधिकतम 60,000 रु. की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है जिसमें से रु. 54,000 शासकीय अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है तथा 6000 रुपये ग्राम सभा द्वारा नकद अथवा श्रम के रूप में अपना अंशदान वहन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा के लिये आवंटित धनराशि सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सीधे ग्राम सभा के खाते ग्राम निधि में स्थानान्तरित कर दी जाती है एवं आवश्यकतानुसार खाते से प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से धनराशि आहरित कर निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जाता है। इस कार्यालय में भी यह मानक निर्धारित है कि ग्राम की समस्त अनुसूचित जाति बस्तियों में नाली खडंजा अवश्य बिछा दिया जाये।

मद्यनिषेध विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याणार्थ कार्यक्रम–

अनुसूचित जाति/जनजाति के क्षेत्रों में मादक पदार्थ विरोधी शिक्षात्मक कार्ययोजना अन्तर्गत इन जातियों के बाहुल्य वाले इलाकों में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का सहयोग प्राप्त कर प्रदेश के पर्वतीय तराई, पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड में रहने वाली जनजातियों – थारू बुक्शा कोल इत्यादि के बीच नशा निषेध के शिक्षात्मक कार्यों का आयोजन किया जाता है। चलचित्र प्रदर्शन, प्रदर्शन कक्ष, प्रदर्शन पदों – दृश्यों, बैनर्स इत्यादि स्वल्प संसाधनों एवं प्रचार सामग्री के माध्यम से नशा एवं नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों को इन क्षेत्रों में प्रचारित प्रसारित कर लोगों के नशे से सावधान कर मद्यपान से होने वाली हानियों से अवगत कराया जाता है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश शासन के सभी विभागों ने अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आर्थिक सहायता की योजना बनाकर उनकी आर्थिक दशा सुधारने एवं सामाजिक स्तर उन्नयन का प्रयास किया। इन विभागों को बजट में स्पेंशन कम्पोनेंट प्लान अन्तर्गत धनराशि भी मात्राकृत की गई है जिससे इस वर्ग के लोगों के हित में योजनायें बनाई जा सके एवं कार्यान्वित की जा सके। निः सन्देह यह बाबा साहब अम्बेडकर के इस वर्ग के उत्थान के प्रति लोगों के नजरिये को परिवर्तित करने का ही परिणाम है।[14]

14. डा. जे. वी. सिन्हा -- सामाजिक न्याय एवं दलितोत्थान की योजनायें 2003 -- शान्ति प्रकाशन इलाहाबाद पृ. 100–108

अध्याय – 5

खण्ड B

बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं का दृष्टिकोण

अतः उपरोक्त खण्ड में दलित महिलाओं की समस्यायें एवं बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं का विश्लेषण किया गया है तथा दलित महिलायें आज अनेकों समस्या से संग्रसित है जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक इत्यादि की। भारत सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर करने के लिये विभिन्न कानून एवं विकास की योजनायें बनाई गई जिससे की ये उनका लाभ उठाये परन्तु दुर्भाग्यवश आज इतनी सुविधाओं के बाद भी ये महिलायें अनेकों समस्याओं से ग्रसित है तथा उनको इन योजनाओं से ठीक प्रकार से लाभ नही मिल पा रहा है क्योंकि दलित महिलाओं में इन योजनाओं के प्रति जागरूकता की कमी है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन में यह ज्ञात किया है कि दलित महिलाओं की अनेकों समस्यायें है जिनको दूर करने के लिये सरकार ने अनेकों योजनायें बनाई है अतः इन योजनाओं का कितना लाभ उठाती है ये महिलायें यह जानने का प्रयास किया है कि इन महिलाओं का बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दृष्टिकोण कैसा है जिसको विभिन्न सारिणीयों के माध्यम से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार दलित महिलायें प्राचीन समय से लेकर आज तक संहर्षमय जीवन गुजार रही है। इस प्रकार प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी थी।

परन्तु दलित महिलाओं की स्थिति आरम्भ से दयनीय रही है धीरे–धीरे और निम्न से निम्नतर होती गयी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने उन्हें बराबरी का अधिकार प्रदान किया तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिये कुछ संवैधानिक प्राविधान एवं विकास के लिये योजनायें बनायी गयी है। प्रस्तुत अध्ययन में दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया है।

सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यताओं के कारण प्राचीनकाल से दलित महिलाओं को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने की स्वतंत्रता नही थी जिसके परिणामस्वरूप उनके शोषण के प्रति मूक रहने की प्रवृत्ति का विकास हुआ।" लेकिन वर्तमान में जो परिवर्तन आये है, उनमें से एक प्रमुख परिवर्तन है दलित महिलाओं पर लादी गयी सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यताओं की वैधानिक रूप से समाप्ति। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, पश्चिमीकरण, शिक्षा, आधुनिकीकरण

एवं राजनीतिकरण जैसे कामों ने दलित महिलाओं को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपने निम्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों से उनकी जीवन शैली में भी परिवर्तन आया लेकिन यह परिवर्तन अधिक नही है अभी भी इन महिलाओं में अपने विकास एवं योजनाओं के प्रति संचेतना का स्तर कम है।

दलित महिलाओं की दशा सुधारने में डा. अम्बेडकर का योगदान महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा संविधान में किये गये विशेष प्रावधानों के फलस्वरूप इन महिलाओं को स्वतंत्रता एवं समानता तथा संरक्षण मिला है समाज सुधार एवं पुर्नजागरण आन्दोलन के दौरान प्रमुख समाज सुधारकों यथा राजाराम मोहनराय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द आदि ने इन महिलाओं की समस्याओं की ओर जनसामान्य का ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ वैधानिक प्रावधान करके दलित महिलाओं को सुविधायें प्रदान की गई।

इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान भारत को आजाद करवाने हेतु राजनैतिक प्रयास किये गये, वही दूसरी ओर इन महिलाओं में उत्थान हेतु राजनेताओं, समाज सुधारकों एवं नीति निर्माताओं ने प्रयास किये। इन प्रयासों, संवैधानिक प्रावधानों, कल्याण कार्यक्रमों एवं योजनाओं से सदियों से पीड़ित उपेक्षित एवं शोषित दलित महिलाओं में कुछ हद तक सामाजिक, आर्थिक दशा में सुधार तो हुआ है परन्तु इनमें अशिक्षा होने के कारण अपने विकास एवं योजनाओं के प्रति संचेतना का स्तर कम है। तथा इन महिलाओं में आज भी जागरूकता नही है।

अतः दलित महिलाओं को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है।

1. अशिक्षित घरेलू महिलायें
2. अल्प शिक्षित कामकाजी महिलायें
3. शिक्षित एवं सेवारत महिलायें

जैसा की ऊपर उल्लेख किया गया है कि अशिक्षित एवं घरेलू महिलायें बड़ी संख्या में परम्परागत रूप से जीवन निर्वाह कर रही है। सामाजिक अधिकारों में दलित व कुछ पिछड़े वर्गों की महिलायें जीवन निर्वाह के लिये परम्परागत व्यवसाय जैसे – सुअर पालन, सूप बनाना, जूते बनाना इत्यादि व्यवसाय करने में संलग्न है। इस प्रकार इस संवर्ग में सरकार द्वारा बनायी गयी योजनाओं के प्रति संचेतना लगभग इनमें शून्य के बराबर है। सरकार द्वारा कई स्तरों से इस दिशा में किये गये प्रचार प्रसार भी निष्प्रभावी ही प्रतीत होते है। द्वितीय वर्ग में अल्प शिक्षित कामकाजी महिलायें आती है जिनका अध्ययन करने से पता चलता है कि सरकार की अनेक

योजनाओं के कारण इस वर्ग की महिलाओं में थोड़ी शिक्षा के कारण उन्हें कुछ स्थान मिले है, जिनमें मानदेय ही मिल रहा है। जिससे वे स्वयं परिवार का भरण पोषण करने का पूर्ण सामर्थ्य नही पा सकती और मुक्त रूप से सरकार द्वारा नियोजित विभिन्न विकास से सम्बन्धित योजनाओं का प्रयोग वे नही कर पा रही है परन्तु इस दिशा में उनका ज्ञान धीरे–धीरे बढ़ रहा है।

तृतीय संवर्ग में शिक्षित एवं राजकीय सेवारत महिलाओं के व्यवहार को रखा गया है इनका जीवन मध्यवर्गीय उच्च महिलाओं की तरह होने के कारण दलित परिवारों से पृथक दिखाई देती है। अपने संवैधानिक अधिकारों एवं कानूनों का प्रयोग पारिवारिक परिवेश में भले ही न कर सके परन्तु समान में वे उन अधिकारों का प्रयोग करती है। निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारों का होने के कारण से इन विकास से सम्बन्धित योजनाओं का प्रयोग ठीक प्रकार से नही कर पाती है।

प्रस्तुत अध्ययन में इन्ही तीन वर्गों से सम्बन्धित बाँदा नगर की 600 दलित महिलाओं का अध्ययन किया उक्त परिप्रेक्ष्य में दलित महिलाओं में से चेतना का स्तर ज्ञात करने हेतु उनसे कुछ प्रश्न किये गये है जो निम्न है।

1. आपकी दृष्टि से पुत्र का होना अनिवार्य है

1-A तो क्यों –

(क) वंश वृद्धि के लिये

(ख) धार्मिक दृष्टि से पिण्डदान हेतु

(ग) वृद्धावस्था के सहारे के लिये

2. आपको यहाँ बालिकाओं को पढ़ाया जाता है

2-A तो क्यों –

(क) आत्मनिर्भरता के लिये

(ख) परिवार का सही पालन पोषण के लिये

(ग) सम्मानजनक स्थिति के लिये

3. आप अपनी लड़की की शादी में सहमति लेती है।

4. आपको अपनी पुत्री का लड़कों से मोलजोल पसंद है।

5. पुत्री को स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति देती है।

6. आप अपनी पुत्र एवं पुत्री के खानदान में भेदभाव करती है।

7. पुत्र एवं पुत्री के बीमार होने पर क्या उपचार करते है ?

(क) घरेलू (ख) वैद्य की (ग) डाक्टरी (घ) झाड़फूक

8. आपकी दृष्टि से बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिये ?

9. आपकी दृष्टि से बच्चों की संख्या सीमित रखने का दायित्व किसका है ?

(क) पति (ख) पत्नी (ग) दोनों का (घ) अनिश्चित

10. क्या अधिक बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से हो सकता है ?

11. आप घर में कामकाज में किसकी मदद लेती है ?

12. आप बच्चों की माँग पूरी करती है ?

13. आपकी दृष्टि से लिंग परीक्षण उचित है ?

14. यदि आपको पता चल जाये कि आपके गर्भ में बालिका है तो क्या आप गर्भपात करायेगी?

15. आपका विवाह किस आयु में हुआ था ?

16. आप अपने लड़के एवं लड़की का विवाह किस आयु में करेगी ?

17. क्या आप अपनी लड़की को लड़को के साथ पढ़ाना उचित मानती है ?

18. आप लड़कियों को आर्थिक रूप से बोझ मानती है।

19. आप अपनी लड़की का विवाह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बाद करेगी ?

20. आप अपनी पुत्री का विवाह कैसे परिवार में करेगी ?

21. आपके यहाँ बालिकाओं को पढ़ाया जाता है ?

22. आप दोनों को बराबर शिक्षा देना चाहती है ?

23. आप अपनी पुत्री को किस प्रकार पढ़ाना पसंद करेगी ?

24. क्या आप अपनी पुत्री को शहर से बाहर भेजकर पढ़ायेगी ?

25. आपके यहाँ पुत्री जन्म पर देखभाल कैसे करते है ?

26. आपके यहाँ पुत्री जन्म के समय देखभाल में भेदभाव किया जाता है ?

27. आप किसका जन्म देने पर खुश होती है ?

अतः इन प्रश्नों से सम्बन्धित आँकड़ों को विभिन्न सारणियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

सारिणी सं० – 5.1

उत्तरदात्रियों का पुत्र के प्रति दृष्टिकोण

पुत्र होना अनिवार्य है

सारिणी संख्या 5.1

उत्तरदात्रियों का पुत्र के प्रति दृष्टिकोण

क्रमांक	पुत्र होना अनिवार्य है	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	528	88%
2.	नही	72	12%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.1 में समस्त उत्तरदात्रियों से यह जानने का प्रयास किया है कि उनकी दृष्टि से पुत्र का होना अनिवार्य है। या नही अतः 528 उत्तरदात्रियों ने स्वीकार किया की पुत्र का होना अनिवार्य है जिनका प्रतिशत 88% है तथा 72 उत्तरदात्रियों ने नही स्वीकार किया है जिनका प्रतिशत 12% है।

अतः भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज है इन समाजों में परिवार पितृ सत्तात्मक पाये जाते है। अतः पिता के नाम पर ही वंश परम्परा का चलन होता है। यदि परिवार में पुत्र नही होगा तो वंश परम्परा को कौन बढ़ायेगा पुत्र को ही समाज में कुल दीपक मानते है।

अतः 528 उत्तरदात्रियों ने स्वीकार किया कि पुत्र का होना अनिवार्य है उनमें से 342 उत्तरदात्रियाँ यह मानती है कि पुत्र वंश आगे बढ़ाता है। 57% तथा 132 उत्तरदात्रियाँ जिनका प्रतिशत 22% है वे यह मानती है कि पुत्र का होना धार्मिक दृष्टि से पिण्डदान हेतु आवश्यक है एवं 54 उत्तरदात्रियाँ जिनका प्रतिशत 9% है वे यह मानती है कि पुत्र वृद्धावस्था के सहारे के लिये आवश्यक है।

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदात्रियाँ 88 प्रतिशत यह मानती है कि पुत्र का होना आवश्यक है तथा 12 प्रतिशत यह मानती है कोई आवश्यक नही है।

सारिणी संख्या 5.2

उत्तरदात्रियों का लड़की की शादी में सहमति सम्बन्धी विचार

क्रमांक	लड़की की शादी में सहमति	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	155	25.83%
2.	नही	445	74.16%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.2 से स्पष्ट है कि 25.83 प्रतिशत महिलायें विवाह के समय लड़की की सहमति के पक्ष में है तथा 74.16 प्रतिशत महिलायें विपक्ष में शामिल है।

अतः दलित महिलाओं में यह विचारधारा व्याप्त है कि लड़कियाँ भावनाओं व अपनी

रुचि के आधार पर यदि किसी के सम्बन्ध में सहमति या असहमति देगी तो वह उनके भावी जीवन के लिये हितकर नही होगा जो निर्णय माता–पिता मिलकर करेंगे वही निर्णय बालिकाओं के लिये अच्छा होता है। संस्कार किस के घर में नही चलता, नियम ही सब कुछ नही होते, यदि यह नियम है भी तो हम उसका पालन करना आवश्यक नही समझते।

अतः इस प्रकार दलित महिलाओं में यह विचारधारा अशिक्षा अंधविश्वास आदि परम्पराओं के कारण ही व्याप्त है।

सारिणी संख्या 5.3

उत्तरदात्रियों की पुत्री का लड़कों के साथ मेलजोल

क्रमांक	पुत्री का लड़कों के साथ मेलजोल	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	225	37.5%
2.	नही	375	62.5%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.3 में पुत्री का लड़कों के साथ मेलजोल पसंद है या नही इसका आंकलन किया गया है तथा इससे यह ज्ञात करने का प्रयास किया है कि वे अपनी बालिकाओं को कितनी स्वतंत्रता देती है। वर्तमान में जहाँ एक ओर नारी स्वतंत्र है वही नारी असुरक्षित भी ळै समाज में आज भी नारी इतनी स्वतंत्र नही है कि बहू अपने जीवन का विकास कर सके। अतः दलित महिलाओं में अशिक्षा होने के कारण वे अपनी बालिकाओं को इतनी आजादी नही देती है उनको पराया धन समझ कर उनका पालन पोषण सही ढंग से नही करती न ही उनके शैक्षिक एवं सामाजिक विकास पर ध्यान दिया जाता है तथा दलित वर्ग में पुरूष सत्तात्मक आधार होने पर पुत्र को अधिक तथा पुत्री को कम ध्यान दिया जाता इससे उनका सम्पूर्ण विकास नही हो पाता तथा बालिकायें अशिक्षित रह जाती है।

अतः सारिणी संख्या 5.10 में 600 उत्तरदात्रियों का आंकलन किया जिसमें से 225 उत्तरदात्रियों को अपनी पुत्री का लड़कों के साथ मेलजोल पसंद 57% जिनका प्रतिशत 37.5% है तथा 375 उत्तरदात्रियों को लड़कों के साथ मेलजोल पसंद नही है जिनका प्रतिशत 62.5% है।

अतः स्पष्ट है कि दलित महिलाओं में अशिक्षा होने के कारण बालिकाओं को आजादी व लड़कों के साथ मेलजोल कम पसन्द करती है इससे बालिकाओं की शिक्षा एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है।

सारिणी सं0 – 5.5

उत्तरदात्रियों का पुत्र-पुत्री के खानपान में भेदभाव के प्रति दृष्टिकोण

सारिणी संख्या 5.4

उत्तरदात्रियों का पुत्रियों को स्वतंत्र रूप से आने–जाने की अनुमति सम्बन्धी विचार

क्रमांक	पुत्री को स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	153	25.5%
2.	नही	447	74.5%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.4 में समस्त उत्तरदात्रियों का उनकी पुत्री को स्वतंत्र रूप से आने जाने पर अनुमति की स्थिति का आंकलन किया है तथा यह जानने का प्रयास किया है कि वे बालिकाओं को कितनी स्वतंत्रता देती है अतः उपर्युक्त सारिणी में 600 उत्तरदात्रियों को शामिल किया गया है जिनमें से (153) 25.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपनी पुत्री को स्वतंत्र रूप से आने जाने देती है तथा (447) 74.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपनी पुत्री को स्वतंत्र रूप से आने जाने नही देती।

अतः दलित महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा एवं कुरीतियों के कारण ये बालिकायें को स्वतंत्रता नही देती इससे उनकी बालिकायें शिक्षा से वांछित रह जाती है तथा इन महिलाओं की मानसिकता संकुचित होने के कारण भी उनकी बालिकाओं का सही ढंग से विकास एवं शिक्षा नही मिल पाती बालिकाओं पर काम का बोझ बचपन से ही डाल दिया जाता है इसका कारण उनकी शिक्षा एवं विकास पर ध्यान नही दिया जाता है।

अतः स्पष्ट है कि दलित महिलाओं में व्याप्त असुरक्षा की भावना के कारण भी वे अपनी बालिकाओं को स्वतंत्रता नही देती है।

सारिणी संख्या 5.5

उत्तरदात्रियों का पुत्र–पुत्री के खानपान में भेदभाव के प्रति दृष्टिकोण

क्रमांक	पुत्री/पुत्र के खानपान में भेदभाव	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	90	15%
2.	नही	510	85%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.5 में समस्त उत्तरदात्रियों के पुत्री/पुत्र के खानपान में भेदभाव का आंकलन किया है – जिसमें 600 उत्तरदात्रियों को सम्मिलित किया गया है जिसमें से (90) 15 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपनी पुत्री के खानपान में भेदभाव करती है तथा (510) 85 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपनी पुत्री के खानपान में भेदभाव नहीं करती है।

अतः स्पष्ट है कि 85 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ बालक–बालिकाओं के खानपान में भेदभाव नही करती पर क्योंकि इनमें धीरे–धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने से एवं आर्थिक सम्पन्नता से भेदभाव नही करती है।

अतः स्पष्ट है कि 85 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ बालक–बालिकाओं के खानपान में भेदभाव नही करती पर क्योंकि इनमें धीरे–धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने से एवं आर्थिक सम्पन्नता होने से भेदभाव नही करती है।

इस प्रकार 15 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ बालक–बालिकाओं के खानपान में भेदभाव करती है क्योंकि उनमें आज भी रूढ़ियाँ, अशिक्षा तथा उनका निम्न जीवन स्तर होने के कारण भी भेदभाव करती है और पुत्र को अधिक महत्व देती है क्योंकि उनका यह मानना रहता है कि पुत्र को आर्थिक कार्य अधिक करने पड़ते है वे धन अर्जित करने में उनकी मदद करता है अतः पुत्री उनकी क्या मदद करेगी उसको तो पराये घर जाना है इसी कारण उसको न तो शिक्षित करती है न ही खानपान पर विशेष ध्यान नही दिया जाता तथा घर के कार्यों में ही उसको लगाये रखती है।

सारिणी संख्या 5.6 A

उत्तरदात्रियों के लड़के/लड़कियों के बीमार होने पर उपचार सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्रमांक	लड़के के बीमार होने पर उपचार	योग	प्रतिशत
1.	घरेलू	42	7%
2.	वैद्य की	111	18.5%
3.	डाक्टरी	429	71.5%
4.	झाड़फूक	18	3%
5.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.6 B

क्रमांक	लड़की के बीमार होने पर उपचार	योग	प्रतिशत
1.	घरेलू	69	11.5%
2.	वैद्य की	84	14%
3.	डाक्टरी	405	67.5%
4.	झाड़फूक	40	6.5%
5.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.6 में समस्त उत्तरदात्रियों के बच्चों के बीमार होने पर उपचार

सारिणी सं0 – 5.7

उत्तरदात्रियों का बच्चों की संख्या के प्रति दृष्टिकोण

सम्बन्धी स्थिति का आंकलन किया है जिसमें से 600 उत्तरदात्रियों को शामिल किया है जिसमें से 7 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ लड़की के बीमार होने पर घरेलू उपचार करती है तथा 18.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ लड़के के बीमार होने पर वैद्य की उपचार एवं 14 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ लड़की के बीमार होने पर वैद्य का उपचार करती है।

इसी प्रकार 71.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ लड़के के बीमार होने पर डाक्टरी इलाज कराती है तथा 67.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ लड़की के बीमार होने पर डाक्टरी इलाज कराती है एवं इस प्रकार से 3 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ लड़के के बीमार होने पर झाड़फूक कराती है तथा 6 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ लड़की के बीमार होने पर झाड़फूक कराती है।

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदात्रियाँ डाक्टरी इलाज कराती है अपने बच्चों में बीमार होने पर परन्तु दलित वर्ग में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास के कारण आज भी इनमें कुछ में झाड़फूक कराते है एवं घरेलू उपचार करते है।

सारिणी संख्या 5.7

उत्तरदात्रियों का बच्चों की संख्या के प्रति दृष्टिकोण

क्रमांक	बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिये	योग	प्रतिशत
1.	1–2	219	36.5%
2.	2–3	159	26.5%
3.	3 से अधिक	222	37.5%
4.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.7 में समस्त उत्तरदात्रियों की बच्चों की संख्या के प्रति दृष्टिकोण का आंकलन किया गया है। आज के बदलते परिवेश में जहाँ एक ओर आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण हो रहा है वहाँ मनुष्य भी व्यवस्था बढ़ती जा रही जहाँ एक ओर आर्थिक समस्यायें बढ़ती जा रही है वहीं आबादी भी तेजी से बढ़ती जा रही है जनसंख्या के अधिक होने से आर्थिक समस्यायें जन्म लेती है तथा बच्चों का पालन पोषण सही प्रकार से नही हो पाता अधिक एवं उनका समुचित विकास एवं शैक्षिक उन्नति नही हो पाती जिससे वे समाज में पिछड़ जाते है। अतः सारिणी संख्या 2.14 में 600 उत्तरदात्रियों को सम्मिलित किया गया है जिसमें से (219) 36.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की दृष्टि से बच्चों की संख्या 1–2 होनी चाहिये। इसी प्रकार (159) 26.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की दृष्टि से बच्चों की संख्या 2–3 होनी चाहिये।

इसी प्रकार 37.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की दृष्टि से बच्चों की संख्या 3 से अधिक

होनी चाहिये। क्योंकि आर्थिक युग में अधिक बच्चों की वजह से उनका सही ढंग से न तो पालन पोषण होता है न ही शैक्षिक विकास होता है। इस प्रकार से निम्न जीवन स्तर के कारण ये लोग ऐसा मानते है कि अधिक संतानें होगी तो वे सभी को उत्पादन कार्यों में लगाकर अधिक धन अर्जित करेंगे तो जीवन स्तर में सुधार होगा।

सारिणी संख्या 5.8

उत्तरदात्रियों का बच्चों की संख्या सीमित रखने का दायित्व के प्रति दृष्टिकोण

क्रमांक	बच्चों की संख्या सीमित रखने का दायित्व	योग	प्रतिशत
1.	पति का	30	5%
2.	पत्नी का	36	6%
3.	दोनों का	292	82%
4.	अनिश्चित	42	7%
5.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.8 में समस्त उत्तरदात्रियों का बच्चों की संख्या सीमित रखने का दायित्व के प्रति दृष्टिकोण का आंकलन किया गया है।

उपरोक्त सारिणी में 600 उत्तरदात्रियों को शामिल किया है जिनमें से 5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का दृष्टिकोण पति का है बच्चों की संख्या सीमित रखने का दायित्व तथा 6 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का दृष्टिकोण बच्चों की संख्या सीमित रखने के प्रति पत्नी का है एवं 82 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के अनुसार दोनों का दायित्व है तथा 7 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का यह ज्ञात नही है।

अतः स्पष्ट है कि धार्मिक रूढ़ियां, अशिक्षा गरीबी के कारण हमारे समाज में पुत्र पुत्री को विशेष महत्व दिया जाता है इस कारण कृत्रिम साधनों के अपनाने में कठिनाइयाँ आती है सही बच्चों की संख्या सीमित रखने में पत्नी की अपेक्षा पति के विचार महत्वपूर्ण है अतः पुरूष प्रधान समाज होने के कारण हमारे यहाँ पति के विचारों का प्रभुत्व पाया जाता है अतः पत्नी चाहकर भी कुछ नही कर पाती है।

इस प्रकार वर्तमान युग में धीरे आधुनिकीकरण होने के कारण इन महिलाओं की जागरूकता बढ़ी है जैसे इनमें शिक्षा का प्रसार होने से, संचार के साधनों के कारण इनमें धीरे संचेतना जाग्रत हो रही है। अतः वे यह मानती है कि परिवार को सीमित रखने में पति पत्नी दोनों ही जिम्मेदार है।

सारिणी सं० – 5.10

उत्तरदात्रियों का घर के कामकाज में मदद के प्रति दृष्टिकोण

सारिणी संख्या 5.9

उत्तरदात्रियों में अधिक बच्चों के पालन पोषण के प्रति दृष्टिकोण

क्रमांक	अधिक बच्चों के पालन पोषण के प्रति दृष्टिकोण	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	192	32%
2.	नही	408	68%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.9 में समस्त उत्तरदात्रियों का अधिक बच्चों के पालन पोषण के प्रति दृष्टिकोण का आंकलन किया गया है प्रस्तुत सारिणी में 600 उत्तरदात्रियों को सम्मिलित किया गया है जिसमें से (192) 32 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का अधिक बच्चों के पालन पोषण के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है तथा (408) 68 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का दृष्टिकोण पालन पोषण के प्रति नकारात्मक है।

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक 68 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ यह मानती है कि अधिक बच्चे होने से उनका पालन पोषण सही प्रकार से नही हो सकता न ही उनका समुचित विकास एवं शिक्षा पूरी हो सकती है क्योंकि इन आर्थिक युग में बढ़ती हुई मँहगाई के कारण अधिक बच्चों की परवरिश कठिन है कम बच्चों के होने से उनकी शिक्षा एवं विकास की सही ढंग से हो सकती है।

इस प्रकार 32 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ यह मानती है कि अधिक बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से हो सकता है क्योंकि वे यह मानती है कि भाग्यवादी होने के कारण अधिकांश उत्तरदात्रियाँ यह मानती है कि जो भाग्य में लिखा होगा वह मिलेगा। अतः नया जन्म लेने वाला प्राणी भी अपने भाग्य के अनुसार कुछ न कुछ प्राप्त करेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ पाव लेकर ही जन्मता है जिससे वह परिश्रम कर अपना पेट पाल सकता है।

सारिणी संख्या 5.10

उत्तरदात्रियों का घर के कामकाज में मदद के प्रति दृष्टिकोण

क्रमांक	घर के कामकाज में किसकी मदद लेती है	योग	प्रतिशत
1.	लड़का	51	8.5%
2.	लड़की	105	17.5%
3.	दोनों	444	74%
4.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.10 में समस्त उत्तरदात्रियों का घर के कामकाज में मदद में प्रति दृष्टिकोण का आंकलन किया गया है। अतः 600 उत्तरदात्रियों को शामिल किया गया है जिसमें से (51) 8.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ घर में कामकाज में लड़कों की मदद लेती है तथा (105) 17.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ घर के कार्यों में लड़की से मदद लेती है एवं (444) 74 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ घरेलू कार्यों में लड़के एवं लड़कियों दोनों से मदद लेती है।

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदात्रियाँ दोनों से घर के कार्यों में मदद लेती है। इस बदले युग में महिलाओं के जागरूक होने से उनका भेदभाव कम हो गया है परन्तु समाज में यह भेदभाव पूरी तरह खत्म नही हुआ। अतः 17 प्रति उत्तरदात्रियाँ लड़कियों से ही घरेलू कार्यों में मदद लेती है क्योंकि उनके अनुसार लड़कियाँ पराया धन है यदि काम करना नही आयेगा तो क्या करेगी उनका यह दृष्टिकोण है इस कारण वे सभी कार्यों का लड़कियों से कराती है तथा 8 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ घरेलू कार्यों में लड़कों की मदद लेती है। क्योंकि उनके अनुसार लड़कों से भी थोड़ा बहुत काम कराना चाहिये वे ज्यादा कार्य कराने के पक्ष में नही रहती क्योंकि लड़कों को आगे तो काम करता ही है।

सारिणी संख्या 5.11

उत्तरदात्रियों का बच्चों की मांग के प्रति दृष्टिकोण

क्रमांक	बच्चों की माँग पूरी करती है	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	486	81%
2.	नही	114	19%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.11 A

क्रमांक	यदि हाँ तो किसकी माँग पहले पूरी करते है	योग	प्रतिशत
1.	लड़का	39	6.5%
2.	लड़की	72	12%
3.	दोनों की	375	62.5%
4.	योग	486	81%

सारिणी संख्या 5.11 में समस्त उत्तरदात्रियों कि उनके बच्चों के किसी वस्तु में माँग करने पर उनकी पूरा करने की कोशिश रहती है या नही। प्रस्तुत सारिणी में 600 उत्तरदात्रियों का आंकलन किया गया है जिसमें से 81 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपने बच्चों की माँग पूरा करने

की कोशिश करती है तथा 19 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपने बच्चों की माँग पूरी नही कर पाती है।

अतः सर्वाधिक 81 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपने बच्चों की माँग पूरी करती है जिनमें से 6.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ पहले लड़कों की माँग पूरी करती है तथा 12 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ लड़कों की माँग पूरी करती है एवं 62.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ दोनों की माँग पूरी करती है।

इस प्रकार 81 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपने बच्चों की माँग पूरी करती है क्योंकि इनमें धीरे–धीरे शिक्षा का प्रसार विकसित होने के कारण तथा आर्थिक रूप से जीवन स्तर अच्छा होने के कारण से अपने बच्चों की माँगों को पूरा करती है।

इसके विपरीत 19 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपने बच्चों की माँगों को पूरा नही कर पाती है। क्योंकि परिवार में आर्थिक सम्पन्नता न होने से तथा बड़ा परिवार होने के कारण आश्रित एवं गरीबी के कारण एवं निम्न जीवन स्तर के कारण वे अपने बच्चों की माँग पूरी नही कर पाती है और न वे उनको संतुलित भोजन वस्त्र मनोरंजन शिक्षा आदि की व्यवस्था कर पाती है।

सारिणी संख्या 5.12

उत्तरदात्रियों का लिंग परीक्षण के प्रति दृष्टिकोण

क्रमांक	लिंग परीक्षण के प्रति दृष्टिकोण	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	189	31.5%
2.	नही	411	68.5%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.12 में समस्त उत्तरदात्रियों का लिंग परीक्षण के प्रति दृष्टिकोण का आंकलन किया गया है जिसमें से 600 उत्तरदात्रियों को शामिल किया है उनमें से 31.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का दृष्टिकोण लिंग परीक्षण के प्रति सकारात्मक है। उनकी दृष्टि से इसलिये आवश्यक है कि वंश को चलाने के लिये पुत्र की आवश्यकता रहती है यदि पुत्री हुयी तो वंश कैसे बढ़ेगा तथा दूसरी समस्या यह है कि पुत्री अधिक होंने से उनकी शादी में पैसा अधिक लगेगा तो इना पैसा कहाँ से आयेगा क्योंकि दलित वर्ग में महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वे पुत्री के जन्म को बोझ समझती है।

इस प्रकार 68.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का दृष्टिकोण नकारात्मक है क्योंकि वे इसको ईश्वर की देन समझती है तथा लिंग परीक्षण की आवश्यकता नही मानती।

अतः स्पष्ट है कि दलित वर्ग में कुछ शिक्षा का प्रसार होने पर लिंग परीक्षण को उचित नही मानती परन्तु कुछ महिलाओं में व्याप्त रूढ़ियाँ परम्पराओं अशिक्षा, अंधविश्वास के

कारण आज भी उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है तथा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वे बालिकाओं को शिक्षा से वंछित रखती है तथा उन्हें बोझ समझा जाता है।

सारिणी संख्या 5.13

उत्तरदात्रियों का बालिका गर्भपात के प्रति दृष्टिकोण

क्रमांक	बालिका गर्भपात के प्रति दृष्टिकोण	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	144	24%
2.	नही	456	76%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.13 A

क्रमांक	यदि हाँ तो क्यों	योग	प्रतिशत
1.	आर्थिक बोझ	48	8%
2.	पारिवारिक निंदा	439	6.5%
3.	पुत्र मोह	57	9.5%
4.	योग	144	24%

सारिणी संख्या 5.13 में समस्त उत्तरदात्रियों का बालिका गर्भपात के प्रति दृष्टिकोण का आंकलन किया है। 600 उत्तरदात्रियों में से 24 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ बालिका के गर्भपात से सहमत है तथा जिनमें से 76 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ बालिका गर्भपात से असहमत है।

अतः 24 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ यदि गर्भ में बालिका है तो गर्भपात कराती है जिनमें से 8 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ यह मानती है कि बालिका आर्थिक बोझ है। तथा 6.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ पारिवारिक निंदा मानती है। एवं 9.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ पुत्र मोह के कारण गर्भपात कराती है।

अतः स्पष्ट है कि दलित वर्ग में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास आदि के कारण वे पुत्र को ही कुल दीपक मानती है इस धारणा के कारण बालिका शिक्षा के विकास की दर उपेक्षित रह जाती है। इस कारण उनका विकास एवं उत्थान नही होता रहा है। अतः आज के आधुनिक युग में दलित वर्ग में धीरे–धीरे शिक्षा का प्रसार होने पर 76 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का बालिकाओं का गर्भपात के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक है।

सारिणी संख्या 5.14

उत्तरदात्रियों के विवाह की आयु

क्रमांक	आपके विवाह की आयु	योग	प्रतिशत
1.	15 से कम	171	28.5%
2.	15 से 18	246	41%
3.	18 से 25	183	30.5%
4.	25 से अधिक	—	—
5.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.14 में समस्त 600 उत्तरदात्रियों की विवाह की आयु का आंकलन किया गया है। जिसमें से 28.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का विवाह 15 से कम आयु में हुआ है।

इसी तरह 41 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का विवाह 15 से 18 वर्ष की आयु में हुआ था तथा 30.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का विवाह 18 से 25 वर्ष की आयु में हुआ था अतः 25 से अधिक उम्र में किसी भी उत्तरदात्रियों का विवाह नही हुआ।

अतः 28 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का विवाह 15 से कम आयु में हो गया क्योंकि उनमें व्याप्त रूढ़ियों के कारण आज भी समाज में कही—कही बाल विवाह देखने को मिलते है जिसका परिणाम उनके शिक्षित होने से अधिक संतानों का जन्म होना उनका सही प्रकार से पालन पोषण नही हो पाता है एवं 15 से 18 वर्ष की आयु में 41 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का विवाह हुआ है क्योंकि कम आयु में विवाह होने से उनके ऊपर परिवार का बोझ पड़ जाता है वह एक सीमित दायरे में मिसट कर रह जाती है न ही उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास हो पाता है जिसके कारण में कुंठित होकर रह जाता है। तथा पुरूषों के अधीन हो जाती है और इस प्रकार 30 प्रतिशत उत्तरदात्रियों है जिसका विवाह सही उम्र में हुआ है।

सारिणी संख्या 5.15

उत्तरदात्रियों की पुत्री/पुत्र के विवाह की आयु के प्रति दृष्टिकोण

क्रमांक	लड़की की विवाह की आयु	योग	प्रतिशत
1.	15 से कम	48	8%
2.	15—18	240	40%
3.	18—25	279	46.5%
4.	25 से ऊपर	33	5.5%
5.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.15 A

क्रमांक	लड़के की विवाह की आयु	योग	प्रतिशत
1.	15 से कम	24	4%
2.	15–18	81	13.5%
3.	18–25	288	48%
4.	25 से ऊपर	207	34.5%
5.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.15 में समस्त उत्तरदात्रियों के बच्चों के विवाह की आयु के प्रति दृष्टिकोण का आंकलन किया है जिसमें से 8 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपनी लड़की की विवाह की आयु 15 से कम में करना चाहती है क्योंकि उनकी ऐसी धारणा है कि लड़की पराया है जितनी जल्दी हो सके उसके हाथ पीले कर दो। तथा 4 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपने लड़को की शादी 15 से कम में करना चाहती है क्योंकि जल्दी शादी होने से नाती पोते का मुँह देख लेगी।

इस तरह 40 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपनी पुत्री का विवाह 15 से 18 वर्ष की आयु में करना चाहती है क्योंकि वे अपनी पुत्रियों का विवाह जल्दी से जल्दी करना चाहती है उनमें व्याप्त अशिक्षा रूढ़ियों के कारण ही ये पुत्री को बोझ मानती है जितनी जल्दी हो उनकी शादी करो। अन्तथा 13.5 प्रतिशत उत्तरदायियाँ अपनी लड़की की शादी 15 से 18 वर्ष की उम्र में करना चाहती है क्योंकि जल्दी शादी करने से उनके वंश में वृद्धि होगी इस प्रकार की धारणा रखती है।

अतः 46.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ 18–25 वर्ष में अपनी पुत्री का विवाह करना चाहती है एवं 48 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपने पुत्र का विवाह 18–25 वर्ष में करना चाहती है तथा इसी प्रकार 25 ऊपर 5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहती है तथा 34.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अपने पुत्र का विवाह 25 से ऊपर में करेगी। क्योंकि उनमें शिक्षा के पति जागरूकता होने के कारण वे उनको पढ़ा लिखाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर ही उनकी शादी करेगी।

सारिणी संख्या 5.16

उत्तरदात्रियों का लड़कों के साथ सह–शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्रमांक	पुत्री को लड़कों के साथ पढ़ाना उचित है	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	159	9.8%
2.	नही	541	90.16%
3.	योग	600	100%

सारिणी सं0 – 5.17

उत्तरदात्रियों का लड़कियों को आर्थिक रूप से बोझ होने सम्बन्धी विचार

सारिणी संख्या 5.16 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 9.8 प्रतिशत महिलायें अपनी पुत्री को लड़कों के साथ पढ़ाना उचित मानती है तथा 90.16 प्रतिशत महिला ने बालिकाओं को बढ़ाना उचित नही मानती है।

क्योंकि इन महिलाओं में यह भावना रहती है कि किसी तरह लड़की अपने ससुराल पहुँच जाये पढ़े या न पढ़े क्योंकि लड़की 'पराया धन' है इसी कारण ये महिलायें लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ाना उचित नही समझती है।

अतः दलित महिलाओं में शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ रहता है तथा इनमें रूढ़ियाँ अंधविश्वास एवं उत्पीड़न तथा शोषण होने के कारण भी ये लड़कियों को लड़कों के साथ नही पढ़ाती है।

सारिणी संख्या 5.17

उत्तरदात्रियों का लड़कियों को आर्थिक रूप से बोझ होने सम्बन्धी विचार

क्रमांक	लड़कियों को आर्थिक रूप से बोझ समझा जाता है	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	447	74.5%
2.	नही	153	25.5%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.17 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 25.5 प्रतिशत महिलायें लड़कियों को आर्थिक रूप से बोझ नही मानती है तथा 74.5 प्रतिशत महिलायें लड़कियों को आर्थिक रूप से बोझ मानती है क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण ये लड़कियों को बोझ समझती है तथा इनका मानना है कि लड़कियों की शादी में दहेज अधिक माँगा जाता है अतः लड़की की शादी में पैसा अधिक लगता है जिसके कारण ये लड़कियों को बोझ मानती है और उनकी शिक्षा आदि में पैसा नही खर्च करती बस उनसे घर का काम काज कराती है और उनकी शादी कर देती है।

सारिणी संख्या 5.18

उत्तरदात्रियों का विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्रमांक	विवाह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बाद	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	201	33.5%
2.	नही	339	56.5%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.18 से स्पष्ट है कि 33.5 प्रतिशत महिलायें अपनी पुत्री का विवाह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बाद करेगी तथा 56.5 प्रतिशत महिलायें अपनी पुत्री का विवाह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के पहले ही करेगी। क्योंकि इन महिलाओं का मानना है कि विवाह के पहले आत्मनिर्भर बनाने से लड़कियाँ अपने वश में नही रहती है, इसलिये ससुराल जाने के बाद वो जिस कार्य को करना चाहे करे परन्तु शादी के पहले वे किसी भी तरह के कार्य को कराने के पक्ष में नही है अतः इन महिलाओं मं अपनी लड़की को आत्मनिर्भर बहुत कम ही बनाती है। क्योंकि ये महिलाओं लड़कियों को आत्मनिर्भर तो बनाना चाहती है परन्तु संसाधन उपलब्ध न होने के कारण ये आत्मनिर्भर नही हो पाती तथा दलित महिलाओं आर्थिक स्थिति अच्छी नही होने के कारण भी इनकी बालिका में आगे नही बढ़ पाती।

सारिणी संख्या 5.19

उत्तरदात्रियों का बालिका विवाह के प्रति दृष्टिकोण

क्रमांक	पुत्री का विवाह कैसे परिवार में करना पसंद है	योग	प्रतिशत
1.	संयुक्त	428	71.33%
2.	एकांकी	172	28.66%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.19 से स्पष्ट है कि 71.33 प्रतिशत महिलायें अपनी पुत्रियों का विवाह संयुक्त परिवार में करना चाहती है तथा 28.66 प्रतिशत महिलायें एकांकी परिवार में अपनी पुत्री का विवाह करना पसंद करती है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक महिलायें अपनी पुत्री का विवाह संयुक्त परिवार में करना पसंद करती है।

अतः प्राचीनकाल से ही भारत के बड़े आकार के संयुक्त परिवारों का प्रचलन रहा सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ परन्तु पूर्ण रूप से संयुक्त परिवार विघटित नही हुयी इन परिवारों में अनेक बंधक होते है। अतः एकांकी परिवारों में बंधन नही होते। इस प्रकार संयुक्त परिवारों की दलित महिलायें अपनी पुत्री का विवाह करना। ज्यादा पसन्द करती है क्योंकि उनकी मानसिकता यह रहती है कि जितने अधिक लोग होगे उतनी ही आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सारिणी संख्या 5.20

उत्तरदात्रियों का बालिका शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्रमांक	बालिकाओं को पढ़ाया जाता है	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	438	73%
2.	नही	162	27%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.20 से स्पष्ट है कि 73 प्रतिशत महिलाओं के यहाँ बालिकाओं को बढ़ाया जाता है तथा 27 प्रतिशत महिलाओं के यहाँ बालिकाओं को नही पढ़ाया जाता है। शिक्षा वजर में भी महिला शिक्षा के प्रति विशेष व्यवस्था होने के बावजूद भी लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर देखने की झेल रहा है क्योंकि आज भी लोग लड़कों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते है क्योंकि अधिकांश महिलाओं ने इस बात को स्वीकार किया की पोषाहार एवं वजीफा के लिये ही वे अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजती है।

सारिणी संख्या 5.21

उत्तरदात्रियों का बालिका की शिक्षा सम्बन्धी विचार

क्रमांक	पुत्री को शिक्षा कहाँ तक देगी	योग	प्रतिशत
1.	5 तक	24	4%
2.	8 तक	411	18.5%
3.	10–12 तक	132	22%
4.	इससे अधिक	33	5.5%
5.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.21 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 4 प्रतिशत महिलायें अपनी पुत्रियों को 5 तक शिक्षा देगी तथा 68.5 प्रतिशत महिलायें 8 तक शिक्षा देगी एवं 22 प्रतिशत महिलाओं अपनी पुत्रियों को 10 से 12 तक शिक्षा देगी। इसी प्रकार 5.5 प्रतिशत महिलायें अपनी बालिकाओं को इससे अधिक शिक्षा देगी।

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक महिलायें 8 तक ही अपनी पुत्री को शिक्षा देना चाहती है अतः स्वतंत्र भारत में दलितों की शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत लाने की चेष्टायें की गयी है, परन्तु परम्परागत रूढ़ियाँ, सामाजिक, आर्थिक असमानतायें तथा जातिगत – सांस्कृतिक पूर्वाग्रह कुछ तथ्य है, जो इन जातियों की शैक्षणिक प्रगति एवं उपलब्धियों में बाधक है। अतः प्रायः उच्च जातियों के सदस्यों का शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण तथा उनमें उच्च

जातियों के बालकों एवं शिक्षकों का प्रभुत्व होने के कारण भी इन लोगों को शिक्षा का पूर्व लाभ नही मिल पाता है।

सारिणी संख्या 5.22

उत्तरदात्रियों का बालक एवं बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

क्रमांक	दोनों को बराबर शिक्षा देना चाहेंगे	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	438	73%
2.	नही	162	24%
3.	योग	600	22%

सारिणी संख्या 5.22 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 73 प्रतिशत महिलायें अपनी बालिकाओं एवं बालकों को बराबरी से शिक्षा देना चाहती है तथा 27 प्रतिशत महिलायें अपनी बालिकाओं को बराबरी से शिक्षा देना नही चाहती है क्योंकि इनमें आज की यह धारणा है कि शिक्षा केवल उच्च जातियों एवं सम्पन्न लोगों के लिये है। अतः बराबरी से शिक्षा न दिलाने का एक कारण और भी है कि इनकी आर्थिक दशा एवं शोषण तथा अशिक्षा भी है।

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक महिलायें दोनों को बराबरी से शिक्षा दिलाना तो चाहती है परन्तु उनके आर्थिक स्तर का सही न होना एवं उनको शिक्षा के साधन उपलब्ध नही है तथा उन पर बढ़ते अत्याचार एवं शोषण होने के कारण वे डरती है। इस कारण उनकी शिक्षा में बाधा आ जाती है।

सारिणी संख्या 5.23

उत्तरदात्रियों का बालिकाओं की शिक्षा के प्रकार सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्रमांक	पुत्री को किस प्रकार पढ़ाना पसन्द है	योग	प्रतिशत
1.	व्यक्तिगत	426	71%
2.	संस्थागत	174	29%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.23 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 71 प्रतिशत महिलायें अपनी बालिकाओं को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना पसन्द करती है तथा 294 प्रतिशत महिलायें अपनी बालिकाओं को संस्थागत रूप से पढ़ाना पसन्द करती है।

अतः ज्यादातर महिलायें व्यक्तिगत रूप से ही पढ़ाना पसन्द करती है क्योंकि सोच यह है कि बालिकायें पढ़ाई के साथ–साथ घरेलू कार्यों में भी हाथ बटायेगी इनमें साक्षरता पर विशेष ध्यान नही दिया जाता है खासकर बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है।

सारिणी संख्या 5.24

उत्तरदात्रियों का बालिकाओं को बाहर भेजकर शिक्षा दिलाने सम्बन्धी विचार

क्रमांक	पुत्री को शहर से बाहर शिक्षा	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	128	21.33%
2.	नही	472	78.66%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.24 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 21.33 प्रतिशत महिलायें अपनी बालिकाओं को शहर से बाहर शिक्षा दिलाने के पक्ष मे है तथा 78.66 प्रतिशत महिलायें अपनी पुत्री को शहर से बाहर शिक्षा दिलाने के पक्ष में नही है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि ज्यादातर महिलायें अपनी बालिका को शहर से बाहर शिक्षा दिलाने के पक्ष में नही है क्योंकि इनमें शिक्षा का स्तर गिरा हुआ होता है और ये महिलायें अपनी बालिकाओं को ज्यादा नही शिक्षित करती क्योंकि इनमें बालिकाओं के लिये यह धारणा आरम्भ से ही रहती है। अतः शादी करके ससुराल भेजो यही धारणा इसमें व्याप्त रहती है तथा ये आर्थिक रूप से सम्पन्न नही है एवं इन सुरक्षा की भावना व्याप्त रहती है।

सारिणी संख्या 5.25

उत्तरदात्रियों का पुत्र जन्म पर देखभाल सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्रमांक	पुत्री जन्म पर देखभाल का दृष्टिकोण	योग	प्रतिशत
1.	पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता	273	45.5%
2.	विशेष ध्यान नही दिया जाता	168	28%
3.	समान ध्यान दिया जाता है	159	26.5%
4.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.25 से स्पष्ट है कि 45.5 प्रतिशत महिलाओं को बालिकाओं के जन्म देने पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है इसी तरह 28 प्रतिशत महिलाओं को बालिकाओं के जन्म देने पर विशेष ध्यान नही दिया जाता है तथा 26.5 प्रतिशत महिलाओं का बालिकाओं के जंन्म देने पर समान ध्यान नही दिया जाता है।

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक महिलाओं का पुत्री के जन्म होने पर पूर्ण रूप से ध्यान नही दिया जाता क्योंकि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही पुत्र जन्म की अनिवार्यता पर बल दिया है। अतः धार्मिक दृष्टिकोण से पुत्र का जन्म दम्पत्तियों के लिये पितृ ऋण से उत्रृण होने के लिये एक मात्र साधन है, पुत्रवंश एवं कुल का भावी संरक्षक है इस कारण पुत्र के जन्म का

सारिणी सं0 – 5.27

उत्तरदात्रियों का बच्चों के जन्म देने सम्बन्धी विचार

महत्व अधिक होता है तथा पुत्री के जन्म का महत्व कम होता है तथा इस कारण दलित महिलाओं में पुत्री के जन्म पर पूर्ण रूप से ध्यान नही दिया जाता है।

सारिणी संख्या 5.26

उत्तरदात्रियों को बालक/बालिका के जन्म पर देखभाल सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्रमांक	पुत्र पुत्री के जन्म के समय देखभाल में भेद के प्रति दृष्टिकोण भाव	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	201	35.5%
2.	नही	399	66.5%
3.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.26 के विवरण से स्पष्ट है कि 33.5 प्रतिशत महिलाओं का दृष्टिकोण है कि पुत्र एवं पुत्री के जन्म के समय देखभाल में भेदभाव किया जाना चाहिये तथा 66.5 प्रतिशत महिलाओं के दृष्टिकोण है कि पुत्री एवं पुत्र के जन्म के समय देखभाल में भेदभाव नही किया जाना चाहिये।

अतः अधिकांश महिलाओं का दृष्टिकोण है कि पुत्र एवं पुत्री में जन्म के समय देखभाल में भेदभाव नही किया जाना चाहिये।

सारिणी संख्या 5.27

उत्तरदात्रियों का बच्चों के जन्म देने समबन्धी विचार

क्रमांक	किसको जन्म देने पर खुशी होती है	योग	प्रतिशत
1.	लड़का	153	25.5%
2.	लड़की	30	5%
3.	दोनों	417	49.5%
4.	योग	600	100%

सारिणी संख्या 5.27 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 25.5 प्रतिशत महिलाओं को लड़के को जन्म देने पर खुशी होती है तथा 55 प्रतिशत महिलाओं को लड़की के जन्म देने पर खुशी होती है तथा 69.5 प्रतिशत महिलाओं को दोनों को जन्म देने पर खुशी होती है।

अतः प्रस्तुत अध्याय में दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास की योजना के प्रति दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया है तथा सूक्ष्म स्तर पर यह ज्ञात करने का प्रयत्न किया गया कि पारिवारिक स्थिति का प्रभाव इनके संचेतना पर पड़ता है तथा कितने प्रतिशत महिलायें विभिन्न विधानों के प्रति सचेत है साथ ही व्यक्ति के व्यवहार का सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश

से सम्बन्ध और सामाजिक परिवेश से प्रभावित होने वाली विशिष्टताओं का विवरण प्रस्तुत किया गया था।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलायें अपना जीवन चलने में धार्मिक परम्पराओं से बहुत प्रभावित होती है जिसके कारण बालिकाओं शिक्षा भी प्रभावित होती है। अतः इन महिलाओं में शिक्षा का न्यून प्रसार एवं धार्मिक परम्पराओं एवं रूढ़ियों के कारण बालिका शिक्षा एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है जिसके कारण ये विभिन्न योजनाओं का लाभ नही उठा पाती है।

अतः प्रस्तुत अध्याय में दलित महिलाओं की बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया है तथा यह ज्ञात किया गया है दलित महिलाओं के परिवार का प्रभाव महिलाओं के दृष्टिकोण पर कितना पड़ता है साथ ही विभिन्न प्रथाओं रूढ़ियों एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति महिलाओं का दृष्टिकोण जानने के प्रयास किया गया। साथ ही व्यक्ति के व्यवहार का सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश से सम्बन्ध और सामाजिक परिवेश से प्रभावित होने वाली विशिष्टताओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलायें अपना जीवन चलाने में धार्मिक परम्पराओं से बहुत प्रभावित होती है अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकला कि इन परम्पराओं का स्वरूप एक जैसा नही है और जीवन के अन्य क्षेत्रों विशेषकर आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में हुये परिवर्तनों के कारण इनमें कई तरह के परिवर्तन आये है फिर भी विषमतायें परिवर्तित रूप में ही सही, आज भी विद्यमान है तथा दलित महिलाओं में आज भी परम्पराओं एवं रूढ़ियों के कारण बालिका शिक्षा के विकास में बाधा बनी हुयी है जिसके कारण ये आगे नही बढ़ पा रही है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक नही है क्योंकि वे अपनी बालिकाओं को शिक्षित तो करना चाहती है परन्तु आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण इनकी बालिका शिक्षा से वंचित रह जाती है तथा इनका पूर्ण रूप से विकास भी नही हो पाता है क्योंकि शिक्षा के न्यून प्रसार के कारण ये पिछड़ जाती है।

अध्याय - 6

अध्याय – 6

दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास में अवरोधक कारण

पूर्ववर्ती अध्याय में प्रतिदर्श की उत्तरादाता महिलाओं के बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया है तथा सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन के आधार पर यह पाया गया कि इनमें शिक्षा का निम्न स्तर एवं परम्पराओं रूढ़ियों के कारण इनका विकास एवं इनमें संचेतना का स्तर निम्न है तथा इनका दृष्टिकोण नकारात्मक है।

अतः विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध समाज के आर्थिक पहलुओं से होता है समाज वैज्ञानिकों का मत है कि विभिन्न सामाजिक उद्देशों और प्रगति की प्राप्ति तभी सम्भव हो सकती है जब समाज का आर्थिक विकास होगा। दलित महिलाओं के विकास के लिए स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने अनेक कदम उठाये है। भारत में दलित महिलाओं के लिए चलाये जा रहे विशेष कार्यक्रमों के सम्बन्ध में रजनी कोठारी ने कहा है कि "सम्भवतः विश्व में कही भी निम्न वर्ग की महिलाओं को इतनी सुविधायें प्रदान नही की गई थी, जितनी वर्तमान में भारत सरकार द्वारा दलित महिलाओं के लिये प्रदान की जा रही है।"[2]

अतः भारत सरकार द्वारा दलित महिलाओं को इतनी सुविधाओं, कार्यक्रमों, नीतियो, योजनाओं के वावजूद इन महिलाओं का समुचित विकास नही हो पा रहा इस संदर्भ में इस अध्ययन में शामिल दलित महिलाओं में वालिका शिक्षा एवं विकास में प्रमुख बाधाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत की गयी है। तथा इनके विकास में कौन–कौन से अवरोधक कारण है जिनके कारण इन महिलाओं एवं बालिकाओं का विकास नही हो पा रहा है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद हुयी अभूतपूर्व प्रगति के बाद भी कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अभी भी इस दिशा में प्रयास करना बाकी है अतः जब समान्य महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुयी स्थिति है तो दलित महिलाओं की कोरी कल्पना ही नही कर सकते क्योंकि इनमें तो शिक्षा बिल्कुल न के बराबर है अतः जब ये महिलायें शिक्षित नही है तो बालिकायें कैसे शिक्षित होगी अतः बालिकाओ की शिक्षा एवं विकास के अवरोध के कारण इनका विकास नही हो पा रहा है क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नही होने के कारण ये अपनी बालिकाओं को विद्यालय नही

---

1. शॉता कुमारी – आर शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड वेलफेयर मीजर्स, न्यू देहली, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, 1983, पे. 189

36. कोठारी रजनी – कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स, देहली, ओरियन्ट, लॉगमैन–1970 प्र. 77

भेज पाती तथा आरम्भ से ही बालिकाओं में काम का बोझ डाल दिया जाता है घर में छोटे भाई बहन का पालन पोषण घर का काम बाहर से पानी व लकड़ी आदि लाना, पैसे कमाने के लिये दूसरो के घर में काम करना आदि इस कारण उनको पढ़ने स्कूल नही भेजा जा सकता है तथा दूसरा कारण नामांकन करने के बाद पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ देने की दर भी दलित वालिकाओं के मध्य अधिक है।

अतः उन्हें स्कूल में बड़े उत्साह के साथ भर्ती कराया जाता है लेकिन बाद में घर के लोग जब घर व बाहर के कामों में रूकावट आने से परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उन्हें स्कूल के बाहर निकाल लिया जाता है उनकी पढ़ाई बीच में ही बंद हो जाती है जिससे वालिकाये निरक्षरता के अंधकार में खो जाती है।

दलित महिलाओं में ज्यादातर लड़कियों को केवल प्राथमिक स्तर तक शिक्षित करके व संतुष्ट होकर माता–पिता द्वारा उनकी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है आठवी की पढ़ाई करते–करते लड़की 14 वर्ष की हो जाती है तो फिर उसकी युवावस्था में सुरक्षा एवं विवाह की तैयारी आदि के कारण उसकी उच्च एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो जाती है तथा स्त्री शिक्षा विषयक राष्ट्रीय समिति ने वालिकाओं की शिक्षा के प्रति पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिये उनके लिये प्रथक शैक्षिक संस्थाओं की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था क्योंकि अधिकतर माता पिता उन्हें लड़को के साथ पढ़ाना नही चाहते है तथा शिक्षण संस्थाओं की दूरी के कारण लड़किया पढ़ने नही जा पाती है।[3]

मानवीय व्यक्ति के सर्वाधिक विकास में शिक्षा की अहम् भूमिका होती है शिक्षा से न केवल मुनष्य का बौद्धिक विकास होता है, वरन् इसके द्वारा मानवीय व्यक्ति में अनेक उत्कृष्ठ गुणों का भी यथोचित विकास होता है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में विशिष्ट सेवाये प्रदान कर सकता है। शिक्षा व्यक्ति में ऐसी समर्थ एवं समझ प्रदान करती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं का उचित प्रकार से उपयोग करके स्वयं एवं समाज का कल्याण कर सकता है।

स्वाधीन भारत ने पिछले 57 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में एक लम्बा फासला तय किया है इसका प्रमाण है देश में फैला शिक्षा का विस्तृत ढॉचा। भारत विश्व का ऐसा दूसरा देश है जहॉ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के 20 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों के

3. मिश्रा सरस्वती – 1996 भारतीय स्त्रियों की प्रास्थिति शारदा पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली प्रष्ठ सं. 55–63

लिये शिक्षा की व्यवस्था गतिशील है। फिर भी हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया था। ''संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर राज्य 14 वर्षों की आयु तक के सभी बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा।'' परन्तु आज संविधान के क्रियाशील होने के 54 वर्षों के बाद भी इस आयु वर्ग के सात–आठ करोड़ बच्चें शिक्षा से वंचित है उनमें सर्वाधिक संख्या बालिकाओं की है अशिक्षित बालिकाओं में सर्वाधिक संख्या दलित वालिकाओं की है।

भारत के जनसंख्या परिदृश्य पर एक नजर डाले तो ज्ञात होता है कि भारत के वर्ष 2001 में औसत साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 75.85 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत थी इस साक्षरता दर से सहज अनुमान लगाया जाता है कि देश में महिला साक्षरता में काफी पिछड़ापन है जिसमें काफी कुछ किये जाने की सख्त आवश्यकता है इस सम्बन्ध में किसी ने कहा है कि ''एक लड़के कि शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है।''[4] इस कथन से स्पष्ट होता है कि भारत में स्त्रियों की की अशिक्षा ही शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सबसे बड़ी बाधा है।

भारत में परम्परागत एवं रूढ़िवादी समाज में भी महिला शिक्षा को अनावश्यक समझा जाता रहा है जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में भी दलित वालिकाओं की शिक्षा की स्थिति वेहद दयनीय बनी हुयी है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिवाफुले की भी यह स्पष्ट राय थी कि कोई भी समाज तब तक सच्चे अर्थों में शिक्षित नही हो सकता जब तक उस समाज की महिलायें शिक्षित नही हो जाती है एक शिक्षित महिला परिवार में जो सुसंस्कार डाल सकती है वो कार्य घर पर अध्यापक तथा गुरू भी नही कर सकते है। जब तक देश की आबादी का आधा भाग (नारी समाज) शिक्षित नही हो जाता तब तक कोई भी देश समग्र प्रगति कैसे कर सकता है।

अतः दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास के मार्ग में अवरोधक कारण निम्न लिखित है।

1. दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास की प्रमुख बाधा परम्परागत रूढ़िवादी सोच अथवा सामाजिक रूढ़ियों को माना जा सकता है। जिसके कारण वे बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान नही दिया जाता फलतः बालिकाओं की शिक्षा उपेक्षित रह जाती है क्योंकि दलित महिलाओं में शिक्षा का समुचित प्रसार नही हो पाता है।

---

4. स्नेह राय – कुरूक्षेत्र – 2004 ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली प्रष्ठ – 15–38

2. औद्योगिकीकरण नगरीकरण के कारण रोजगार की तलाश में अथवा आर्थिक कारणों से पुरूषों का महानगरो की ओर पलायन होने के कारण इन महिलाओं को अनेकों कठिनाइयों से जूझना पड़ता है तथा पुरूषों के घर पर न रहने के कारण महिलाओं को घर गृहस्थी एवं परिवारिक दायित्व निभाना पड़ता है अतः इस प्रकार के परिवेश में जीवन यापन करने के लिये बालिकाये भी बचपन से अभ्यस्त होने लगती है। तथा परिवार की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं के दिन प्रतिदिन घरेलू कार्यों में बालिकाये बचपन से ही हाथ बढ़ाने लगती है जिससे उनकी स्कूली शिक्षा की उपेक्षा होने लगती है। और कई बालिकाओं का तो धीरे–धीरे स्कूल जाना ही छूट जाता है। जिससे उनका न तो शारीरिक एवं मानसिक विकास हो पाता है।

3. आर्थिक पिछड़ापन एवं निर्धनता बालिका शिक्षा एवं विकास में सबसे बड़ी बाधा ही दलितो में आर्थिक दृष्टि से अनेक लोग पिछड़े हुये ही कई परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिये मजबूर है तथा अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करने में असमर्थ ही यही कारण है कि कई निर्धन परिवार किसी तरह अपने लड़को की तो स्कूल के प्रवेश दिला देते है अथवा लड़को की शिक्षा की तो व्यवस्था कर देते है लेकिन निर्धनता के कारण बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान नही देते है।

4. स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये सरकारी स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रयास आवश्य किये गये। लेकिन ये प्रयास अधिकांशतय स्कूल कालेज खोलने तक ही सीमित रहे है। जबकि दलित बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार के लिये जो प्रेरणास्पद सामाजिक माहौल निर्मित किया जाना चाहिये था, वह सृजित नही किया गया। फलतः विद्यालयों में प्रारम्भ से ही बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के प्रवेश कम होते रहे और जिन बालिकाओं ने प्रवेश लिया था, उनमें से अनेक ने प्राथमिक अथवा प्राम्भिक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही घरेलू अथवा अन्य कारणो से स्कूल जाना छोड़ दिया वर्षों से यही स्थिति विद्यमान रही है और इस महिला शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

5. विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों की कमी की शिकायते भी आये दिन सुनने को मिलती है कई विद्यालयों में छात्रसंख्या अथवा कक्षाओं की संख्या के अनुपात में अध्यापक नियुक्त नही किये गये है ऐसे विद्यालयो में जहाँ एक या दो अध्यापक नियुक्त किये गये है, जब अध्यापक अवकाश पर होते है, तो विद्यालय बंद हो जाता है, विद्यालय के इस प्रकार

असमय बंद होने का बच्चों के अध्ययन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है इससे बच्चों की न केवल स्कूल जाने की आदत छूटती है, बल्कि वे अध्ययन से विमुख होने से डरते हैं। इस प्रकार की स्थितियों के कारण कई बच्चे धीरे–धीरे स्कूल जाना पूर्णतय छोड़ देते है ऐसे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में बालको की अपेक्षा बालिकाओं की संख्या अधिक होती है।

6. शिक्षा के प्रभावी प्रसार में संसाधनों का अपना विशेष महत्व होता है कई ऐसे विद्यालय है जिनके पास संसाधनों का नितांत आभाव है। कई विद्यालयों के पास पर्याप्त भवन नही है अथवा भवन है भी तो अत्याधिक जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अनेक विद्यालयों के पास खेलकूद के लिये क्रीड़ा के मैदान नही है। कई विद्यालयों में पर्याप्त ब्लैक बोर्ड, टाट पट्टी, खड़िया, झाड़न, क्रीड़ा उपकरण आदि उपलब्ध नही है इन प्राथमिक सुविधाओं के अभाव के कारण बुनियादी शिक्षा का आधार चरमराना स्वाभाविक है। अतः सरकार ने विद्यालय खोलकर प्राथमिक शिक्षा के द्वार तो खोल दिये है, लेकिन विद्यालयों के लिये बुनियादी संसाधनों को जुटाया जाना अभी शेष है।

अतः वास्तविकता में महिलाओ की अशिक्षा ही शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सबसे बड़ी बाधा है यदि महिला शिक्षा देश के अधिक होगी तो देश की कुल साक्षरता भी तुलनात्मक तौर पर अधिक होगी क्योंकि एक शिक्षित महिला अपने समस्त परिवार को शिक्षित करने में अहम् भूमिका का निर्वाह करती है। बालिका शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधा देश की सामाजिक परिस्थितियॉ है, जिनके तत्व लोगों की परम्परागत व रूढ़िवादी मानसिकता, महिला शिक्षा को गैर जरूरी मानती है तथा लोग बालिकाओ की शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक नही समझते है साथ ही लड़कियो को पराया धन समझने की सोच भी बालिका शिक्षा एवं विकास पर निवेश को आर्थिक तौर पर बोझ मानती है।

हालॉकि धीरे–धीरे समाज की मानसिकता में काफी परिवर्तन आया है तथा लोग बालिकाओं की शिक्षा के प्रति कुछ संचेत भी हुये है। लेकिन देश के पिछड़े, अनुसूचित जातियों तथा अल्पसंख्यकों के एक बड़े वर्ग की मानसिकता वर्तमान में भी परम्परावादी है, जो कि इन वर्गों में बालिका शिक्षा की राह में एक बड़ा अवरोध है।

इसके अतिरिक्त समाज में जारी दहेज की कुप्रथा भी महिला एवं बालिका शिक्षा की राह में एक बड़ी बाधा है, क्योंकि लोगों की मानसिकता होती है कि लड़की जितनी अधिक पढ़ी लिखी होगी, उसकी शादी में उतना अधिक दहेज देना होगा। देश के अनेक भागों में जारी बाल

विवाह की कुप्रथा भी बालिका शिक्षा की दर को कम करने के लिये काफी हद तक जिम्मेदार है। साथ ही भारतीय परिवारों का अन्तरिक परिवेश तथा लड़कियों पर प्रारम्भ से ही घरेलू दायित्वों का बोझ भी उन्हें पढ़ने के प्रति हतोत्साहित करता है। तथा लड़कियो की सुरक्षा पर अभिवावकों की सोच की लड़कियों को शिक्षा के लिये घर से दूर जाने के लिये हतोत्साहित करती है। इतः इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे कारण भी है जो बालिका शिक्षा की राह में अवरोधक का कार्य करते है, जिनमें बालिकाओं की शिक्षा के लिये प्रेरणा का आभाव, परम्परागत रीति रिवाज, आर्थिक तौर पर पिछड़ापन, लड़कियों की श्रम में भागीदारी आदि प्रमुख है। इस प्रकार भारतीय संविधान में स्त्रियों बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक सामाजिक तथा शैक्षिक अधिकार प्रदान किये गये है। इस कारण सरकार ने बालिका शिक्षा के विकास की दिशा में अनेक सराहनीय कदम भी उठाये है इस पर भी दलित बालिका शिक्षा का विकास जिस गति से होना चाहिये उस गति से नही हो पा रहा है। कारण है कि अनेक समस्यायें एवं बाधायें हैं, जो बालिका शिक्षा के विकास को अवरुद्व कर रही है जब तक इन समस्याओं पर उचित ढंग से विचार नही किया जाता, तब तक इन बालिकाओ का विकास एवं प्रगति सम्भव नही है।

स्वतंत्रता के पश्चात बालिकाओं की स्थिति में महान् परिवर्तन आया है परन्तु इस क्रान्तिकारी परिवर्तन के बावजूद पुरूषों ने बालिकाओं के महत्व को स्वीकार नही किया है अभी भी दलित बालिका शिक्षा को अधिक बढ़ावा–नही दिया जाता है इन बालिकाओ की शिक्षा मे धीरे–धीरे प्रगति हो रही है। प्राचीन विचार धारा मानने वाले व्यक्ति हिन्दू हो या मुसलमान, अभी भी पर्दा प्रथा के विश्वास करते है बाल विवाह का भारत में अभी भी प्रचलन है अधिक आयु की बालिकायें अभी भी विद्यालय नही जाती है।

दलित बालिका शिक्षा में यह एक पर्याप्त गम्भीर समस्या है कोठारी कमीशन ने कहा था कि वर्ष 1958–59 में प्रवेश लेने वाली बालिकाये 1961–62 तक चौथी कक्षा में केवल 37.5 % ही पहुँची थी जिन बालिकाओं ने कक्षा 5 में प्रवेश लिया था उनमें से सातवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकायें 66.2% थी अतः बालिकाओं की शिक्षा एवं विकास के अवरोधक एक गम्भीर समस्या बनी है। इस प्रकार बालिका शिक्षा एवं विकास के मार्ग में अवरोक कारण मुख्य रूप से अवरोध पैदा करते है जैसे – बाल विवाह, अंधविश्वास, पर्दाप्रथा, बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता, पुराने विचारों को न छोड़ना, बालिका विद्यालयों की दूरी, प्राचीन परम्पराओं के विश्वास, यातायात के साधनो का आभाव, धार्मिक सिद्धान्तों में अटूट विश्वास, बालिका विद्यालयों

का आभाव, परम्परागत रूढ़ियॉ, पुरूषों का संकुचित दृष्टिकोण, परिवार की निर्धनता, स्त्रियों से घरेलू कार्य लिया जाना, बालिकाओं के लिये प्रथक विद्यालयों का आभाव, महिला शिक्षिकाओं की कमी, सह शिक्षा के प्रति उदासीनता आदि का कारण, दलित बालिकाओ का समुचित विकास हो पाता है तथा उनकी शिक्षा अपूर्ण रह जाती है। क्योकि ये समाज में उच्च वर्ग में आज भी ये समस्यायें देखने को कुछ हद तक मिलती है फिर दलित वर्ग में तो आरम्भ से ही ये परम्परायें रूढियॉ व्याप्त है।[5]

अतः जब तक दलित वर्ग की महिलाओं में व्याप्त रूढ़ियों एवं परम्पराओं को दूर नही किया जाता तब तक उनकी बालिकाओं को शैक्षिक, विकास नही हो पायेगा तथा उनमें व्याप्त सामाजिक कुप्रथायें जैसे – पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अंध विश्वास, रूढ़िया आदि को दूर नही किया गया तब तक बालिकाओं की शिक्षा एवं विकास का मार्ग अवरोध ही रहेगा अतः इन अवरोधक कारणों को दूर करने के लिये सरकार ने कई प्रयास किये लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से सफलता नही मिली है क्योंकि सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं की पूर्ण रूप से जानकारी न हो पाने के कारण उनका उपयोग नही कर पाती है अतः इसके विकास के लिये सबसे ज्यादा आवश्यक है की दलित महिलाओं को शिक्षित होना। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि किसी भी देश तथा समाज के समग्र विकास के लिये महिला शिक्षा का होना बेहद आवश्यक है तथा महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने की दिशा में बालिकाओं की शिक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है अतः दलित महिलाओं में शिक्षा के माध्यम से एक नवीन जागृति लाई जा सकती है बालिका शिक्षा एवं विकास के अवरोधक कारण दूर करने के लिये कुछ सुझाव निम्नलिखित है –

1. दलित महिलाओं में चेतना का प्रसार करने एवं बुनियादी शिक्षा-कार्यक्रम को साकार करवाने में स्थानीय समाज सुधारकों तथा स्वयं सेवी संस्थाये प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है। वर्तमान में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थाये कार्यरत है, लेकिन वे अपर्याप्त है और उनमें वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है।
2. बालिका शिक्षा के लिये अति आवश्यक है कि स्कूलो की भौगोलिक दूरी को कम किया जाये जिससे लड़कियों को अपने निवास स्थान के निकट ही शिक्षा प्राप्त हो सके तथा उनमें सुरक्षा का भाव भी उत्पन्न हो।
3. सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के आभाव में भी साक्षरता दर को प्रभावित किया

5. डॉ. सरस्वती मिश्रा – 1996 – भारतीय स्त्रियों की प्रास्थिति, शारदा पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली प्र.सं. 60–75

है। अतः सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं तथा शैक्षिक उपकरणों का होना अति आवश्यक है, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रूझान में वृद्धि हो।

4. बालिका शिक्षा एवं विकास के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा आर्थिक पिछड़ापन एवं निर्धनता है अतः सरकार को पिछड़े एवं कमजोर वर्गों में बालिका शिक्षा के प्रति उत्साह जगाने के लिये आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये ठोस पहल करनी चाहिये।

5. उच्च बालिका शिक्षा दर के लिये यह आवश्यक है कि देश में अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम को सख्ती से लागू किया जाये तथा अपनी लड़कियों को स्कूल न भेजने वाले अभिवावकों के प्रति कार्यवाही भी जाये। साथ ही कमजोर वर्ग की लड़कियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों आदि को निष्पक्षता एवं ईमानदारी से वितरित किया जाये। जिसमें अभिवावक बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक एवं सचेत है।

6. सरकार द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से सम्बंधित 98 वें संशोधन अधिनियम को ईमानदारी के साथ लागू करते हुये इसे 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों की अनिवार्य व निशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने का गंभीर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

7. सरकार को सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर योग्य शिक्षकों की नियुक्त अतिशीघ्र करनी चाहिये, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य शासकीय कार्य न कराया जाये जिससे शिक्षण कार्य में बाधा न आये।

8. बालिका शिक्षा के व्यापक प्रसार हेतु सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है समाज में जागरूकता का समुचित प्रसार किया जाये ताकि दलित वर्ग के लोग बालिका शिक्षा के महत्व को समझ सके और बालिका शिक्षा का विस्तार हो सके।

9. बालिका शिक्षा के प्रसार में शिक्षित महिलायें अपना विशेष योगदान दे सकती है वे दलित महिलाओं की बालिका शिक्षा हेतु प्रेषित कर सकती है परन्तु यह तभी संभव है, जबकि शिक्षित महिलाये इस कार्य में स्वेच्छा से अपना दायित्व निभायें।

10. महिला शिक्षा के प्रसार के लिये यदि महिला समितियों का गठन करके उन्हें बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा जाये तो इससे भी महिला एवं बालिका शिक्षा में कुछ प्रगति हो सकती है।

अतः इस प्रकार देखा जाये तो भारत में महिलाओं ने संवैधानिक अधिकार तो प्राप्त

कर लिये है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देश के अनेक भागों में महिलाये उनका उचित उपयोग नही कर पा रही है महिला अशिक्षा इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बाधा है। यदि महिलायें पर्याप्त शिक्षित एवं प्रवुद्ध होती है, तो वे अपने अधिकारों का सदुपयोग बेहतर ढंग से कर सकती है तथा भारतीय समाज को एक नवीन दिशा प्रदान कर सकती है। अतः वर्तमान में इस बात की सख्य आवश्यकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में उल्लिखित समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय के लिये बालिका शिक्षा को एक व्यापक आन्दोलन का स्वरूप दिया जाये। परन्तु दलित वर्ग में महिलाओं में शिक्षा के क्षेत्र में अभी काफी पिछड़ापन एवं विषमता विद्यमान है अतः जनमानस में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके महिला एवं बालिका शिक्षा को लोकप्रिय एवं प्रभावी तथा गतिशील बनाया जा सकता है, परन्तु यह तभी सम्भव है जबकि सरकारी प्रयासो के साथ–साथ जागरूकता अभियान में क्षेत्रीय प्रवुद्ध, जनमानस प्रवुद्ध एवं शिक्षित महिलायें, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं जनप्रति निधि की सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी का निर्वाह करें।[6]

अतः इस प्रकार दलित महिलाओं में जब तक व्याप्त कुरीतियों आदि को दूर नही किया गया तब तक वे जागरूक नही हो पायेगी तथा इनमें शिक्षा के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है तथा शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारो के बारे में जागरूकता, अन्याय से लड़ने की शक्ति पैदा होती है ताकि वे अपने प्रति हो रहे सामाजिक, आर्थिक, भेदभाव को पहचान कर उसका प्रतिकार करने योग्य बन सकती है।

अतः प्रस्तुत अध्याय में बालिका शिक्षा एवं विकास के अवरोधक कारणों को ज्ञात किया गया है तथा बालिकाओं की शिक्षा एवं विकास के मार्ग में अवरोध को दूर करने के सुझाव प्रस्तुत किये गये है जिससे की इनका समुचित विकास हो सके।

6. कुरुक्षेत्र – सितम्बर 2004 सम्पादक स्नेह राय नई दिल्ली प्रष्ठ सं. 15–37

अध्याय - 7

अध्याय – 7

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन का अभिप्राय सूक्ष्म स्तर से बालिका शिक्षा एवं विकास की योजना के प्रति दलित महिलाओं में संचेतना को जानना उस अध्ययन को भारतीय समाज के बांदा नगर की 600 दलित महिलाओं तक सीमित किया गया है उक्त प्रक्रिया अध्याय का मुख्य उद्देश्य है तथा दलित महिलाओं में से चेतना के निम्न स्तरो में कारणों की खोज करना तथा विभिन्न बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं की योजनाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण को ज्ञात करना साथ ही दलित महिलाओं में न्यून संचेतना के स्तर का विस्तार करना एवं संचेतना के स्तर को बढ़ाने के सुझाव प्रस्तुत करना भी उक्त अध्ययन का उद्देश्य है।

समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका न केवल बच्चों के विकास के लिये उत्तरदायी है बल्कि व्यैक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ महिलाये उत्कृष्ट भूमिकायें निभा रही है वही दूसरी और दलित महिलाये आरम्भ से ही मेहनत मजदूरी या अन्य क्षेत्रों में गत दिन काम करके अपने परिवार का आर्थिक विकास कर रहा है इसके बावजूद समाज में महिलाये पुरूष से हेय दृष्टि से देखी जाती है खासकर दलित महिलाये और अधिक उपेक्षित है देश की कुल आबादी की 16.5 प्रतिशत महिलाये दलित है जो घोर अशिक्षा अंधविश्वास, उत्पीड़न एवं रूढ़ियों से ग्रस्त है अतः देश के विकास में इन महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है यदि भारत में दलित महिलाओं का विकास नही हुआ तो देश व समाज का विकास नही हो सकता। किन्तु देश की सामाजिक आर्थिक परिरिस्थितियों एवं परम्पराओं के कारण दलित महिलाओं के योगदान को न तो महत्व दिया गया और न ही अवसर प्रदान किया गया है। पुरूष प्रधान समाज में पुरूषों ने महिलाओं को अपना अनुगामी बनाये रखा तथा उन्हें अनेक प्रकार के रूढ़िगत सामाजिक, आर्थिक बंधनों में जकड़े रखने में अपना महत्व प्रतिपादित किया इस कारण सम्पूर्ण देश तथा विशेष रूप से दलित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक परिस्थियॉ अत्यन्त शोचनीय रही है।

विश्वास इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिला पुरूष की तुलना में अपने अधिकारों के संदर्भ में सदैव उपेक्षित रही है, इसी कारण प्रत्येक समाज में इन महिलाओं के साथ

शोषण, अन्याय तथा अत्याचार होता रहा है। इस शीर्षक के पीछे व्याप्त अशिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता की गयी, पुरूष प्रधान मानसिकता रूढ़िवादिता तथा आर्थिक आधार पर पुरूषों पर निर्भर रहना आदि कारण उत्तरदायी रहे है। इतिहास के इस दौर में दलित महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक युग में इन महिलाओं की स्थिति भिन्नता युक्त रही है विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक विद्धान ने अपने देश एवं समाज की परिस्थितियों के अनुरूप महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में अनेक विचार प्रस्तुत किया तथा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों में भी सक्रियता दिखाई परन्तु एक ओर जहाँ महिलाओं की स्वाधीनता के सम्बन्ध में विचार दिये वही दूसरी ओर पराधीनता की भी बात की।

भारतीय समाज में दलित स्त्रियों आदिकाल से ही शोषण का शिकार रही है स्त्रियों को न तो समाज में बराबरी का दर्जा कभी नही मिला न ही अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण वे अनेकों समस्याओं से ग्रसित हो गयी। अतः प्रारम्भ से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है इतिहास में कभी भी ऐसा समय नही आया जिसमें वर्ग, घृणा, उपस्थित नही रही है। वर्ग व्यवस्था ने ही जाति व्यवस्था को जन्म दिया है। हिन्दू समाज व्यवस्था चतुष्वर्ग पर आधारित है मनुस्मृति का मत सृष्ट ने अपने मुख, भुजा, जंघा और पैरों से ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रचना की है। अतः मनुस्मृति ने शूद्रों काही कर्म बताया है कि तीनों वर्गों की निदांरहित सेवा करना। जब–जब दलितो ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें दण्डित किया जाता था। और नही वेद पढ़ने की तथा सुनने की छूट थी यदि कोई पढ़ता या सुनता तो जुवान काट दी जाती थी। जहाँ इन्होंने पौरूष विधा और सम्वदा प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्हें दण्डित किया गया रामायण से महाभारत काल तक इतना शोषण हुआ ही अतः 'दलित' वर्ण व्यवस्था की उपज हैं। वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था उपजी, जाति व्यवस्था से दलित बने। अतः भारत में विकास क्रम में 'दलित' शब्द का प्रयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में किया जाता जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे है इनका निर्धारण योजना आयोग ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में गरीबी के आय प्रमाण पत्रो के आधार पर करता है तथा योजना आयोग की दृष्टि से गरीब वे व्यक्ति कहे जाते है जिनको अपयोग परिव्यय अपर्याप्त है जिनकी श्रम शक्ति कम है तथा जिन्हें योजना आयोग से न्यूनतम कैलोरी मात्रा प्राप्त नही होती है।

अतः दलितो की विभिन्न समस्याये खासकर दलित महिलाओं की समस्यायें भारत के

माथे पर बहुत बड़ा कलंक है ये महिलायें प्राचीन काल से सामाजिक आर्थिक भेदभाव का शिकार थी तथा महिलाओं के साथ अत्याचार एवं शोषण भी प्राचीनकाल से ही होता रहा है स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की परिस्थिति में कुछ सुधार हुआ परन्तु संतोषजनक नही हुआ। सरकारी गैर सरकारी संगठनों तथा समाज सुधारकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भी कुछ सुधार हुआ है।

संविधान के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया था संविधान के लागू होने में 10 वर्षों के भीतर राज्य 14 वर्षों की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने प्रयास करेगे। परन्तु आज संविधान के क्रियाशील होने के 54 वर्षों के बाद की इस आयु वर्ग के सात आठ करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित है उनमें सर्वाधिक संख्या बालिकाओं की है परन्तु दुर्भाग्यवश भारतीय समाज में महिला एवं बालिका शिक्षा के महत्व को अभी तक ठीक प्रकार से स्वीकारा नही है।

अतः समाज में दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास के प्रति जागरूकता नही है। ये आज भी अशिक्षा के अंधकार में भटक रही है। पुरूष सत्तात्मक समाज सुदृढ़ स्थिति में है परन्तु समाज में दलित महिलाये अशिक्षित अनेको समस्याओं से ग्रसित है। इनमें शिक्षा का प्रसार कम है। शिक्षा के इस न्यून प्रसार के कारण दलित महिलाओं में अज्ञानता, अंधविश्वास उत्पीड़न शोषण आदि भी अनेकों समस्यायें है। इनको आरम्भ से ही शिक्षा सुविधाओं से वंचित रखा गया है। तथा ये आर्थिक तंगी की दशा से जूझ रही है इनको समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है इन्हें बरावरी का दर्जा नही प्राप्त है। इनमें आज भी रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अशिक्षा व्याप्त है। समाज में इनका उत्पीड़न एवं शोषण होता रहा है तथा इनको निकृष्ट समझा जाता है तथा इन महिलाओं को आज भी निम्न स्तर के व्यवसाय करने पड़ते है जैसे – सुअर पालन, सूप, डलिया बनाना, जूते बनाना इत्यादि कारण यह है कि इनका न तो किसी भी प्रकार का विकास हो पाता है न ही उन्नति हो पाती क्योंकि इनमें आज भी शिक्षा की दर अन्य लोगों की तुलना में कम है इनकी महिलाओं की वदतर स्थिति के लिए मूलरूप से बचपन से ही बालिकाओं को संस्कार रूप में मिलने वाली सोच जिम्मेदार है बाद में हमारी पारिवारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक परम्परायें, मूल्य, रीति रिवाज इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते है अतः इस सोच में बदलाव लाना सबसे बड़ी चुनौती है।

अतः दलित महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के मद्देनजर बहुत लम्बे समय से ही उनके सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है किन्तु

दुर्भाग्य वश स्वयं महिलायें अशिक्षा एवं अज्ञानता के दलदल में फंसी होने के कारण अपने अधि
ाकारों के प्रति सचेत नही है प्रस्तावित अध्ययन ऐसे ही कारणों की खोज से सम्बद्ध है जिनमें
कारण दलित महिलाये अभी भी समानता को प्राप्त नही कर पायी।

प्रस्तावित अध्याय उक्त उद्देश्यों की पूर्ति का एक प्रयत्न है जिसमें संचेतना को
प्रमाणित करने वाले कारको का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करने का प्रयास किया गया है वर्तमान
अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न है

1. दलित वर्ग में व्याप्त महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के कार्यकारी सम्बन्धों को ज्ञात करना।
2. बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं का दृष्टिकोण।
3. बालिका विवाह के प्रति दलित महिलाओं का दृष्टिकोण ज्ञात करना।
4. दलित महिलाओं में बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वाभलम्वी बनाने की आकांक्षाओं को ज्ञात करना।
5. दलित महिलाओं का उनके विकास से सम्बन्धित संवैधानिक अधिकारों एवं विकास की योजनाओं के प्रति संचेतना का अध्ययन करना है।
6. दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक गत्यवरोध का अध्ययन करना।

उपर्युक्त विवरण के सन्दर्भ में प्रस्तुत शोध का अभिकल्प अन्वेषणात्मक, वर्णानात्मक
तथा निदानात्मक है इसका मुख्य उद्देश्य दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास की
योजनाओं के प्रति संचेतना एवं दृष्टिकोण का अन्वेषणात्मक अध्ययन करना है साथ ही कुछ
परिकल्पनाओं का निर्माण भारतीय समाज में प्रचलित दशाओं तथा उपलब्ध अनुसंधान सामग्री पर
आधारित है, का परीक्षण भी करना है इसके अतिरिक्त अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर
समस्या के समाधान के लिये सुझाव प्रस्तुत करना भी वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य है।

पूर्व निष्कर्षों एवं उद्देश्यों के आधार पर हमारी विशिष्ट परिकल्पनाये निम्नलिखित
है।

1. दलित वर्ग के पुरूष की अपेक्षा महिलाये अधिक निरक्षर एवं अशिक्षित है।
2. दलित महिलाओं में आज भी बाल विवाह बालिकाओं की शिक्षा के मार्ग मे बाधक है।
3. दलित वर्ग में व्याप्त अशिक्षा एवं अन्य कुरीतियों के कारण बालिका शिक्षा एवं विकास की

योजनाओं के अवरोध उत्पन्न होता है।

4. दलित वर्ग का निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर होने के कारण बालिका शिक्षा एवं विकास की विभिन्न योजनाओं के प्रति महिलाओं का दृष्टिकोण नकारात्मक है।
5. दलित वर्ग में पुरूष सकारात्मक आधार होने के कारण महिलाओं की शिक्षा उपेक्षित है।
6. दलित महिलाओं में बालिकाओं को पराया धन समझने की संकुचित मानसिकता के कारण बालिका शिक्षा एवं विकास पर ध्यान नही दिया जाता है।
7. दलित महिलायें असुरक्षा की भावना के कारण बालिका शिक्षा एवं विकास पर ध्यान नही दे पाती है।
8. दलित वर्ग में भी पुत्र को कुलदीपक परम्परागत धारणा के कारण बालिका शिक्षा की दर उपेक्षित है।

प्रस्तावित अध्ययन भारत के उत्तर प्रदेश प्रान्त के बुन्देलखण्ड सम्भाग में स्थित चित्रकूट धाम मण्डल के अर्न्तगत आने वाले जिला बाँदा जनपद की दलित महिलाओं पर आधारित है।

द्वितीय अध्याय में सामुदायिक पृष्ठ भूमि का विवरण दिया गया है प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित ऐतिहासिक नगर बाँदा है। प्राचीन काल में यह बामदेव ऋषि का निवास स्थान था। इसी कारण उन्ही के नाम पर इसका नाम बाँदा पड़ा।

बाँदा जनपद यमुना नदी और विन्ध्याचल की पर्वत की श्रेणियों के बीच स्थित है इसका क्षेत्रफल 4171.09 किमी. है।

बाँदा जनपद की कुल जनसंख्या सन् 2001 की जनगणना के अनुसार से 40,50,050 है जिसमें 21,76,954 (53.71%) पुरूष एवं 18,75,096 (46.29%) महिला क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कुल जनसंख्या 2,69,485 है। जनपद में हिन्दी बोलने वाली कुल जनसंख्या 18,21,386, उर्दू बोलने वाले 39,684 पंजाबी है, बंगाली 47 तथा 884 अन्य भाषा बोलते है। जनपद में 17,41,760 हिन्दू 1,18,434 मुसलमान, 716 ईसाई, 254 सिक्ख, 39 वौद्ध, 839 जैन है तथा 54 अन्य धर्मावलम्बी है।

प्रशासनिक सुविधा हेतु जनपद में 4 तहसीले तथा 8 विकास खण्ड है सभी विकास खण्डों के अर्न्तगत 100 न्याय पंचायत तथा 800 ग्राम सीमाये है जनपद में कुल 2 नगरपालिका तथा 8 टाउन एरिया है।

जनपद में कुल साक्षर लोग 93,277 तथा 6 महाविद्यालय, 58 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 385 सीनियर वेसिक स्कूल, 1317 जूनियर वेसिक स्कूल, 700 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भी है।

स्वास्थ्य सेवाओं में यहाँ 14 ऐलोपैथिक, 20 आयुर्वेदिक, 26 होम्योपैथिक, 4 यूनानी चिकित्सालय है साथ ही यहाँ कुल 55 प्राथमिक स्वांस्थ्य केन्द्र, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 19 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण तथा 201 उपकेन्द्र है। क्षयरोग चिकित्सालय तथा 1 कुष्ठरोग निवारण केन्द्र भी है 814 बालवाड़ी आंगनवाड़ी केन्द्र है। अन्य सुविधाओं में 17 पुलिस स्टेशन, 7 नगरीय तथा 10 ग्रामीण, जनपद में राष्ट्रीयकृत बैंक 33 तथा 50 ग्रामीण बैंक शाखायें, 11 सहाकरी बैंक शाखायें, 3 सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक की शाखाये है। जनपद में 143 बस स्टेशन तथा दस स्टाप व 19 रेलवे स्टेशन है बाँदा में विद्युतीकृत आबाद ग्राम 539 है।

बाँदा नगर का क्षेत्रफल 11.29 वर्ग किमी. हैं नगर की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 6 किमी. तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 8 किमी. है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नगर की कुल जनसंख्या 1,38,145 है जिसमें 75,461 (54.62 प्रतिशत) पुरूष तथा 62684 (45.38 प्रतिशत) महिलाये है।

नगर में कुल 93,277 साक्षर लोग है जिसमें 55,470 पुरूष एवं 37807 महिलाये है यहाँ शिक्षा की लिंक 35 हायर सेकण्डरी स्कूल बालको के लिये तथा 12 बालिकाओं के लिये है 200 जूनियर वेसिक स्कूल तथा 70 सीनियर वेसिक स्कूल तथा 6 महाविद्यालय है 2 मान्यता प्राप्त सिटी माण्टेसरी स्कूल है।

स्वास्थ्य सुविधाओ में एलोपैथिक चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र, 3 आयुर्वेदिक औषधालय एवं 1 हौम्योपैथिक चिकित्सालय तथा 3 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र है।

बाँदा नगर पिछड़ा किन्तु विकासशील नगर है यहाँ की अर्थव्यवस्था अधिकारतः विभिन्न प्रकार के व्यवसायो व लघु उद्योगों से प्रभावित है जनपद मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रसासनिक सरकारी एवं गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाये है।

तृतीय अध्याय में महिलाओ की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण दिया गया है और सूक्ष्म स्तर पर सामाजिक परिवेश को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है जिसमें महिलाये निवास करती है।

आयु समूह के अर्न्तगत 45 प्रतिशत 15—30 वर्ष की उत्तरदात्रियॉ है तथा 48 प्रतिशत 30—45 वर्ष की उत्तरदात्रियॉ शामिल है तथा 11.5 प्रतिशत 45 वर्ष से अधिक उम्र की उत्तरदात्रियॉ शामिल है।

तथा इसी प्रकार उत्तरदात्रियो के पति की उम्र का आकलन किया गया है जिसमें 17 प्रतिशत 15–30 वर्ष के पति है तथा 49 प्रतिशत 30 से 45 आयु वर्ग है तथा 349 प्रतिशत 45 से अधिक आयु वर्ग के है।

जातीय स्तर के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि स्पष्ट हुआ कि 68.59 प्रतिशत अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियॉ शामिल है तथा 31.5 प्रतिशत पिछड़ी जाति की उत्तरदात्रियॉ शामिल है।

पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि 62 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ संयुक्त परिवार से है तथा 38 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ एको की परिवार से है। सर्वाधिक उत्तरदात्रियॉ संयुक्त परिवार से है।

शैक्षिक स्तर के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि 55 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ निरक्षर है तथा 24.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है तथा 16 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है तथा 4.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ उच्च शिक्षा प्राप्त है।

इसी प्रकार उत्तरदात्रियो क पति का शैक्षिक स्तर का आंकलन करने से स्पष्ट है कि 33.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति निरक्षर है तथा 32.5 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त तथा 24 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा प्राप्त एवं 10 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। विवाह के समय आंयु का आंकलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि 28.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का विवाह 15 से कम आयु में हुआ है 41 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का विवाह 15 से 18 वर्ष की आयु में हुआ है तथा 30.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का विवाह 18से 25 वर्ष की आयु में हुआ है।

इसी क्रम से जब उत्तरदात्रियो के व्यवसाय का आंकलन किया गया जिससे ज्ञात हुआ कि 16 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ नौकरी करती है तथा 48.5 प्रतिशत श्रमिक एवं 4 प्रतिशत निजी व्यवसाय तथा 35 प्रतिशत गृहणी है।

उत्तरदात्रियो के पति के व्यवसाय की स्थिति से स्पष्ट है कि 28.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियो के पति नौकरी करते है तथा 45 प्रतिशत श्रमिक है तथा 26.5 प्रतिशत व्यापार करते है।

उक्त के साथ अतिरिक्त उत्तरदात्रियो की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि 9.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियो का सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च है तथा 37 प्रतिशत उत्तरदात्रियो का सामाजिक आर्थिक स्तर मध्यम है एवं 53.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियो का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न है।

इसी क्रम में उत्तरदात्रियो की आय का विश्लेषण किया गया है, जिसमे 34.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ गृहणी है तथा 38.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ 2000 से कम है तथा 20.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियो की 2000 से 4000 एक है तथा 6.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियो की आय 4000 से अधिक है।

इस प्रकार उत्तरदात्रियो के पति की आय का भी विश्लेषण किया गया है जिसमें से 44.8 प्रतिशत उत्तरदात्रियो के पति की आय 2000 से कम है तथा 3.6 प्रतिशत 2000 से 4000 तक तथा 20.3 प्रतिशत 4000 से अधिक है। उत्तरदात्रियो की वैवाहिक स्थिति भी स्पष्ट की गई है जिसके अर्न्तगत 91.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ विवाहित है तथा 7.3 प्रतिशत विधवा तथा 1.16 प्रतिशत परित्यगता है।

इस क्रम में उत्तरदात्रियो के मकान के स्वरूप का आंकलन किया गया है जिसमें 46.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियो का मकान कच्चा है तथा 21.5 प्रतिशत पक्का हैं तथा 32 प्रतिशत मकान का स्वरूप मिश्रित है।

इस प्रकार उत्तरदात्रियो के भौतिकता के साधन का भी यही आंकलन किया गया है जिसमें 14.16 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ के पास कुछ नही है तथा 22 प्रतिशत के पास सभी कुछ है तथा 40.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियो के पास बिजली, गैस, नल, स्टोप, टी.वी., पलंग, मेज, कुर्सी, अलमारी इत्यादि है तथा 22.9 प्रतिशत उत्तरदात्रियो के पास बिजली, नल, स्टोप आदि है।

अतः उत्तरदात्रियो के परिवार के बच्चों की संख्या का आंकलन भी किया गया है 33 प्रतिशत उत्तरदात्रियो के 1–2 बच्चे है तथा 28 प्रतिशत 3 से 5 तथा 39 प्रतिशत 5 से अधिक बच्चे है।

अध्याय 4 से महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति संचेतना का अध्ययन किया गया है अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ की महिलाओं की संचेतना पर उनमें पारिवारिक, आर्थिक, कारको के बीच सकारात्मक सह सम्बन्ध होता है साथ ही उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर से चेतना के स्तर बढ़ाने में सहायक होता है तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर संचेतना को कम करने में सहायक होता है। महिलाओं की संचेतना एवं पारिवारिक, आर्थिक, कारको के बीच सह सम्बन्ध ज्ञात करने हेतु चरो के आधार पर भी अध्ययन किया गया है जिसके अर्न्तगत परिवार का प्रकार, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, परिवार की मासिक आय, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि चरो के आधार पर विश्लेषित किया गया है।

सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि जातीय स्तर आयु, शिक्षा का स्तर, व्यवसायिक स्तर, मासिक आय एवं उत्तरदात्रियो का सामाजिक आर्थिक स्तर संचेतना को प्रभावित करता है। जातीय स्तर एवं संचेतना का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि उच्च जाति की अपेक्षा निम्न जाति में संचेतना कम पायी जाती है चूंकि प्रस्तुत अध्ययन दलित महिलाओं पर है इस कारण इसमें संचेतना कुछ हद तक तो पायी जाती है परन्तु सामाजिक आर्थिक स्तर ठीक न होने के कारण इनमें संचेतना कम हो जाती है।

इसी प्रकार आयु एवं संचेतना का स्तर का विश्लेषण करने से स्पष्ट हुआ है कि आयु का स्तर बढ़ने से संचेतना का स्तर बढ़ता है परन्तु दलित वर्ग की महिलाओं में अधिक उम्र की महिलाओं में संचेतना का स्तर मध्यम है अधिक नही है।

शिक्षा का स्तर एवं संचेतना का स्तर का आंकलन करने से स्पष्ट हुआ है कि शिक्षा का स्तर बढ़ने पर महिलाये अधिक संचेतित है तथा शिक्षा निम्न होने से संचेतना कम हो जाती है।

व्यवसायिक स्तर का संचेतना के साथ आंकलन करने पर यह ज्ञात हुआ कि नौकरी करने वाली महिलाओं में अधिक संचेतना पायी जाती है तथा श्रमिक एवं व्यवसाय वाली महिलाओं के कम संचेतना पायी जाती है।

इस प्रकार मासिक आय एवं संचेतना का स्तर ज्ञात करने पर यह ज्ञात होता है कि मासिक आय अधिक होने पर महिलाओं में जागरूकता पायी जाती है तथा मासिक आय कम होने पर संचेतना कम पायी जाती है।

सामाजिक आर्थिक स्तर एवं संचेतना का स्तर आंकलन करने से यह ज्ञात होता है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर होने पर बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति जागरूकता अधिक है तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर होने पर उनमें संचेतना कम हो जाती है। इस प्रकार इस अध्याय में दलित महिलाओं की समस्यायें जैसे सामाजिक दूरी की, आर्थिक,राजनीतिक एवं शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण किया गया तथा इनके विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का भी आंकलन कि योजना है। इन योजनाओं का मूल्यांकन तीन स्तरो के आधार पर किया गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा इनके उत्थाने के लिये संविधान द्वारा बनाये गये विभिन्न कानून एवं प्रावधानो का भी विश्लेषण किया गया है। तथा इनसे सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का विश्लेषण किया गया है जैसे – आवासीय योजना, शैक्षिक

योजना, राष्ट्रीय सामा. सहायता कार्यक्रम, आर्थिक योजना इत्यादि है तथा इनसे सम्बन्धित कुछ कानून एवं प्रावधान भी बनाये गये है जैसे अस्प्रश्यता अपराध अधिनियम, अत्याचारनिरोधक अधिनियम, वंधुआ प्रणाली अधिनियम, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, उत्तर प्रदेश ऋण मुक्त अधिनियम इत्यादि है।

पाँचवे अध्याय में दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दृष्टिकोण का आंकलन किया गया है जिसमें दृष्टिकोण से सम्बन्धित कुछ प्रश्न पूछे गये।

सुक्ष्म स्तर पर अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला की बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में 73 प्रतिशत महिलाओं का दृष्टिकोण सकारात्मक है तथा 27 प्रतिशत महिलाओं का दृष्टिकोण नकारात्मक है अतः विकास की योजनाओं के प्रति 44 प्रतिशत महिलाओं का दृष्टिकोण सकारात्मक है एवं 56 प्रतिशत महिलाओं का दृष्टिकोण नकारात्मक है।

पुत्र का होना अनिवार्य के सम्बन्ध में 88 प्रतिशत महिलाओं का दृष्टिकोण सकारात्मक है तथा बालिका शिक्षा के सम्बन्ध 4 प्रतिशत 5 तक 5.5 प्रतिशत 8 तक तथा 10–12 तक 22 प्रतिशत एवं इससे अधिक 68.5 प्रतिशत महिलाये शिक्षित करना चाहती है तथा पुत्र एवं पुत्र का बराबर शिक्षा के पक्ष में 73 प्रतिशत महिलाओं का दृष्टिकोण सकारात्मक है तथा पुत्री की शिक्षा के सम्बन्ध में 29 प्रतिशत महिलाये व्यक्तिगत तथा 71 प्रतिशत संस्थागत पढ़ाना चाहती है इसी प्रकार 37.5 प्रतिशत महिलाये पुत्री को शहर से बाहर शिक्षा देना चाहती है।

बालिका को बालको के साथ पढ़ाने के सम्बन्ध में 26.5 प्रतिशत महिलाये है तथा पुत्री का लड़को के साथ मेल जोल के सम्बन्ध में 37.5 प्रतिशत महिलाये पक्ष में है तथा पुत्री को स्वतंत्र रूप से आने जाने के सम्बन्ध में 25.5 प्रतिशत महिलाये पक्ष में तथा पुत्री एवं पुत्र के खानपान के भेदभाव के सम्बन्ध में 15 प्रतिशत महिलाये पक्ष में है।

बच्चों की संख्या में 1–2 के पक्ष में 36.5 प्रतिशत तथा 2 से 3 के पक्ष में 37 प्रतिशत एवं उससे अधिक के पक्ष में 26.5 प्रतिशत महिलाये पक्ष में है इसी प्रकार बच्चों की संख्या सीमित रखने के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत दायित्व पति का तथा 6 प्रतिशत पत्नी का एवं 82 प्रतिशत दायित्व दोनो का एवं 7 प्रतिशत अनिश्चित है। अधिक बच्चों के पालन पोषण के सम्बन्ध में दृष्टिकोण 32 प्रतिशत महिलाओं का सकारात्मक है तथा कामकाज में मदद के सम्बन्ध में 17.5 प्रतिशत महिलाये लड़को से मदद लेती है तथा 8.5 प्रतिशत लड़की से तथा 74 प्रतिशत दोनो से लेती है।

बच्चों की माँग पूरी करने के सम्बन्ध में 81 प्रतिशत महिलाये बच्चों की माँ पूरी करती है। लिंग परीक्षण के प्रति दृष्टिकोण 31.5 प्रतिशत सकारात्मक है। इस प्रकार गर्भपात के सम्बन्ध में दृष्टिकोण 24 प्रतिशत महिलाओं का सकारात्मक हैं।

पुत्री जन्म पर देखभाल के प्रति दृष्टिकोण 45.5 प्रतिशत महिलाओं को पूर्ण रूप से ध्यान नही दिया जाता तथा 28 प्रतिशत विशेष ध्यान नही दिया जाता एवं 26.5 प्रतिशत महिलाओ को समान ध्यान दिया जाता है इस प्रकार पुत्र पुत्री के जन्म के समय देखभाल में भेदभाव के प्रति दृष्टिकोण 33.5 प्रतिशत महिलाओं का सकारात्मक हैं।

इस प्रकार किसके जन्म देने पर खुशी होने के प्रति दृष्टिकोण के सम्बन्ध में 25.5 प्रतिशत महिलाओं को लड़का होने पर खुशी होती है तथा 5 प्रतिशत लड़की होने पर खुशी होती है। तथा 65.5 प्रतिशत दोनो के होने पर खुशी होती है।

लड़कियों के आर्थिक बोझ के सम्बन्ध में 40.5 प्रतिशत महिलाये आर्थिक रूप से बोझ मानती है। महिलाओं के आर्थिक रूप आत्म निर्भरता के प्रति दृष्टिकोण के सम्बन्ध में 68.5 प्रतिशत महिलाओं का दृष्टिकोण सकारात्मक है इस प्रकार लड़की की शादी के सहमति के सम्बन्ध में दृष्टिकोण 42.5 प्रतिशत महिलाओं का दृष्टिकोण सकारात्मक है इस प्रकार लड़का विवाह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के सम्बन्ध में 33.5 प्रतिशत महिलाओं का दृष्टिकोण सकारात्मक है।

छठवें अध्याय में बालिका शिक्षा एवं विकास में अवरोधक कारणों का अध्ययन किया गया है जिसमें से बालिका शिक्षा एवं विकास के मार्ग में अवरोधक कारण निम्न है – दलित महिलाओं में परम्परागत रूढ़िवादी सोच, अशिक्षा, अंधविश्वास तथा आर्थिक रूप से पिछड़ापन, निर्धनता, विद्यालयों में अध्यापको की कमी के कारण महिलाओं का समुचित विकास नही हो पाता है। बाल विकास का प्रचलन, पर्दा प्रथा का समाप्त न होना धार्मिक सिद्धान्तों में अटूट विश्वास, बालिका विद्यालयों का आभाव, बालिका विद्यालयों की दूरी तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण इनके विकास के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है।

इस प्रकार उक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में दलित महिलाओं में बालिका शिक्षा एवं विकास की योजना के प्रति संचेतना जाग्रत करने के संदर्भ में कुछ सुझाव निम्न है।

1. दलित महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके।

2. उनमें व्याप्त परम्परागत रूढ़िवादी सोच एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करके बालिका शिक्षा पर जोर दिया जाये।
3. आर्थिक रूप से पिछड़ापन एवं निर्धनता को दूर करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाये ताकि उच्च आर्थिक स्तर हो सके जिससे वे बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दे सके।
4. जो बालिकाये स्कूल नही जाती उनके लिये प्रेरणास्पद माहौल बनाया जाये ताकि वे स्कूल जा सके।
5. समाज में जारी दहेज प्रथा, बाल विवाह को दूर किया जाये।
6. बालिकाओं को घरेलू कार्यों के दायित्व का बोझ कम किया जाये उनका शिक्षा के प्रति उत्साह वर्धन किया जाये।
7. दलित महिलाओं में लड़कियों की सुरक्षा का बोझ रहता है जिससे वे लड़कियों को घर से दूर नही जाने देती अतः उनकी सुरक्षा के प्रति सोच में बदलाव लाना पड़ेगा ताकि वे अपनी बालिकाओं को स्वतंत्रता रूप से आने जाने के लिये छूट दे सके।
8. इनमें लड़कियो के प्रति व्याप्त सोच की लड़की पराया धन है। इसको पढ़ाया लिखाया न जाये। इस सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। तभी वे विकास कर पायेगी।

अतः यद्यपि केन्द्रिय सरकार, राज्य सरकारों, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन रेडक्रास आदि ने इनके उद्धार के लिये भरसक प्रयत्न किये है तथापि यह दूषित प्रथा आज भी कुछ सीमा तक प्रचलित है। इसमें ज्वलंत उदाहरण आज भी दैनिक समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते है। अतः अभी भी इनका सामाजिक उत्थान ठीक तरह से नही हो पाया है इसका मुख्य कारण इन लोगो की आर्थिक हीनता है धनाभाव के कारण ये लोग शिक्षा भी ग्रहण नही कर पाते है वास्तविक रूप में यदि अस्प्रश्यता को दूर करना है तो केवल सरकारी प्रयास ही काफी नही है, अपितु इसके निवारण के लिये जनमत तैयार करना भी अनिवार्य है दलितो महिलाओं के उत्थान के लिये कुछ प्रभावशाली सुझाव निम्न है।

1. इनकी आर्थिक दशा मे सुधार किया जाना चाहिये ताकि इनका जीवन ऊँचा उठ सके तथा इनकी बहुत सी निर्योग्यताये दूर हो सके।
2. अस्प्रश्यता निवारण के लिये चलचित्रों, नाटकों, गीतो आदि द्वारा जनमत तैयार किया जाना चाहिये ताकि साधारण जनता अस्प्रश्यता के दूषित परिणामों को जान सके। शिक्षा द्वारा भी

इसकी समाप्ति के पक्ष में जनमत तैयार किया जाना चाहिये।

3. इन लोगों की बस्तियॉ साधारण बस्तियों में ही होनी चाहिये जिससे भेदभाव की प्रवृत्ति में कुछ कमी हो सके।

4. इनके लिये प्रथक विद्यालय नही खोले जाने चाहिय।

5. सभी जातियों के बच्चों को एक साथ रहने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिससे वे भविष्य में भी एक साथ रह सके।

6. जो घृणा वाले पेशे है उनमें कुछ सुधार होना जरूरी है।

7. अस्प्रश्यता जाति व्यवस्था का ही अभिशाप है। अतः जाति व्यवस्था को यदि समाप्त कर दिया जाये तो अस्प्रश्यता भी अपने आप समाप्त हो जायेगी। प्रचार तथा शिक्षा द्वारा जाति व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयास किये जाने चाहिये।

8. अछूतों की दशा सुधारने के लिये ग्रामों मे प्रौढ़ शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

9. इन लोगो का शोषण समाप्त होना चाहिये इनके कार्य के बदले वेतन देने सम्बन्ध नियम बनाये जाने चाहिये।

10. स्वस्थ्य मनोरंजन के द्वारा इनमें नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये।

11. सरकार द्वारा इन अनुसूचित जातियों के लोगों को आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये।

12. केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को अर्न्तजातीय विवाहो को प्रोत्साहन देना चाहिये।

13. धार्मिक तथा राजनीतिक अवसरों पर भी जातियों के सदस्यों को सम्मिलत होने का समान अवसर मिलना चाहिये।

14. 21 सूत्रीय दलित एजेण्डे (भोपाल घोषणा पत्र) लागू किया जाना चाहिये।

21 सूत्रीय एजेण्डा अथवा भोपाल घोषण पत्र –

12–13 जनवरी, 2002 को मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में दलित बुद्धिजीवियों का एक महासम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 21 सूत्रीय दलित एजेण्डे पर मोहर लगाई गई है इस एजेण्डे को ''भोपाल घोषणा पत्र'' भी कहा जाता है यह 21 सूत्रीय एजेण्डा निम्न प्रकार है

1. सामाजिक, आर्थिक खुशहाली के लिये प्रत्येक दलित परिवार के पास पर्याप्त खेती योग्य

भूमि होनी चाहिये। सरकार को बची भूमि, सरकारी राजस्व भूमि और मंदिरों की भूमि का बँटवारा निर्धारित समयावधि के बीच निपटा लेना चाहिये यदि जरूरत महसूस हो तो सरकार कृषि योग्य जमीन खरीद कर दलितो में बाँट दे।

2. ग्रामीण एवं नगरीय सार्वजनिक सम्पत्ति को दलितो द्वारा उपयोग करने सम्बन्धी कानून बनाये जाये और उन्हें कड़ाई से लागू किया जाये। दलितो को कानूनी न्याय दिलाने के लिये मुकदमों का लम्बा न खींचा जाये, इसके लिये कानून में संशोधन किया जाये।

3. दलित खेती हर मजदूरों को गुजारे योग्य मजदूरी मिले, मजदूरी भुगतान में स्त्री पुरूष समानता, काम की सुरक्षा और कार्यक्षेत्र में बेहतर माहौल सम्बन्धी कानून बनाये और लागू किये जाये। कानून का सम्मान न करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हो।

4. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विधायी समितियॉ बनाई जाये ताकि दलितो की जमीन पर गैर दलितो के कब्जे की पहचान की जा सके। दलितो की जमीन पर कब्जा किये गैर दलितो से मुआवजा वसूला जाये, जमीन के असली हकदारों की पहचान हो और उनके नाम की जमीन उन्हें वापस की जाये तथा अदालतो द्वारा गैर–कानूनी कब्जा करने वालों को दण्डित किया जाये।

5. जिन आदिवासियों की जमीनें छीनी जा चुकी है, उन्हें उनकी जमीन वापस दिलायी जाये, आदिवासियों को वन, वन उत्पादों तथा वन–संसाधनों के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। उनकी जमीन पर बाँध या कारखाने लगाने की स्थिति में विस्थापितो उनमें शेयरधारक का अधिकार मिले तथा पुर्नवास योजनाये शुरू की जाये।

6. पूँजी का लोकतंत्रीकरण करके दलितो व आदिवासियों को अनुपातिक आधार पर पूँजी में हिस्सेदारी तथा बाजार अर्थव्यवस्थायें उनकी निवेश सम्बन्धी भागीदारी हो। इनके लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने हेतु बजट में प्रावधान हो ऐसी अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिये उनकी क्षमताओं और कुशलताओं में निखार लाया जाये।

7. बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 को कड़ाई से लागू किया जाये दलितो के बीच बाल मजदूरी को तत्काल खत्म किया जाये। इसके लिये सम्बंधित कानूनों में जरूरत के मुताबिक संशोधन किये जाये।

8. संविधान के अनुच्छेद 21 में संशोधन किया जाये ताकि नागरिकों खास तौर से अनुसूचित जाति–जनजाति को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा, आवास, कपड़ा सामाजिक सुरक्षा आदि

बुनियादी सेवाये हासिल करने का अधिकार हो। कम आमदनी वाले दलितो को गुजारे लायक मजदूरी, पाँच एकड़ प्रति योग्य भूमि या रोजगार प्राप्त करने का अधिकार मिले।

9. दलितो के निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था तत्काल लागू हो। दलित क्षेत्रों के स्कूलों में बेहतर सुविधायें हो और व्यवसायिक एवं तकनीकि शिक्षा के जरिये दलितो को बाजारोन्मुखी शिक्षा दी जाये। दलित बच्चों के लिये छात्रवृत्तियाँ तथा निरक्षरों की संख्या के अनुपात को देखते हुये धनराशि आवण्टित की जाये।

10. सरकारी एवं निजी विद्यालयों, तकनीकि और व्यवसायिक संस्थानों में दलित बच्चों के प्रवेश हेतु आरक्षण लागू किया जाये। सरकारी खर्चे पर कम आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्रदान की जाये। अंग्रेजी माध्यम वाले सभी स्कूलो के दलितो के बच्चों को दाखिले में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये।

11. दलित महिलाओं को विशेष महिला श्रेणी में शामिल किया जाये इसके मुताबिक जनगणना रिर्पोट और विकास रिर्पोट में उनके लिये अलग से आँकड़े हो। इन्हे विकास योजनाओं द्वारा मुख्य धारा से जोड़ने के उपाय किये जाये। राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोगो को निर्देश दिया जाये ताकि वे इस श्रेणी की महिलाओं की स्थिति का आंकलन अपनी वार्षिक रिर्पोट में प्रस्तुत करें।

12. अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार (निरोधक) अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1995 को कड़ाई से लागू किया जाये। जातीय हिंसा फैलाने वाले दवंग लोगो और इसके साथ नापाक रिश्ता रखने वाले पुलिस अधिकारियों पर मुकदमें चलाये जाये। दलित व महिलाओं पर जुल्म ढाने के आंकलन में दोषियों को सामूहिक दण्ड जैसी व्यवस्था की जाये जिससे अत्याचारी कानून को चकमा न दे पाये।

13. अकादमिक, स्वायत्तशासी संस्थानों से लेकर विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में दलितो का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये। इस नियम का जो संस्थायें पालन न करे उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाये और उन्हें मिलने वाले अनुदान को भी बंद कर दिया जाये। निजी उद्योगों व व्यवसाहिक इकाइयों में भी इसी तरह की व्यवस्था तत्काल लागू की जाये।

14. राष्ट्रीय एवं सभी राज्यों के बजट में दलितों की आबादी के अनुसार आवण्टित राशि तय की जाये। इस राशि का अन्य दुरूपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

15. सभी सरकारी एवं निजी व्यवसायिक संगठनों को सामाजिक रूप से गैर लाभ में चल रहे व्यापारियों के पक्ष में सामग्री आपूर्ति करनी चाहिये। यही व्यवस्था डीलरशिप में भी अनिवार्य बना दी जाये।

16. दलित महिलाओं की सुरक्षा राज्य का ही एकमात्र दायित्व होना चाहिये। जातिवादी संघर्ष से जूझते क्षेत्रों की पहचान कर वहाँ सशस्त्र बल तैनात किये जाये। आत्मरक्षा के मद्देनजर दलितो को हथियारों के लाइसेन्स प्रदान किये जाये। इतना ही नही, दलित महिलाओं को हथियार चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाये।

17. हाथ से मैला साफ कराने जैसी अपमानजनक व्यवस्था तत्काल समाप्त कर दी जाये इस पेशे में शामिल दलितो के लिये पुर्नवास कार्यक्रम और वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराये जाये।

18. विधायी व्यवस्था के तहत संसद व राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग और सफाई कर्मचारियों से जुड़ी वार्षिक रिर्पोट पर सालाना वहस कराई जाये और वहस के नतीजो पर तुरन्त कार्यवाही की जाये इस सम्बन्ध में वार्षिक एवं क्रियान्वयन रिर्पोट को जनता के समक्ष सार्वजनिक किया जाये।

19. कारपोरेट और उद्योग सहित सभी निजी प्रतिष्ठानों में दलितों की कुशलता और क्षमता बढ़ाने के लिये सकारात्मक प्रयास किये जाये।

20. न्याय पालिका एवं रक्षा में दलितो के लिये तथा आरक्षक नीति का पालन हो। न्यायपालिका में नामंकन प्रणाली खत्म करके नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाये।

21. संसद व राज्य विधान सभाओं को पिछले 25 वर्षों के दौरान आरक्षण की वास्तविक स्थिति सम्बन्धी वार्षिक रिर्पोट चर्चा के लिये उपलब्ध कराई जाये। दलितों के खाली पड़े आरक्षित पदो का तत्काल भरा जाये और इन पदों पर सिर्फ दलित उम्मीदवार ही नियुक्त किया जाये।

अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि दलित महिलाओं को बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति संचेतना के लिये एक भिन्न प्रकार की योजना एवं विधि की आवश्यकता है तथा इनमें शिक्षा के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है जिससे ये शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके।

धर्मवीर महाजन – भारत के समाज में, 2003 विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली प्रष्ठ सं. 90–110

अध्याय - 8

साक्षात्कार अनुसूची

"बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं की संचेतना का समाजशास्त्रीय अध्ययन"

(बाँदा नगर की छः सौ दलित महिलाओं के अध्ययन पर आधारित)

शोध निर्देशिका
डा. सबीहा रहमानी
प्रवक्ता, समाज शास्त्र
महाविद्यालय, बाँदा

गवेषिका
सीता जड़िया
एम. ए., एम. फिल.
(समाज शास्त्र)

1. नाम --

2. पति का नाम --

3. स्वयं की आयु – (1) 15–30 (2) 30–45 (3) 45 से अधिक

4. पति की आयु – (1) 15–30 (2) 30–45 (3) 45 से अधिक

5. धर्म – (1) हिन्दू (2) मुस्लिम (3) सिक्ख (4) ईसाई

6. जाति – (1) अनुसूचित (2) पिछड़ी (3) अनुसूचित जनजाति (4) सामान्य

7. वैवाहिक स्थिति – (1) विवाहित (2) विधवा (3) परित्यगता

8. शैक्षिक योग्यता –

क्रम	शिक्षा विवरण	स्वयं की	पति की
1.	निरक्षर		
2.	प्राथमिक		
3.	माध्यमिक		
4.	उच्च		

9. व्यवसाय

क्रम	व्यवसाय	स्वयं की	पति की
1.	व्यापार		
2.	नौकरी/सरकारी, गैर सरकारी		
3.	कृषि		
4.	अन्य		

10. मकान का स्वरूप

कच्चा / पक्का / मिश्रित

11. परिवार का आकार – संयुक्त / एकांकी

12. परिवार में बच्चों की संख्या (1) पुत्रों की संख्या

(2) पुत्री की संख्या

13. आय के साधन –

क्रम	आय	मासिक	अन्य श्रोतों से होने वाली आय	कुल आय
1.	स्वयं की			
2.	पति की			

14. आपके परिवार में निम्न कौन–कौन सी भौतिक वस्तुयें हैं –

टी. वी., फ्रिज, सोफा, कुर्सी, बिजली, नल, गैस, चूल्हा, स्टोव, फोन, गाड़ी, पलंग रेडियो, मेज, वी. सी. आर., बी. सी. पी., अलमारी, साइकिल, कम्प्यूटर आदि

15. आपकी दृष्टि से परिवार का स्वरूप कैसा होना चाहिये। (1) संयुक्त (2) एकांकी

16. आपकी दृष्टि से पुत्र का होना अनिवार्य है (1) हाँ (2) नहीं

(अ) हाँ तो क्यों ? (1) वंश को आगे बढ़ाता है (2) धार्मिक दृष्टि से (3) पिण्डदान हेतु (4) वृद्धावस्था में सहारे के लिये

17. आपके यहाँ बालिकाओं को पढ़ाया जाता है (1) हाँ (2) नहीं

(अ) हाँ तो क्यों ? : (1) आत्मनिर्भरता के लिये (2) परिवार का सही पालन–पोषण के लिये (3) सम्मान जनक स्थिति के लिये

18. आप अपने पुत्र को कहाँ तक पढ़ाना चाहती हैं ?

(1) 5 तक (2) 8 तक (3) 10–12 तक (4) इससे अधिक

19. आप अपनी पुत्री को कहाँ तक पढ़ाना चाहेंगी।

(1) 5 तक (2) 8 तक (3) 10–12 तक (4) इससे अधिक

20. आप दोनों को बराबर शिक्षा देना चाहेंगी। (क) हाँ (ख) नहीं

(अ) हाँ तो क्यों : (1) बच्चे बराबर है (2) आत्मनिर्भरता के लिये (3) समाज में सम्मान के लिये

(ब) नहीं तो क्यों : (1) लड़की पराया धन है (2) लड़की को कौन नौकरी करना है (3) लड़की के लिये घर का कामकाज जरूरी है।

21. लड़कियों को किस प्रकार से पढ़ाना पसन्द करेंगी ? (1) व्यक्तिगत (2) संस्थागत

22. आपके परिवार में लड़कियाँ शहर से बाहर जाकर पढ़ती हैं ? (1) हाँ (2) नहीं

23. लड़कियों को शिक्षा के साधन उपलब्ध न होने पर आप उन्हें बाहर भेजकर पढ़ाना पसन्द करेंगी। (1) हाँ (2) नहीं

24. लड़कियों को किस प्रकार के विद्यालय में पढ़ाना पसन्द करेंगी। (1) सरकारी (2) प्राइवेट

25. आप अपनी लड़की को महिला अध्यापक विहीन विद्यालय में पढ़ाना चाहेंगी। (1)हाँ (2) नहीं

26. आप अपनी लड़की को लड़कों के साथ पढ़ाना उचित समझती हैं। (1) हाँ (2) नहीं

27. आप अपनी लड़की को लड़कों के साथ मेलजोल उचित समझती हैं। (1) हाँ (2) नहीं

28. आप अपनी लड़की को कहीं भी स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति देती हैं। (1) हाँ (2) नहीं

29. आपके परिवार में लड़की एवं लड़कों के खानपान में भेदभाव किया जाता है। (1) हाँ (2) नहीं

30. आपके दृष्टिकोण से लड़की एवं लड़के के खानपान में भेदभाव उचित है। (1) हाँ (2) नहीं

31. बच्चों के बीमार होने पर क्या उपचार किया जाता है ?

क्रम	उपचार	लड़का	लड़की
1.	घरेलू		
2.	वैद्यकी		
3.	डॉक्टरी		
4.	झाड़–फूँक		

32. आपके अनुसार आपके कितने बच्चे होने चाहिये ? (1) 1–2 (2) 2–3 (3) 3 से अधिक

33. परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रखने का दायित्व किसका है ? (1) पति का (2) पत्नी का (3) दोनों का (4) अनिश्चित

34. आपके दृष्टिकोण से अधिक बच्चों का पालन–पोषण सही ढंग से हो सकता है। (1) हाँ (2) नहीं

35. घर के कामकाज में किसकी मदद लेती हैं ? (1) लड़की (2) लड़का (3) दोनों

36. आपके बच्चे किसी वस्तु की माँग करते हैं तो आप पूरा करने की कोशिश करेंगी ? (1) हाँ (2) नहीं

(अ) हाँ, तो पहले किसकी माँग पूरा करेंगी – (1) लड़का (2) लड़की (3) दोनों

37. आपके दृष्टिकोण से लिंग–परीक्षण उचित है। (1) हाँ (2) नहीं

38. यदि आपको पता चल जाये कि आपके गर्भ में बालिका है, तो गर्भपात करवायेंगी।

(1) हाँ (2) नहीं

(अ) हाँ तो क्यों – (1) आर्थिक बोझ (2) पारिवारिक निन्दा (3) पुत्र मोह

39. पुत्री जन्म की सम्भावना होने पर आपकी देखभाल किस ढंग से की जाती है ?

(1) पूर्णरूप से ध्यान दिया जाता है (2) विशेष ध्यान नहीं दिया जाता (3) समान ध्यान दिया जाता है।

40. आपके दृष्टिकोण से पुत्र एवं पुत्री जन्म के समय देखभाल में भेद–भाव किया जाना चाहिये। (1) हाँ (2) नहीं

41. आप किसको जन्म देने पर अधिक खुश होंगी। (1) लड़का (2) लड़की (3) दोनों

42. आपके यहाँ आर्थिक रूप से लड़कियों को बोझ समझा जाता है। (1) हाँ (2) नहीं

43. आपके परिवार में महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना उचित समझा जाता है।

(1) हाँ (2) नहीं

44. आप आत्मनिर्भर है। (1) हाँ (2) नहीं

45. आप अपनी लड़की को आत्मनिर्भर बनाना चाहेंगी। (1) हाँ (2) नहीं

(अ) हाँ तो किस प्रकार से – (1) नौकरी करवायेंगी (2) प्रशिक्षण दिलवाकर (3) व्यवसाय कराके (4) घर के कामकाज में

46. आपका विवाह किस आयु में हुआ था ? (1) 15 से कम (2) 15–18 (3) 18–25 (4) 25 से अधिक

47. आप अपने लड़के एवं लड़की का विवाह किस आयु में करना पसन्द करेंगी।

क्रम	आयु	लड़का	लड़की
1.	15 से कम		
2.	15–18		
3.	18–25		
4.	25 से अधिक		

48. आपके परिवार में विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध है। (1) हाँ (2) नहीं

49. आपकी शादी में आपकी सहमति ली गयी थी ? (1) हाँ (2) नहीं

50. आप अपनी लड़की की शादी में उसकी सहमति लेंगी। (1) हाँ (2) नहीं

51. आपका विवाह किस रीति से हुआ था ?

(1) परम्परागत (2) आधुनिक (3) प्रेम विवाह (4) कोर्ट मैरिज

52. आप अपनी पुत्री का विवाह किस रीति से करना पसन्द करेंगी।

(1) परम्परागत (2) आधुनिक (3) प्रेम विवाह (4) कोर्ट मैरिज

53. आप अपनी लड़की का विवाह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बाद करेंगी।

(1) हाँ (2) नहीं

54. आप अपनी लड़की का विवाह किस परिवार में करना पसन्द करेंगी। (1)संयुक्त (2) एकांकी

55. आपकी लड़की अपनी पसन्द के लड़के से विवाह करे तो आप उसका साथ देंगी।

(1) हाँ (2) नही

56. यदि लड़की फिर भी जिद्द करे तो क्या करेंगी।

(1) समझायेंगी (2) पिटाई करेंगी

(3) घर से बाहर निकलने पर पाबन्दी लगायेंगी। (4) शीघ्र विवाह कर देगी।

57. क्या आप महिलाओं के विकास से एवं कल्याण से सम्बन्धित सरकार द्वारा नियोजित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानती हैं। (1) हाँ (2) नही

(अ) यदि हां तो कौन–कौन सी योजनाओं को जानती हैं।

(1) महिला एवं बाल विकास सेवा योजना (2) समेकित बाल विकास योजना

(3) किशोरी शक्ति योजना (4) महिला समृद्धि योजना

(5) राष्ट्रीय सा.मा. सहायता कार्यक्रम (6) बाल समिति योजना

58. क्या आपको लगता है कि महिला विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा। (1) हाँ (2) नही

59. भारतीय संविधान में महिलाओं के विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न कानून एवं अधिनियम बनाये गये हैं क्या आपने उनकी जानकारी की। (1) हाँ (2) नही

(अ) यदि हां तो कौन–कौन से कानून एवं अधिनियम की जानकारी की

(1) अस्प्रश्यता अपराध अधिनियम (2) अत्याचार निरोधक अधिनियम

(3) बंधुआ प्रणाली अधिनियम (4) नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम

(5) उत्तर प्रदेश ऋण मुक्त अधिनियम

60. क्या आप मानती हैं कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाना चाहिये। (1) हाँ (2) नही

61. आपकी बालिका शिक्षा हेतु स्कूल जाती है। (1) हाँ (2) नही

62. भारत सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है क्या आप उनका लाभ लेना चाहेंगी (1) हाँ (2) नही

63. भारत सरकार द्वारा बालिकाओं का शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनायें चलायी जा रही हैं क्या आपको उनकी जानकारी है। (1) हाँ (2) नही

(अ) यदि हां तो कौन–कौन सी योजनाओं की जानकारी है।

(1) सर्व शिक्षा अभियान (2) शिक्षा गारण्टी योजना (3) शिक्षा मित्र योजना

64. क्या आपको इन योजनाओं से लाभ मिलता है। (1) हाँ (2) नही

✦✦✦

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. एस. एन. आइजेन स्टार फार जनरेशन टू जनरेशन एज ग्रुप एण्ड सोसल स्ट्रक्चर न्यूयार्क, ट्रि फी प्रेस 1956
2. आर. एन. सक्सेना – भारतीय समाज संस्थान पृष्ठ 45–53
3. अम्बेडकर बी. आर. – ''शूद्र कौन'' 2000 कंचन प्रकाशन शाहदरा नई दिल्ली 23–49
4. अम्बेडकर बी. आर. – ''शूद्रों की खोज'' – 1991 – (अनु) एसमूर्ति लखनऊ कल्चरल पब्लिशर्स
5. आहूजाराम – ''भारतीय सामाजिक व्यवस्था'' तथा संस्थान पृ. 25
6. अम्बेडकर बी. आर. – ''अछूत कौन कैसे'' ? भदन्त आनन्द कौसल्यायन अनु. लखनऊ कल्चरल पब्लिशर्स
7. अशोक कुमार – ''जनसंख्या एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन'' प्रकाशक हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग उ. प्र. हिन्दी संस्थान लखनऊ पृष्ठ 70–71
8. अनिरूद्ध प्रसाद – 1991 – आरक्षण : सामाजिक न्याय एवं राजनैतिक संतुलन जयपुर रावत पब्लिकेशन्स
9. कीर धनजंय – 1954 डा. अम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशन, लंदन एलेन एण्ड एनविन 1949 पृ. 93
10. कपाड़िया – 1947 ''दि हिन्दू किंग शिप''
11. कपाड़िया – 1958 मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया, बाम्बे आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
12. कौशल स्व. वी. वी. सिंह राष्ट्रीय स्कूल एटलस पृष्ठ सं. 80 (मैप हाउस) दिल्ली
13. कौशल राजा, सुलभ इण्डिया पृष्ठ संख्या 4
14. ई. एस. वोर्गडिस, 1975 सोशियोलॉजी पृ. 70
15. उदाहरण तेन मर्यादा सम्पादक ग्रहण विवाह मनुस्मृति 31–20
16. कार्वे इरावती 1965 ''किंगशिप आर्गनाईजेशन इन इण्डिया बाम्बे एशिया पब्लिशिंग हाउस पृ. 130
17. कोठारी रजनी कास्ट इण्डियन पॉलिटिक्स, देहली, ओरियन्ट लॉग मैन 1970, पृ. 77
18. कीर धनजंय 1954 डा. अम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशल, लंदन एलेन एण्ड अनविन 1949 पृ. 93

19. कीर धनजंय -- महात्मा ज्योतिराव फुले फादर ऑफ इण्डियन सोशियल रिवाल्यूशन, बाम्बे पापुलर प्रकाशन 1974 पृ. 55–56

20. कुबेर, डब्लू. एन. 1973 डा. अम्बेडकर एक्रिटिकल स्टडी, न्यू देहली, पिपल्स पब्लिशिंग हाउस

21. कार्ल एन लेलवेलिन, 1953, लीगल ट्रेडीशन एण्ड स्पेशल साइंस मेथड इन बुकिंग इन्स्ट्रीट्यूशन कामेटी ऑन ट्रेनिंग एसाइन रिसर्च मेथड इन दि सोशल साइंस पृ. 113–114

22. कृष्ण गोपाल, श्री प्रकाश – सेवा भारती – राष्ट्र पुरुष भीमराव अम्बेडकर 173 – वीर सावरकर नगर आगरा पृ. 11–25

23. कार्ल एन. ललवेलिन, 1953, लीगल ट्रेडीशन एण्ड स्पेशल साइंस मेथड इन बुकिंग इन्स्टीट्यूशन कमेटी ऑन ट्रेनिंग एसाइड रिसर्च मेथड इन दि सोशल साइंस पेज 113–114

24. कोठारी रजनी -- कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स देहली, ओरियन्ट लॉग मैन 1970 पृ. 77

25. खान, मुमताज अली, 1980 शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड देअर स्टेटस इन इण्डिया, न्यू देहली, उप्पल पब्लिशिंग हाउस

26. गुप्ता एम. एल. शर्मा डी. डी. 2004 समाजशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा पृ. 40–60

27. गुडे तथा हाट – 1952 ''मैथइडॉलोजी इन सोशल रिसर्च'' पृ. 69–132

28. ग्रीन उड अनेस्ट 1945 – ''एक्सपेरीमेंटल सोशियोलॉजी ए स्टडी इन मैथड न्यूयार्क कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस पृ. 103

29. गुप्ता नंद किशोर – 1995–96 बाँदा जिले का आदर्श भूगोल प्रकाशन विद्या केन्द्र बाँदा पृ. 78

30. ग्रीन ए. डब्लू. सोशियोलॉजी पृ. सं. 389

31. गुप्ता एम. एल. डी. डी. शर्मा – 2004 समाजशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा पृ. 40–60

32. चतुर्वेदी ज्वाला प्रसाद 1992 मनुस्मृति (हिन्दी अनुवाद) रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन)

33. चंद्रभौली, वी. 1991 बी. आर. अम्बेडकर मैन एण्ड हिज विजन, न्यू देहली स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा. लि.

34. चैपिन एस. एफ. – 1947 ''इक्सपैरीमेंट डिजाइयन इन सोशियो लौजिकल रिसर्च न्यूर्याक हारपर एवं पब्लिशर्स पेज 39

35. चैपिन – इक्सपेरीमेण्टल डिजाइन इन सोशलॉजिकल रिसर्च पृष्ठ सं. 28

36. क्षीर सागर, आर. के. अनरचवेलिटी इन इण्डिया न्यू देहली, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन 1986 पृ. 31–34

37. क्षीर सागर, आर. के. – 1986 अनटेवल्टी इन इण्डिया पृ. 34 अम्बेडकर अछूत कौन कैसे – भदन्त आनन्द कोसल्सायन अनु. लखनऊ, कल्चरल पब्लिशर्स 1990 पृ. 168

38. ज्वाला प्रसाद – मनुस्मृति, हरिद्वार रणधीर बुक सेल्स प्रकाशन 1992

39. लेगे, जेम्स, द ट्रेवलर्स ऑफ फह्यान, देहली, ओरियेण्ट पब्लिकेशन 1971 पृ. 43

40. जन चेतना – जिला पंचायती राज विभाग बाँदा – 2004 पृ. 75–78

41. जन चेतना – जिला पंचायती राज विभाग बाँदा – 2004 पृ. सं. 1–10

42. त्रिपाठी आर. के. 1995 जातिवाद और सामाजिक न्याय के लिये सहर्ष कल्याण मुख्यालय द्वारा आयोजित एवं गोविन्द बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित संगोष्ठी में अध्यक्षीय भाषण के अंश जुलाई 29 पृ. 3

43. धर्मवीर महाजन – भारत में समाज – 2003 विवेक प्रकाशन नई दिल्ली, पृ. 90–100

44. धर्मवीर महाजन – भारत में समाज – 2003 विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली पृ. सं. 90–110

45. धर्मवीर महाजन, कमतंश महाजन भारत में समाज, 2003 विवेक प्रकाशन जवाहर नगर शाहदरा नई दिल्ली पृ. 95–99

46. धर्मवीर, कमलेश महाजन 2003 इविद् पृ. 95–101

47. पारसंस रालकर – 1942 ऐज एण्ड सैक्स इन दि सोशल, स्ट्रक्चर ऑफ दि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका सोशियोलॉजिक रिव्यू – 7 अक्टूबर 1604

48. प्रेम प्रकाश – 1993, अम्बेडकर पॉलिटिक्स एण्ड शिड्यूलकास्ट न्यू देहली आशीष पब्लिशिंग हाउस

49. पी. एन. प्रभू – 1963 हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, बाम्बे पापुलर प्रकाशन पृ. 151–52

50. प्रभू पी. एन. 1985 हिन्दू सोशल आर्गेनाइजेशन बाम्बे पापुलर बुक डिपो प्रेस, पृ. सं. 217

51. डा. पूरणमल – अस्पृश्यता एवं दलित चेतना पाइेन्टर पब्लिशर्स जयपुर 1999 पृ. सं. 98–99

52. फिशर – आर. 1951 ''दि डिजाइयन ऑफ इक्सपेरीमेंट हाफनर पृ. 30
53. फुंप स्टेफन – चिल्ड्रन ऑफ हरिजन ए स्टडी ऑफ निमाड वलाई ज. इन मध्य प्रदेश अहमदाबाद न्यू
54. वेनेडिक्सरूथ – 1938 कान्टीन्यूटीज एण्ड डिक्कान्टीन्यूटीज इन कल्चर कन्डीशनिंग माइकिही वाल्यूम
55. ब्रिग. जी. डब्लू. – ''द चमार'' लंदन आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस 1920
56. बी. के. पाल – ''प्राब्लम्स एण्ड कनर्सस ऑफ इण्डियन बूमेन'' ABC पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली
57. बी. आर. अम्बेडकर – ''शूद्र कौन'' 2000 कंचन प्रकाशन शाहदरा नई दिल्ली पृ. 23–49
58. बाँदा जिले का आदर्श भूगोल – 25–26
59. बाँदा सांख्यकीय पत्रिका 2001 पृ. 69
60. बाँदा सांख्यकीय पत्रिका 2001 पृ. 80
61. उपरोक्त 2001 पृ. 16
62. बी. आर. अम्बेडकर – शूद्र कौन 2000 कंचन प्रकाशन नई दिल्ली पृ. 115
63. बाँदा संख्या अधिकारी विभाग आठवी पंचवर्षीय योजना 1992 पृ. 3 जिला बाँदा
64. बाँदा सांख्यकीय पत्रिका बाँदा 2001 जनपद बाँदा पृ. 1
65. संतोष कुमार श्रीवास्तव – जनचेतना 2004 पंचायती राज विभाग बाँदा 1 से 9
66. बाँदा जिले का आदर्श भूगोल – पृ. 23–24
67. बाँदा जिले का आदर्श भूगोल – पृ. 25–26
68. बाँदा सांख्यकीय पत्रिका 2001 आकड़े 1991 के अनुसार 3–4
69. बाँदा सांख्यकीय पत्रिका 2001 पृ. 4–5
70. बाँदा गजेटियर जिला सूचना विभाग बाँदा पृ. 208
71. भारत का संविधान अनुच्छेद – 29(2)
72. भारत का संविधान अनुच्छेद – 16(4)
73. भारत का संविधान अनुच्छेद – (338)
74. भारत का संविधान अनुच्छेद – (340)
75. ई. एस. वोगार्डस 1957 सोसियोलॉजी पृ. 76

76. महार – जे. एम. – ''द अन्टचवेल्स इन कन्टमपरेरी इण्डिया ऐरीजोना यूनीवर्सिटी ऑफ ओरीजोना प्रेस 1972

77. मोहन बी. स. 1955, द चेजिंग स्टेटस ऑफ एवडिप्रेस्डकास्ट – विलेज इण्डिया शिकागो, द यूनीवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस

78. 1974, महात्मा ज्योतिराव फूले – फादर ऑफ इण्डियन सोशियल रिवॅाल्यूशन, बाम्बे पापुलर प्रकाशन

79. मर्टन आर. के. 1949 सोशल थ्योरी एण्ड सोसल स्ट्रक्चर टू वर्ड कोडिफिकेशन ऑफ थ्योरी एण्ड रिसर्च, कोलम्बिया यूनीवर्सिटी प्रेस पृ. 55

80. महमूद यासीन 1988 इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास आर्टलटिका पब्लिकेशन, पृ. सं. 117–118

81. मलिक सुनीता – सोशल इन्ट्रीग्रेशन ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट्स, न्यू देहली अभिनव पब्लिकेशन 1979

82. मजूमदार एण्ड मदान – रेसेज एण्ड कल्चर इन इण्डिया देखे पुस्तक ''भारतीय सामाजिक संस्थान आर. एन. मुखर्जी पूर्वोत्तर

83. मेहता चेतन – 1991 – युग दृष्टा डा. भीमराव अम्बेडकर, जयपुर मलिक एण्ड कम्पनी

84. मिश्रा सरस्वती – भारतीय स्त्रियों की प्रस्थिति, शारदा पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली पृ. सं. 60–75

85. मिश्रा सरस्वती – भारतीय स्त्रियों की प्रस्थिति – शारदा पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली पृ. 55–63

86. मिश्रा सरस्वती – 1996 ''भरतीय महिलाओं की प्रस्थिति पृ. 5–23 शारदा पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली

87. मालती सारस्वत – शिक्षा के सिद्धान्त 1988 – आलोक प्रकाशन इलाहाबाद पृ. 1–12

88. राम तथा सिंह – ए स्टडी ऑफ हरिजन एलिटस विटवीन टूवर्डस देहली डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस 1987

89. राय हिमांशु – बाबा साहब अम्बेडकर, समता प्रकाशन, विश्वास नगर, शाहदरा दिल्ली – 1997 पृ. 1–30

90. राजकिशोर – हरिजन से दलित 1949 वाणी प्रकाशन नई दिल्ली पृ. 105

91. रावत हरिकृष्ण – समाज शास्त्र विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन जयपुर पृ. सं. 16

92. रॉस ए. डी. 1961 "दि हिन्दू फैमिली इन इट्स अरवन सेटिंग यू. एस. ए. यूनीवर्सिटी ऑफ टोरेन्टो पृ. 236

93. राष्ट्रीय समिति – 1975 भारत में महिलाओं की स्थिति एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लि. बम्बई

94. रहमानी सवीहा – शोध प्रबन्ध – मुस्लिम महि. में प्रजनता की विभिन्नताओं सम्बन्धी दृष्टिकोण पृ. 4–7

95. लिन्ड क्वीस्ट जी. – 1953 "डिजाइयन एण्ड एनालिसिस ऑफ इक्सपेरीमेंट इन साइकलॉजी एण्ड ऐजूकेशन पृ. 16–18

96. लिण्ड क्वीस्ट – 1953 – पृ. 21 आर्डर बुक क. 1949

97. लिंच – दि पॉलिटिक्स ऑफ अन्टचवेलिटी – आगरा, इन मिल्टन सिंगर तथा वर्नाड. एस. कोहनी शिकागो, एल. डान, पब्लिकेशन कं. 1968

98. लूसी मेयर – सामाजिक नृ. विज्ञान की भूमिका, हिन्दी अनुवाद पृ. 10

99. वर्मा एम. वी. 1969 – हरिजन सेवक संघ का इतिहास (1932–1968) दिल्ली हरिजन सेवक संघ

100. विकास दिग्दर्शिका बाँदा 1988 – जिला सूचना विभाग 5–6 विकास दिग्दर्शिनी बाँदा 1988 पृ. 6–7

101. सिंह तथा सुन्दरम एस. इमरजिंग हरिजन एलिट ए स्टडी ऑफ देयर आइडेन्टरी न्यू देहली, उप्पल पब्लिशिंग हाउस 1987

102. सिंहा जे. वी. – सामाजिक न्याय एवं दलितोत्थान की योजनायें 2003 शान्ति प्रकाशन इलाहाबाद पृ. 100–108

103. शान्ता कुमारी – आर शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड बेलफेयर मीजर्स न्यू देहली क्लासिकल पब्लिशिंग क. 1983 – पृ. 189

104. श्री निवास – 1978 "चेजिंग स्टेटस ऑफ इण्डियन वूमेन" आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली

105. सोलोमन आर. 1949 – एन एक्सटेंशन ऑफ कन्ट्रोल ग्रुप डिजाइन साइक्लॉजिकल वुलेटिन पृ. 91

106. सोलोमन आर. 1949 पृ. 93

107. सोलोमन आर. 1949 पृ. 95

108. श्रीवास्तव एस. एन. "हरिजन इन इण्डियन सोसाइटी, लखनऊ हाउपर इण्डिया पब्लिशिंग हाउस 178–180, 1980 पृ. 176

109. सचान – एडवर्ड सी अलरुवनीज इण्डिया देहली एस चंद एण्ड के. 1964 पृ. 101–137

110. सागर, एस. एल., हिन्दू संस्कृति में वर्ण व्यवस्था और जातिवाद, लखनऊ, बहुजन कल्याण प्रकाशन पृ. 49

111. सच्चिनंद – द हरिजन एलीट : ए स्टडी ऑफ देयर स्टेट्स नेवर्क, मविलिटी एण्ड रोल इन सोशियल ट्रांसफारमेशन फरीदाबाद थामसन प्रेस इण्डिया लि. 1977 पृ. 4

112. सरयू प्रसाद चौबे – तुलनात्मक शिक्षा 1995 विनोद पुस्तक मंदिरा आगरा पृ. सं. 658–666

113. सवरवाल – विर्योड द विलेज, शिमला, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, 1979

114. सिन्हा जे. वी. – सामाजिक न्याय एवं दलितोत्थान की योजनायें शान्ति प्रकाशन इलाहाबाद 2002 पृ. 27–32

115. सिन्हा जे. वी. – सामाजिक न्याय एवं दलितोत्थान की योजनायें 2002 पृ. 27–35

116. सिन्हा जे. वी. – सामाजिक न्याय एवं दलितोत्थान की योजनायें 2004 शान्ति प्रकाशन इलाहाबाद पृ. 94

117. श्रोत– समाज कल्याण निर्देशक, लखनऊ, उ.प्र.

118. सच्चिदानंद ''द हरिजन एलीट – ए स्टडी ऑफ देयर स्टेट्स नेटवर्क फरीदाबाद, थामसन प्रेस 1977 पृ. 4

119. शास्त्री, शिवराम, श्री मद् बाल्मिकी रामायण, वाराणसी, चौरवम्वा विद्याभवन 1977, उत्तरकाण्ड, पृ. 1029–30

120. सत्वलेकर, एस. डी. (अनु.) महाभारत (आदि पर्व), वलसाड, स्वाध्याय मण्डल, पराथी, 1979 पृ. 669–673

121. सिंह योगेन्द्र – कास्ट क्लास सम आस्पैक्ट ऑफ कन्टीनिटी एण्ड चेंज सोशियोलॉजिक बुलेटिन वा. न. 1968 पृ. 178–79

122. सामान्य जनसंख्या तालिका – भाग 2 श्रंखला भारत की जनगणना 1981 भारत के महा पंजीयक और जनगणना आयुक्त नई दिल्ली 1985

123. समसामयिक घटना चक्र -- जनसंख्या एवं नगरीयकरण इलाहाबाद पृ. 2–11

124. कौशल स्व. वी. वी. सिंह – राष्ट्रीय स्कूल एटलस पृ. 80 मैप हाउस दिल्ली

125. समसामयिक घटना चक्र पृ. सं. 57 इलाहाबाद

126. समसामयिक घटना चक्र पृ. सं. 23 इलाहाबाद

सहायक पत्रिकायें

कुरुक्षेत्र – सितम्बर 2004 ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली पृ. 9–21

कुरुक्षेत्र – दिसम्बर 2002 ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली पृ. 16–38

कुरुक्षेत्र – जनवरी 2004 ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली पृ. 15–38

कुरुक्षेत्र – दिसम्बर 2004 ग्रागीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली पृ. 16–40

कुरुक्षेत्र – सितम्बर 2005 ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली पृ. 15–17

योजना – सितम्बर 2005 योजना भवन नई दिल्ली पृ. 18

संदेश – मार्च 2004 रामनरेश सिन्हा नई दिल्ली पृ. 25–28

संदेश – सितम्बर 2002 रामनरेश सिन्हा नई दिल्ली पृ. 36

इण्डिया टुडे जुलाई 2003 अरुण राय नई दिल्ली पृ. 21–36